पंचम माला, खंड 50, अंक 29, मंगलवार, 8 अप्रैल, 1975/18 चैत्र, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. L, No. 29, Tuesday, April 8, 1975/Chaitra 18, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खण्ड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. L contains Nos. 21 to 30]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price: Two Rupees

मूल्य : दो रुपये

विषय सूची/CONTENTS

सं० 29, मंगलवार, 8 अप्रैल, 1975/ 18 चैत्र, 1897 (शक)

No. 29, *Tuesday, April* 8, 1975/*Chaitra* 18, 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 544 से 548	Starred Questions Nos. 544 to 548.	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 549, 551 से 555 और 558 से 565	Starred Questions Nos. 549, 551 to 555 and 558 to 565	18—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 5277 से 5339, 5341 से 5369, 5371 से 5377, 5379 से 5381, 5383 से 5403 और 5405 से, 5476	Unstarred Questions Nos. 5277 to 5339, 5341 to 5369 5371 to 5377 5379 to 5381 5383 to 5403 5405 to 5476	27—137
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	137-38
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
एक सौ चवालीसवां प्रतिवेदन	Hundred and forty-fourth Report	138-39
अनुदानों की मांगें, 1975-76—	Demands for Grants, 1975-76—	
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation .	140—50
श्री आर० बी० स्वामीनाथन	Shri R. V. Swaminathan	140-41
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	141-42
श्री कृष्णराव पाटिल	Shri Krishnarao Patil	142-43
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo . . .	143-44
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	144
श्री दलीप सिह	Shri Dalip Singh	144-45
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya . . .	145
श्री अण्णासाहिब गोटिखिंडे	Shri Annasaheb Gotkhinde . . .	146-47
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai . . .	147
श्री मोहनराज कालिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar . . .	147-48
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan . . .	148—50

किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
कलकत्ता में हुई हिंसक घटना के, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया और श्री समर गुह, संसद् सदस्य को चोटें आयी, बारे में प्रस्ताव	Motion re. violent incident in Calcutta wherein Shri Jayaprakash Narain's car was attacked and Shri Samar Guha, M.P., sustained injuries	150—83
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	150—55
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat . .	158
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	159
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray . . .	159-60
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	160—62
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . . .	162-63
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	163—65
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi . .	165—68
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . .	168-69
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	169-70
श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan	170-71
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unni Krishnan . .	171-72
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty . .	172-73
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	173
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan	173-74
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	174
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	174-75
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev . . .	175
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	175—79

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 8 अप्रैल, 1975/18 चैत्र, 1897 (शक)

Tuesday, April 8, 1975/Chaitra 18, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Free Legal Assistance and Adivce to Labourers and Poor People

†*544. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether an expert committee appointed by the Ministry has made recommendation that there should be statutory provision for giving free legal assistance and advice to the labourers and poor people ;

(*b*) the date on which Government received this report and the names of the places where this provision has been made since then ;

(*c*) the details of the note received from the Ministry of Labour in this regard ; and

(*d*) the reaction of the various State Governments to this ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ख) 27 मई, 1973 को । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ). कर्मकारों को कानूनी सहायता का प्रश्न, 27 और 28 सितम्बर, 1974 को हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 25वें अधिवेशन की कार्यसूची की मदों में से एक था। कर्मकारों को कानूनी सहायता का सिद्धान्त सभी को स्वीकार्य था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न बातों पर विचार करने और ब्यौरा तैयार करने के लिए एक छोटी शासकीय समिति गठित की जाए। उस समिति का गठन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और जैसे ही राज्य सरकारें आदि उस में अपने प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन कर देंगी वैसे ही वह समिति कार्य करना आरम्भ कर देगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, the question of providing free legal aid to the poor people especially to the workmen, has been under Government's consideration for the last so many years. This Expert Committee was appointed in 1973. Now the Government are again proposing to set up a new Committee. I want to know whether the Government want to evade this issue on the pretext of setting up Committees or whether they are going to take some decision in this regard ?

Dr. Sarojini Mahishi : We are not evading this issue on the pretext of setting up committees; rather we are very much interested in helping the poor people. It is wrong to say that the Committee was appointed in 1973. The Committee was appointed in 1972 and it gave its report in 1973. After one year that report was printed. The official Committee has also presented its report.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Hon. Minister by her reply has brought the Government in an embarassing position. I said the Committee was appointed in 1973. She said that the Committee was appointed in 1972 and it presented its report in 1973 and the report was printed in 1974. A new Committee has been appointed during this period and that Committee has also presented its report. It is 1975. How much time it will take to appoint a Committee to consider setting up of a new Committee ?

Dr. Sarojini Mahishi : The Hon. Member had wrong information and I corrected that information. It is a fact that the Committee was appointed in 1972 and it presented its report in 1973 and it was printed in 1974. During this period a new official Committee has been appointed. It has also presented its report. It is under the Ministry of Law. But now this matter is under the Ministry of Labour. When the representatives of the State Government's are nominated we will start discussion in the matter.

Shri Jagannathrao Joshi : This is not the first time that such reply has been given by the Hon. Minister. When I asked a question regarding the report of Dharia Committee, the answer was that the report is under Consideration. Similar reply was given when question was raised about the Sukhmaya Chakravarti Committee. The report was presented in 1973 and now it is 1975. But nothing has been done. It is a sorry state of affairs. You have accepted the principle to give free legal aid to the poor people. The Ministry of Law and the Ministry of Labour should fix the time limit to implement this programme.

Dr. Sarojini Mahishi : We regret that there has been delay in taking decision, but we are making efforts, we are not sitting idle. A Committee is being set up in the Ministry of Law. We have not received response from the State Governments. They say that the matter is under examination. We got this reply from only one State. After getting reaction of the State Governments, we will convene a Conference and then steps will be taken to implement it.

Shri Jagannathrao Joshi: Do you have fixed the time limit for this purpose ?

Dr. Sarojini Mahishi: It is difficult to fix the time limit, because reaction is yet to be known from the States. Even then entry numbers 2, 20, 23, 24 and 26 of Concurrent list and 77, 78 of Union list make us competent to take decision. If there is no response from the States then we will have to take steps in this direction.

श्री एच० के० एल० भगत: यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मंत्री महोदया द्वारा दिया गया उत्तर अत्यन्त असंतोषजनक है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि राज्यों की प्रतिक्रिया जानने में और कितना समय लगेगा ? विधि मंत्रालय राज्यों के मंत्रियों तथा श्रम मंत्रालय की बैठक क्यों नहीं बुला लेता और मामले पर इतना पत्र व्यवहार करने की बजाय निर्णय क्यों नहीं ले लेता ? देश में यही भावना है । इसे हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय इस प्रकार का सम्मेलन बुलायेगा और यदि हां, तो कब?

Dr. Sarojini Mahishi: I have already said that administration of justice is a State subject. We have to go according to that and at the same time we have to wait for reply from the State Governments.

Shri H. K. L. Bhagat: You hold the Conference.

Dr. Sarojini Mahishi: We shall have to call them. It is one of the social security measures, social service oriented programme. This very procedure is followed in other countries also. The Question of old age pension, Family Planning, control on Drug adiction are connected with social service. Therefore it is social oriented programme and we have to consult all the States in this matter.

श्री एच० के० एल० भगत: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । आपको एक सम्मेलन बुलाना चाहिए और वहां इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए ।

डा० सरोजिनी महिषी: मैंने इसका उत्तर दे दिया है। मैंने कहा कि शीघ्र ही ऐसा किया जाने वाला है । मैंने ऐसा कह दिया ।

Shri Sukhdev Prasad Verma: Mr. Speaker, the poor labourers, Adivasis and the Harijans are usually attacked and the Governments are aware of it. It is because they are poor and they are not in a position to go to Courts. I want to know that how much time Government will take to implement this scheme. Keeping in view the present circumstances you should feel its necessity.

Dr. Sarojini Mahishi: It is difficult to say anything about the time limit because it is a social service oriented programme but it can be pointed out that facilities are available to the tribals and Harijans and each State Government has made allocation for them.

Shri Sukhdev Prasad Verma: They do not get legal aid in time and therefore Governmen should find out the causes thereof. There are so many such cases.

Dr. Sarojini Mahishi: There are two things involved in it.

Shri Sarjoo Pandey: My point of order.

Mr. Speaker: You cannot raise point of order at this time.

Shri Sarjoo Pandey: The Minister told lie..........(*interruption*)

Dr. Sarojini Mahishi: Two things are involved in it. How much money has been allocated or legal aid if any allocation has been made, how it has been spent and how many beneficiaries were benefited from it. It is one thing. Has it been given adequate publicity or not, it is second thing. I would like to point out that the State Government had allocated some amount for giving legal aid but due to inadequate publicity, the entire amount could not be spent. A small amount was allocated during the fourth five year plan, but that amount was also not spent. I agree that the people do not get this legal help in time but at the same time I want to point out that the small amount which has been allocated for this purpose, was not spent. 11 persons in Rajasthan, 121 persons in Punjab, 924 persons in Orissa and 487 persons in Haryana have been given legal aid during the fourth five year plan. It shows that it has not been given wide publicity.

Shri Sarjoo Pandey: What is the position in Uttar Pradesh, Bengal and Bihar?

Shri Hukam Chand Kachwai: How many persons got legal aid in Madhya Pradesh?

Mr. Speaker: The question has been replied to.

Shri Sarjoo Pandey: Mr. Speaker, it is an important question.

Mr. Speaker: The main question has been replied to. Now you are asking how many persons have been given legal aid in different States. It has no connection with the question.

Shri Ram Singh Bhai: Sir, so far as labourers are concerned, there is provision in Bombay Industrial Act and Madhya Pradesh Industrial Act for giving them free legal aid. May I know whether this provision can be made in Industrial Disputes Act.

Dr. Sarojini Mahishi: Justice Krishan Iyer Committee has recommended in Chapter 8 for giving free legal aid to the industrial workers. We have to see that how we can implement these suggestions. We are considering them and it is not possible at this stage to tell whom should be given this free legal aid and how to provide them this aid. In Chapter 8 recommendations have been made regarding litigation fund, preparation of Panel of Lawyers and irrespective of wages to workers. The Ministry of Labour is considering these recommendations and they are expected to submit their report shortly.

Shri Madhu Limaye: The poor people can be given legal aid by two ways. One way is that they should be provided the services of lawyers and the other way is that the Government should not file the cases on their appeals as in the matter of railwaymen. Therefore, I want to know whether the Ministry of Law would direct the various Government departments not to file such cases. I think this will be a great help to the poor people.

Dr. Sarojini Mahishi: Justice Krishan Iyer has recommended in his report that if the court gives its judgement in favour of the workers of Public Sector Industry, then the Government should not go to Court for appeal.

Shri Ramavatar Shastri: Railway Ministry is repeatedly doing it against the employees.

Dr. Sarojini Mahishi: I have said that it is under consideration. We have not taken final decision so far.....(*Interruption*)

Shri Md. Jamilurrahman: Mr. Speaker for Criminal Cases A.P.P. is appointed in every district and for civil suits A.G.P. is appointed and they are given remunerations by the Government for filing the cases and for the Criminal cases the remuneration is fixed. Therefore, I want to know whether the Law Ministry has directed them to fight the cases of poor people, Labourers, Harijans and Adivasis?

Dr. Sarojini Mahishi : For this, there is provision in the Criminal Procedure Code and after going into the merits of the case the court gives legal help, if necessary but there is no provision to give legal aid in civil suits. The Joint Select Committee is collecting evidences to amend the Civil Procedure Code and the question of giving legal aid to the poor people is being discussed. Under sections 6 and 7 of the Advocates Act, a Fund can be opened and legal aid can be given. So, there is provision for legal aid but we can not say anything at this stage that to what extent it has been implemented. It is a comprehensive thing to provide free legal aid to the poor people, and it is being considered.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपको पता होगा कि हजारों बटाईदारों को उनकी भूमि से बेदखल किया गया है और उन्हें राज्य सरकारों से किसी तरह की कानूनी सहायता नहीं मिल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है ।

Dr. Sarojini Mahishi : The State Governments are taking action under the law. To provide free legal aid is a comprehensive scheme—and Krishan Iyer Committee has made 249 recommendations in this regard. These recommendations have been divided into three parts We are examining how many recommendations can be implemented and whether we shall have to make amendment in the existing law in order to implement these recommendations. The third part is comprehensive legislation for legal aid. This very procedure has been followed in other countries also. In England this scheme was proposed in 1949 and implemented in 1959.

Shri T. Sohan Lal : Government have allotted land to some poor people. Some persons in league with the Patwaris have claimed that land. They have done so because they know that these poor people can not go to Courts and the Courts will give decision in their favour. I want to know whether Government propose to give free legal aid to such people ?

Mr. Speaker : You have gone out of the context.

Shri T. Sohan Lal : Government give land to the labourers in rural areas. I can cite the examples where other persons claimed that land. These poor people can not go to Courts because they have no money to fight the case. Is it not the duty of Government to give them free legal aid ?

Dr. Sarojini Mahishi : I have replied this question in detail. Follow up action is to be taken by the State Government. It is the responsibility of the State Government to see that these poor people get the possession of the land. The scheme of giving free legal aid has not yet been implemented.

Mr. Speaker : Why do you give the detailed answer ? You say only that point which has been asked by the member. You give three four more points. That causes members to raise more questions.

Shri Sarjoo Pandey : Entire House is agitated over this issue. This question is concerned with the poor people of the country. The answer is not satisfactory. So many things are not implemented. I want to know whether Government are taking steps on the temporary basis to provide justice to the poor people ?

Dr. Sarojini Mahishi : The Government is trying their best to provide justice to the poor people. The present facilities are to be implemented effectively. The poor people will be benefited by the new law only when it is implemented.

Shri Mool Chand Daga : You do not say that this is a state-subject. You simply tell us, what you have done in Delhi which is a Union Territory ?

Mr. Speaker : A committee has been set up to examine it. What else can be done ? This innocent question has taken so much time.

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड

*545. **श्री अनन्त राव पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी उत्पादन में कमी होने के कारण भारी हानि पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में गिरावट, घटिया स्तर का प्रबन्ध कार्य, श्रमिक अशान्ति अथवा कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के लिये कौन उत्तरदायी है; और

(ग) विटामिन सी गोलियों के उत्पादन का क्या हुआ है और प्रस्तावित विस्तार की भावी स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

कई वर्षों से हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के उत्पादन और लाभ में कमी हुई है । गत पांच वर्षों में कम्पनी की बिक्री, लाभ निम्नलिखित रूप में हुई :—

	कुल बिक्री	कर के उपरान्त लाभ
		(रुपये लाखों में)
1969–70	723.50	44.12
1970–71	619.93	12.47
1971–72	728.01	12.71
1972–73	789.29	5.83
1973–74 . . .	785.30	(–) 148.21

एच० ए० एल० की मुख्य मदों में से दो मदें अर्थात पेन्सिलिन और स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन में भी गिरावट का रूप दिखलाई दिया है । जिस पेन्सिलन का उत्पादन वर्ष 1972–73 में 81.87 एम एम यू था वह घटकर वर्ष 1973–74 में 75.12 एम एम यू और

1974–75 में 63.02 एम एम यू कम हो गया । उसी प्रकार स्ट्रप्टोमाइसीन का वर्ष 1972–73 में 72 मी० टन से वर्ष 1973–74 में 64 मी० टन और वर्ष 1974–75 में 63 मी० टन तक उत्पादन हुआ था ।

उत्पादन और लाभ के रुख की कमी को देखते हुए कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित विषयों की चर्चा करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की । "विशेषकर कर्मचारियों के कार्य के सन्दर्भ में उत्पादन, इंजीनियरी और माल प्रबन्धक विभागों की कार्य प्रणाली की जांच करना और गिरावटों के लिए जिम्मेदारी निश्चित करना । यथा सम्भव शीघ्र समिति की बैठक होगी और लगभग 30 दिन के अन्दर अन्दर वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और नई दिल्ली में आयात बैठक बुलाना आवश्यक समझा गया तो प्रबन्ध निदेशक इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।"

अन्य बातों के अलावा समिति के निष्कर्षों पर निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :—

(1) जब उत्पादन और इंजीनियरी सेवाओं के प्रमुखों को अपनी जिम्मेदारियों के निभाने और जिम्मेदारी लेने का अभाव पाया जाता है तो समिति भी जागरूक है कि कम्पनी के तकनीकि परिचालनों के अपर्याप्त कार्यों के लिए केवल अधिकारियों की असफलता ही कारण नहीं हो सकती है ।

(2) सभी स्तर पर अनुशासन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और अपराधी और जिम्मेदारी से भागने वाले अधिकारियों और आपरेटरों तथा अन्य कामगरों को शीघ्र दण्डित किया जाना चाहिए ।

(3) निम्नलिखित की स्थापना करने के तत्काल प्रौद्योगिकी सैल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है :—(क) अनुकूलतम क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोटोकल, (ख) कार्य की निगरानी, (ग) निष्पाद्य और लक्ष्य कार्यकुशलता का उद्देश्य (घ) सउामग्री दोषो और बैच आपरेशनों के लिए उपकरण विशिष्टयों तथा अपने कर्तव्यों, (ङ) शीट प्रवाह, सामग्री पत्रोउपचार फर्मों के लिए सिफारिश करना ।

(4) जिस कार्यकारी दल ने पेन्सिलिन का उत्पादन किया था उसने प्रदर्शन करके दिखलाया हैं कि कार्यकुशलता का अनुकूलतम लक्ष्य के प्रोट्रोकल में यथा निर्धारित उत्पादन/प्रक्रिया पैरा मीटरों का यथावत् रूप में पालन कर विद्यमान स्थिति के अधीन संयंत्र में निष्पाद्य किए जाने की आवश्यकता है । चूंकि उत्पादन विभाग कार्य कुशलताओं के इन अनुकूल लक्ष्यों को बनाये रखने के लिए योग्य नहीं रहा है, समिति इस असफलता के लिए उत्पादन कर्मचारियों को जिम्मेदार मानती है और विशेष रूप से उत्पादन अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराती है जिन पर इस विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है ।

अतः निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त समिति उत्पादन और लाभ में कमी होने के लिए अनेक कारणों को मानती है जिसमें बुरा प्रबन्ध अनुशासन की कमी और संयंत्रों के कुशल परिचालन से सम्बन्धित समस्याएं हैं ।

निदेशक मंडल द्वारा जिस समिति पर अनु समार्पित किया गया था उसकी सिफारिशों के आधार पर दो पद् अधिकारियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया था । इस समिति की अन्य सिफारिशें कार्यान्यानाधीन हैं । वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को बदलने का निर्णय किया गया है और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

सरकार ने डी जी टी डी योजना आयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों वाले कार्यकारी दल की स्थापना करने का निर्णय किया है और हाफकिन संस्था विटामिन सी का अपना निर्माण करने के बारे में एच ए एल की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेगी । कार्यकारी दल के निम्नलिखित विचारार्थ विषय हैं :—

(1) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के विटामिन सी संयंत्र की उत्पादन क्षमता की जांच करना ।

(2) अपने वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ और स्थिर करने के सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाना और संयंत्र की कार्य प्रणाली की जांच करना ।

(3) कमियों को दूर करने के लिए प्रबन्ध द्वारा अब तक उठाये गए कदमों की पर्याप्तता की जांच करना ।

(4) उचित उपचारीय उपायों की सिफारिश करना ।

(ग) हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लि० का विटामिन सी संयंत्र मार्च, 1973 में पूरा हो गया था । तथापि विटामिन सी का उत्पादन अभी हाल में चालू किया गया है यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन को अभी स्थिर करना है । कम्पनी ने अभी हाल में विटामिन सी की गोलियों का विपणन करना आरम्भ कर दिया है । उत्तर के भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट कार्यकारी दल द्वारा प्रपुंज विटामिन सी का निर्माण करने से सम्बंधित समस्याओं को ध्यान से देखा जायेगा । पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एच ए एल 250 मी० टन तक विटामिन सी (प्रपुंज) का निर्माण करने के लिए अपनी क्षमता बढाने के लिए प्रस्ताव रखा है ।

श्री अनन्त राव पाटिल : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के उत्पादन और लाभ में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है । वर्ष 1969–70 में कम्पनी का लाभ 44 लाख रुपए था परन्तु 1973–74 में 48. 21 लाख की हानि हुई । इस प्रकार पिछले पांच वर्ष में उत्पादन और लाभ में पर्याप्त एवं निरन्तर कमी हुई है । मन्त्री महोदय ने बताया कि उसके कारणों की जांच के लिये समिति नियुक्त कर दी गई है । उन्होंने बताया है कि कुप्रबन्ध, अनुशासनहीनता एव सन्यन्त्र के कुशलता से न चलाये जाने सम्बन्धी समस्याओं के कारण यह हुआ है । हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड सरकारी प्रतिष्ठानों में श्रेष्ठ निकाय रहा है और कुछ ही वर्ष पूर्व यह अनुकरणीय निकाय बना हुआ था । परन्तु पिछले 4 अथवा 5 वर्षों में निरन्तर ह्रास होता रहा है । उक्त क्षेत्र के संसद् सदस्य एवं श्रमिक सघ के प्रतिनिधि सरकार को अभ्यावेदन देते रहे हैं कि प्रबन्ध में सुधार लाये जाने चाहिए । विवरण में दिये गये कारणों में कुछ ये हैं : हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र में पैनिसिलिन एवं स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन लागत एंव कच्चे माल की कमी । मन्त्री महोदय ने बताया कि वह दूसरा प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें कब नियुक्त किया जायेगा ?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि प्रतिष्ठान के लाभ में कमी हुई है। प्रबन्धकों की अकार्य-कुशलता तथा इसके अतिरिक्त कि उत्पादन तथा इजीनियरी जसे कुछ विभाग निर्धारित मा.दण्डों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाभ में कमी का एक आधारभूत कारण यह है कि पैंनसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसीन के मूल्य 1959 में निर्धारित किये गये थे। बेशक हाल ही में उनके मूल्यों में तदर्थ वृद्धि की गई है, लेकिन वे वहीं पर रुके हुए हैं। विशेषकर सितम्बर, 1973 के मध्य से जबकि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई पैंनसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसीन के निर्माण में काम आने वाली हर वस्तु का मूल्य बढ़ा है। इसमें प्रयोग किये जाने वाले औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हुई है। यह एक मुख्य कारण है। लाभ में कमी कई कारणों से हुई जैसा कि मैं बता चुका हू। मैंने यह भी बताया था कि जांच समिति की रिपोर्ट के बाद क्या कार्यवाही की गई है। निदेशक-मण्डल ने स्वय दो प्रबन्धकों के विरुद्ध कायवाही की है। एक नये प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति की जा रही है। समिति द्वारा मालूम की गई कई अन्य तकनीकी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। अब 85 से 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड विभिन्न स्रोतों से अच्छी किस्म की पेंसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसीन प्राप्त किये जाने के कारण अब यह समझा जाता है कि वर्ष 1976 और 1977 में हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स अधिक उत्पादन कर पायेगी तथा लाभ कमा सकेगी।

श्री अनन्तराव पाटिल : विटामिन सी के उत्पादन का सन्यन्त्र मार्च, 1973 में पूरा हो गया था परन्तु उत्पादन कुछ महीने पूर्व ही आरम्भ किया गया। $1\frac{1}{2}$ वर्ष से उत्पादन नहीं हो रहा था। कर्मचारी पूरा सहयोग दे रहे हैं और 10 वष से इस सन्यन्त्र में मजदूरों द्वारा कोई भी रुकावट पदा नहीं की गई।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि विटामिन 'सी' का उत्पादन अभी शुरू हुआ है। मैं जानना चाहता हू कि क्या वह कुप्रबन्ध के कारण इस अत्यावश्यक फैक्टरी के विस्तार कार्य को टाल रहे हैं अथवा वह इसे चालू कर रहे हैं। इससे 5000 कमचारियों को रोजगार मिलेगा।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं। विटामिन 'सी' के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही बताया है कि बहुत सी तकनीकी तथा अन्य समस्याओं के कारण उत्पादन स्थिर करने में कुछ समय लगा, अब तक हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स ने लगभग 1 टन विटामिन 'सी' का उत्पादन किया है। 1973–74 से वे 'सरबिटोल' जो कि एक मध्यवर्ती उत्पादन है करते रहे हैं। वर्ष 1973–74 और 1974–75 में इसका उत्पादन क्रमशः 67 और 125 टन हुआ। पांचवीं योजना के दौरान हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटड अपनी विटामिन 'सी' की निर्माण क्षमता को 250 टन करना चाहते हैं।

योजना आयोग ने अधिक रोजगार उपलब्ध करने के लिये हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटड के विस्तार की स्वीकृति दे दी है। पेंसिलिन सन्यन्त्र की वार्षिक क्षमता 84 एम०एम०यू० से बढ़ाकर 160 एम०एम०यू० तथा स्ट्रेप्टोमाइसीन सन्यन्त्र की वार्षिक क्षमता 35 टन से बढ़ा कर 160 टन अर्द्ध-संश्लिष्ट पेंसिलिन सन्यन्त्र की वार्षिक क्षमता 5 टन से बढ़ा कर 55 टन तथा विटामिन 'सी' की वार्षिक क्षमता 125 टन से बढ़ा कर 250 टन करने के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इनमें से अधिकांश की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है तथा प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी जो भी अभाव होंगे उनके लिए अन्य कदम उठाये जायेंगे तथा विस्तार किया जायेगा।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि उत्पादन तथा लाभ दोनों में ही कमी हुई है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके लिए हमारे पास अपेक्षित तकनीकी जानकारी तथा कुछ औषधियों का निर्माण करने की क्षमता भी है परन्तु उनमें भी सरकार ने कुछ विदेशी कम्पनियों को औषध निर्माण की छूट क्यों दे रखी है ? विदेशी कम्पनिया भी हमारी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ होड़ लगाये हुये हैं। क्या मन्त्री महोदय इस मामले की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन औषध क्षेत्रों सम्बन्धी तकनीकी जानकारी तथा क्षमता हमारे पास उपलब्ध है उनमें विदेशी कम्पनियों को कार्य करने की छूट न दी जाये ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य महोदय ने भारतीय क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी जानकारी तथा क्षमता के सम्बन्ध म एक सामान्य प्रश्न पूछा है। हाथी समिति ने अपना प्रतिवेदन अभी दो दिन पहले ही प्रस्तुत किया है और सरकार सम्पूर्ण मामले का समेकित जायजा लेगी। सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र के साथ साथ भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की भी है और इस नीति को क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि जहां तक हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित विटामिन 'सी' का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है, एक एकाधिकार गृह द्वारा इसकी उचित मूल्य निर्धारित करने के रास्ते में रोड़ा अटकाया गया था ? क्या अब विटामिन 'सी' का भेदक मूल्य निर्धारित कर दिया गया है ? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के लिए विटामिन 'सी' का मूल्य निर्धारित करते समय उसके ब्याज तथा प्राप्त मूल्य आदि सहित वास्तविक उत्पादन मूल्य को भी विचाराधीन रखा था ? यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इसका अर्थ यह है कि वास्तविक मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है और क्या सरकार हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड को कुछ राजकीय सहायता देगी ?

श्री के० आर० गणेशः जहां तक हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का प्रश्न है उसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि उन्होंने हाल ही में उत्पादन आरम्भ किया है और उसको कुछ मात्रा का विभिन्न किया गया है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही यह कहा है कि भेदक मल्य निर्धारित किए गए है और ऐसा उन सभी एककों द्वारा किया गया है जिन्होंने 1973 के बाद उत्पादन आरम्भ किया है और यह बात हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स पर भी लागू होगी। इनके प्रश्न का सम्बन्ध ह्रास मूल्यों आदि से सम्बद्ध भी था। अभी इनका मूल्य औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा अनुभाताश्रित आधार पर किया गया है। ज्योंहि एकक में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा, तो इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखा जायेगा।

श्री एस० एन० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण तथा उसे 3 करोड़ रुपये की हानि के सम्बन्ध में ब्लिटज़ में छपी लेख मालाओं की ओर दिलाया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रबन्ध निदेशक, चेयरमेन या किसी अन्य दायित्वपूर्ण उच्च अधिकारी को दण्डनीय लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके कारण हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स को हानी उठानी पड़ी ?

श्री के० आर० गणेश : अपने मूल उत्तर में मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि दो अधिकारियों को हटा दिया गया है। इन पर उत्पादन तथा इंजीनियरिंग का कार्यभार था। सरकार ने नये प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करने का निर्णय ले लिया है जिसके लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड से कहा गया है।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know from hon. Minister that even after using the 85 to 90 per cent of the installed capacity, the prices of Antibiotics Factory are more as compared to the prices of other factories for instance Penicillin and Streptomycin (as stated by hon. Minister), the faatory is incurring loss ? May I know if to eliminate this reason you are going to adopt some pricing policy under which medicines can be sold at cheaper rates ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि पहले बताया गया है प्रबन्धकीय समस्याओं, त्रुटियों तथा अन्य कारणों के अतिरिक्त एक आधारभूत आर्थिक कारण यह भी है कि हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स में मूल्य निर्धारण 1959 की लागत के आधार पर किया गया है। यही कारण है कि 80 से 90 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग करने के बावजूद भी हानि हो रही है। अन्तरिम मूल्यवृद्धि दे दी गई है तथा सम्पूर्ण मूल्य-तालिका की जांच औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा की जा रही है। हाथी समिति का प्रतिवेदन जो अब हमें प्राप्त हो गया है, उसमें भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि एन्टीबायोटिक्स को किस मूल्य पर बेचा जाये और फिर इसके लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

भारत से लगने वाले अरब सागर के भाग में तेल के लिए सर्वेक्षण

*546. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से लगने वाले अरब सागर के कुछ भागों में यह पता लगाने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया कि क्या उन भागों में पेट्रोलियम उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो किन भागों का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया; और

(ग) सर्वेक्षण न कराये जाने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) कतिपय क्षेत्रीय भूकंपीय **पार्श्वचित्रण** को छोड़कर, सौराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा लक्षदीप **तटदूर महाद्वीपीय भग्नवट क्षेत्रों का विस्तृत** सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अपने भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत की अगले कुछ महीनों में भारतीय जल में प्रवेश करने की आशा है और इससे समस्त अपतटीय क्षेत्रों के भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य की प्रगति में सहायता होगी। भूगर्भीय दृष्टि से विभिन्न **थालाओं** को दी गई अग्रता के आधार पर आगामी वर्षों में उपरोक्त क्षेत्रों का भूकम्पीय **सर्वेक्षण किया जायगा** ।

श्री पी० आर० शिनाय : केवल बम्बई हाई या अन्य एक दो स्थानों में ही नहीं परन्तु, अरब सागर के सम्पूर्ण महाद्वीपीय भग्नतट में तेल मिलने की काफी सम्भावना है। इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राकृतिक गैस तथा तेल आयोग का सर्वेक्षण पोत अपेक्षित सर्वे करने के लिए कब तक तैयार हो जायेगा और क्या उसके लिये कुछ योजनायें बनाई गई हैं तथा प्राथमिकतायें निर्धारित की गई है, कि किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा, जैसा कि उत्तर में कहा गया है।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, मैं भी माननीय सदस्य के आशावादी दृष्टिकोण से सहमत हू। भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है और वह हमारे समक्ष है। हमें आशा है कि आगामी दो महीनों में हमारा नया अन्वेक्षण भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत आ जायेगा और फिर हम माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गये भूकम्पीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण आरम्भ कर देंगे।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्वे आरम्भ करने के लिए पत्तनीय नगरों जैसे कोचीन, मंगलौर, गोवा तथा अन्य छोटे पत्तनीय नगरों में कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया है।

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य महोदय द्वारा सुझाये गये क्षेत्रों की सम्भावना का कोई विशिष्ट जायजा तो मैं नहीं दे सकता परन्तु हम पर के सम्पूर्ण पश्चिमीय तट पर अपना ध्यान केन्द्रीय किये हुए है। और मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि ज्यों ही हमारा भूकम्पीय पोत आ जायेगा, हम अपने भविज्ञान विदों द्वारा सुझाये गये क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण आरम्भ कर देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भूकम्पीय सर्वे पोत कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है? क्या आपने इसके निर्माण के लिए विदेश में ठेका दे रखा है या बना बनाया पोत ही खरीदा जा रहा है? इस पर कितना व्यय होगा? दूसरे सरकार इस सर्वे पोत द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा पश्चिमी तट के सर्वेक्षण कार्य के लिए एक अमरीकी कम्पनी को पहले से दिये गये ठेके के कार्य में किस प्रकार तालमेल बिठायेगी जिसे कि 25 साल का ठेका दिया जा रहा है कि वह यहां आकर कार्य करे? अमरीकी कम्पनी तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रस्तावित भूकम्पीय पोत द्वारा किये गये कार्य के बीच किस प्रकार तालमेल बिठाया जाएगा, उनका आपसी सम्बन्ध क्या होगा? जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्या आप इस समय श्रीलंका द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे कुछ पोतों को अस्थाई रूप से लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? वहां कुछ-कुछ भूकम्पीय पोत है जिन्हें अस्थाई रूप से प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है।

श्री के० डी० मालवीय: पहली बात तो यह है कि हमारी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में किसी अमरीकी पोत द्वारा कोई खोज कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही कोई इस प्रकार का कार्यक्रम ही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसके बारे में सदन को गलत सूचना दी गई है? दो ठेके दिये गये हैं एक पूर्ववर्ती तट के लिए तथा दूसरा पश्चिमवर्ती तट के लिए।

श्री के० डी० मालवीय : यह ठेका कच्छ क्षेत्र के लिए दिया गया है। जहां तक पूर्ववर्ती तटीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसका सदन के समक्ष वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। भूकम्पीय कार्य किया जा रहा है। कच्छ तथा पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों के लिए जो दो ठेके दिये गये हैं वह केवल भूकम्पीय खोज कार्य के लिए ही नहीं है अपित वह सम्पूर्ण छिद्रण कार्य के लिए है। यदि भूकम्पीय परिणामों से कोई आशाजनक परिणाम प्राप्त हुआ। अतः अन्वेक्षण द्वारा यह सम्पूर्ण खोज कार्य किया जाएगा। यह हमारा अपना पोत है जिसे हमने अमरीकी साधनों से जुटाया है। अब हम इस अपने तथा विदेशों से खरीदे गये उपकरणों से लैस करने में लगे हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह पुराना पोत है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एकदम नया पोत है और यह पोत हमारी ही सम्पत्ति होगा ज्यों ही आगामी दो महीनों में इस पोत के यहां पहुंच ही पंहुच जाने की सम्भावना थी परन्तु इसमें कुछ अपरिहार्य विलम्ब हो गया है—यहां पहुंच जायेगा हम कच्छ को छोड़कर लक्ष्यद्वीप से सौराष्ट्र तट तक भूकम्पीय सर्वे आरम्भ कर देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पोत का मूल्य क्या है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका विचार इस समय श्रीलंका द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे पोत को भी अस्थाई तौर पर लेने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रथम प्रश्न के लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है और दूसरे प्रश्न के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

डा० हैनरी आस्टिन : मंत्री महोदय का यह सन्तोषजनक उत्तर देने के लिये कि आगामी तीन महीनों में अरब सागर के महाद्वीपीय भग्नतटों पर भूकम्पीय टिलट के साथ, वैज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षण किया जायेगा । धन्यवाद करते हुये मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं : केरल तट पर दो सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं जिनमें से एक सोवियत संघ के तत्वाधान में तो दूसरा अमरीकी कम्पनी के तत्वाधान में किया गया था । ऐसा पता चला है कि इन सर्वेक्षणों से वहां हाइड्रो कार्बन होने के काफी अहसार नजर आये हैं जो कि वहां पैट्रोलियम तेल के ही द्योतक हैं । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने कहा है कि मंगलौर से लेकर तमिलनाडु के तट तक के क्षेत्र में शिम्प मिलने, तथा मंगलौर से त्रिवेन्द्रम तक मृत्तिका (सीरामिक) के उपलब्ध होने, से यह पता चलता है कि केरल तट में पेट्रोलियम तेल होने की काफी सम्भावना है ।

इस पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल के पश्चिमी तट तथा विशेष रूप से एरणाकुलम जिले में त्रिप्पन में तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरी इच्छा भी यही थी कि मैं भी आज तक हुये कार्य के बारे में आपकी तरह ही आशावादी होता । यह ठीक है कि कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र का दौरा करने वाले सोवियत पोत द्वारा पार्श्व चित्रण सर्वेक्षण किया गया था । हमारे पास जो अण्वेक्षक पोत आ रहा है उससे हम व्यापक सर्वेक्षण करेंगे । उस क्षेत्र में तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये व्यापक सर्वेक्षण करना अनिवार्य ही है । यह सर्वे अभी तक नहीं किया गया है । ज्यों ही यह सर्वे कर लिया जाएगा मैं उसके परिणामों से सदन को अवगत करवा दूंगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलज ने बंगलादेश सरकार से कुछ ऐसे तेल सम्पन्न क्षेत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली है जो कि वास्तव में हमारे देश की सम्पत्ति थे, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उपग्रहों द्वारा सम्पूर्ण विश्व में तेल सम्पन्न क्षेत्रों के चित्र लिये जा चुके हैं और यदि हां; तो क्या हमारी सरकार द्वारा उन शक्तियों से या जिन्होंने यह चित्र लिये थे उनसे वह चित्र प्राप्त करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ताकि खोज कार्य पर होने वाले व्यय से बचा जा सके ? हम चित्रों को खरीद सकते हैं ।

श्री के० डी० मालवीय: जो उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूम रहे हैं वह खनिज जोन्ज का पता लगाने में हमारी सहायता करते हैं । परन्तु हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और न ही अभी मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि कोई जानकारी प्राप्त भी की जा रही है या नहीं ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सौराष्ट्र तट पर समुद्री तट से दूर अलियाबेट स्थान पर खुदाई कार्य किया गया था और उपयुक्त सर्वेक्षण के बाद वहां एक प्लेटफार्म भी बनाया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्वेक्षण के लिये किसी अन्य स्थान का चयन किया गया है और क्या सौराष्ट्र तट के लिये समुद्री तट से दूर खुदाई कार्य किया गया है; और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह कार्य किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक समुद्री तट से दूर की खुदाई का सम्बन्ध है उसके लिये अभी तक अलियाबेट के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का चयन नहीं किया गया है । अलियाबेट में खुदाई की गई परन्तु वहां हम तेल प्राप्त करने में असफल रहे ।

निजी गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र की आस्तियां

*547. **श्री यशलार रवि** : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के अन्त में निजी गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र की कुल आस्तियां कितनी थीं और ये इससे पहले तीन वर्षों की तुलना में कितनी न्यूनाधिक हैं ; और

(ख) इसमें एकाधिकार गृहों का, वर्षवार, भाग कितना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) 31-3-1974 तक देश में 37735 गैर-सरकारी, गैर-बैंकिंग कम्पनियां कार्यरत थीं । इन कम्पनियों की 1973-74 के वर्ष तथा गत तीन वर्षों की कुल परिसम्पत्तियों की कम्पनी कार्य विभाग द्वारा गणना नहीं की गई है क्योंकि इसमें 37000 से अधिक कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े सन्निहित किये जायेंगे, एवं परिणामस्वरूप अत्यधिक समय एवं श्रम लगेगा । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने **गैर-वित्तीय, गैर-सरकारी कम्पनियों पर दो न्यादर्श अध्ययन प्रकाशित** किये हैं; एक 1650 मध्यम व वृहद पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में एवं दूसरा 1001 मध्यम एवं वृहद् प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां के सम्बन्ध में है । (भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर, 1974 व अप्रैल, 1974) इन दो अध्ययनों के अन्तर्गत आने

वाली आदर्श कम्पनियों की उस तारीख तक उपलब्ध, परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)

	1970–71	1971–72	1972–73
1. मध्यम तथा वृहद् पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां (1650)	6955.9	7508.2	7969.4
2. मध्यम एवं वृहद् प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां (1001)	925.5	1013.6	अध्ययन अभी प्रकाशित नहीं हुआ ।

प्रथम अध्ययन में सभी गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी के 95.5 प्रतिशत का लेखा किया गया है, एवं द्वितीय अध्ययन में सभी गैर-सरकारी गैर-वित्तीय प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की 40.2 प्रतिशत को लेखांकित किया गया है ।

(ख) एकाधिकारी घरानों से सरकार द्वारा फरवरी, 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की दृष्टि से वृहद् औद्योगिक घरानों का तात्पर्य लिया गया है, अर्थात् एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत वे उपक्रम, जिनकी कुल परिसम्पत्तियां 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक हों ।

31–10–1974 तक, 739 कम्पनियों युक्त अन्तःसम्बन्धित उपक्रमों के 69 समूह व 13 एकाकी वृहद् उपक्रम, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये थे । इन 739 कम्पनियों में से, 622 कम्पनियों के सभी तीन वर्षों, यथा, 1971, 1072 व 1973 के वर्षों के तुलन-पत्र उपलब्ध हैं । ये कम्पनियां 62 समूहों तथा 8 एकाकी वृहद् उपक्रमों से सम्बन्धित हैं एवं 1971, 1972 व 1973 में उनकी परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार थीं :—

वर्ष	एकाधिकारी घरानों की कुल परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपयों में)
1971	4137.12
1972 . . .	4535.99
1973	4990.07

श्री वयालार रवि : विवरण में दर्शाया गया है कि वर्ष 1973 में 30 बड़े एकाधिकारवादी गृहों की कुल परिसम्पत्तियां 4990 करोड़ की थी जब कि छोटे दर्जे की 1650 कम्पनियों की परिसम्पत्तियां 7964 करोड़ थी। इससे अन्तर स्पष्ट हो जाता है। यह परिसम्पत्तियां भी इसलिये हैं कि इन्हें सरकारी वित्तीय ऐजेंसियों यथा आई० डी० पी० एल०, एल० आई० सी०, एफ० सी०आई० आदि से सहायता प्राप्त होती रही है। ऐसा एकाधिकार गृहों के विकास के फलस्वरूप ही हुआ है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मध्यम तथा छोटे दर्जे की कम्पनियों के विकास तथा सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि बड़े एकाधिकार गृहों के विस्तार को रोका जा सके।

श्री वेदव्रत बरुआ : जहां तक छोटी कम्पनियों का सम्बन्ध है उनकी संख्या का अधिक होना स्वाभाविक ही है क्योंकि 90 प्रतिशत कम्पनियां साइज में काफी छोटी हैं और उनकी परिसम्पत्तियां भी काफी कम होती हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और यह ऐसे ही चलता आ रहा है। जहां तक लघु स्तर के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनकी सहायता अनेक प्रकार से की जा रही है। जहां तक एकाधिकार गृहों की जांच पड़ताल का सम्बन्ध है और यह कार्य एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है तथा औद्योगिक नीति के अन्तर्गत भी एकाधिकार गृहों का उद्योग चयन सीमित कर दिया जाता है और उन्हें आवंटित क्षेत्रों से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि वह उनमें जाती है तो उन्हें अपने उत्पादों का 60–70 प्रतिशत निर्यात करना पड़ता है।

एकाधिकार गृहों के विकास को रोकने के लिए कई एक अन्य कदम भी उठाये गए हैं जिनमें उनके शेयर होल्डरों की संख्या को कम करना भी शामिल है। प्रत्येक बार उन्हें लाइसेंस दिया जाता है और उन्हें अपने शेयर होल्डरों की संख्या कम करने को कहा जाता है। इसी प्रकार के अन्य कदम भी उठाये गए हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने बताया कि अनेक कदम उठाये गये हैं और उन्होंने यह भी कहा कि एकाधिकार एवं निबन्धन कारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा सरकार की व्यापार नीति के अन्तर्गत एकाधिकारवादी गृहों की जांच की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें विस्तार की अनुमति देने से पूर्व उन पर 75 प्रतिशत निर्यात करने की शर्त लगाई जाती है। परन्तु गत सप्ताह ही मैं यह समाचार पढ़ा कि फिलिप्स द्वारा 3 से 3.5 लाख का उत्पादन बिना मंजूरी के किया जा रहा है और उसके द्वारा निर्यात का दायित्व भी पूरा नहीं किया जा रहा है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको उनके उत्पादन के आंकड़े प्रत्येक तिमाही प्राप्त होते हैं। आपने 1200 से 1 लाख तक का विस्तार करने की अनुमति बिना लाइसेंस के दे दी है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिना मंजूरी के उत्पादन विस्तार रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उन गृहों द्वारा निर्यात का दायित्व पूरा किया जा सके।

श्री वेदव्रत बरुआ : जहां तक बिना मंजूरी के विस्तार करने का प्रश्न है, इस पहलू की देखरेख औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा की जाती है। माननीय सदस्य महोदय द्वारा फिलिप्स से सम्बद्ध जिस समाचार का उल्लेख किया गया है, इस प्रकार के मामले भी होते हैं जहां कि प्रायः 50 से 75 प्रतिशत तक के निर्यात की शर्त लगाई जाती है और यह सुनिश्चित करना औद्योगिक मंत्री का कार्य होता है कि वह निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरा करे।

अध्यक्ष : महोदय श्री रवि जब आप श्री जार्ज से प्रश्न पूछते हैं तो आपका प्रश्न पुछने का ढंग इतना अलग क्यों होता है ?

श्री एस० आर० दामाणी : मैं परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों के बारे में पूछना चाहता हूं। प्रश्न के उत्तर में उनकी धनराशि तथा संख्या दोनों ही दी गई हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि परिसम्पत्तियों की धनराशि में जो वृद्धि हुई है वह नई कम्पनियों के कारण हुई है, विस्तार के कारण हुई है या आधुनीकीकरण के कारण हुई है ?

दूसरे क्या उनके मंत्रालय को विभिन्न वर्गों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों संबंधी खंड बहुत अस्पष्ट है और उनके अन्तर्गत अनेक ऐसी कम्पनियां आ जाती हैं जिनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता और वह केवल कुछ तकनीकी कारणों से ही परस्पर-सम्बन्धी बन जाती है। क्या मंत्री महोदय स्थिति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे ताकि कम्पनियों की साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके ?

श्री वेदव्रत बरुआ : सरकार की स्थिति अनेक बार स्पष्ट की जा चुकी है और यह मामला संयुक्त प्रवर समिति में भी उठाया गया था और माननीय सदस्य भी उसी समिति के सदस्य हैं। उसके उपरान्त यह निर्णय लिया गया था। ऐसी बात नहीं है कि मनमाने ढंग से कम्पनियों को शामिल कर लिया जाता हो। वास्तविकता तो यह है कि आई० एल० पी० आई० सी० के प्रतिवेदन में जिन कम्पनियों की सूची है वह भी पंजीकृत नहीं की गई है क्योंकि एकाधिकार गृहों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। जहां तक विस्तार के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने परि-सम्पत्तियों सम्बन्धी जो आंकड़े दिये हैं, वह उन्हीं वर्तमान कम्पनियों के हैं जो पंजीकृत हैं। जहां तक नये उद्यमों के विकास का प्रश्न है, एक बार जब उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है तो वह पंजीकृत हो जाते हैं तथा अपना उत्पादन आरम्भ कर देते हैं और यह कम्पनियां जब किसी एकाधिकार गृह से परस्पर सम्बद्ध हो जाती हैं, तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाता है।

रेल गाड़ियों में डकैती की घटनाएं

*548. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने के बावजूद भी वर्ष 1974–75 में गत वर्ष की तुलना में सभी रेलवे जोनों में रेलगाड़ियों में डकेती की घटनायें काफी बढ़ी हैं ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार समग्र परिस्थिति के पुनर्विलोकन के लिये तथ्यों का पता लगाने वाली एक समिति बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूर्व, पूर्वोत्तर, उत्तर और मध्य रेलों पर 1974–75 में, पिछले वर्ष की तुलना में लूटपाट की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) जी नहीं । तथ्यों का पता लगाने वाली ऐसी किसी समिति के गठन का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन एक वरिष्ट और अनुभवी रेल अधिकारी नियुक्त करने का विचार है जो राज्य सरकारों से इस विषय में विचार-विमर्श करेगा और सरकार की इस सम्बन्ध में सलाह देगा कि इस समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने चाहिये ।

Shri Sukhdev Prasad Verma : Mr. Speaker, Sir, quite reluctantly it has been accepted by the Government in the first part that there has been increase in the cases of robbery and looting but the circumstances are otherwise. The cases of robbery and looting are on the increase in trains. In the second part it has been stated that a senior Officer will be appointed who will advise the Government but no Committee will be set up. I want to know that you are not interested for setting up a Committee to go into the incidents of robbery and looting in passenger trains simply for the reason that your R.P.F. and Railway Employees are involved in them and this will come to light if the Committee is set up ? Secondly, uptill now, State Governments were there, the officers of your Department were also there on whose advise you were trying to find out the facts, so now what has necessitated the appointment of a Senior Officer for the purpose ? How were you finding them out till now ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : These facts are inquired from State Governments with the assistance of the Railways. It is correct that in some incidents, railway employees were involved and that is why a Committee was set up.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Qnestions

भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव

*549. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ; और

(ग) स्वदेशी औषध उद्योग के विकास एवं ग्राम लोगों के लिए आवश्यक औषधियों तथा दवाइयों का उपलब्धता की दृष्टि से इसका क्या योगदान होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). औषध और भेषज समिति की रिपोर्ट हाल ही में सरकार द्वारा प्राप्त की गई है। अन्य सिफारिशों के साथ साथ भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना जैसे प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा ।

ओरवा-वीरमगांव ब्राडगेज लाइन बिछाने के कार्य में विलम्ब

*551. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरवा-वीरमगांव ब्राडगेज लाइन बिछाने के काय को रोका जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कार्य को पूरा होने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). इस परियोजना का निर्माण कार्य धन की सीमित उपलब्धता के कारण प्रतिबन्धित गति से चल रहा है। आगे बढ़ रहा है ।

(ग) मूल रूप में इस परियोजना को पूरी करने की निर्धारित तारीख दिसम्बर, 1977 रखी गयी थी। लेकिन अब इस परियोजना को पूरी करने की पुनरीक्षित तारीख इसके लिए वर्षानु-वर्ष मिलने वाले धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध न होना

*552. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विदेशी सहायता उपलब्ध न होने के कारण कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के निर्माण कार्य में प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क). इस बारे में सरकार ने कुछ रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने के कारण उर्वरक उद्योग को आवश्यक विदेशी मुद्रा के आवंटन में पर्याप्त प्राथमिकता दी जाती है। कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में कमी कर दी है। रामागुण्डम और तालचर प्रायोजनाओं का काम संरचना की पूर्णावस्था में है। जबकि कोरवा प्रायोजना का रुपये की मजबूरी को देखते हुए पुनः चरणबद्ध किया गया है।

Accidents at Ramghat Road and G.T. Road Railway Crossings during the last two years

*553. **Shri Chandra Shailoni :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents occured during the last two years at Ramghat Road and G. T. Road railway crossings (Northern Railway) in Aligarh and number of persons killed and injured as a result thereof;

(b) the daily average time for which these two crossings remain closed; and

(c) whether Government propose to construct overbridges there to eliminate chances of accidents and if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) From April, 1972 to February, 1975, there were two accidents at Ramghat Road level crossing and one at G.T. Road level crossing involving trespassers. In these accidents two persons were killed and one injured.

(b) On an average Ramghat Road level crossing remains closed for 630 minutes at G.T. Road level crossing remains closed for 510 minutes in 24 hours daily.

(c) The matters is under examination.

भूमिगत रेलवे के लिए धनराशि का आवंटन

*554. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भूमिगत रेलवे के लिए धनराशि का आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है और रेल मंत्रालय द्वारा नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए पांचवीं योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) क्या कठिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय भूमिगत रेलवे के समस्त प्रस्ताव को स्थगित करने का विचार है और इस प्रकार बचाये गये धन का उपयोग रेल लाइनों का सामान्य विस्तार करने में किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए, जिनमें उनकी जांच-पड़ताल का काम भी शामिल है, पांचवीं योजना के मसौदा प्रलेख में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

(ग) महानगर परिवहन परियोजनाएं उस रेल योजना के अन्तर्गत नहीं आतीं जिसमें पांचवीं योजना अवधि में शुरू की जाने वाली रेल विस्तार योजनाओं का उल्लेख किया गया है।

लेकिन आर्थिक तंगी के कारण महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन करते समय साधनों की उपलब्धता और विभिन्न कार्यक्रमों और रेल योजना में शामिल परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

इसलिए वार्षिक आधार पर जिन साधनों को महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए रखा जा सकता था, उनका रेल योजना में उपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

रेल वैगनों के लिए क्रयादेश देने के संबंध में रेलवे बोर्ड की असफलता

*555. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगन उद्योग को, जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित है रेलवे बोर्ड द्वारा 1974–75 वर्ष के समाप्त होने से पूर्व वैगनों के लिए क्रयादेश न देने के कारण कठिन स्थिति का सामना करना पढ़ रहा है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप वैगन उद्योग का समूचा निर्माण कार्यक्रम और अधिक क्रयादेशों के न मिलने तथा विद्यमान क्रयादेश पर सीमित मात्रा में माल लेने के कारण अस्त-व्यस्त हो जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसका हल ढूंढने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-4-75 को माल डिब्बा उद्योग पर चौपहियों के हिसाब से लगभग 24,000 माल डिब्बों का कार्यभार होगा जो लगभग 10,000 प्रतिवर्ष के उनके चालू उत्पादन की तुलना में दो वर्ष से अधिक के कार्यभार का द्योतक है और यह कार्यभार इस उद्योग के लिए पर्याप्त समझा जाता है फिर भी, 1974-75 के चल स्टाक कायक्रम के अनुसार लगभग 14,000 माल डिब्बों (चोपहियों के हिसाब से) की खरीद के लिए टेंडरों पर विचार किया जा रहा है। अतिरिक्त आडर देना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) 1975-76 में माल डिब्बों की खरीद के लिए नियत धनराशि में भारी कटौती की गयी है। नियत धनराशि उद्योग से केवल लगभग 5,000 माल डिब्बे खरीदने के लिए ही पर्याप्त होगी, जिसका अर्थ है उनके चालू उत्पादन के 50 प्रतिशत पर विनियमन/उत्पादन में इस भारी कमी के कारण कुछ ऐसे कारखानों का उत्पादन कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाने की सम्भावना है, जो अपने उत्पादन का रूप परिवर्तन/निर्यात नहीं कर सकेंगे।

(ग) अतिरिक्त धनराशि नियत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। ताकि उद्योग कम से कम उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रख सके। यदि धन उपलब्ध हो जाएगा तो धन की मात्रा के अनुसार जितना संभव होगा, विचाराधीन टेंडरों पर भी अतिरिक्त आर्डर दिये जा सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में रेल लाइनें

*558. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में रेल लाइनों के विस्तार के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन रेल लाइनों के लिए कितनी बार आर्थिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया गया और तारीखबार प्रत्येक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस समय किये जा रहे तकनीकी सर्वेक्षण की मोटी रूप-रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में निम्नलिखित नये रेल सम्पर्कों से संबंधित एक यातायात सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अभी हाल में उसकी रिपोर्ट मिली है। सभी पहलुओं से उस रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

प्रस्ताव का नाम	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1. केनिंग से गोलाबाडी . . .	20	294.89 (बिजलीकर्षण के साथ)
2. लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप बरास्ता कल्पी	30	376.67 (बिजलीकर्षण के साथ)
3. भंडारखेलो के रास्ते हसनाबाद से प्रतापादित्यनगर/हाटगच्छा .	29	509.75 (भापकर्षण के साथ)
4. केनिंग—हाटगच्छा प्रतापादित्यनगर .	30	412.65 (भापकर्षण के साथ)
5. सोनारपुर से धानखेलो	50	273.46 (भापकर्षण के साथ)

बजबज से डायमंड हार्बर, कल्पी और काकद्वीप के रास्ते नामाखाना तक एक नयी बड़ी लाइन (86 कि० मी०) के लिए यातायात सर्वेक्षण भी चल रहा है।

सुन्दरबन क्षेत्र में किसी और रेल सम्पर्क के लिए कोई अन्य सर्वेक्षण हाल में नहीं किया गया है।

सर्वेक्षण रिपोर्टों का जांच हो जाने और परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच रेलगाड़ियों में भीड़भाड़

***559. श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़-भाड़ होता है ;

(ख) क्या यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से सरकार का विचार और गाड़ियां चलाने और वर्तमान गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी हां। लेकिन भीड़ इतनी अधिक नहीं होती कि अहमदाबाद और बम्बई के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का औचित्य हो। रास्ते के खंडों में क्षमता की कमी के कारण इस समय परिचालन की दृष्टि से भी ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। फिर भी, भीड़ को राहत पहुंचाने के लिए कुछ वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(ग) लगाये गये डिब्बों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) 1 डाउन/2 अप गुजरात मेल बम्बई और अहमदाबाद के बीच पहले दर्जे का एक डिब्बा और दूसरे दर्जे का एक 3–टायर शयनयान।

(ii) 19 डाउन/20 अप देहरादून एक्सप्रेस–बम्बई और बड़ोदा के बीच पहले दर्जे का एक डिब्बा और एक 3–टायर शयनयान।

(iii) 9 डाउन/10 अप गुजरात क्वीन–बलसाड और अहमदाबाद के बीच साधारण दूसरे दर्जे के दो सवारी डिब्बे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दल द्वारा लिबिया की यात्रा

*560. **श्री हरी सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक दल ने हाल ही में लिबिया की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और रिपोर्ट की आयोग द्वारा जांच की जा रही है

देश में कोचिंग वाहन तथा माल-डिब्बे

*561. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कितने कोचिंग वाहन तथा माल-डिब्बे सेवा में हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : 31 मार्च, 1974 को रेलों के स्वामित्व वाले सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की संख्या क्रमश: 36.426 और 388,026 थी। इसके अतिरिक्त 80 सवारी डिब्बे और 924 माल डिब्बे गैर-सरकारी रेलों के थे।

एकाधिकार गृहों की विकास दर

*562. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक एकाधिकार गृह ने वर्ष 1972 में विकास दर 35 प्रतिशत तथा वर्ष 1973 तथा 1974 में 30 प्रतिशत की थी ;

(ख) क्या 1975 में भी वृद्धि की इस प्रवृत्ति के जारी रहने की सम्भावना है ;

(ग) क्या एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग इस बात से अवगत है और यदि हां, तो इस एकाधिकार को बदलने बढ़ने से रोकने के लिए आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ;

(घ) वे एकाधिकार गृह कौन से हैं जिनका विकास उक्त दर से हुआ; और

(ङ) क्या इस विकास दर को घटाने के लिए सरकार कठोर उपाय करने पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क), (ख) तथा (घ) . प्रश्न में वर्णित "एकाधिकारी घरानों" से, सरकार द्वारा फरवरी, 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की दृष्टि से वृहद औद्योगिक घरानों का तात्पर्य लिया गया है, अर्थात् एकाधिकार एवं निबंधन-कारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत वे उपक्रम अथवा अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों का समूह, जिनकी कुल परिसम्पत्तियां 20 करोड़ रुपया या इससे अधिक हों। 1971, 1972 व 1973 के वर्षों की उपलब्ध हुई सीमा तक परिसम्पत्तियों के मूल्यों की तुलना से प्रदर्शित होता है कि अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों के केवल थोड़े से समूहों ने 1971 से 1972 तथा कुछ अन्यों ने 1972 से 1973 तक 25 प्रतिशत या इससे अधिक की वृद्धि निबद्ध की थी, जबकि अनेक समूहों ने इन्हीं वर्षों में केवल नाममात्र की वृद्धि अभिलेखित की तथा कुछ विषयों में तो परिसम्पत्तियों में अवनति भी पाई गई। इन सभी उपक्रमों, जिनके आकड़ों का अध्ययन किया जा सकता था, को मिलाकर कुल वार्षिक वृद्धि का औसत केवल 9 से 10 प्रतिशत तक नोटिस किया गया था।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा वृहद औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों की वृद्धि का आलोकन करने अथवा इस वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आयोग के लिए अधिनियम की धारा 21, 22, 23 के अन्तर्गत केवल उन एकाकी आवेदनपत्रों पर सरकार को अपनी राय की रिपोट देना अपेक्षित है, जो इसे निर्देशित किए गए हों।

(ङ) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का उद्देश्य उपक्रमों के इस प्रकार के विकास को रोकना नहीं है, वरन् यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि आर्थिक शक्ति के जनहित के विरुद्ध संकेन्द्रण का परिहार हो। एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कार्य कलापों पर वार्षिक रिपोर्टों, जो पहले ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं, से प्रतीत होगा कि सरकार ने परिस्थितियों वश वृहद औद्योगिक घरानों के अत्यधिक विस्तार के साथ ही नवीन उपक्रमों की स्थापनार्थ बहुत से प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इस प्रकार के अनुमोदनों से साधारणतः परिसम्पत्तियों की वृद्धि के परिणाम की आशा की जा सकती है।

कोयले की खपत घटाने के लिये किये गये प्रयास

*563. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की खपत घटाने के लिये रेलवे ने क्या विशेष प्रयास किये हैं और इन प्रयासों में कहां तक सफलता मिली है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ियां चलें और प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों को अनावश्यक असुविधा न हो, वर्ष 1974-75 के दौरान 1 अप्रैल, 1975 तक भाप के कितने इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाए गए; और

(ग) इस समय रेलवे के पास कोयले का कितना स्टाक है और कोयले के अभाव में जो रेलगाड़ियां बन्द कर दी गई थीं इनमें से 31 मार्च, 1975 तक कितनी गाड़ियां पुनः चला दी गई हैं और इस बारे में भावी योजना क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1962–63 में रेलों में 174 लाख मीटरिक टन कोयले की खपत होती थी जो रेलों के उत्तरोत्तर डीज़लीकरण और बिजलीकरण के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इस समय पूरी गाड़ियां चलाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 144 लाख मीटरिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। कोयले की खपत में किफायत की ओर रेलें निरन्तर और पूरा ध्यान देती हैं।

(ख) 1 अप्रैल, 1974 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि में 161 भाप रेल इंजनों की जगह डीजल रेल इंजन चलाये गये।

(ग) कोयले का भन्डार अब $4\frac{1}{2}$ दिन की खपत से अधिक है। 1–2–1975 से 31–3–75 तक 97 जोड़ी सवारी गाड़ियों को फिर से चलाया जा चुका है। यदि पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध होता रहा तो रद्द की गयी शेष अपेक्षित सवारी गाड़ियों को भी उत्तरोत्तर यथाशीघ्र फिर से चालू कर दिया जायेगा।

औषध नीति में संशोधन करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के सुझाव

*564. **श्री अजुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वर्तमान औषध नीति में संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो जो सुझाव दिये गए हैं उनकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). औषध और भेषज उद्योग समिति की प्रश्नावली के उत्तर में, इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन ने स्थापित क्षमता के पूर्ण प्रयोग, औषध मिश्रण तथा सूत्रयोगों में प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी आवश्यकता, कतिपय औषधों का व्यापक उत्पादन पांचवीं योजना की अवधि में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय आम प्रयोग में आने वाली औषधों के ब्रांड नामों के स्थान पर जातीय नामों के प्रयोग, आदि के बारे में सुझाव दिए गए कथित समिति द्वारा इन सुझावों पर विचार किया गया था तथा इस समिति की रिपोर्ट जो हाल में ही प्राप्त की जा चुकी है, पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस समिति की "आवश्यक औषधों और आम घरेलू दवाइओं को आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपाय" जिसमें ब्रांड नामों के उन्मूलन का प्रश्न तथा "औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा संबंधित मामले भी आ जाते है" के बारे में रिपोर्ट पूर्वावित प्राप्त की जा चुकी थी और

उसे क्रमशः 4 मार्च 1975 और 25 मार्च 1975 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था। इन पर सरकार द्वारा भी विचार किया जा रहा है।

इसी दौरान इण्डियन मैडिकल एसोसियेशन, औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के साथ विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है; और यह विचार-विमर्श अभी चल रहा है।

14-3-75 को इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को भेजे गए अपने पत्र में यह लिखा था कि वे नैतिक औषधों तथा भेषजों की लागत, गुणवत्ता, मानक उत्पादन तथा उपलब्धता से, बहुत निकटता से संबंधित हैं। और वे औषध और भेषज, शल्य चिकित्सा उपकरणों तथा यंत्रों और चिकित्सा व्यवसाय के बारे में 22-23 अप्रैल, 1975 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस एसोसिएशन ने सम्मेलन के बारे में एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है।

ड्रिलिंग रिगों का आयात

*565. **श्री बरके जार्ज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान तट पर छिद्रण-कार्यक्रम के लिये कितने ड्रिलिंग रिगों का आयात किया गया और उन देशों के क्या नाम हैं जिनको चालू वर्ष के लिये नये क्रयादेश दिये गये हैं;

(ख) गत वर्ष रिगों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ; और

(ग) देश में ही रिगों का निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत रूस से 2 रिगों का आयात किया गया। वर्तमान वर्ष में रूस, रूमानिया और अमेरिका से 10 रिगों का आयात करने हेतु आर्डर दे दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1974-75 के अंतर्गत तेज तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रिगों के आयात हेतु 5.09 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा खर्च की गई। वर्ष 1975-76 के अंतर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अतिरिक्त रिगों के आयात पर लगभग 22.3 करोड़ रुपये की धन-राशि का व्यय करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा आयल इण्डिया लिमिटेड का अमेरिका से एक रिग का आयात करने के बारे में लगभग 2.09 करोड़ रुपये का व्यय करने का अनुमान है।

(ग) रिगों के देशीय निर्माण हेतु भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (बी०एच०ई०एल०) ने एक विदेशी तेल कम्पनी से सहयोग सम्बन्धी करार किया है। आयोग ने भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस लि० को 7 रिगों की सप्लाई करने के बारे में एक आशय पत्र जारी किया है। उसके द्वारा वर्ष 1977 के अंत तक पहली रिग को सप्लाई किए जाने का अनुमान है।

नई कटनी–मुरैना लाइन पर यात्री सेवा

5277. श्री रणबहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की नई कटनी–मुरैना लाइन पर एक वर्ष से भी अधिक समय से कोयले के भारी रेक चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस लाइन पर पटरी के अव्यवस्थित होने के आधार पर यात्री सेवा प्रदान नहीं की जा रही है ; और

(ग) उस लाइन पर यात्री सेवा प्रदान न करने के वास्तविक कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय कटनी–मोरवा (सिंगरौली) खण्ड से है।

(ख) और (ग) कटनी–सिंगरौली खण्ड के कार्य संचालन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी सवारी गाड़ी का चलाना वांछनीय नहीं है। कुछ स्टेशन एक दूसरे से 18 से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण संचार की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर ही सवारी गाड़ी चालू करने के बारे में विचार किया जायेगा।

डिगबोई तेल शोधक कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

5278. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल का गंभीर संकट देखते हुए आसाम से निर्वाचित 17 संसद् सदस्यों ने डिगबोई तेलशोधक कारखाने का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या उन्होंने अशोधित तेल के मूल्य को 15 रुपये से बढ़ा कर 75 रुपये प्रति टन कर देने का भी अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). एक ज्ञापन, जिसमें 15 लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर हैं प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि गिडबोई शोधनशाला को शीघ्र ही हाथ में ले लेना चाहिए और असम क्रूड के लिए रायल्टी को 75 रुपये प्रति मी० टन तक बढ़ा देना चाहिए। डिगबोई शोधनशाला के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को नोट कर लिया गया है और पेट्रोलियम शोधनशालाओं तथा विपणन कम्पनियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने की घोषित नीति के अनुसरण में, डिगबोई शोधनशाला को भी उपयुक्त समय पर सरकारी क्षेत्र में लाया जायेगा। रायल्टी को बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Expansion of Railway Workshop, Bhusawal

5279. **Shri G. C. Dixit** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision in regard to expansion of Bhusawal Railway workshop;

(b) if so, the main features of the expansion scheme; and

(c) the steps being taken for its expeditious execution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

रेलवे सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) द्वारा विज्ञापित पदों पर भर्ती

5280. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवा आयोग, मुज़फ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) ने लगभग 600 पदों के लिए विज्ञापन दिया था जिनके लिये लगभग 70,000 आवेदन-पत्र निर्धारित समय में प्राप्त हो गये थे ;

(ख) क्या लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने पर भी न कोई लिखित परीक्षा आयोजित की गई और न ही कोई साक्षात्कार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आवेदकों की परीक्षा, साक्षात्कारों, चयन तथा नियुक्ति के लिये सही-सही क्या समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 25 कोटियों के 913 पदों को भरने के लिए रेल सेवा आयोग मुज़फ्फरपुर को 65,680 आवेदन मिले थे ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कांगड़ा घाटी रेलवे पर वैकल्पिक मार्ग निर्माण पर खर्च का अनुमान

5281. **श्री नारायणचन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे पर वैकल्पिक मार्ग निर्माण पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है और मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व व्यास बांध प्राधिकरण ने कितनी धनराशि की मांग की थी ;

(ख) क्या इसके बाद इन अनुमानों का पुनरीक्षण किया गया है और इस परियोजना के लिये कितनी बार अनुमानों का पुनरीक्षण किया गया और प्रत्येक पुनरीक्षण के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) रेलवे प्रशासन ने सर्व प्रथम मार्ग का निर्माण पूरा करने के लिये क्या तारीख निर्धारित करने का निर्णय किया था, कितनी बार उक्त तारीख में परिवर्तन किया गया प्रत्येक परिवर्तित तारीख क्या थी और इसमें परिवर्तन के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या लाइन को उखाड़ने के मामले में निर्णय लेते समय राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया है और पुनरीक्षित निर्धारित तिथि क्या है और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1969 में इस निर्माण कार्य के खर्च का प्रारम्भिक अनुमान 3.62 करोड़ रुपये लगाया गया था और यही रकम व्यास बांध प्राधिकारियों को बतायी गयी थी। 8–7–1969 को उत्तर रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के साथ अपनी बैठक में व्यास बांध परियोजना के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने त्रैमासिक अग्रिम देना मान लिया था।

(ख) जी हां, यह अनुमान केवल एक बार ही संशोधित किया गया है जिस पर व्यास बांध प्राधिकारियों की स्वीकृति ली जानी है। संशोधित अनुमान की रकम 6.94 करोड़ रुपये है।

(ग) शुरू में लक्ष्य तिथि 30 जून, 1973 रखी गयी थी। इसे इस प्रकार संशोधित किया गया था :—

संशोधित लक्ष्य तिथियां	परिवर्तन के कारण
(i) 30–6–1974 . .	व्यास बांध प्राधिकारियों द्वारा भूमि सौंपने में हुए विलम्ब के कारण।
(ii) दिसम्बर, 1974 . .	व्यास बांध प्राधिकारियों द्वारा भूमि सौंपने में हुए विलम्ब के कारण 14 क्षेत्र ठेकेदारों में से 4 क्षेत्र ठेकेदारों ने काम करने से इन्कार कर दिया।
(iii) 31–3–1975	भूमि सौंपे जाने में हुए विलम्ब के परिणाम-स्वरूप उस अवधि में सामान और मजदूरी की लागत बढ़ जाने के कारण पहले वाली दरों पर काम न कर सकने की वजह से क्षेत्र 2 के ठेकेदार का ठेका समाप्त कर देने के कारण।
(iv) 30–6–1975	भूमि सौंपे जाने में हुए विलम्ब के परिणाम-स्वरूप उस अवधि में सामान और मजदूरी की लागत बढ़ जाने के कारण क्षेत्र 5 के ठेकेदार द्वारा काम छोड़ा जाना।
(v) 31–12–1975 माल के लिए 31–3–1976 (यात्री यातायात के लिए (vi) 30–6–1976	इस काम के लिए व्यास बांध प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त धन आवंटित करने, राज्य सरकार से मिलने वाली बिजली सप्लाई के बारबार बंद हो जाने और मुख्य पुलों के गर्डरों के लिए अनुरूपी इस्पाती खण्डों के उपलब्ध न होने के कारण।

(घ) यद्यपि पुरानी लाइन को तोड़ने से पहले राज्य सरकार के साथ परामर्श किया गया था तथापि लक्ष्य तिथियों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि इन तारीखों को ऐसी परिस्थितियों के कारण संशोधित करना पड़ा था जो रेल प्रशासन के वश से बाहर थीं।

मैसूर वर्कशाप और मैसूर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हिसाब चुकता किया जाना

5282. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के मैसूर वर्कशाप्स और मैसूर डिवीजन में ऐसे कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनका हिसाब चुकता करने में तीन वर्ष से अधिक समय लग गया है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और उनका हिसाब कब तक चुकता कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) (i) पेंशन के मामले 42

(ii) राजकीय रेलवे भविष्य निधि के मामले 4

(ख) जैसा कि पहले बताया गया है इन मामलों के निपटारे में विलम्ब मुख्यत: ऐसे कारणों से हो रहा है जैसे पेंशन सम्बन्धी कागजात का देर से मिलना, जन्म तिथि को चुनौती देने के लिए समादेश याचिका दायर करना, एक कर्मचारी का मृत्यु के बाद दो पत्नियां पीछे छोड़ जाना और छुट्टी का ब्योरा उपलब्ध न होने के कारण अर्हक सेवा निश्चित करने में होने वाली कठिनाई। कुछ मामलों के निपटारे में सेवा भंग के कारण विलम्ब हुआ था जो अब माफ की जा चुकी है। सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए दक्षिण रेलवे तत्काल कदम उठा रही है। नवीनतम सूचना इकट्ठी की जा रही है। जैसे ही यह सूचना मिल जायेगी, दे दी जायेगी।

Inspection by officers to see that work in Hindi is carried out

5283. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether officers of his Ministry, while on inspection of the offices under them also see that all the work in Hindi is carried out in these offices according to Government's policy in this regard;

(b) the number of officers who carried out such inspections during the last year and the number of the offices inspected;

(c) the position, in general, as revealed in the inspection reports; and

(d) the steps taken to improve the position in the case of the offices where Hindi is not being used even now ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) (*i*) The number of officers who carried out such inspections during the last year 72

(*ii*) The number of the offices inspected 358

(c) The position in general is found satisfactory.

(d) Does not arise.

ग्लाइवेंक्लामाइड का आयात

5284. क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र द्वारा वर्ष 1972, 1973 और 1974 में अलग-अलग कितनी मात्रा में ग्लाइवेंक्लामाइड का आयात किया गया था ;

(ख) इस 'बल्क' औषधि की प्रत्येक फर्म की वर्तमान स्टाक सूची क्या है ;

(ग) क्या इस औषध के लिए हाल ही में एक आशय-पत्र जारी किया गया है; यदि हां, तो फर्म का नाम क्या है, जिस अवस्था से तथा किसके माध्यम से औषध का उत्पादन किया जायेगा, इसकी वार्षिक क्षमता कितनी होगी और औषध के प्रति किलोग्राम उत्पादन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(घ) क्या देश में एक लघु एकक देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्लाइवेंक्लामाइड का उत्पादन कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उपयुक्त भाग (क) में उल्लिखित आशय-पत्र पर पुनर्विचार करेगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए उसे रद्द करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) ग्लाइवेन क्लेमाइड के उत्पादन के लिए उन पार्टियों के नाम जिन्हें आशय-पत्र दिए गए हैं स्वीकृत क्षमता उत्पादन स्तर, लगी हुई विदेशी मुद्रा आदि से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है।

(घ) एक लघु क्षेत्र के एकक अर्थात मैसर्स काडिला कैमिकल्स लि० द्वारा इस औषध का उत्पादन किये जाने की सूचना है। यह बताया गया कि यह इस औषध के 600 कि० ग्राम उत्पादन करने में समर्थ है।

एक बार दिये गये आशय-पत्र को वापिस लेने/रद्द करने अथवा वापिस न लेने/रद्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	आशय पत्र की तिथि	प्रतिवर्ष स्वीकृत क्षमता	आवेदन पत्र में दिये गये उत्पादन प्रारम्भ करने का स्तर	आवेदन पत्र में बताये गये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स हैक्स फार्मास्यूटिकल्स लि०	11 जून 1974	200 कि० ग्राम	4—वेटा (2 पेथाक्सी 5—क्लोर वैन्जामाइड) इवाइल-	31.04 लाख रुपये	आशय-पत्र की शर्तों में से एक शर्त में अन्य बातों के साथ-साथ

1	2	3	4	5	6	7
				वैन्जीन सल्फोमा-माइड प्रारंभिक रूप में साईकलो हैक्साइलिसों साइ-नेटो के साथ प्रभावित होता है ।		यह व्यवस्था है कि चरण बद्ध निर्माण कार्य-क्रम को सर-कार की संतुष्टि के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। पार्टी अब वेन्जील साइना-इड और सालीसि-लिक एसिड के स्तर के उत्पादन को हाथ में लेने के लिए सहमत हो गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि आयात की मात्रा उत्पादन के 450 रुपये प्रति किलो ग्राम से अधिक नहीं होगी ।
2.	इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटि-कल्स लि०	28 मार्च 1974	5 मी० टन	2—मेचेक्सी—5—क्लोरोवैन्जोइल और वेटाइचाइल एमाइन पी-सल्फेना-माइड का कण्डन-सेट ।		अनुपलब्ध

मध्य रेलवे में माल डिब्बों की कमी

5285. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य रेलवे, विशेषकर भुसावल-नागपुर सेक्शन पर माल डिब्बों की भारी कमी की जानकारी है जिसका रूई और बिनौले के परिवहन पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो रूई, तिलहन और अन्य कृषि सामग्री/उत्पादों के परिवहन के लिए माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस मामले में भुसावल स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। लेकिन विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई प्राथमिकता और मांग की अग्रता के अनुसार की जाती है। 1 दिसम्बर, 1974 से 20 मार्च, 1975 की अवधि में भूसावल और नागपुर मंडल के स्टेशनों से विभिन्न प्रकार की कृषि जन्य वस्तुओं के 13574 माल डिब्बे लादे गये थे जिनमें पूर्णत: दबी हुई रुई और बिनौले के 992 माल डिब्बे भी शामिल हैं। इन वस्तुओं के लदान में और तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताएं

5286. **श्री सतपाल कपूर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तथा किस प्रकार की विभिन्न अनियमिततायें कीं,

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की; और

(ग) क्या विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित करने का विचार है; और यदि हां, तो कब तक ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्कशापों तथा लोको शेडों के ट्रेन एग्जामिनरों तथा चार्जमैनों के लिए समान वेतन-मान

5287. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्कशापों तथा लोको शेडों के ट्रेन एग्जामिनरों और चार्जमैनों के वेतनमान प्रारम्भिक स्तर पर समान हैं परन्तु ऊंचे स्तर पर जा कर ट्रेन एग्जामिनरों को समान वेतन-मान न देकर कम वेतन-मान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो हावड़ा, मुगलसराय, आसनसोल, सन्तरागाची, दिल्ली, बम्बई वी० टी०, मद्रास तथा विजयवाड़ा जैसे स्टेशनों पर चीफ ट्रेन एग्जामिनरों के दायित्व तकनीकी दृष्टि से ऊंचे स्तर के और अधिक व्यापक होने के कारण सरकार का विचार ट्रेन एग्जामिनरों के वेतन-मानों पर पुनर्विचार करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। गाड़ी परीक्षकों और चार्जमैनों के संशोधित वेतन-मान नीचे दिये गये हैं :—

चार्जमैन		गाड़ी परीक्षक	
चार्जमन 'ए'	550—750 रु०	मुख्य गाडी परीक्षक	700—900 रु०
चार्जमन 'बी'	425—700 रु०	प्रधान गाड़ी परीक्षक	550—750 रु०
		गाड़ी परीक्षक	425—700 रु०

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सभी विधेयकों के मूलपाठ हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करना

5288. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् में पेश होने वाले सभी विधेयकों के मूल पाठ अंग्रजी के साथ-साथ हिन्दी में प्रस्तुत करने में सरकार कितना समय लेगी ;

(ख) क्या इस बारे में कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन यह है कि जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उन सभी विधेयकों के जो संसद् में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सभी संशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे । संसद् द्वारा अनुच्छेद 348 के अधीन ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई है । अभी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(2) प्रवृत्त नहीं हुई है, फिर भी वर्ष 1970 से, संसद् के किसी भी सदन में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के हिन्दी अनुवाद, विधेयकों के पुरःस्थापन के समय पर ही संसद् सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं ।

गत एक वर्ष के दौरान गठित कम्पनियां

5289. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान राज्य-वार गठित नई कम्पनियों और उनकी अधिकृत पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : 1973–74 के वर्ष के मध्य देश में 1021.82 करोड़ रुपयों की कुल अधिकृत पूंजी युक्त 3776 हिस्सों द्वारा लिमिटेड कम्पनियां व एक अनलिमिटेड कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हुई थीं । इन कम्पनियों का राज्य-अनुसार विसर्जन संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

विवरण

1973–74 के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की राज्य-अनुसार संख्या तथा अधिकृत पूंजी प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र

राज्य का नाम	कम्पनियों की संख्या	अधिकृत पूंजी (लाख रु० में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	115	5354
आसाम	66	5671
बिहार	120	1901
गुजरात	246	7166
हरियाणा	34	1810
हिमाचल प्रदेश	15	704
जम्मू एवं काश्मीर	11	144
कर्नाटक	202	3677
केरल	99	1142
मध्य प्रदेश	92	1144
महाराष्ट्र	874	14658
मणिपुर	1	200
मेघालय	10	99
उड़ीसा	24	3218
पंजाब	135	1066
राजस्थान	70	612
तामिलनाडु	247	5268
उत्तर प्रदेश	183	3345
पश्चिमी बंगाल	582	37008
चण्डीगढ़	25	1426
*दिल्ली	595	6198
गोवा, दमण एवं दीव	24	260
पाण्डेचैरी	4	10
त्रिपुरा	2	101
अण्डमान एवं निकोबार	1	—
योग	3777	102182

*एक अनलिमिटेड कम्पनी सम्मिलित है, जो दिल्ली राज्य में 15 लाख रु० की अधिकृत पूंजी सहित पंजीकृत हुई है।

मेघालय में रेल-मार्ग

5290. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री टुना उरांव :

श्री एन० ई० होरो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में रेल लाइनें बिछाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अंशतः मेघालय राज्य में वाली नई लाइनें बिछाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं :—

(i) ब्रह्मपुत्र पर एक पुल सहित दुधनई के रास्ते जोगीघोपा से दरांगिरी तक एक बड़ी लाइन ।

(ii) गुवाहाटी से बर्नीहाट तक नई लाइन ।

सर्वेक्षणों का काम पू[illegible]ो जाने के बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा ।

ईराक से अशोधित तेल का आयात

5291. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा ईराक से आयात किये जाने वाले अशोधित तेल की मात्रा कितनी है और क्या ईरान से आयात किए जाने वाले अशोधित तेल की मात्रा ईराक से आयात किये जाने वाले अशोधित तेल की मात्रा से अधिक है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : 1974 के दौरान ईराक के लगभग 2.8 मिलियन मी० टन की तुलना में ईरान से लगभग 6.9 मिलियन मी० टन अशोधित तेल का आयात किया गया ।

मैसर्स एंग्लो-फ्रेन्च और अन्य औषधि-फर्मों की मूल कम्पनियों द्वारा प्रारम्भिक साम्य पूंजी सहयोग

5292. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एंग्लो-फ्रेंच ड्रग कम्पनी एबट लेबोरेटरीज, अल्कली कैमीकल्स कारपोरेशन और मैसर्स बेयर इण्डिया लिमिटेड में उनकी मूल कम्पनियों ने कितनी प्रारम्भिक साम्य पूंजी लगाई है ;

(ख) इन फर्मों के साथ, मूल कम्पनियों द्वारा किये गये करारों की पृथक्-पृथक् मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन फर्मों द्वारा प्रारम्भ में किन-किन मदों के उत्पादन का प्रस्ताव था और बाद में क्या परिवर्तन किये गये ; और

(घ) क्या विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने उक्त करारों की मंजूरी दे दी थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रत्येक कम्पनी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	प्रथम शेष संतुलन-पत्र के उपलब्ध होने के समय प्रदत्त पूंजी (रुपये लाखों में)
1.	मैसर्स ऐंग्लो फ्रेन्च ड्रग कं० (ईस्टर्न) लिमिटेड	0.10
2.	मैसर्स एबौट लेबोरेटोरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड	1.0
3.	मैसर्स अलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ (इण्डिया) लिमिटेड	35.34 (मूल साम्य पूंजी)
4.	मैसर्स बेयर (इण्डिया) लिमिटेड	4.0

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 187ग के प्रभाव-क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण

5293. **श्री राम हेडाऊ :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन ने कम्पनी कानून बोर्ड से आग्रह किया है कि क्योंकि कम्पनी अधिनियम की धारा 187ग के प्रभाव-क्षेत्र के मामले में काफी भ्रम पैदा हो रहा है, इस लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया जाये कि कम्पनी अधिनियम की नई लागू की गई धारा 187ग के अधीन घोषिताओं की शेयरों की बेनामी होल्डिंग के मामलों में ही जरुरत होती है तथा अन्य मामलों में नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) सरकार ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है ।

नामरूप उर्वरक कारखाने तथा अन्य संगठनों में छुट्टी के दिन

5294. श्री रोबिन ककोटी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप उर्वरक कारखाना, नुमाती तेल शोधक कारखाना, डिगबोई तेल शोधक कारख़ाना, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का नाज़िरा स्थित प्रशासनिक कार्यालय, आयल इण्डिया का दुलियाजन स्थित प्रशासनिक कार्यालय और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की सिवसागर स्थित वर्कशाप गत तीन वर्षों के दौरान छुट्टियों के कारण कुल कितने-कितने दिन बन्द रहे तथा उक्त अवधि में हड़तालों के कारण कुल कितने-कितने दिन बन्द रहे; और

(ख) बरौनी तेल शोधक कारखाना, गुजरात स्थित तेल शोधक कारखाना तथा देश में ऐसे ही अन्य तेल शोधक कारखाने, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की संस्थापनाएं पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन उर्वरक और रसायक कारखाने गत तीन वर्षों के दौरान छुट्टियों तथा हड़तालों के कारण क्रमशः कितने-कितने दिन बन्द रहे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेलवे बोर्ड 58 वर्ष की आयु के बाद सेवाकाल में वृद्धि का लाभ

5295. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय में वर्ष 1974 से, वर्ग दो के कुछ अनुभागाधिकारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवाकाल में वृद्धि तथा / अथवा पुनर्नियुक्ति का लाभ दिया जा रहा है जबकि कुछ अन्य को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार वर्ग दो के कुछ अनुभागाधिकारियों को वर्ष 1975 के दौरान एक और अवधि के लिए उक्त लाभ देने का है ; और

(घ) क्या इसके फलस्वरूप लम्बे समय से निम्न संवर्गों में ही अवरुद्ध पड़े कर्मचारियों के पदोन्नतियों के अवसरों पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सेवाकार्य काल बढ़ाये जाने का लाभ, जो यद्यपि मई, 1974 की हड़ताल के समय अपने पदों पर डटे रहने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में से एक था, रेलवे बोर्ड कार्यालय में बहुत कम मामलों में केवल जन-हित में और ऐसे कर्मचारियों को दिया गया जो अपनी कार्य निष्ठा और काम की प्रकृति की दृष्टि से यह लाभ पाने के सर्वाधिक पात्र थे और जिनके कार्य की निरन्तरता परम आवश्यक थी। सामान्यतः कार्यकाल बढ़ाने की परिपाटी नहीं है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अरकोनम–इरोड तथा जलारपेट्टी बंगलौर सैक्शन का विद्युतीकरण

5296. श्री के० मालन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अरकोनम-इरोड तथा जलारपेट्टी बंगलौर सैक्शन (364 रनिंग किलो मीटर) के विद्युतीकरण के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात उर्वरक निगम के एक नये उपक्रम के लिए विदेशी सहयोग

5297. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
मौलाना इसहाक सांभली :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य उर्वरक निगम ने अपने एक नये उपक्रम के लिए विदेशी सहयोग आमंत्रित किया है ;

(ख) क्या उक्त प्रौद्योगिकी देश में ही उपलब्ध है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा और इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग): अमोनिया एवं यूरिया संयंत्रों के सम्बन्ध में प्रक्रिया जानकारी, डिजाइन इंजीनियरिंग आदि के लिए विदेशी प्रासेस लाइसेंसरों एवं ठेकेदारों से गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी ने टण्डर मांगे हैं। जहां देशीय अपेक्षित जानकारी सप्लाई सेवा आदि उपलब्ध नहीं होती है उन क्षेत्रों के लिए कोई विदेशी पार्टियों के साथ कोई सहयोग के बारे में यथापूर्व प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ।

मिदनापुर में परमाणु शक्ति से चलाया जाने वाला उर्वरक संयंत्र

5298. श्री आर० एन० बर्मन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिदनापुर में उर्वरक के उत्पादन के लिए परमाणु शक्ति से चलने एक संयंत्र तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह संयंत्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।.

Contract for setting up of Haldia Refinery

5299. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the contract for setting up of Haldia Refinery Plant in Calcutta has been given to a foreign company; and

(b) whether the work is progressing on slow speed and if so, the steps being taken by Government to pace it up?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi): (a) The Haldia Refinery in Midnapore District in West Bengal is being set up by the Indian Oil Corporation in collaboration with M/s Technip ENSA of France and M/s Industrial-export of Romania and with the association of M/s. Engineers India Limited.

(b) The Fuel Sector of Haldia Refinery was placed on trial runs on 30th August, 1974 and it has gone into commercial production in January, 1975. The Visbreaker Unit is expected to be completed by May June, 1975. The Lube Sector is expected to be completed by end 1975 The delay in the receipt of equipment from foreign suppliers, scarcity of construction material etc. have contributed to the delay in the commissioning of these Units. All necessary steps are being taken by the Indian Oil Corporation so as to ensure that the project is fully commissioned by end 1975.

रेलवे वगनों में पड़े बेदावेदार खाद्यान्न

5300. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री मख्तियार सिंह मलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1-1-74 से 31-3-75 के दौरान देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे वेगनों में करोड़ों रुपये के मूल्य का खाद्यान्न बेदावेदार पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये इस खाद्यान्नों की मात्रा कितनी थी ;

(ग) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां इन वैगनों का कोई दावेदार नहीं आया; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम

5301. श्री एस० एस० देशमुख : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सांविधिक निकायों की वे संस्थाएं कौन-कौन सी हैं जो भारत में कम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम चला रही हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को भारत सरकार ने सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए मान्यता दे रखी है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग). भारत में कम्पनी सचिव परीक्षा लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरदायित्व सौंपे गये संस्थान का नाम, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली है। भारतीय विधि संस्थान, कम्पनी कानून में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करता है, जिसमें कम्पनी सचिविक कार्य-प्रणाली भी सम्मिलित है। ये पाठ्यक्रम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रेषित अधिसूचना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। क्या राज्य सरकार तथा सांविधिक निकायों के ऐसे कोई अन्य संस्थान भी हैं जिनकी जांच की जा रही है, एवं इसकी सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मेघालय में तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण

5302. श्री रानेन सेन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत तेल विशेषज्ञों की सहायता से मेघालय में तेल का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सोवियत तेल विशेषज्ञों का विचार है कि मेघालय के भारत का साइबेरियाई तेल क्षेत्र बनने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मेघालय में तेल की खोज करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) जहां तक सरकार की जानकारी का प्रश्न है किसी रूसी सोवियत विशेषज्ञ ने ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया है।

(ग) भूगर्भीय सर्वेक्षण मेघालय के प्रत्याशित बड़े क्षेत्रों में किया गया था। बाघमार के निकट एक कूप का व्यधन कार्य पहले ही किया गया था। एक अन्य कूप के व्यधन किये जाने की शीघ्र आशा की जाती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा सेमी-सबमरसिबल शिप किराये पर लेना

5303. श्री के० लकप्पा : क्या पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग ने इस वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह के दौरान सेमी-सबमरसिबल 'हास्कन मैग्नस' किस्म का रिंग जो ग्रभी नार्वे शिपयार्ड में निर्माणाधीन है, किराए पर लेने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यह दूसरा खुदाई रिंग बम्बई के गहरे समुद्र में स्थित क्षेत्र में किसी प्रकार से काम करेगा तथा सागर सम्राट की तुलना में इसमें क्या भिन्नता है ;

(ग) इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; ग्रौर

(घ) इस रिंग को सीधे खरीदने की बजाय जिसमें लाभ है किराए पर लेने के मुख्य कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) जी हां।

(ख) "हास्कन मैग्नस" के बम्बई हाई के प्रचालन क्षेत्र में सितम्बर, 1975 तक पहुंचने की ग्राशा है। यह एक ग्रर्ध जल मग्न व्यधन यूनिट है। जब कि "सागर सम्राट" एक जेक-ग्रप टाइप का व्यधन यूनिट है। "हास्कन मैग्नस" "सागर सम्राट" से ग्रधिक गहरे पानी में कार्य करने में समर्थ है। "सागर सम्राट" को उसके पैरों पर खड़ा किया जाता है जो समुद्र तल तक पहुंचे होते हैं जब कि "हास्कन मैग्नस" लंगरों पर ठहरेगा ग्रौर ग्रधिकांश संरचना के साथ पानी के ग्रन्दर तैरेगा।

(ग) 18 महीनों के ग्रन्त तक इसे खरीदने के विकल्प के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग ने "हास्कन मैग्नस" को 24 महीनों की ग्रवधि के लिए किराये पर लिया है।

(घ) ग्रन्य बातों के साथ-साथ व्यधन यूनिट को किराये पर लेना तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग को, इसको खरीदने के विकल्प से पूर्व 1976 के मानसून के दौरान पोत के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए ग्रवसर प्रदान करेगा। इसके ग्रतिरिक्त ग्रर्ध-जलमग्न रिंग को चलाने के लिए सर्विस कोन्टरेक्ट सहित सीधे क्रय में ग्रत्यधिक व्यय ग्रौर विदेशी मुद्रा का बाहर जाना शामिल होगा।

गंधक का ग्रायात

5304. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की कितनी गंधक का ग्रायात किया गया तथा किन-किन देशों से ग्रायात किया गया तथा इसका सी० ग्राई० एफ० मूल्य क्या है; ग्रौर

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को डी० जी० टी० डी० ग्रौर डी० जी० एस० एस० ग्राई० के माध्यम से कितनी-कितनी गंधक वितरित की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स शार्पएज लिमिटेड

5305. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स शार्पएज लिमिटेड के प्रबन्धक बोर्ड के डाइरेक्टरों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक डायरेक्टर के पास कितने-कितने इक्विटी शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली को कम्पनी द्वारा 14–6–74 तक प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणों के अनुसार, मैसर्स शार्पएज लिमिटेड के निदेशकों के नाम और उन प्रत्येक द्वारा धारित साम्य शेयरों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	100 रु० प्रत्येक के साम्य शेयर
1. श्री हरप्रसाद नन्दा	2
(इसके अतिरिक्त श्री हरप्रसाद नन्दा अपनी पत्नी श्रीमती राजनन्दा के साथ 100 रु० प्रत्येक के 849 साम्य शेयर संयुक्त रूप से धारित करते हैं।)	
2. श्री गोपाल शंकर हट्टियांगडी	1
3. श्री जगदीश चन्द्र चोपड़ा	1
4. श्री श्यामदास हस्सोमल गुरसाहनी	1
5. श्री राजन नन्दा	22
6. श्री चान्द किशन हजारी	7
7. श्री स्वर्गजीत सिंह	22
8. श्री चुग युगिन्दर पाल	1

कम्पनी द्वारा 27–1–75 को प्रस्तुत फार्म संख्या 32 के अनुसार, एक निदेशक नामश : श्री चान्द किशन हजारी 30–12–74 से कम्पनी के निदेशक नहीं रहे। श्री परमेश्वर सहाय कथित तिथि से श्री हजारी के स्थान पर निदेशक नियुक्त किये गये हैं। श्री सहाय द्वारा कम्पनी में धारित शेयरों की संख्या के विषय में सूचना अभी प्राप्य नहीं है।

कोयले की कमी के कारण रद्द की गई रेल गाड़ियों का पुनः चालू किया जाना

5306. श्री शशि भूषण :
श्री एस० ग्रार० दामाणी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों के पास इस समय कितना कोयला है ;

(ख) विभिन्न रेल जोनों में कोयले की कमी के कारण रद्द की गई कितनी रेल गाड़ियों 1 अप्रैल, 1975 तक पुनः चालू की गईं;

(ग) विभिन्न रेलों में रद्द की गई शेष गाड़ियों के कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट प्रयत्न किये गये हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला रहे ताकि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय कोयले का स्टाक $4\frac{1}{2}$ दिन से अधिक की खपत के लिए जमा हो गया है ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 1-2-75 से 1-4-75 तक 97 जोड़ी सवारी गाड़ियों को फिर से चलाया जा चुका है ।

(ग) रद्द की गई जिन शेष यात्री गाड़ियों का चलाया जाना जरूरी है उन्हें क्रमशः फिर से चला दिया जायेगा बशर्ते पर्याप्त मात्रा में कोयला लगातार उपलब्ध होता रहा ।

(घ) रेलों के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला विभाग और कोयला उत्पादन करने वाली कम्पनियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

पांचवीं योजना में रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का कार्यक्रम

5307. डा० एच० पी० शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए और मारे गये और वर्ष 1974 की प्रत्येक तिमाही में और वर्ष 1975 की पहली तिमाही में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेल फाटकों के यंत्रीकरण और उन पर चौकीदार नियुक्त करने के व्यापक कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :—

	जनवरी, 74 से मार्च, 74	अप्रैल, 74 से जून, 74	जुलाई, 74 से सितम्बर, 74	अक्तूबर, 74 से दिसम्बर 74	जनवरी, 75 से मार्च, 75
दुर्घटनाओं की संख्या	25	25	14	28	29
मारे गये व्यक्तियों की संख्या	12	15	18	19	17
घायल व्यक्तियों की संख्या	36	55	25	72	44

(ख) जिन समपारों पर सड़क और रेल यातायात दोनों अधिक हैं / या उसकी दृश्यता सीमित है, उन्हें आवधिक यातायात संगणना के आधार पर अथवा राज्य सरकार / सड़क अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर चौकीदार वाले समपारों में बदला जा रहा है। 1973-74 में बिना चौकीदार वाले 51 समपारों पर चौकीदार तैनात किये गये।

समपारों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करना ही एकमात्र उपाय नहीं है। फिर भी, समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(1) रेलवे लाइनों को सावधानीपूर्वक पार करने के लिए चेतावनी देने के लिए रेल पथ के दोनों ओर रेल सीमा के भीतर बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर 'स्टाप बोर्ड' इस तरह लगाये गये हैं कि उन पर निगाह अवश्य पड़ जाती है ;

(2) रेल पथ के साथ सीटी बोर्ड लगाये गये हैं जिनमें ड्राइवरों को आदेश दिये गये हैं कि समपार के पास पहुंचने पर सीटी बजा कर समपारों पर पहुंचने वाली गाड़ी के बारे में सड़क पार करने वालों को चेतावनी दें ;

(3) जहाजरानी मंत्रालय और परिवहन / राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों के लिए सड़क चिन्हों की व्यवस्था करें ;

(4) राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कानून बनाये हैं जिनमें ड्राइवरों के लिए यह आवश्यक है कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर सभी वाहनों को थोड़ी देर के लिए रोक दें और यह पता लगाने के बाद कि रेल पथ दोनों ओर से साफ है तब रेलवे लाइन को पार करें ;

(5) सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा चेतना जागृत करने के लिए शैक्षणिक अभियान चलाये गये हैं और इसके लिए स्वचल वाहन संघों से अपील करने, क्षेत्रीय भाषाओं में पुलिस अधिकारियों के माध्यम से तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पर्चे बांटने और आकाशवाणी, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से प्रचार जैसे उपाय किये गये हैं।

Allotment of Petrol Pumps to Scheduled Caste persons

5308. **Shri M. C. Daga.** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the rules under which petrol pumps are set up in various States in the country and the main conditions thereof; and

(b) whether Government had taken a decision that the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be given special priority in granting permission for setting up petrol pumps and if so, the date on which this declaration was made and the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were given permission to set up petrol pumps thereafter indicating the names of the places for which such permission was given and the names of the persons to whom the permission was given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): (a) New retail outlets are set up based on commercial considerations of the oil companies like the sales potential, oil companies' representation in the area, availability of suitable sites and product, financial justifications etc.

(b) It has been decided by Government that effective 1-1-74, 25% of IOC's dealerships agencies would be reserved for persons belonging to Scheduled Castes/Tribes.

Under the above-mentioned policy, the locations and the names of persons to whom appointment letters for retail outlets have been issued by IOC from 1-1-74 till end of February, 1975, are as below:—

Location	*Name*
(1) Durgapur	Shri J. K. Sarkar
(2) Jamnagar	Shri R. R. Meghjibhai
(3) Salem	Shri M. Muthuswamy
(4) New Avadi Rd.	Shri M. Santhanam
(5) Jessore Rd.	Shri T. K. Saha
(6) Khedgaon	Shri D. B. Kadam

In addition appointment letters for 5 LPG agencies and 14 Kerosene Outlets have also been issued at the end of February, 1975.

Punishment to Railway Employees before Conviction by Court

†5309. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 1083 Railway employees, who participated in the Railway strike in May last year, are being prosecuted on charges of violence, sabotage and intimidation in various States;

(b) whether all these employees have either been dismissed or removed from service;

(c) if so, whether it is proper to punish them in this way before they are convicted; and

(d) if not, the action Government propose to take to rectify their mistake?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) At present the number of employees against whom prosecution is pending in courts on charges of violence, sabotage and intimidation in various States, is about 440.

(b) The cases pending in the courts referred to in item (a) above, are in respect of criminal offences charged by the police. Against a few of such employees, under departmental Discipline and Appeal Rules, dismissals and removals were ordered on various offences.

(c) and (d). While action is being taken against delinquent persons, under Indian Penal Code or other appropriate Acts, by the law enforcing authority, there is no impropriety in departmental Discipline and Appeal Rules being followed against employees guilty of offences.

राजनैतिक दलों द्वारा निकाली जाने वाली स्मारिकाओं (साबनोर) में कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों का प्रकाशित कराया जाना

5310. **श्री मधु लिमये :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों द्वारा निकाली जाने वाली स्मारिकाओं में कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक संसद् सदस्य का दिनांक 12 मार्च, 1974 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या पत्र में उल्लिखित आरोपों के बारे में कोई जांच कराई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1970-71, 71-72, 72-73 तथा 73-74 में कांग्रेस दल ने अपनी स्मारिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करने में कितनी धनराशि एकत्र की ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) : इस विषय पर माननीय सदस्य से 12 मार्च, 1974 का नहीं 12-1-1974 का पत्र प्राप्त हुआ था। चूंकि विज्ञापनों पर व्यय कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये जाने वाले तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखाओं में अलग से प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है इसलिए इस मामले में किसी प्रकार का ब्यौरा एकत्र करना सम्भव नहीं है। कम्पनी अधिनियम की धारा 293क में किसी भी राजनैतिक दल या किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से दान पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था है। इस धारा के उल्लंघन हेतु अगर युक्त सन्देह से परे ये सिद्ध करने के लिए साक्ष्य है कि कम्पनी ने अपनी निधि से किसी राजनैतिक दल या किसी राजनैतिक उद्देश्य हेतु दान दिया है तो तब केवल कानूनी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। कम्पनी कार्य विभाग इस मामले में उचित सतर्कता रख रहा है और अधिनियम की धारा 293 क का कोई विशेष उदाहरण जो विभाग की सूचना में लाया जा सके तो वह उसकी परीक्षा करेगा।

(घ) जैसा कि कांग्रेस दल कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी या इस अधिनियम में यथा परिभाषित विद्यमान कम्पनी नहीं है इसलिए कम्पनी कार्य विभाग के पास इस मामले में जांच करने या मांगी गई सूचना प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

पार्सल आफिस, गाजियाबाद (उत्तर रेलवे) में सुविधाएं

5311. श्री लालजी भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिंटेण्डेंट, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के केस संख्या सी II डी/15 सी० सी० / एम० /74 के अनुसार प्रशासन द्वारा अप्रैल, 1974 में पार्सल आफिस, गाजियाबाद स्टेशन उत्तर रेलवे में कुछ सुविधाएं देने के लिए आदेश जारी किये गये हैं जिससे कर्मचारियों और जनता को अनावश्यक कठिनाइयां न हों ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी व्यवस्था हो गई; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, आगत पार्सलों के चट्टे लगाने की क्षमता में वृद्धि करने के निर्णय को छोड़ कर।

(ग) ज्योंही धन उपलब्ध होगा, चट्टे लगाने की क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

तिरुनेलवेली–कन्याकुमारी रेल लाइन

5312. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित तिरुनेलवेली कन्याकुमारी रेल लाइन पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1976 तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरे होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त तक कुल मिला कर 27 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ग) और (घ) : रेलों के योजना परिव्यय में कटौती हो जाने के कारण, धनराशि के आवंटन में कुछ कमी हुई, जिसके कारण इस परियोजना के लिए नियत राशि को भी कम कर दिया गया था। आशा है अब यह काम मार्च, 1978 तक पूरा हो जायेगा।

नई औषधियों के लिए तकनीकी जानकारी रखने वाली विदेशी औषध निर्माता कंपनियां

5313. **श्री इन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई नई औषधियों के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी रखने वाली बहुत-सी विदेशी औषध निर्माता कम्पनियां एक मुश्त थोड़ी सी राशि ले कर अथवा रायल्टी ले कर इस तकनीकी जानकारी को भारतीय औषध निर्माता कंपनियों को देने को तैयार हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ विदेशी औषध निर्माता कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रमों को इस बात की खुली छूट देने का है कि वे एक मुश्त राशि या रायल्टी का भुगतान कर के नई औषधियों के लिए अनुसंधान और विकास सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). नई औषधी के मामलों में सरकार द्वारा जानकारी की खरीद और उसके संचलन की अनुमति प्रत्येक मामले के गुणागुण पर औषध निर्माता एककों को दी जाती है प्रौद्योगिकी का आयात करने की आवश्यकता की छानबीन विभिन्न प्रौद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा की जाती है जिसमें डी जी टी डी, सी एस आई आर डी सी एस एस आई, वित्त मंत्रालय और अन्यों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं उससे पूर्व सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए विदेशी सहयोग की एक प्रायोजना की अनुमति दी जाती है। जानकारी का क्रय करने के लिए अधायगियों के मामलों में एक मुश्त भुगतान लघु साम्य पूंजी की साझेदारी या/और आवश्यकता पर निर्भर 5 प्रतिशत तक रायल्टी की अदायगी तथा निहित प्रोद्योगिकी के लिए दी जाने वाली अग्रता अन्तर्निहित है ।

श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध और भेषज समिति उद्योग में नई प्रौद्योगिकी के प्रवाह के लिए विद्यमान व्यवस्था का निरीक्षण करना भी शामिल है। इस समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को मिली है और वह सरकार के विचाराधीन है ।

बम्बई के लिए ट्यूब रेलवे परियोजना

5314. **श्री मधु दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बम्बई के लिए पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय बम्बई की ट्यूब रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ट्यूब रेलवे के स्थान पर 1,100 किलोमीटर वाली कोंकण रेलवे परियोजना रखी गई है; और

(ग) यदि इन दोनों परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया है तो बम्बई की यातायात समस्या को हल करने तथा बम्बई में भीड़भाड़ कम करने के लिए किस अन्य योजना का अनुमोदन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बम्बई महानगर से सम्बन्धित विकास अब निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन नियुक्त समिति के विचाराधीन है। 'ट्यूब रेलवे परियोजना' या गलियारा 7 परियोजना पर इस योजना अवधि में विचार नहीं हो रहा है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ट्यूब रेलवे परियोजना के स्थान पर कोंकण रेलवे के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह अनुमोदित परियोजना नहीं है और उससे महानगर परिवहन सम्बन्धी कार्य में भी सहायता नहीं मिलेगी।

(ग) पांचवीं योजना अवधि में गोरेगांव से फ़ोर्ट मार्केट तक फ़ोर्ड मार्केट लाइन का एक भाग अर्थात् उपनगरीय रेलों की अनुकूलतम योजनाओं के पहले चरण के साथ-साथ महानगर परिवहन परियोजना की गलियारा 6 परियोजना विचाराधीन है। इसके अलावा, बम्बई की सड़क परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम इस अवधि में पूरा करना है।

उड़ीसा राज्य में निर्माणाधीन रेल लाइन

5315. **श्री गजाधर मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितनी रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं; और

(ख) राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बिछाई जाने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कटक-पारादीप रेल सम्पर्क के निर्माण का कार्य चालू है यद्यपि यह अधिकांशतः पूरा हो चुका है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी वांसपानी से जाखापुरा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम स्थान-निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का काम पहले से चल रहा है। इस लाइन के निर्माण के लिए 1974–75 के बजट में व्यवस्था की गई है बशर्ते राज्य सरकार अपने हिस्से के इस परियोजना पर आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत वहन करने को तैयार हो। उड़ीसा राज्य में 135.65 कि० मी० लम्बी तालचर-विमलागढ़ बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण भी कर लिया गया है जिस पर 16.79 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। लेकिन इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Divisions with maximum incidence of theft during the last three years

5316. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of those ten divisions in Indian Railways where incidents of theft were the maximum during the last three years and the particulars thereof ;

(b) whether Railway employees or RPF personnel were also found involved in these thefts along with the thieves and if so, the number of railway employees or the persons against whom action has been taken in this regard indicating the action taken ; and

(c) whether any action is being taken by Government to check these thefts and if so the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) and (*b*). A statement is attached [*Placed in library See* No. LT-9366/75]

(*c*) The following are some of the measures taken by the Railways with a view to preventing loss, thefts and pilferages of consignments :—

(*i*) Escorting of goods trains by Railway Protection Force armed personnel in vulnerable sections in respect of iron and steel, foodgrains, sugar, oilseeds, etc ;

(*ii*) Patrolling by armed Railway Protection Force personnel in vulnerable and major yards;

(*iii*) Collection of crime intelligence and conducting of surprise raids by the staff of the Crime Intelligence of the Railways as well as-Central Crime Bureau, Railway Board with a view to tracking down criminals and receivers of stolen goods.

(*iv*) Maintenance of close co-ordination between Government Railway Police, Railway Protection Force and Railway staff;

(*v*) Insistence on provision of dunnage to protect flap doors in case of wagons load consignments of sugar, grains, pulses, oilseeds, etc;

(*vi*) Proper marking, addressing and labelling to avoid the consignments going astray ;

(*vii*) Use of nuts and bolts for rivetting wagons loaded with valuable goods ;

(*viii*) Proper maintenance of wagons so that incidence of sickness of wagons resulting in detention and transhipment is minimised, and also damage by wet and pilferage throughdoors and body-holes is reduced ;

(*ix*) Patching of panel-cuts of wagons in sick-lines yards and goods sheds to reduce the circulation of defective wagons ;

(*x*) Intensified supervision of break-of-gauge transhipment points and repacking points ;

(*xi*) Proper supervision and careful tallying of packages during loading and unloading operations;

(*xii*) Prompt fixation of staff responsibility ;

(*xiii*) Detection of cases of unlawful possession of railway property and prosecution of the offenders under the provisions of the Railway Property (Unlawful Possession) Act ; and

(*xiv*) Detention of violent and notorious criminals and receivers of stolen railway property under the Maintenace of Internal Security Act.

रेलवे वर्कशापों में तुरन्त मरम्मत के अभाव में बन्द पड़े माल डिब्बे

5317. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि 1974 के दौरान विभिन्न रेलवे वर्कशापों में तुरन्त मरम्मत की व्यवस्था के अभाव के कारण अनेक माल डिब्बे बन्द पड़े रहे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे माल डिब्बों की संख्या कितनी है जो इस कारण एक साथ तीन महीने से अधिक समय तक बन्द पड़े रहे; और

(ग) क्या उनको शीघ्र मरम्मत कराने तथा उचित रखरखाव के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में बड़ी लाइन के 42 माल डिब्बों को छोड़ कर 1974 में कारखानों में तुरन्त मरम्मत और अनुरक्षण न होने के कारण कोई माल डिब्बे पड़े नहीं रहे।

(ख) 1974 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में बड़ी लाइन के केवल 42 माल डिब्बे तीन महीने से अधिक तक पड़े रहे।

(ग) माल डिब्बों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण के लिए कारखाने की क्षमता बढ़ायी जा रही है। दक्षिण-मध्य रेलवे में विजयवाड़ा में एक नया कारखाना भी बनाया जा रहा है।

Stalls at Stations on Eastern Railway

5318. **Shri Hukam Chand Kachwai** ; Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) the number of stalls at various stations on the Eastern Railway at present and the dates on which stalls were allotted at each station ;

(*b*) whether there are some such stalls which are in the names of different members of one family; and

(*c*) if so, the Names of the stations where such stalls are functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) *to* (*c*) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बारपेटा उपनिर्वाचन में अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में शिकायतें

5319. **श्री सतर गुड़ :** क्या विधि. न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयुक्त को संसद् के विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भेजा गया है जिसमें बारपेटा संसदीय उप-निर्वाचन में अनियमितताओं एवं भ्रष्ट आचरण की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में की गई शिकायतों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

(ग) श्री विश्व गोस्वामी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन आयुक्त को की गई विभिन्न शिकायतों तथा निर्वाचन एवं मतगणना के दौरान भ्रष्ट आचरण के बारे में आसाम के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रों में जो टिप्पणियां प्रकाशित हुई, उन के बारे में अन्य तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कोई जांच की है ;

(ङ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में वर्णित शिकायतें निम्नलिखित हैं :—

(1) गोहाटी के एक प्राइवेट प्रेस द्वारा जाली मतपत्र छापे गए थे और वे प्रधानतः मुस्लिम क्षेत्रों के मतदाताओं में वितरित किए थे ;

(2) मतों की गणना मतदान के लिए प्रयुक्त सभी मतपेटियों के मतगणना केन्द्र पर पहुंचने से पूर्व ही आरम्भ कर दी गई थी ।

(3) उपनिर्वाचन लड़ने वाले एक उम्मीदवार श्री विश्व गोस्वामी को बोरजहार हवाई अड्डे पर 38 मतपत्रों का एक बंडल ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया ।

(4) ऐसे अनेक मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिन में वस्तुतः डाले गए मतों और गिने गए मतपत्रों की संख्या के बीच भारी अन्तर पाया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं मालूम है ;

(5) अधिकांश चर क्षेत्रों में पिछली बाढ़ के दौरान बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने घर बार छोड़ दिए थे किन्तु इन क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों में 99 प्रतिशत मत डाले गए ;

(6) कुछ मतदान केन्द्र अन्तिम समय पर ऐसे मकानों या परिसरों में हटाकर ले जाए गए जो कांग्रेसजन के नियंत्रण में थे ;

(7) 20-3-75 को मतदान के पश्चात् बहुत सी मतपेटियां खंड विकास कार्यालय में रखी गई थीं जहां उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई सुरक्षित कमरा नहीं था ;

(8) बहुत बड़ी संख्या में मतपेटियों में यह पाया गया कि उन पर पीठासीन अधिकारियों या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर नहीं हुए थे ;

(9) मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा विषैला साम्प्रदायिक प्रचार किया गया था ; और

(10) पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की पुनर्गणना और उन क्षेत्रों में, जहां इस बात का संदेह था कि मतपत्रों के साथ छेड़-छाड़ की गई है, नया मतदान कराने के लिए श्री विश्व गोस्वामी की मांग को नामंजूर कर दिया गया था ।

(ग) निर्वाचन आयोग को एक शिकायत आसाम के समाजवादी दल के अध्यक्ष श्री गोपाल बोरबोरा से प्राप्त हुई है जिस में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के चर क्षेत्रों से जो मतपेटियां आई हैं उन में 80 से 99 प्रतिशत तक मतपत्र डाले गए हैं जब कि पिछली बाढ़ के पश्चात् उन के चर क्षेत्र जलमग्न हो गए थे और वहां से विस्थापित अधिकांश लोग चर क्षेत्र को छोड़ कर चले गए थे । आसाम के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक

पत्रों द्वारा उस उपनिर्वाचन पर, निर्वाचन की प्रकृति और उस के दौरान भ्रष्ट आचरणों तथा मतों की गणना के संबंध में की गई टिप्पणियों का जहां तक संबंध है, उसकी जानकारी उपलभ्य नहीं है ।

(घ), (ङ) और (च) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभ्यावेदन करने वालों को यह उत्तर भेजा है कि इस उपनिर्वाचन के संबंध में अभिकथन उपनिर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही किए गए थे । संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अधीन इसका उपचार निर्वाचन अर्जी के जरिए ढूंढ़ना होगा। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) के अधीन, अभ्यावेदन में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों वाले पैकेटों को सक्षम न्यायालय के आदेश से ही खोला जा सकता है और उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जा सकता है अन्यथा नहीं । अतः उन में से किसी दस्तावेज के संबंध में अभ्यावेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन करना संभव नहीं है किन्तु जहां तक अभ्यावेदन में निर्दिष्ट अन्य बातों का संबंध है, आयोग ने इस दृष्टि से एक जांच का आदेश दे दिया है कि भविष्य में विफलताएं और अनौचित्यपूर्ण कार्य, यदि कोई हों, दुबारा न हों, तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन किसी प्रकार दूषित न हों ।

एक पत्रिका के प्रकाशन की मांग

5320. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री एक पत्रिका के प्रकाशन की मांग के बारे में 10 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग कर्मचारी संघ की मांग पर, जिसका प्रस्ताव बहुत पहले 21 सितम्बर, 1973 को भेजा गया था, भारतीय निर्वाचन आयोग कब तक निर्णय करेगा; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). भारत के निर्वाचन आयोग ने भारत के निर्वाचन आयोग कर्मचारी संघ को पत्रिका प्रकाशित करने की इजाजत दे दी है

पलामऊ जिले में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

5321. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पालामऊ जिले के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वहां कोयले पर आधारित अथवा कोई अन्य उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : बिहार में पलामऊ जिले में कोयले या अन्य सम्भरण सामग्री पर आधारित किसी उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के बारे में कुछ संभावित स्थलों के संबंध में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा संभाव्यता अध्ययन किए जा रहे हैं, इन अध्ययनों में बिहार के स्थल भी सम्मिलित हैं।

बर्दवान–आसनसोल, सेक्शन पर उपनगरीय क्षेत्र सुविधाओं के लिए और हावड़ा से आसनसोल तक के लिए तेज रफ्तार गाड़ी के लिए अनुरोध

5322. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के रानीगंज आसनसोल क्षेत्र के स्थानीय लोगों से पूर्व रेलवे के बर्दवान आसनसोल सेक्शन पर उपनगरीय क्षेत्र सुविधाओं के लिए और हावड़ा से आसन सोल तक के लिए एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के लिए बार बार अनुरोध किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के निवासियों के द्वारा निरन्तर की जाने वाली इन मांगों को पूरा करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बर्दवान आसनसोल खण्ड को उपनगरीय क्षेत्र मान लेने के सुझाव का आशय यह है कि इस खण्ड पर भी आवधिक टिकटों के वैसे ही कम किराये लागू कर दिये जायें जैसे कलकत्ता क्षेत्र में लागू हैं । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उपनगरीय आवधिक टिकटों के कम किराये केवल ऐतिहासिक कारणों से जारी रखे जा रहे हैं और इनमें निहीत वित्तीय फलितार्थों के कारण इन्हें नीति के रूप में अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जा रहा । किन्तु अनुपनगरीय आवधिक टिकटों के किराये भी, जो कि बर्दवान आसनसोल खण्ड पर भी लागू होते हैं, बड़ी भारी रियायत वाले हैं ।

इस समय हावड़ा और आसनसोल में पर्याप्त सुविधाएं सीमित होने तथा साधनों की कमी के कारण हावड़ा और आसनसोल के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । इस खण्ड पर पहले ही 15 जोड़ी दैनिक गाड़ियां, दो जोड़ी सप्ताह में दो बार चलने वाली, दो जोड़ी सप्ताह में तीन बार चलने वाली और एक जोड़ी सप्ताह में एक बार चलने वाली गाड़ियां चलती हैं जो यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

पश्चिम बंगाल की फर्मों के पास निलम्बित पड़े हुए रेल वैगनों के क्रयादेश

5323. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार फर्मवार, पश्चिम बंगाल की फर्मों के पास निलम्बित पड़े हुए रेल वैगनों के क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक फर्म को रेल वैगनों के कितने क्रयादेश दिये गये और इस अवधि में प्रत्येक फर्म ने कितने वैगन सप्लाई किये; और

(ग) इन फर्मों से वैगनों की शीघ्र प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9367/75]**

लक्ष्य बद्ध उत्पादन करने के लिए, पहिया सेट रोलर बियरिंग धुरा बक्स और कपलर जैसे मुक्त सप्लाई वाले कल पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई करने की व्यवस्था की जा रही है । माल डिब्बा

निर्माताओं की इस्पात सम्बन्धी जरूरतों को देश के इस्पात कारखानों से पूरा कराया जाता है और यदि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति रेलवे बोर्ड के आयातित इस्पात से की जाती है, ताकि लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन किया जा सके।

अवर सचिवों की 'सिलेक्ट' सूची में आरक्षित पद

5324. **श्री पी० एम० सईद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर सचिवों की एक 'सिलेक्ट' सूची जिसमें अनुसूचित जातियों के तीन तथा अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी सहित 30 अधिकारी शामिल हैं; रेलवे बोर्ड द्वारा फरवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित की गई थी ;

(ख) क्या उस सूची में से सामान्य श्रेणी के अधिकांश अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का अभी कोई भी अधिकारी पदोन्नत नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सामान्य श्रेणी के कुछ उम्मीदवार, जो कि 'सिलेक्ट' सूची में शामिल नहीं थे, अभी भी अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सहित सूची के शेष अधिकारियों को पदोन्नत करने हेतु उक्त अधिकारियों को पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चयन सूची में उल्लिखित सभी अधिकारियों की, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी भी शामिल हैं, पदोन्नति की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बालोचाक स्टेशन के निकट राउरकेला एक्सप्रेस गाड़ी में डकैती

5325. **श्री भाउसाहेब धामनकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालोचाक स्टेशन के निकट राउरकेला एक्सप्रेस गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में 6 मार्च, 1975 को डकैती पड़ी थी जिसमें डिब्बे में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की उपस्थिति में श्री स्वपन साहा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) गाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 5/6-3-75 की रात को, जब गाड़ी नं० 323 अप राउरकेला एक्सप्रेस पंषकूड़ा और मदपुर के बीच जा रही थी तो इस गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में डाका पड़ा जिसके परिणामस्वरूप दो यात्री, जिनमें श्री स्वप्न साहा भी शामिल थे, मारे गये। गाड़ी के साथ राज्य सरकार की पुलिस के 4 सशस्त्र सिपाही चल रहे थे। डिब्बे में रेलवे सुरक्षा दल का कोई कर्मचारी नहीं था।

(ख) राज्य सरकार रेलवे पुलिस/खड़गपुर ने इस मामले को जांच के लिए दर्ज कर लिया है। अभी तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चुराई गई सम्पत्ति का एक भाग बरामद किया गया है।

(ग) 'पुलिस जिसमें रेलवे पुलिस भी शामिल है' राज्य सरकार का विषय होने के कारण पश्चिम बंगाल की सरकार रेल गाड़ियों में ऐसे अपराधों पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है जैसेकि रात में महत्वपूर्ण गाड़ियों में आरक्षियों की व्यवस्था करना, सादे कपड़ों में सशस्त्र सिपाहियों द्वारा सन्दिग्ध व्यक्तियों के पीछे लगे रहना, स्टेशन के प्लेटफार्मों पर प्रतीक्षालयों में नियमित गश्त की तैनाती करना, अपराधियों और कुख्यात बदमाशों पर निगरानी रखना, विशिष्ट अपराधों के लिए और निवारक कानूनों के अन्तर्गत अपराधियों पर मुकदमा चलाना। पश्चिम बंगाल में रेलों पर होने वाले अपराधों से निबटने के लिए एक खुफिया पुलिस कक्ष भी पश्चिम बंगाल पुलिस में संगठित किया गया है जिसे रेल विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

कम लागत वाले उर्वरकों के उत्पादन के लिए भारतीय उर्वरक निगम की योजना

5326. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने कम लागत वाले नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन के लिए एक व्यापक परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जबकि भारतीय उर्वरक निगम द्वारा इस प्रकार की कोई प्रायोजना चालू नहीं की गई है तथापि विभिन्न एककों की कार्य-कुशलता बढ़ाने और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कमी करने के बारे में, निगम द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है आर्थिक लाभप्रदता की दृष्टि से बड़ी क्षमता के संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

औषध फर्मों द्वारा कम उत्पादन किया जाना

5327. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषध तथा भेषज निर्माताओं के नाम क्या हैं जो मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). देश में 2300 से अधिक एककों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में औषधें तैयार की जाती हैं। सम्बन्धित एककों में से हर एक द्वारा उत्पादन स्तर विभिन्न तथ्यों यथा सम्बन्धित सूत्रयोग की मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली और विभिन्न अन्य उत्पादों, श्रमिक स्थिति तथा अन्य उसी प्रकार

के तथ्यों पर निर्भर करता है। औषध मूल्यों को औषध (मूल्य और नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित रखा जाता है। जिसमें अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि कोई फुटकर विक्रेता सरकार द्वारा यथा अनुमोदित उस सूत्रयोग के फुटकर बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा। इसलिए कम उत्पादन के माध्यम से कमी के कारण लाभ उठाने का प्रश्न नहीं उठता है। उत्पादन में कमी करने तथा एककों को बन्द करने और क्षमता के प्रयोग न किए जाने सम्बन्धी मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। उनके उत्पादों के मूल्यों का नियंत्रण औषध (मूल्य और नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत किया जाता है। यह बात सुनिश्चित करने के लिए सरकार अनिवार्य जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता पर सतर्क निगरानी रखती है कि उपभोक्ताओं को ये औषधें नियन्त्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएं।

श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी। उपरोक्त रिपोर्ट के संदर्भ में औषधों को कम स्तर पर उत्पादन करने तथा उनको उचित मूल्यों पर आम जनता को उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कमियों को दूर करने के लिए, यदि कोई हों, औषध (मूल्य और नियंत्रण) आदेश का भी पुनरीक्षण किया जाएगा।

मथुरा तेल शोधक कारखाने पर व्यय हुई राशि

5328. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा में तेल शोधन कारखाने की स्थापना पर 31 मार्च, 1975 तक कुल कितनी लागत बैठी ;

(ख) पश्चिमी तट से मथुरा तेल शोधन कारखाने तक पाईप लाईन बिछाने पर कितने व्यय का अनुमान है ;

(ग) पश्चिमी तट से मथुरा तेल शोधन कारखाने तक तेल लाने के लिए लागत में प्रतिटन कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) तेल शोधन शाला के कितने प्रतिशत उपकरणों की संरचना भारत में की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) मथुरा शोधनशाला पर 31 मार्च 1975 तक किया गया कुल खर्चा लगभग 5.25 करोड़ रुपये है।

(ख) इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1972 में तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी तट से मथुरा तक पाइप लाइन बिछाने की अनुमानित लागत 120 करोड़ रुपये है जिसमें अपतटीय और तटवर्ती सुविधाएं और विरम गांव से कोमाली तक की शाखा लाइने भी शामिल हैं। इस अनुमान में उपकरण, सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) जब सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी तब पाइप लाइन द्वारा अशोधित तेल के परि-वहन पर 36.67 रुपये प्रति टन व्यय होने का अनुमान था। अब सामग्री आदि के व्यय में विश्वव्यापी

वृद्धि होने के कारण यह व्यय 64.04 रुपये प्रति टन होने की सम्भावना है जिसका मतलब यह होगा कि 27.37 रुपये प्रति टन अनुमानित वृद्धि होगी।

(घ) यह प्रस्ताव किया गया है कि शोधनशाला की संरचना में देशीय उपकरण और सामग्रियों का यथासम्भव अधिकतम प्रयोग किया जाए। तथापि विस्तृत विशिष्टियों की जानकारी मिल जाने के बाद ही देशीय वस्तु की सही मात्रा का निर्णय किया जायेगा। सोवियत सहयोग द्वारा तैयार की गई शोधनशाला के भाग की प्रायोजना रिपोर्ट जिसमें सविस्तार विशिष्टियां दी हैं अभी हाल में मिली है और उसका निरीक्षण किया जा रहा है। शोधनशाला के भाग के लिए, जिसका डिजाइन भारत में तैयार किया गया है, समस्त प्रमुख उपकरण की विशिष्टियां 1975 की दूसरी तिमाही तक तैयार हो जाने की आशा की जाती है उस समय तक देशीय उपलब्धता की मात्रा निर्णय करना सम्भव हो सकेगा।

कम्पनियां जिनके मामलों में व्यादेश जारी किया गया है

5329. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मामलों में विभाग द्वारा कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में लेखा पुस्तकें जब्त की गई थीं अथवा कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी लेकिन विभिन्न उच्च न्यायालयों से व्यादेश प्राप्त होने के कारण आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी ; और

(ख) ऐसे व्यादेश किस तारीख को हुए थे और तारीख सहित इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) और (ख). सूचना संग्रह की जा रही है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सियालदह स्टेशन को नया रूप दिया जाना

5330. **श्री टुना उरांव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह स्टेशन को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सियालदह स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन करने का काम 1960–61 में तीन चरणों में शुरु किया गया था जिनमें से दो चरणों का काम पूरा हो चुका है और तीसरे चरण का काम चल रहा है।

(ख) मुख्य काम ये हैं:—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन, रुट रिले अन्तर्पाश केबिन की व्यवस्था, अतिरिक्त प्लेटफ़ार्मों की व्यवस्था, रेल डाक सेवा के लिए वेतन और रोकड़ कार्यालय का निर्माण, प्लेटफ़ार्मों को ऊंचा और पक्का करना तथा प्लेटफ़ार्म शेडों का विस्तार, मुख्य और उत्तरी स्टेशनों के सामने पुराने स्टेशन की जगह स्टेशन की नयी इमारत का निर्माण करना, आदि।

(ग) स्टेशन की नयी इमारत को छोड़कर इनमें से लगभग सभी निर्माण-कार्य पूरे हो गये हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन करने के काम में भी काफ़ी प्रगति हो चुकी है और आशा है कि जून 1976 तक यह काम पूरा हो जायेगा।

तट-दूर खुदाई के स्थान

5331. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1972–73 से 1974–75 तक कितने स्थानों पर तटदूर खुदाई और तेल के लिए खुदाई की गई ;

(ख) कौन-कौन से देश भारत में तेल की खोज में भारत सरकार को सहायता दे रहे हैं;

(ग) तेल की खुदाई में सहायता करने वाले देशों में से किस-किस देश के मामले में सर्वेक्षण ठीक सिद्ध हुआ;

(घ) क्या समाजवादी देश भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1972–73 से 1974–75 के दौरान तारापुर संरचना और अरब सागर में बम्बई हाई संरचना में अपतटीय व्यधन कार्य किया गया है :

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल के तट दूर महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्रों को उड़ीसा के कुछ भागों के लिए यू० एस० ए० के कामर्स वर्ग आफ़ इंडिया ग्रुप तथा कच्छ थल के लिए यू० एस० ए० के भी रीडिंग एण्ड बैट्स के बीच करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं। बंगाल और कच्छ अपतटीय क्षेत्रों में भूकम्प य सर्वेक्षण की पैमाईश पूर्ण हो गई है। इन सर्वेक्षणों ने संरचनात्मक सम्भाव्यताएं दिखाई हैं। इन सभी सर्वेक्षणों के विवरणों का मूल्यांकन करने और उनकी व्याख्या करने के पश्चात् इन अपतटीय क्षेत्रों में कुएं खोदने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

(घ) और (ङ) : उपकरणों की सप्लाई प्रशिक्षण सुविधाएं और विशेषज्ञों के माध्यम से तटवर्ती तेल अन्वेषण में सोवियत संघ का सहयोग निरंतर मिलता रहा है। रुमानिया भारत में तेल क्षेत्र उपकरणों के निर्माण में तकनीकी सहयोग देने और कुछ अन्य तेल क्षेत्र उपकरणों और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मांगे गये रिगों तथा कुछ गौण प्रतिप्राप्ति तकनीकों की सप्लाई करने लिए सहमत हो गया है। तेल क्षेत्र उपकरण और ट्यूबलरों जो देश में उपलब्ध नहीं हैं का चैकोस्लोवाकिया जैसे अन्य देशों से आयात किया जा रहा है।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में विपक्षी दलों से बातचीत

5332. **श्री नुरूल हुडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विपक्षी दलों के साथ कब बातचीत की जाएगी;

(ख) निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों पर श्री जयप्रकाश नारायण के विदित विचारों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार बातचीत में श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को सम्मिलित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) राजनीतिक नेताओं के साथ विचार–विमर्श के लिए 22 अप्रैल की तारीख नियत की गई है ।

औषध फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों के बारे में सर्वेक्षण

5333. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया है कि जिन फ़र्मों को आयात लाइसेंस दिए गये हैं उनमें से कितनी फ़र्में वास्तविक हैं, जिनके पास उनके आयातों का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण और जानकारी है और कितनी आयातित औषधियां काले बाजार में बेची जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किसी राज्य के लिए किए गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं,; और

(ग) क्या औषध फ़र्मों द्वारा ऐसे आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). देश में लघु उद्योग एककों के बारे में एक संगणना की गयी है अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संगणना में उल्लिखित कुल पंजीकृत एककों का 10 प्रतिशत एककों का पता नहीं चला है । इस स्तर पर अभी यह ज्ञात नहीं हैं कि ये समस्त यूनिटों के पास आयातित कच्चा माल प्राप्त था ।

अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियम

5334. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी कर्मचारी समन्वय परिषद् ने नवम्बर, 1973 में तत्कालीन रेल मंत्री को रेलवे बोर्ड द्वारा

1 सितम्बर, 1973 को प्रकाशित अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन न करने के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था,

(ख) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और कुछ संसद् सदस्यों ने भी रेल मंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में क्या क्या बातें बताई गई हैं और उनमें से प्रत्येक बात पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी हां। अभ्यावेदनों में यह कहा गया था कि 1 सितम्बर, 1973 को जारी की गयी अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए अपेक्षित आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। मामले की विस्तार से जांच की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि अपेक्षित आरक्षण में जो कमी रह गयी है उसे शीघ्र ही पूरा कर दिया जाये।

बेलाडीला होकर विशाखापत्तनम और जगदलपुर के बोच यात्री गाड़ी

5335. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडीला होकर विशाखापत्तनम और जगदलपुर के बीच की रेल लाइन पर कोई यात्री गाड़ी नहीं चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने गत वर्ष इस लाइन पर यात्री गाड़ी चलाने का निर्णय दिया था और इस सम्बन्ध में सभी प्रबन्ध कर लिये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो उस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) इस लाइन पर यात्री गाड़ी कब चलाई जायेगी ; और

(च) यदि इसमें समय लगेगा तो क्या सरकार उस लाइन पर माल गाड़ी के साथ कुछ यात्री डिब्बे जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). इस रेलवे लाइन पर जो कि मूलतः बेलाडिला क्षेत्र से विशाखापत्तनम तक निर्यात के लिए लौह अयस्क की ढुलाई के लिए बनायी गयी थी और जिस पर किसी सवारी गाड़ी को चलाने के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है, कोई भी सवारी गाड़ी नहीं चल रही है।

(ग) से (ङ). एक सवारी/मिली जुली गाड़ी चलाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है लेकिन खंडीय क्षमता और संसाधनों की कमी के कारण उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

(च) निर्यात के लिए अयस्क ढोने वाली मालगाड़ियों के साथ सवारी डिब्बे लगाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि बाल्तेरू के अयस्क विनिमय यार्ड में इन गाड़ियों को सम्हाला जाता है जहां पर यात्रियों का चढ़ना-उतरना अत्यन्त खतरनाक होगा ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में रेल लाइनों के लिए निर्धारित स्थान

5336. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में रेल लाइनों के लिए कोई स्थान निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या राजस्थान के चूरू जिले में बीदासर को तारानगर के साथ रेल लाइनों से जोड़ने के कोई प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

उच्चतम न्यायालय में सबसे पुराना श्रम मामला

5337. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में सबसे पुराना श्रम मामला कौन सा है और वह किस वर्ष का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : सिविल अपील सं० 1142 जो "रस्टन एंड हार्न्सबी (भारत) लिमिटेड बनाम टी० बी० कदम" के नाम से है तथा वर्ष 1969 से सम्बन्धित है ।

मैसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदलना

5338. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पुनर्गठित बोर्ड में ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो (एक) जिसके विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आयकर को जांच चल रही हो और (दो) जो बर्ड एण्ड कम्पनी को भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंसी के अन्तर्गत किसी अन्य कम्पनी का पूर्णकालिक अधिकारी या निदेशक हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि मै० बर्ड एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, इसके पार्षद नियमों में संशोधन करके एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित की जा रही है । वरन् यह कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1974 द्वारा यथा संशोधित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 43क(1क) के उपबन्धों के आधार पर एक पब्लिक कम्पनी हो सकती है ।

(ख) तथा (ग). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कम्पनी का अपने निदेशक मंडल को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है ।

राजकोट से वीरमगाम तक की जनता गाड़ी का बन्द किया जाना

5339. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट से वीरमगाम तक की जनता गाड़ी बन्द कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे पुनः कब तक चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कोयले और पानी की कमी के कारण 33 अप/34 डाउन जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है । जब और जैसे पानी की स्थिति में सुधार होगा, इन गाड़ियों को फिर से चलाना शुरु कर दिया जाएगा ?

इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताएं

5341. **श्री एच० के० एल० भगत : क्या विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सी अनियमितताएं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जांच निकाय गठित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों के अनुसार, कम्पनी द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुपालन में किसी प्रकार की अनियमितताओं का किया जाना प्रगट नहीं होता है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी ।

रेलवे में सब-हैडों के पदोन्नति के अवसर

5342. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय और सम्बन्धित रेलों के विभागों के प्रमुखों को वर्ष 1974–75 के दौरान रेलवे के लेखा विभाग के कुछ सब-हैडों से उनकी पदोन्नति के असवरों, सेवा में बहुत अधिक गतिरोध और बेहतर वेतनमानों तथा उनके पदनामों में परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) क्या तृतीय वेतन आयोग ने उनकी सख्त ड्यूटी और अधिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए स्टाक वैरीफायरों से अधिक वेतनमान की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांगें पूरी करने के लिए रेल मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है और अन्तिम आदेश किस निश्चित तारीख तक जारी कर दिये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, बाद में संयुक्त परामर्श तंत्र के अन्तर्गत गठित विवाचक मण्डल ने स्टाक सत्यापकों का उच्चतर पूर्व-संशोधित वेतनमान देने का निर्णय दिया था । इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सब-हैडों और स्टाक सत्यापकों को 425–700 रुपये का संशोधित वेतनमान देने का निश्चय किया ।

(ग) पदोन्नति सम्बन्धी अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से अराजपत्रित संवर्गों (जिनमें सब-हैडों का संवर्ग भी शामिल है) को पुनर्गठित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है ।

आसाम के तेल क्षेत्रों से उत्पादित अशोधित तेल

5343. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आसाम के तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल उपलब्ध होता है ;

(ख) निकट भविष्य में, अर्थात् 1979–80 में इन तेल क्षेत्रों से अनुमानित और परीक्षित कितना अशोधित तेल मिलेगा ;

(ग) क्या आसाम के शिवसागर जिले में तिरुफादर में भी अशोधित तेल का उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में तेल की पुनः खोज कब की जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). इस समय अशोधित तेल का असम तेल क्षेत्रों से लगभग 3.75 मि० मी० टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन किया जा रहा है और वर्ष 1977-78 या 1978-79 में इन क्षेत्रों से लगभग 5.30 मि० मी० टन प्रति वर्ष के अनुसार उत्पादन होने की आशा है ।

(ग) और (घ). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार असम के शिवसागर जिले में तिरुफाथर नाम का कोई स्थान नहीं है ।

आन्दोलन में भाग लेने वाले अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों की सेवा भंग समाप्त किया जाना

5344. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 से पूर्व अथवा इसके पश्चात् किसी आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा में आये व्यवधान को समाप्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की सेवा में आये व्यवधान को अभी समाप्त किया जाना शेष है ;

(ग) क्या अगस्त, 1974 में भूख हड़ताल में भाग लेने के लिए अजमेर डिवीजन के दस कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाला गया था ; और यदि हां, तो सेवा में व्यवधान डालने के क्या कारण हैं और ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया और उसे समाप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन दस कर्मचारियों के सेवा के व्यवधान को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इसमें कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). जी हां । कर्मचारियों के एक दल ने भूख हड़ताल का सहारा लिया और कुछ इस प्रकार से व्यवहार किया कि उसके परिणामस्वरुप काम रुक गया । चूंकि रेलों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध है, इसलिए यह एक गैर-कानूनी हड़ताल थी और संबन्धित कर्मचारियों की सेवा भंग होना स्वाभाविक था । कर्मचारियों के सेवा भंग को माफ करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

महिलाओं को रेलवे के खान-पान ठेके

5345. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को भी खान-पान ठेके/पट्टे मिल सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय महिलाओं के पास रेलवे के कितने खान-पान ठेके/पट्टे हैं; और

(ग) क्या महिलाओं के लिए रेलवे के खान-पान ठेके देने के मामले में निश्चित प्रतिशतता आरक्षित कर के महिलाओं की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समय रेलों पर खान-पान और खोमचे के 208 ठेके महिलाओं के हाथ में हैं।

(ग) प्रस्ताव यह है कि खान-पान का ठेका देने के मामले में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाय। लेकिन उनके लिए कोई प्रतिशत या कोटा निर्धारित करने का विचार नहीं है क्योंकि अब वे खाली होने वाले खान-पान या खोमचे के सभी ठेकों के लिए आवदन करन की पात्र हैं। इसके अलावा यदि इन ठेकों के लिए सहकारी समितियों के साथ महिला समितियां भी आवेदन करती हैं तो वर्तमान नीति के अनुसार ठेका देन में महिला समितियां को तरजीह दी जाती है।

निर्वाचन पोस्टरों के प्रकाशन के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5346. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय न यह विनिर्णय दिया है कि प्रधान मंत्री, कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों और तीनों सेनाध्यक्षों के फोटो वाल निर्वाचन पोस्टर छापना एक अनौचित्यपूर्ण कार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनौचित्यपूर्ण कार्य को रोकने के लिए सरकार का क्या निवारक कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और तीनों सेनाध्यक्षों के फोटो वाले पोस्टरों का छापना एक अनौचित्यपूर्ण कार्य है, किन्तु यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के भीतर आन वाला भ्रष्ट आचरण नहीं है।

(ख) कोई विधिक निवारक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

केरल राज्य को मिट्टी के तेलों का आवंटन

5347. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1974 और जनवरी, फरवरी, 1975 में क्रमशः केरल राज्य को मिट्टी के तेल का कितना आवंटन किया गया ;

(ख) क्या इस कोटे को पूरी तरह उठाया गया था ; और

(ग) इसमें से कितने प्रतिशत तेल शहरों को दिया जाता है और कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अक्तूबर, 1974 से फरवरी, 1975 के दौरान केरल राज्य को मिट्टी के तेल का किया गया आवंटन निम्न-प्रकार था :—

अक्तूबर, 74	7,750 मीट्रिक टन
नवम्बर, 74 . . .	8,383 मीट्रिक टन
दिसम्बर, 74 . . .	8,883 मीट्रिक टन
जनवरी, 75 .	8,850 मीट्रिक टन
फरवरी, 75 .	8,818 मीट्रिक टन

(ख) जी नहीं, उपरोक्त अवधि के दौरान कोटा का उठान आवंटन कुछ कम था।

(ग) राज्य के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अतः इस मंत्रालय को इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि कम्पनियों के लाभ मूल्यांकन के आधार पर लगभग 30% उत्पाद का वितरण शहरी क्षेत्रों में तथा लगभग 70% उत्पाद का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है ।

शोलापुर डिवीजन के रेल कर्मचारियों की बर्खास्तगी

5348. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर डिवीजन के कुछ रेलवे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उन्हें वापिस सेवा में नहीं लिया गया था जबकि उन्होंने मई, 1974 में हड़ताल में भाग नहीं लिया था ;

(ख) एसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा क्या उन्हें शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे में मिलाये जाने के सिलसिले में पहिले हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण परेशान किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको बर्खास्त करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मत्री (श्री बटा सिंह) : (क) सभी कर्मचारियों को नौकरी पर पुनः वापिस ले लिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

माल डिब्बों की मांग और उपलब्धता

5349. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास कुल कितने माल डिब्बे उपलब्ध हैं ;

(ख) रेलवे की माल डिब्बों के लिए कुल मांग कितनी है ; और

(ग) क्या माल-डिब्बों की मांग और उपलब्धता के बीच कोई अन्तर है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और रेलवे का इस अन्तर को किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31-3-1974 को चौपाहियों के हिसाब से कुल 5,14,215 माल डिब्बे थे।

(ख) योजना के अन्तिम वर्ष में रेलों के लिए निर्धारित माल यातायात को सम्भालने के लिए अनुमानतः कुल 5,90,000 माल डिब्बों (चौपाहियों के हिसाब से) की आवश्यकता होगी।

(ग) माल डिब्बों की उपलब्धता और आवश्यकताओं के बीच जो अन्तर है उसे योजना अवधि में अपेक्षित अतिरिक्त माल डिब्बे प्राप्त करके पूरा किया जायेगा, लेकिन यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बुलंदशहर (उत्तर रेलवे) के हैड क्लर्क के घर में डकैती

5350. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० डब्ल्यू० बुलंदशहर, उत्तर रेलवे के हैड क्लर्क के घर पर 10/11 मार्च, 1975 की रात्रि को कुछ डाकुओं ने धावा बोल दिया था ;

(ख) क्या हैड क्लर्क और उसके परिवार को बुरी तरह पीटा गया था और डाकू कुछ सोना और नकदी ले गए थे ;

(ग) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं और क्या डकैती की जांच की गई है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेल प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 10/11-3-1975 की रात में 03—00 बजे लगभग 6—7 डकैतों ने श्री महेशचन्द्र शर्मा, प्रधान क्लर्क, रेल पथ निरीक्षक, बुलन्दशहर के मकान (रेलवे क्वार्टर) पर धावा बोल दिया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को मारा-पीटा और 1800 रुपये के उनके सामान लूट ले गये जिनमें सोने और चांदी के आभूषण, कलाई घड़ियां और नकदी शामिल हैं। श्री शर्मा के लड़के के दाहिने हाथ पर भी छुरा मारा गया। डकैत लूट का सामान लेकर चम्पत हो गये। खतरे की सूचना पाकर रेलवे सुरक्षा दल के शस्त्र रहित रक्षक किशन सिंह ने जो माल गोदाम पर निगरानी ड्यूटी पर थे, ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिन्होंने आगे यह सूचना बुलन्दशहर की सिविल पुलिस को दे दी। दिनांक 11—3—1975 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत अपराध का एक मामला सं० 303 जिला बुलन्दशहर के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस डकैती में तीन व्यक्तियों के शामिल होने का सन्देह था जिन्हें 21-3-1975 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

(घ) बुलन्दशहर की सिविल पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र में गश्त का काम तेज कर दिया है।

Derailment of a train near Kota Railway Bridge

5351. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(*a*) whether a goods train ran into the ground after derailment near Kota Railway Bridge in December, 1974 as a result of which several persons were killed ;

(*b*) if so, the causes thereof ; and

(*c*) the loss suffered by the Railway thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) Presumably the reference is to the derailment of a goods train near 'C' Cabin of Kota station on 25-12-1974. In this accident one railway staff was killed and another sustained grevious injuries.

(*b*) The accident was caused by disregard of signals.

(*c*) The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 2,08,200/-.

दिल्ली में खुदरा औषधि विक्रताओं द्वारा अधिक कीमत वसूल करना

5352. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात पर निगरानी रखने के लिए सरकार के पास कोई तन्त्र हैं कि खुदरा औषधि विक्रेता औषधि के लेबिल पर मुद्रित मूल्य से अधिक मुल्य वसूल न करें ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने मामलों का पता चला है और खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की व्यवस्था के अन्तर्गत औषध निर्माता या आयात कर्त्ता द्वारा सरकार से अनुमोदित कराई गई मूल्य सूची है । डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं से उचित मूल्य लेने का प्रमाणीकृत आधार होता है । तथापि 7 मार्च, 1975 की अधिसूचना द्वारा इस आदेश से संबंधित अंशों का संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि कोई भी फुटकर विक्रेता किसी सूत्रयोग को उस सूत्र-योग के सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची में बताए गए मूल्य या उस सूत्रयोग के आवरण में लगे हुए लेबिल में छपे हुए मूल्य इनमें से जो भी मूल्य कम हो, से अधिक मूल्य न ले सकें । यह संशोधन 1 मई, 1975 से लागू हो जाएगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रेड में पदोन्नति के लिये पैनल की क्रियान्वित में विलम्ब

5353. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की सचिवालय सेवा (सहायक निदेशक/अवर सचिव) के ग्रेड 1 में पदोन्नति के लिये पनल की घोषणा 6 फरवरी, 1975 को कर दी गई है ;

(ख) क्या चुने गये अधिकारियों के स्थान पर पैनल न पाने वाले अधिकारियों के साथ असाधारण पक्षपात करने के उद्देश्य से उक्त पैनल की क्रियान्विति में विलम्ब किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तदर्थ व्यवस्था जारी रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त पैनल कब से लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). पैनल में उल्लिखित सभी 30 अधिकारियों को रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I में पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है ।

Application for Chemical Industries in Madhya Pradesh

†5354. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) the number of applications received by the Central Government upto December, 1974 for industrial licences for setting up chemical industries in Madhya Pradesh ; and

(*b*) the number of applications out of them disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) :(*a*) & (*b*). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposal to run Bombay Lucknow Janta Express Daily

†5355. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Rilways** be pleased to state :

(*a*) whether in view of the increasing number of passngers now travelling by Bombay Lucknow Bi-Weekly Janta Express Government propose to run it daily instead of bi-weekly.

(*b*) the average number of passengers travelling by this train daily at present ; and

(*c*) whether the number of passengers will increase when Bombay-Lucknow Janta Express will be run daily ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) No.

(*b*) Approximately 300.

(*c*) The number of passengers may increase to some extent. This may not justify the daily service.

Arrangements for distribution of Diesel and Kerosene Oil in M. P.

5356. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government for making arrangements for setting up depots for the distribution of diesel oil and kerosene oil in the rural areas of the State:

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI C. P. MAJHI): (a) to (c). No specific request has been received from Madhya Pradesh Government. However, IOC's present policy provides for award of agencies to the Agro Service Centres or State Agro Industries' Corporations provided these are operated either departmentally or by dealers appointed under IOC's unemployed graduates' Scheme. Apart from this, IOC also sets up retail outlets and Kerosene agencies on its own based on commercial considerations.

Retail sale of kerosene oil within the States is however the responsibility of the State Governments and it is them to strengthen the existing system of kerosene supplies in the rural areas.

Fourth Plan targets achieved for Railway Lines in madhya Pradesh

†5357. **Shri G. C. Dixit**: Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether the target set in the Fourth Five Year Plan for constructing new railway lines in Madhya Pradesh has been achieved ; and

(b) if not, the reasons therefor and the extent by which the target fell short?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) Targets for the construction of Railway Lines are not set State-wise. However, the position in respect of projects in Madhya Pradesh taken up or under consideration in the 4th Plan is given below:—

S. No.	Name of Line	Present position
1.	Guna-Maksi line (190 Kms. cost Rs. 10·51 crores).	Line is under construction and is expected to be completed in the current financial year.
2.	Dhalli Rajhara-Jagdalpur BG line (251 Kms. cost Rs. 27·60 crores.)	Final Location survey has been completed and the reports are under examination.
3.	Hirdagarh-Damua BG line (14·3 kms. cost Rs. 2·25 crores).	Work has been approved and included in the Budget for 1975-76.
4.	Mahoba-Khajuraho BG line (75 kms.)	Survey in progress.
5.	Ranchi-Korba BG line (100 kms.)	Survey in progress.
6.	Ratlam-Banswada BG line (80 Kms.)	Survey in progress.

क्विलोन-त्रिवेन्द्रम सेक्शन पर लेबल क्रासिंग की मांग

5358. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे के क्विलोन–त्रिवेन्द्रम सेक्शन पर कि० मि० 780/11–12 सड़क क्रासिंग पर फाटक लगाने की मांग उस क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी समय से की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, चेरुनीयर पंचायत के प्रधान ने अगस्त 1973 में अनुरोध किया था कि परवूर और वर्कला स्टेशनों के बीच कि० मि० 780/10–11 पर मवेशियों के आने जाने का जो मौजूदा रास्ता है उसके बदले, इसी स्थान पर एक समपार की व्यवस्था कर दी जाए ।

(ख) कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम खंड पर परवूर और वर्कला स्टेशनों के बीच कि० मी० 780/10-11 पर जिस समपार की मांग चेरुनीयूर पंचायत के प्रधान ने की है, वह एक अतिरिक्त सुविधा होगी। वर्तमान नियमों के अनुसार, ऐसे निर्माण कार्यों की लागत, अर्थात् प्रारम्भिक तथा वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण प्रभार आदि, संबंधित राज्य सरकार/सिविल प्राधिकरण को वहन करने होंगे। पंचायत के प्रधान को दक्षिण रेलवे ने सितम्बर, 1973 में तदनुसार स्थिति से अवगत करा दिया था। संबंधित प्राधिकरण से अभी तक रेलवे को कोई पक्का प्रस्ताव नहीं मिला है।

त्रिवेन्द्रम-क्विलोन सेक्शन पर अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशनों की स्थापना

5359. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के भारी यातायात वाले त्रिवेन्द्रम-क्विलोन सेक्शन पर गाड़ियों के विलम्ब से चलना रोकने के लिए अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशनों की स्थापना करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार का कितने अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन स्थापित करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). इस समय जितना यातायात हो रहा है उसके लिये कोई अतिरिक्त पार स्टेशन खोलना परिचालन की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। लेकिन थुम्बा इक्वेटोरियल के राकेट छोड़ने वाले स्टेशन के लिए काज़कुट्टम और वेली हाल्ट स्टेशनों के बीच किलोमीटर 817/10 पर निक्षेप की शर्तों पर एक नया पार स्टेशन बनाने की स्वीकृति दे दी गयी है। पार्टी द्वारा पूरी रकम जमा कर देने और आवश्यक करार के निष्पादित हो जाने पर यह काम आमान परिवर्तन के काम के साथ-साथ शुरू कर दिया जाएगा।

रेलवे द्वारा विज्ञापन पर व्यय की गई धनराशि

5360. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जोनल रेलवे, रेलवे बोर्ड और अन्य प्रतिष्ठानों ने प्रचार पर जिसमें विज्ञापन भी शामिल है, कुल कितनी धनराशि खर्च की ; और

(ख) प्रत्येक जोनल रेलवे, रेलवे बोर्ड और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा अंग्रेजी तथा मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं के विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे द्वारा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

5361. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक जोनल रेलवे, रेलवे बोर्ड तथा अन्य प्रतिष्ठानों में रेलवे कर्मचारियों को कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ; और

(ख) गत तीन वर्षों के उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल मजूरी बिल की तुलना में उक्त धनराशि का अनुपात कितना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9368/75]

Issue of "Indian Railway" Magazine in Hindi

5362. **Shri Narain Chand Parashar:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether a suggestion that the bi-monthly magazine "Indian Railway" be published in Hindi has been received;

(b) if so, the decision taken by Government thereon ;

(c) in case no decision has been taken, the reasons for the delay in this regard; and

(d) if the suggestion has been accepted, the date from which the Hindi version of the magazine is likely to be brought out ?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh):

(a) "Bharatiya Rail"—a monthly Hindi Journal is being published by the Indian Railways since August 1960 and is in the 15th year of its publication.

(b, c & d) Question does not arise.

रेलवे द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं/समाचार पत्रों पर व्यय

5363. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं/समाचारपत्रों के नाम क्या हैं और उनका प्रकाशन किन-किन भाषाओं में किया जाता है तथा उनका परिचालन कितना-कितना है ;

(ख) क्या उनमें अपने क्षेत्रों में हुए सब महत्वपूर्ण विकासों का उल्लेख किया गया है ;

(ग) इन पत्रिकाओं/समाचारपत्रों के प्रकाशन पर कितनी धनराशि खर्च हुई और प्रत्येक के कितने-कितने ग्राहक हैं ; और क्या इन्हें लोकप्रिय और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनमें तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के विचारों और उनकी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Supply of Hindi Typewriters to Offices.

5364 **Shri Sudhakar Pandey**: Will the **Minister of Railways** be pleased to state the action proposed to be taken to provide Hindi typewriters to those offices which have only English typewriters at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): Hindi typewriters are provided in all Railway Offices where there is a need for them.

मैसर्स बोम्बे डाइंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताएं

5365. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बोम्बे डाइंग कम्पनी लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तथा किस प्रकार की विभिन्न अनियमितताएं कीं ; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) :(क) कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के अभिलेखों के अनुसार, इस कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के पालन करने में कोई अनियमितता की गई, प्रतीत नहीं होती।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मैसर्स ग्लैक्सो लेब्रोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा की गई अनियमिततायें

5366. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्लैक्सो लेब्रोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तथा किस प्रकार की विभिन्न अनियमिततायें कीं ;

(ख) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). जहां तक पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का मैसर्स ग्लैक्सो लेब्रोरेटरीज (इंडिया) लि० से संबंध है, यह औषधों और उत्तम रसायनों का निर्माण करने में व्यस्त है। कुछ प्रपुंज औषधों का निर्माण करने के मामले में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन के उदाहरण गत तीन वर्षों के दौरान देखने में आये हैं। औषध सूत्रयोगों का निर्माण करने के संबंध में प्रत्येक सूत्रयोग की क्षमताओं का निश्चय नहीं किया जा सकता है क्योंकि कम्पनियों को समय समय पर प्रत्येक सूत्रयोग की क्षमताओं को निर्दिष्ट किए बिना प्रमाण-पत्र और अनुज्ञापत्र/अनापत्ति पत्रों द्वारा उसे शामिल कर लिया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि औषध सूत्रयोगों के बारे में उन्होंने क्षमता का अतिक्रमण किया है। उत्तम रसायनों के सिलसिले में कम्पनी ने कोई अत्यधिक उत्पादन नहीं किया है।

इस मंत्रालय को इस कम्पनी की ओर से अन्य किसी अनियमितताओं की कोई जानकारी नहीं है। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में फरवरी 1974 को औषध और भेषज की समिति की रिपोर्ट अभी हाल में मिली है ।

विभिन्न कम्पनियों द्वारा औषध का अत्यधिक उत्पादन जिसमें मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज भी शामिल है, के मामले का निर्णय करने के बाद किया जाएगा ।

मैसर्स सेंचुरी रेयन्स लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताएं

5367. **श्री सतपाल कपूर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सेंचुरी रेयन्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी और किस प्रकार की विभिन्न अनियमितताएं की गई ;

(ख) सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की ; और

(ग) क्या विभिन्न अनियमितताओं की जांच के लिये कोई जांच समिति स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). मैसस सेंचुरी रेयन्स लिमिटेड नाम से कोई कम्पनी नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य का निर्देश, सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड बम्बई के "सेंचुरी रेयन" प्रभाग की ओर है। इस कम्पनी की लेखा बहियों के, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण के आदेश दे दिये गये हैं एवं निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) वर्तमान में उत्पन्न नहीं होता ।

कैरिज एंड वैगन डिपुओं, लोको शैडों तथा कैरिज एंड वैगन शापों के फोरमैनों के लिये समान वेतनमान

5368. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियरों ने रेलवे बोर्ड से सिफारिश की है कि कैरिज एण्ड वैगन डिपुओं के फोरमैनों को वैसे ही वेतन-मान दिये, जाने चहियें जैसे कि लोको शैडों के फोरमैनों तथा कैरिज एण्ड वैगन शापों के फोरमैनों के लिए निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को अभी तक स्वीकार करने तथा क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेज मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छ में छिद्रण कार्य

5369. **डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में तट-दूर छिद्रीय-काय आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो कब; और

(ख) यदि नहीं, तो छिद्रण कार्य कब से आरम्भ होने की सम्भावना है और प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टिड) छिद्रण के लिये की गई तैयारी की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कच्छ अपतटीय भूगर्भीय सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और प्राप्त सामग्री को तैयार किया जा रहा है / व्याख्या की जा रही है । यह कार्य पूरे होने के बाद कुओं के व्यधन के बारे में निर्णय लिया जा सकता है ।

सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक निगमों द्वारा अनुचित व्यापार प्रक्रिया

5371. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के अध्यक्ष (चेयरमैन) ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक निगमों ने बिना किसी रुकावट के अनुचित व्यापार प्रक्रिया को अपनाया तथा एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सका ; और

(ख) तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेद व्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). वित्त मंत्रालय (ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज) ने 21 सितम्बर, 1974 को कम्पनी सचिव संस्थान के कलकत्ता सम्मेलन में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के अध्यक्ष द्वारा अभिव्यक्त मतों के विषय में कतिपय प्रैस रिपोर्टों पर कम्पनी का विभाग का ध्यान आकर्षित किया था, तथा विशिष्ट तथ्यों जिनमें आयोग ने श्री जी० एल० नयन के मत के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आचरण के विषय में अवलोकन

किया, जानना चाहा । श्री नैन द्वारा दिये गये भाषण का सम्बन्धित उद्धरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9369/75]

जब आयोग से उन कारणों के उल्लेख करने की प्रार्थना की गई कि जिस आधार पर श्री नैन ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विषय में अपने भाषण का अवलोकन किया था, तो आयोग के सचिव ने श्री नैन से यह सुनिश्चित करने के पश्चात् उत्तर दिया कि :—

(1) कि उनको व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और कलकत्ता यात्रा के सम्बन्ध में व्यय आयोग द्वारा नहीं किया गया था ।

(2) श्री नैन द्वारा अभिव्यक्त राय उनकी केवल व्यक्तिगत राय है और आयोग द्वारा किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या उसके अधिकारियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में, क्योंकि ये आयोग को कार्य सीमा में नहीं आते हैं, का कोई अध्ययन नहीं किया गया । श्री नयन ने सम्मेलन में व्यक्त की राय के आधार पर विशेष ब्यौरे देने हेतु ब्यूरों के दृष्टांत पर की गई विशिष्ट प्रार्थना के सम्बन्ध में, उन्होंने यह उल्लेख किया कि चूंकि उनके द्वारा अभिव्यक्त राय उनकी व्यक्तिगत राय थी इसलिए वह व्यक्तिगत सूचना जिस पर उनकी व्यक्तिगत राय आधारित थी सरकारी पत्राचार में प्रस्थापित करना उचित नहीं समझते ।

तथापि वित्त मंत्रालय (ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजेज) ने सूचित किया है कि ब्यूरो स्वयं इन आरोपों में देखता रहा है और सरकारी उपक्रमों द्वारा अनुचित व्यवहारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आई इसलिए ब्यूरों को सरकारी उपक्रमों द्वारा निरत होने की अनुचित प्रथाओं में विश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

दसगांव—मंगलौर रेलवे लाइन

5372. **श्री प० आर० शिवाय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसंगाव और मंगलौर के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन का अन्तिम सवक्षण का कार्य किस प्रकार चरण पर है ; और

(ख) इस अन्तिम सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने के लिए अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रत्नगिरी और मंगलूर के बीच स्थानिक जांच के साथ ही दासगांव से रत्नागिरी तक अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण का काम चल रहा हैं । अब तक क्षेत्र-कार्य में लगभग 21 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) सम्भावना है कि सर्वेक्षण का काम मार्च, 1976 तक पूरा हो जायेगा ।

ग्रीष्मावकाश के दौरान विशिष्ट गाड़ियां चलाया जाना

5373. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री के० लकप्पा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री वसन्त साठे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष अप्रैल से जुलाई तक ग्रीष्मावकाश की यात्री भीड़ के समाधान के लिए विशेष गाड़ियां चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष ग्रीष्मावकाश के दौरान चलाई जाने वाली नई अथवा अतिरिक्त सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी हां । यातायात की मात्रा और साधनों की उपलब्धता को देखते हुए 1975 की गर्मियों में अतिरिक्त यातायात की निकासी के लिए विभिन्न मार्गों पर लगभग 470 विशेष गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है । संलग्न विवरण में मार्गों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

1975 की गर्मियों में जिन मार्गों पर विशेष गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है :—

1. नई दिल्ली—मद्रास
2. बम्बई सेण्ट्रल—जम्मू तवी
3. बम्बई सेण्ट्रल—नयी दिल्ली
4. बम्बई वी० टी०—एर्णाकुलम
5. बम्बई वी० टी०—मद्रास
6. बम्बई वी० टी०—वाराणसी
7. बम्बई वी० टी०—पुणे
8. बम्बई वी० टी०—वास्को-ड-गामा
9. बम्बई वी० टी०—बेंगलूर
10. हावड़ा—मद्रास
11. हावड़ा—बम्बई वी० टी०
12. हावड़ा—अहमदाबाद
13. हावड़ा—लखनऊ
14. हावड़ा—मुजफ्फरपुर
15. सियालदह—न्यू जलपाईगुड़ी

16. बम्बई सेण्ट्रल—गांधीधाम

17. बम्बई सेण्ट्रल—वीरमगाम

18. अहमदाबाद—अजमेर

19. वीरमगाम—जामनगर

20. हावड़ा—मुगलसराय

बर्हाज बाजार तथा सतरांउ स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना

5374. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :**
श्री हरी सिंह :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के बर्हाज बाजार तथा सतरांउ स्टेशनों के बीच 3 मार्च, 1975 को गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण के बारे में जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : रेल संरक्षा के अपर आयुक्त उत्तर पूर्व सर्किल, गोरखपुर ने इस दुर्घटना की अपनी सांविधिक जांच की है । उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई । अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

गत हड़ताल के बाद गाड़ियों और इंजनों के पटरी से उतरने के मामलों में वृद्धि

5375. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बाद गाड़ियों और इंजनों के पटरी से उतरने के मामलों में वृद्धि होने के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार ने इनके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । 1-6-1974 से 28-2-1975 की अवधि में गाड़ियों और केवल इंजनों के पटरी से उतर जाने की 550 घटनाएं हुई जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ऐसी 457 दुर्घटनाएं हुई थीं ।

1-6-1974 से 28-2-1975 की अवधि के दौरान गाड़ियों और केवल इंजनों के पटरी से उतर जाने के कारण नीचे दिखाये गये हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(i) मानवीय त्रुटि . . .	341
(ii) उपस्कर की खराबी . .	108
(iii) संयोगवश	44
(iv) तोड़-फोड़ . . .	4
(v) कारण निश्चित नहीं गिया जा सका . .	8
(vi) कारण जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका	45

स्टेशनों पर सरकारी बुक स्टाल

5376. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय घोषित तथा स्वीकृत नीतियों के बावजूद भी, समूचे देश में स्टेशनों पर सहकारी बुक स्टाल खोलने के कार्य को बढ़ावा देने में धीमा रहा है तथा लगभग पहले के ही भांति इस क्षेत्र में एकाधिकार का प्रभुत्व विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा बेरोजगार स्नातकों और अन्य योग्य व्यक्तियों को इन स्टालों का ठेका दिये जाने के बारे में क्या नए प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत यह मंत्रालय इस योजना को लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयत्न करता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उसने आबंटन की शर्तों को भी शिथिल कर दिया था। शुरू में, बुक-स्टाल केवल बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों को ही आबंटित किये जा सकते थे लेकिन अब इस शर्त को शिथिल कर दिया गया है ताकि अब बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी / एसोशियेशनों के साथ-साथ व्यक्तिगत बेरोजगार स्नातकों को भी आबंटित किये जा सकें। उन स्टेशनों की संख्या भी 160 से बढ़ा कर 243 कर दी गई जहां बुक स्टाल ठेके दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1975–76 के दौरान कच्चे तेल का आयात

5377. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 के दौरान सरकार से स्वीकार के आधार पर तथा अन्यथा कच्चे तेल के आयात की कुल माता का अनुमान क्या है ?

(ख) दो प्रकार के आयातों में दर अन्तर क्या हैं तथा दोनों मामलों में भुगतान का तरीका क्या है; और

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कच्चे तेल के आयात को दुगुना कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि 1975–76 के दौरान लगभग 14 मिलियन मी० टन के अशोधित तेल का आयात किया जायेगा। कैलेण्डर वर्ष 1975 के लिए सरकार द्वारा द्विपक्षीय आधार पर अब तक 7.7 मिलियन मी० टन के कच्चे तेल का आयात करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) बर्मा शेल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० और काल्टैक्स के सम्बन्ध में अशोधित तेल के वर्तमान एफ० ओ० बी० मूल्य निम्न प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	एफ० ओ० बी० मूल्य (डालर प्रति बेरल)
1. वर्मा शैल	10.67 (लाइट इसनियन)
2. काल्टैक्स	10.46 (लाइट अरेबियन)
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	10.42 (अरेबियन पिक्स)

बर्मा शैल, काल्टैक्स और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के मामले में ऋण पत्रों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा द्विपक्षीय यंत्र में की गई अशोधित तेल के आयात की व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तों के बारे मे बताना वांछनीय नहीं है।

(ग) जी नहीं ।

Wagon shortage in Ratlam Division (Western Railway)

5379. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage in the availability of wagons in Ratlam Division (Western Railway) ;

(b) whether for this very reason goods have accumulated at stations of major mandis such as Neemuch, Mandsaur, Pipaliya, Jaora and Indore; and

(c) if so, the steps taken by authorities to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Vaitarna bridge and other bridges on Bombay-Delhi line

†5380. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri S. R. Damani:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the Vaitarna bridge was built and since when it has been in a dilapi dated condition; and

(b) the number of bridges on the Bombay-Delhi railway line which are being used even after the expiry of their life span?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Vaitarna Bridge was built in the year 1864. The bridge is not in dilapidated condition.

(b) The life-span of the bridges depends upon a number of factors like axle loads and longitudinal forces of the locomotives and wagons passing over the bridges, speeds, loads of trains and traffic density etc. in addition to age. Rebuilding/replacing of bridges is done on condition-cum need basis. It cannot be stated that any bridge is being used even after the expiry of its life span as it is always ensured that bridges needing rehabilitation/replacement are promptly strengthened rebuilt as necessary.

Import of Sulphur for preparing Sulphuric Acid

5381. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Ministry of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether sulphur worth 40 crore dollars is imported in the country every year for preparing sulphuric acid;

(b) whether large deposits of pyrite are available in Saladipura (Sikar District in Rajasthan) ;

(c) whether sulphuric acid is prepared from pyrtie;

(d) whether Government have made full study of Saladipura mining project and found it useful;

(e) if so, the reasons for delay in according approval for the project; and

(f) whether early approval of this project will result in considerable reduction in the import of sulphur and saving in foreign exchange?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) About 5·2 to 5·6 lakh tonnes of sulphur was imported during each of the years 1971-72 to 1973-74 valued at about Rs. 12 to 16 crores. On an average, about 80% of the sulphur imported is used for production of sulphuric acid.

(b) to (f). According to the feasibility report prepared by Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd., a sulphuric acid plant with a capacity of 6 lakh tonnes per annum could be set up based on pyrites deposits available at Saladipura. To the extent pyrites are used for production of sulphuric acid, sulphur import would be reduced with consequential saving in foreign exchange. This project is, however, linked with the setting up of a fertilizer complex in Rajasthan based on pyrites and rock phosphate available in the State. These are highly capital intensive and have not been included in the fertilizer programme as envisaged in the Fifth Plan document.

वर्ष 1975-76 के दौरान दिल्ली अथवा नई दिल्ली से और अधिक गाड़ियां चलाना

5383. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1975-76 के दौरान दिल्ली अथवा नई दिल्ली से अन्य स्टेशनों को कुछ और गाड़ियां चलाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मई 1975 में नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच हफ्ते में एक बार एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए फिलहाल केवल एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र में इस्पात का जमा हो जाना

5384. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र के यार्ड में हजारों टन इस्पात जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो माल को उठाने के लिए अधिक वैगन उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने में हुए 603,000 मीटरिक टन कच्चे लोहे के कुल उत्पादन में से, वर्ष के प्रारम्भिक भाग में रेल कर्मचारियों की हड़ताल और उसके परिणामस्वरूप संचालन में रुकावट पड़ने के बावजूद, इस अवधि में कुल 598,000 मीटरिक टन कच्चे लोहे की ढुलाई की गई ।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी सम्बन्धी गिरोह

5385. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में परिवहन के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी करने तथा उनमें तारपीन का अपमिश्रण करने सम्बन्धी एक गिरोह का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनका इसमें हाथ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई

5386. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Recommendations of Hathi Committee on Abolition of Brand Names of Drugs

5387. **Shri Chandra Shailani:** Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether panel of the Hathi Committee reviewing the various aspects of the medicine and drug industry has suggested that the brand names of the foreign drugs should be abolished;

(b) which are these drugs and who are the manufacturers thereof;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the time by which the final report of the Hathi Committee is to be submitted ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri K.R. Ganesh): (a) The Committee on Drugs & Pharmaceuticals has recommended a change-over to generic names in respect of 13 drugs identified by them, thereby involving a phased approach to the question of brand names.

(b) The names of the 13 bulk drugs and their manufacturers are given in the Annexure (Placed in library *See.* No. L.T.-9370/75)

(c) The interim report covering the aspect of substituting brand names of drugs by generic names was laid on the Table of the Sabha on 4-3-1975. It is presently under consideration of the Government.

(d) The final report has been received on the 6th April, 1975.

Indian offer to Afghanistan for Railway Project

†5388. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether India has offered to provide certain services and equipment to Afghanistan for their first railway project and if so, the extent thereof;

(b) whether India will have a direct rail-link with Afghanistan after the completion of this Project;

(c) how and to what extent India will be benefitted by this project; and

(d) the estimated amount to be spent on the assistantce to be given for this project by India?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) India has offered to provide consultancy services to cover the various stages of execution of railway projects covering a distance of approximately 1200 Kms. in Afghanistan.

(b) After completion of the projects India can have a direct rail link with Afghanistan through Pakistan.

(c) If India gets the consultancy it will help forge links with the Afghanistan Railway System, which will enable us to sell our expertise, know-how, railway equipment and rolling stock etc., and thereby earn valuable foreign exchange.

(d) The project is being planned by the Afghanistan Government with the loan obtained from Iran.

Oil exploration in Imphal

5389. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have come to know about the possibilities of finding oil in Imphal ;

(b) Whether Manipur Government have submitted a proposal to his Ministry regarding drilling of oil there; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) Oil and gas seepages had been noticed in the area in the past. However, investigations made did not confirm the presence of hydroc-arbons in significant quantities.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

तेल निर्यातकर्ता देशों (ओपेक) की अलजीयर्स में शिखर बैठक

5390. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल निर्यातकर्ता देशों की अलजीयर्स में हुई शिखर वार्ता से अवगत है ;

(ख) क्या शिखर बैठक का मुख्य विषय तेल की कीमतों को बहुत कम न होने देने के लिये सावधानी वर्तना तथा कार्यवाही करना था ;

(ग) क्या हमारी सरकार भी पैट्रालियम की कीमतों में उसी अनुपात से कमी करेंगी जितनी कि तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशों में तेल की कीमतों में कमी होगी ; और

(घ) भारत तथा अरब देशों में प्रति बैरल कच्चा तेल उत्पादन की तुलनात्मक लागत कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) उनकें शिखर वार्ता के दौरान पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के सदस्य देशों के मुख्य एवं प्रधानों ने वर्तमान विश्व आर्थिक संकट की समीक्षा की तथा संकट उत्पन्न होने के कारणों, जो अनेक वर्षों से निरन्तर बना हुआ है, के बारे में विचार विमर्श किया और अन्तर्राष्ट्रीय एकता तथा सहयोग के सन्दर्भ में अपनी जनता के न्याय संगत अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के लिए उनके द्वारा उठाये जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श किया।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) वर्तमान वर्ष के लिए अलग अलग राष्ट्रों में अशोधित तेल के उत्पादन की वास्तविक लागत की जानकारी नहीं है।

पिंडारा रोड हाल्ट पर प्रतीक्षालय का निर्माण

5391. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में फैंजाबाद सैक्शन पर वाराणसी और जौनपुर स्टेशनों के बीच पिंडारा रोड एक हाल्ट स्टेशन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ महीने पहले गत हड़ताल से पूर्व उक्त हाल्ट स्टेशन के लिये एक प्रतीक्षालय की मंजूरी दी गई थी ; और

(ग) उक्त प्रतीक्षालय का निर्माण कब होगा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर रेलवे के वाराणसी और जौनपुर स्टेशनों के बीच स्थित पिंडारा रोड एक हाल्ट है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर–टुंडला लाइन पर माल गाड़ियों और यात्री गाड़ियों को तेज़ी से चलाने के लिए बिजली के इंजन

5392. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और टुंडला के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली के इंजनों ने इस लाइन पर माल तथा तेज़ गाड़ियां और एक्सप्रैस गाड़ियां खेंचना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह लाइन कब तक प्रयोग होने लगेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में कोयले की संकटपूर्ण स्थिति

5393. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कोयले की स्थिति संकटपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से कुछ रेलों को निलम्बित किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। 1-4-1975 की स्थिति के अनसार उत्तर रेलवे के पास 4.4 दिन की खपत के लिए कोयले का स्टाक है ।

(ख) रद्द की गई 34 जोड़ी सवारी गाड़ियां 1-2-75 से फिर से चलने लगी हैं और शेष 2 जोड़ी गाड़ियां शीघ्र ही चला दी जायेंगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के व्यय में वृद्धि

5394. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का आगामी वर्ष अपनी पूंजी परिसम्पत्तियों के अर्जन, खोज कार्य और उत्पादन गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश तथा विदेश में अपनी गतिविधियों को तेज करने के लिए योजनायें बनाई हैं;

(घ) क्या इस दिशा में कोई उपाय आरम्भ किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख). 1974-75 के लिए 184.89 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्चे की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने हैड्रोकारबान्स के लिए अन्वेषण, विकास और उत्पादन कार्यकलापों के लिए 1975–76 में 255.36 करोड़ रुपये का खर्च करने का अनुमान है। इस में आयोग के समुद्रपार प्रचालनों सहित आयोग के तटवर्ती/अपतटवर्ती प्रचालनों का भी ध्यान रखा गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) 1974–75 के दौरान आयोग के तेल अन्वेषण कार्य निम्नलिखित हैं :—

(i) भारत के अधिकतर सभी राज्यों में भूगर्भीय और भूभौतिकी सर्वेक्षण;

(ii) गुजरात, असम, त्रिपुरा, राजस्थान तथा तमिलनाडु में अन्वेषण व्यधन कार्य;

(iii) उन के गुजरात तथा असम क्षेत्रों से तेल तथा गैस का उत्पादन;

(iv) बम्बई अपतटीय आदि में व्यधन कार्य ।

उपर्युक्त सभी कार्य 1975–76 के दौरान जारी रखने की योजना है। इस के अलावा 1975–76 के दौरान आयोग की निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

(i) पश्चिम बंगाल, जम्मू और काश्मीर तथा ईराक में अन्वेषण व्यधन;

(ii) जहां तक अपेक्षित हो, अन्वेषण व्यधन के लिए, शेष के रूप में व्यधन का विकास ;

(iii) अपतटीय में भूभौतिकी सर्वेक्षण;

(iv) बम्बई हाई से प्रथम चरण उत्पादन के लिए कार्य ।

आयोग की 1975–76 के दौरान 5.36 मिलियन मी० टन के उत्पादन की योजना है जब कि 1974–75 के लिए 45 मिलियन मी० टन अनुमानित था ।

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत को कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

5395. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री अनादि चरण दास :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त अरब अमीरात भारत को उदारतापूर्ण शर्तों पर कच्चे तेल की सप्लाई करने को सहमत हो गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : जी हां ।

पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का पुनरीक्षण

5396. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का पुनरीक्षण करने के लिये हाल में कोई हिसाब किताब लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन का मंत्रालय लगाये गये हिसाब किताब के आधार पर अपनी तेल आयात नीति में कुछ परिवर्तन करने के बारे में भी विचार कर रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). सरकार ने मार्च, 1974 में तेल मूल्य निर्धारण समिति की स्थापना अन्य बातों के साथ पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के बारे में नहीं की थी। समिति ने 3 फरवरी, 1975 को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह अन्तिम रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

गत तीन वर्षों के दौरान सियालदह डिवीजन में की गयी चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्ति

5397. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन को गत तीन वर्षों के दौरान सियालदह डिवीजन में चोरी के आरोप में रेलवे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेल सम्पत्ति की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस डिवीजन में इस सबम्न्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल०टी० 9371/75]।

(ख) 1972, 1973 और 1974 के दौरान जितनी सम्पत्ति (बुक किये गये परेषण) गम हुई उस का मूल्य क्रमसः 17,00,534 रुपये, 16,91,506 रुपये और 34,86,066 रुपये था।

(ग) सियालदह मंडल पर चोरियों की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) लोहा, सीमेंट, चीनी, आनाज, चाय आदि जैसी भारी वजन वाली बहुमूल्य वस्तुओं को ढ़ोने वाली सभी गाड़ियों पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र मार्गरक्षक तैनात किये जाते हैं।

(2) रेलगे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के काम में कड़ाई लायी गयी है।

(3) रेल अपराधियों को पकड़ने के लिये पश्चिम बंगाल पुलिस के रेलवे खुफिया सैल के साथ रेलवे सुरक्षा दल के मंडल अधिकारियों द्वारा निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(4) रेल पथ पर गश्त लगाने के अलावा प्रभावित स्थलों पर सशस्त्र पहरेदार तैनात किये जाते हैं।

(5) भेद्य क्षेत्रों में तैनात जिम्मेदार बदमाशों पर निगरानी रखने के लिए रेलवे सुरक्षा दल खुफिया पुलिस के सादे पोशाक वाले कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(6) गाड़ियों में अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के मार्ग रक्षक तैनात किये जाते हैं।

सियालदह–बनगांव लाइन पर रेल डिब्बों की स्थिति

5388. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री शकर नारायण सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह-बनगांव लाइन पर अधिकांश रेल डिब्बों में बत्ती तथा पंखे नहीं हैं ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन पंखों की लगभग 55 प्रतिशत कमी है। इन कमियों की ओर लगातार ध्यान दिया जाता है और क्रम से उनके स्थान पर दूसरे पंखे लगा दिये जाते हैं। बार-बार होने वाली चोरियों और बदमाशों की हरकतों से यह कमी और बढ़ जाती है।

गत दस महीनों के दौरान बिहार में जन आन्दोलन के फलस्वरूप नई चलाई गई गाड़ियां

5399. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस महीनों के दौरान बिहार में जन-आन्दोलन के कारण कुछ गाड़ियों को नहीं चलाया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने उसके परिणामस्वरूप जो हानि हुई उसके बारे में कोई मूल्यांकन किया हैं ; और

(ग) इस अवधि में गाड़ियों की सुरक्षा पर सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी ?

रेल मत्रालय में उप मत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, मई, 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि में बिहार में आन्दोलनों के परिणामस्वरूप कुल 242 जोड़ी सवारी गाड़ियां और 579 माल गाड़ियां रद्द की गयीं।

(ख) जी हां, लगभग 57.80 लाख रुपये।

(ग) कुछ नहीं।

वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान सियालदह डिवीजन में दुर्घटना

5400. **श्री एस० एम० पुरती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान सियालदह डिवीजन में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में वर्ष-वार क्या कार्यवाही की गयी थी तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1972 के दौरान पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में 14 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं अर्थात गाड़ियों की टक्कर होने की 2 और पटरी से उतर जाने की 10 तथा आग लगने की दो घटनाएं हुईं। वर्ष 1973 के दौरान गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की केवल 9 दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) इन सभी दुर्घटनाओं की पूरी जांच की गयी और इस प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाएं इसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय किये गये। इसके अतिरिक्त रेल कर्मचारियों में संरक्षा की चेतना पैदा करने के लिए जांच-पड़ताल और अभियान चलाये गये। परिणामतः 1972 में गाड़ी दुर्घटनाओं की जो संख्या 14 थी वह 1973 में घटकर 9 रह गयी। यह सुधार 1974 में भी कायम रहा।

गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ कर्मचारी

5401. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात मे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एककों में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके वेतनों, दक्षता तथा अनुभव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कर्मचारियों में से कितनों को गुजरात से भर्ती किया जाता है तथा कैसे ; और

(घ) भाग (ग) सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल०टी० 9372/75]

(ग) और (घ) पदों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोग के मुख्यालय में केन्द्रित रूप में की जाती है, राज्यवार स्तर पर भर्ती के लिए कोई अलग कोटा नहीं है।

सौराष्ट्र क्षेत्र में गाड़ियों की धीमी गति

5402. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ मेल, कीर्ति एक्सप्रैस, भावनगर मेल तथा अन्य रेल गाड़ियां धीमी गति से चलाई जाती हैं ;

(ख) क्या उक्त गाड़ियां डीज़ल इंजन वाली हैं ;

(ग) क्या सरकार इन गाड़ियों की गति तथा कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। ये गाड़ियां रेलपथ और कर्षण की वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत अधिकतम अनुमत रफ्तार पर चलायी जाती हैं और अन्य रेलों पर चलने वाली इसी तरह की गाड़ियों के समकक्ष स्थिति में हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में घटिया और निम्न स्तर की खान-पान व्यवस्था के बारे में शिकायतें

5403. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिम रेलवे क्षेत्र में लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों से घटिया और निम्न स्तर की खान-पान व्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी हां।

(ग) किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) परम्परागत भोजन यानों में भोजन तैयार करने के बजाय परोसने के लिए तैयार भोजन प्रणाली शुरू की गयी है। यह भोजन रास्ते में सुविधाजनक स्थलों पर बनाये गये आधुनिक रसोईघरों में तैयार किया जाता है। इससे स्वच्छ वातावरण में बेहतर किस्म का भोजन तैयार होता है।

(2) पाक विद्या की आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग जैसे गर्म डिब्बों की व्यवस्था, उष्मा-रोधी ट्रालियों, रेफ्रिजरेटरों, कीटाणुनाशकों, धुलाई मशीनों, पेय पदार्थों को गर्म रखने के लिए थर्मस आदि की व्यवस्था।

(3) बेहतर किस्म के कच्चे माल की खरीद और सप्लाई।

(4) किस्म और सेवा को संतोषजनक स्तर सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निरीक्षण।

(5) खान-पान स्थापनाओं में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है।

(6) सभी शिकायतों की पूरी छान-बीन की जाती है और उसके बाद पर्याप्त और निवारक कार्यवाही की जाती है।

आयल इंडिया लिमिटेड के सरकारीकरण की मांग

5405. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी:
श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से आयल इण्डिया लिमिटेड के सरकारीकरण की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 15 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक ज्ञापन-पत्र जिसमें अन्य बातों के साथ यह सुझाव भी शामिल है, प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

आरक्षित पदों तथा पदोन्नतियों के मामलों के लिए अर्ध न्यायिक ट्रिबुनल

5406. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन ने एक सांविधिक योजना बनाने की मांग की थी जिसके अन्तर्गत रेलवे सेवा में पदों तथा पदोन्नतियों के आरक्षण के बारे में उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय करने के लिये एक अर्ध-न्यायिक ट्रिबुनल की नियुक्ति की व्यवस्था हो ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), इस तरह की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सुधार कार्यक्रम

5407. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1975-76 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड़ डिवीजन में स्टेशन-वार और रेलगाड़ी-वार रेलवे उपभोक्ताओं के लिये किन विशिष्ट सुधारों का सुझाव दिया गया है और बजट में कितनी धनराशि रखी गयी है ;

(ख) क्या उड़ीसा में किन्हीं स्टेशनों को व्यापक सुधार कार्यक्रम के लिये चुना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और उनमें किन सुधारों का सुझाव दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खारधा रोड मंडल के स्टेशनों पर निम्नलिखि' सुधार-कार्यों को वित्तीय वर्ष 1975–76 में शामिल किया गया है :—

कार्य का विवरण	1975–76 में की गयी धन की व्यवस्था
	रुपये
1. भद्रक—200 फुट लम्बी प्लेटफार्म की छत की व्यवस्था	1000.00
2. खोरधा रोड—200 फुट लम्बी प्लेट फार्म की छत की व्यवस्था . .	72000.00
3. कटक—400 फुट लम्बी प्लेटफार्म की छत की व्यवस्था .	1000.00
4. बहरामपुर—450 फुट लम्बी प्लेटफार्म की छत की व्यवस्था .	50000.00
5. पुरी—400 फुट लम्बी प्लेटफार्म की छत की व्यवस्था . .	1000.00

1975–76 में गाड़ीवार किसी विशिष्ट सुधार कार्य का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्दुआपाड़ा रेल स्टेशन पर बिजली लगाया जाना

5408. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के केन्दुआपाड़ा रेल स्टेशन पर बिजली लगाने का प्रस्तावित कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भदरक रेल स्टेशन पर घोषणा के लिए माइक की व्यवस्था

5409. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों की सुविधा हेतु किसी रेल स्टेशन पर माइक–व्यवस्था का औचित्य किन मूल विशेषताओं पर आधारित होता है ;

(ख) क्या दक्षिण–पूर्व रेलवे का भदरक रेल स्टेशन ऐसी व्यवस्था की सभी विशेतायें पूरी करता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां क्या कमियां हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सूचना प्रसारण प्रणाली की व्यवस्था वहां पर आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या तथा स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या को ध्यान रख कर की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भद्रक स्टेशन पर होने वाले यात्री यातायात की मात्रा के लिए इस स्टेशन पर सूचना प्रसारण प्रणाली की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है। इस स्टशन पर अप दिशा से 10 और डाउन दिशा से 10 गाड़ियां प्रति दिन आती-जाती हैं और प्रत्येक गाड़ी से बुक किये गये यात्रियों की संख्या का औसत केवल 40 बैठता है।

कटक रेल स्टेशन पर सड़क व उपरि-पुल

5410. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक रेल स्टेशन पर सड़क व उपरि-पुल के शीघ्र निर्माण करने में राज्य सरकार ने क्या विशिष्ट कठिनाइयां बताई हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की, ताकि जन-लाभ के लिये यह अत्यधिक अपेक्षित पुल शीघ्र तैयार हो जाये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). कटक रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल के लिए स्थान का चुनाव करने के बारे में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। तीन वैकल्पिक प्रस्तावों में से स्थान के अन्तिम चुनाव के बारे में उड़ीसा सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

एरणाकुलम– त्रिवेन्द्रम और शोरानूर–ओलावा–कोट लाइनों पर रद्द की गई रेल गाड़ियां

5411. **श्री वरके जार्ज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एरणाकुलम–त्रिवेन्द्रम और शोरानूर ओलावाकोट लाइनों पर कोयले के अभाव के कारण रद्दकी गई 50 प्रतिशत रेल गाड़ियों को अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) रद्द की गई रेलगाड़ियों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) एरणाकुलम–कोल्लम/तिरुवनन्तपुरम खंड पर चलने वाली 26 गाड़ियों में से इस समय केवल 8 और ओलवकोट–शोरानूर खण्ड पर चलने वाली 20 गाड़ियों में से 4 गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द हैं।

(ख) और (ग). रैल इंजन कोयले की उपलब्धता में सुधार होने के साथ-साथ रद्द की गयी अपेक्षित गाड़ियों को उत्तरोत्तर फिर से चलाया जा रहा है।

बम्बई स्थित समुद्रतटीय तेल शोधक कारखानों का विस्तार

5412. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित समुद्रतटीय तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने या नये मूलभूत (ग्रास रूट) तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर कोई दबाव डाला गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आबूधाबी से तेल का आयात

5413. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

पं० हरि प्रसाद शर्मा :

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 1975 में आबूधावी से तेल क्रय करेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या इस बारे में कोई करार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ). 1975 के दौरान एक मिलियन अशोधित तेल के आयात के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ एक करार किया गया है। अन्य ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

डिगबोई तेल शोधक कारखाने के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव

5414. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिगबोई तेल शोधक कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस समय इसमें कितनी पूंजी लगी हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). पैट्रोलियम शोधनशालाओं और विपणन कम्पनियों के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण प्राप्त करने की घोषित नीति के अनुसार डिगबोई शोधनशाला भी उचित समय में सरकारी क्षेत्र में लाई जायेगी।

(ग) 31-12-74 को असम तेल कम्पनी में लगाई गई पूंजी 883.25 लाख रुपये थी।

सरकारी क्षेत्र के औषध निर्मात्री एककों के कार्यकारी अधिकारियों की बैठक

5415. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने औषध तथा भेषज का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के चार उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई थी, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग). सस्ते आवश्यक औषधों को लाखों लोगों को उपलब्ध कराने के लिए और मानक स्थापित करने के लिये जिनको दूसरों के साथ प्रतियोगिता की आवश्यकता होगी, पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व देने की आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए और संगठित रूप से इसे देश भर में अनुसंधान नई प्रक्रियाओं और औषधों के विकास और संबद्ध अनुसंधान को बढ़ाने के लिये संगठनों और विश्व-विद्यालयों से संबंध करते हुए औषधों और रसायनों के उत्पादन से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक सम्मेलन 12 और 13 मार्च, 1975 को बुलाया गया था।

चर्चा का विषय बहुत विस्तृत था, जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्रीय हित की प्राथमिकताओं जिनके अन्तर्गत आगामी वर्षों में सरकारी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता होगी से संबंधित नीति के मामले और उनके ब्यौरे शामिल हैं सरकारी क्षेत्र और राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के बीच स्थापित किये जाने वाले संबंधों, मूल्य निर्धारण का ढांचा सरकारी क्षेत्र का सम्पूर्ण औषध उद्योग से संबंध और कच्चे माल, वित्त व्यवस्था, लाइसेंस जारी करने में होने वाली कठिनाइयों, जो कि सरकारी क्षेत्र के विकास को रोक सकती हैं। सम्बन्धित विशिष्ट कठिनाइयों पर भी विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन इस बात पर सहमत हो गया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, प्रपुं औषधों के निर्माण के अतिरिक्त, मध्यवर्ती पदार्थों और सूत्र योगों का उत्पादन भी हाथ में ले लेना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि सरकारी क्षेत्र उन औषधों, जिनके संबंध में देश में पहले ही प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी, के उत्पादन को बढ़ा सकता था।

इस संदर्भ में सम्मेलन ने एक सुदृढ़ अनुसंधान और विकास आधार की आवश्यकता व्यक्त की और यह निर्णय किया कि सरकारी क्षेत्र के संगठनों की कुल बिक्री के मूल्य के कुछ भाग को अनुसंधान और विकास कार्य कलापों के लिये प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसका एक भाग संबंधित कम्पनी द्वारा स्वयं प्रयोग लाया जा सकता है और शेष को अनुसंधान संगठनों को दिया जा सकता है।

सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई कि अपने कार्य कलापों में समन्वय रखने के लिये एक सामूहिक नीति समूह, जिसमें चार सरकारी क्षेत्र संगठनों के मुख्य प्रशासक सम्मिलित हों, की स्थापना की जाय उनको पिछले वर्षों की तुलना में भावी योजना के लिये संतुलित एकीकृत दष्टिकोण अपनाने में समर्थ बनाने के लिये, इसे "ब्रेन ट्रस्ट" के रूप में कार्य करना चाहिए।

तेल उत्पादक देशों द्वारा "बाम्बे हाई" का तटदूर छिद्रण कार्य

5416. **श्री वसन्त साठे :**

श्री भाऊसाहेब धामनकर :

क्या **पेट्रोलियम और रासयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई तेल उत्पादक देशों ने "बाम्बे हाई" में तटदूर छिद्रण के लिये रुचि व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा जिन पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"जेन्टामाईसिन" के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी

5417. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 'जेन्टामाईसीन' का उत्पादन करने के लिये हंगरी जैसे रुपये के आधार पर व्यापार करने वाले देश से 'जेन्टामाईसीन' का निर्माण करने की तकनीकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) : भारत हंगरी की संयुक्त बैठक के सम्बन्ध में भारत का दौरा करने वाले हंगरी के विशेषज्ञों के साथ हुए बठक में विचार-विमर्श में हंगरी पक्ष के नेता हंगरी फार्मास्यूटिकल्स इण्डस्ट्री के अध्यक्ष ने किया। उन्होंने भारत में सरकारी क्षेत्र द्वारा जेन्टामाइसीन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी सहायता देने की स्वीकृति दी।

हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि०, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना के दौरान कथित औषध के उत्पादन कार्य करने का प्रस्ताव है, को कहा गया है कि इस सम्बन्ध में हंगरी

फार्मास्यूटिकल्स लि० इण्डस्ट्री के साथ बातचीत करें। हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० को इस प्रतिजीवी के उत्पादन के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव अभी प्रस्तुत करने हैं।

औषध उद्योग में विदेशी सहयोग

5418. **श्री रानेन सेन :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योग में कितनी विदेशी फर्में सहयोग कर रही हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में उनकी परिसम्पत्तियां क्या हैं ;

(ख) सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र में उनका उत्पादन क्या है ; और

(ग) इन फर्मों ने गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि भारत से बाहर भेजी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र में 26% या उससे अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली 62 कम्पनियां हैं जिनमें वर्ष 1973–74 के अंतर्गत अनुमानतः लगभग 210 रु० करोड़ की पूंजी लगी हुई सरकारी क्षेत्र की 2 कंपनियां आई०डी० पी०एल० और एच०ए०एल०—जो औषधों के निर्माण में लगी हुई हैं, में कोई विदेशी साम्य पूंजी भागीदारी नहीं है। उपरोक्त अवधि में इनमें कुल 70.79 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। आई०डी०पी०एल० की स्थपना रूस के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से की गई थी। एच०ए०एल० ने बन्जाथीन पेन्सिलीन के निर्माण हेतु अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स से, स्ट्रप्टोमाईसीन सल्फेट के निर्माण हेतु ग्लैक्सों से जिसके लिए सहयोगियों ने अपने स्ट्रेन निशुल्क दिए हैं तथा सेमीसिन्थेटिक पेन्सलीन के निर्माण संबंधी जानकारी अमेरिका के मसर्स अमेरिकन होम प्रोडक्टस कार्पोरेशन लिमिटेड से ली गई है।

इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियां भी हैं जिनमें से कुछ में 25% तक विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है तथा अन्यों में कोई साम्य पूंजी भागीदारी नहीं है; और इन कंपनियों ने कुछ विशिष्ट मदों के निर्माण हेतु भागीदारी की शर्तों के बारे में अनुमति ले ली हैं।

(ख) संगठित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1973/1973–74 में औषधों का वार्षिक उत्पादन, जैसा कि कंपनियों द्वारा बताया गया है, निम्नलिखित था :—

क्षेत्र	कुल बिक्री (रु० करोड़ में)
सरकारी	27.93
50% तक विदेशी साम्य पूंजी वाली कंपनियों सहित भारतीय कंपनियां	181.00
58% या उससे अधिक विदेशी साम्य-पूंजी वाली फर्में . .	166.33

(ग) 25% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कंपनियों द्वारा वर्ष 1971, 1972 और 1973 के अंतर्गत विदेशों को भेजी गई पूंजी के ब्योरे दिनांक 26-11-1974 और 25-3-1975 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2031 और 4813, और 18 मार्च, 1975 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3846 और 3707, के उत्तर में दिए जा चुके हैं। मेसर्स हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स लि० द्वारा मसर्स वेथ इन्टरनेशनल लि० (जो कि मेसस अमेरिकन क्षेत्र प्रोडक्ट्स लि० के एजेन्ट हैं) तथा मेसर्स मर्क शार्प एण्ड ढोम को भेजी गई पूंजी के ब्यौरे नीचे दिखाए गए हैं :—

(आंकड़े रूपयों में)

कंपनी का नाम	(भेजी गई पूंजी (शुद्ध रायल्टी)
मेसर्स वेथ इन्टरनेशनल लि०	जुलाई 1970 से मार्च 1971 तक 2525.83 अप्रेल 1971 से मार्च 1972 तक 3284.03 अप्रेल 1972 से अक्टूबर 1972 तक 3351.47
मसर्स मर्क शार्प एण्ड ढोम	1971-72--1,94,246 1972-73--1,99,381 1973-74--शून्य

उर्वरकों के उत्पादन हेतु आयातित सल्फर आवंटन

5419. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों तथा अन्य रक्षित आवश्यकताओं के लिए, कुल आयातित सल्फर का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में डो०जो०टो०डी० और एस०एस०आई० के एककों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी मात्रा मिली है ; और

(ग) डो०जी०टो०डी० और एस०एस०आई० को सल्फर के कुल आयात का कितना प्रतिशत दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"बाम्बे हाई" में तेल के निक्षेप

5420. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "बाम्बे हाई" क्षेत्र में तेल के कुल निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या आगामी 15 वर्षों में अशोधित तेल के वार्षिक उत्पादन के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन वास्तव में कब आरम्भ होगा और कब तक अधिकतम उत्पादन होना आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). अब तक बम्बई हाई क्षेत्र में खोदे गए तीन कुओं में तेलयुक्त संस्तर पाये गये हैं और उत्पादन परीक्षणों ने तेल का अच्छा बहाव दिखाया है। इस समय इस क्षेत्र में एक चौथे कुएं का व्यधन किया जा रहा है। इस संरचना की उत्पादन संभाव्यता का मूल्यांकन करने से पूर्व कुछ अन्य कुओं का व्यधन करना आवश्यक है। फिलहाल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 1976–77 के दौरान उत्पादन के एक मध्यवर्ती स्तर को स्थापित करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। ताकि वह बम्बई हाई से एक मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष की दर से तेल का उत्पादन करने में समर्थ हो सके।

माल डिब्बों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान

5421. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वर्षों के लिये भारतीय रेलवे को विभिन्न प्रकार के अनुमानतः कितने अतिरिक्त माल डिब्बों की आवश्यकता होगी और इस संबंध में उपयुक्त क्रयादेश कब तक दे दिये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : माल डिब्बों की आवश्यकता का हिसाब एक योजना अवधि के लिए लगाया जाता है न कि केवल एक वर्ष के लिए 1 पांचवीं योजना के लिए जितने माल यातायात का लक्ष्य रखा गया है उसके लिए 1,00,000 माल डिब्बे उपलब्ध करने का विचार है और लगभग 38,000 माल डिब्बों के लिए पहले ही आर्डर दिये जा चुके हैं। आवश्यकता के अनुसार क्रमशः अधिक माल डिब्बों के लिए आर्डर दिये जायेंगे बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

5422. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये 1972 में एक समिति की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) समिति की सिफारिशों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है :—

(i) संस्थान को अपने क्रिया-कलापों को सांविधानिक और संसदीय अध्ययन के क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहिए और उन क्रिया-कलापों को छोड़ देना चाहिए जिनका उसके उद्देश्यों से प्रत्यक्षतः संबंध नहीं है। उसे ऐसे क्षेत्रों पर अपने साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए जो उसके क्रिया-कलापों की मुख्य बातों से संबंधित नहीं है।

(ii) संस्थान को तदर्थ विदेशी अनुदान की मदद से अपनी पूर्विकताओं और उद्देश्यों से विचलित होने से बचाने के लिए संस्था संबंधी इंतजाम किये जाने चाहिए।

(iii) संस्थान को सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना किसी विदेशी या देशी साधन से, कोई अनुदान/दान स्वीकार नहीं करना चाहिए और ना ही उसे अपने कार्यकरण में सलाह देने के लिए किसी विदेशी परामर्शदाता को नियुक्त करना चाहिए। विदेशी बैंकों में स्थित निधियों/निक्षेपों को भारत में अन्तरित किया जाना चाहिए।

(iv) संस्थान को अपनी संरचना में परिवर्तन करने तथा अपने प्रबन्ध और दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए अपने संगम-ज्ञापन तथा नियमों में संशोधन करना चाहिए।

(v) संस्थान को अपने कर्मचारियों की बाबत अन्य बातों के साथ-साथ उनकी भर्ती सेवा की शर्तें, जिम्मेदारियों का आबंटन आदि को लागू होने वाले व्यापक नियम बनाना चाहिए।

(vi) प्रारम्भ में संस्थान को 4 लाख रु० का वार्षिक आवर्ती सहायता–अनुदान मंजूर किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि वह संस्थान समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का जिम्मा ले।

(घ) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

Installed capacity of Railway Wagon building Industry

5423. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the installed capacity of the Railway Wagon Building Industry is 35,000 wagons a year;

(b) the number of wagons manufactured in 1971, 1972 and 1973, year-wise as against the manufacturing capacity and the reasons for the low production; and

(c) the number of wagons in demand at present and the time by which the demand will be met ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b). The annual installed capacity of 13 Wagon Building Units in the Industry, who are currently engaged in production of wagons is 30625 in terms of four wheelers. The actual production in 1971-72, 1972-73 and 1973-74 in terms of four wheelers and as percentage of the installed capacity are as under:—

Year	Production	As Percentage of the total installed capacity
1971-72	6,543·5	21%
1972-73	8,987	29%
1973-74	10,279	33·5%

(c) Orders for 16,122 wagons in terms of four wheelers had been Placed on the Wagon Building Industry against 1973-74 Rolling Stock Programme. The delivery is to be completed by 31-3-1976. As on 1-4-4975, the Wagon Builders have outstanding load to the tune of 24,000 wagons in terms of four wheelers which represents about two years average load on the basis of their current production capability. However, tenders for procurement of about 14,000 wagons in terms of four wheelers against 1974-75 Rolling Stock Programm e are under consideration.

Expenditure incurred on imports of Crude and Petroleum products

†5424. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the year-wise expenditure incurred on import of crude oil, Petrol and Petroleum products respectively in each of the years, 1973-74 and 1974-75 as against 1971-72; and

(b) the extent to which the imports of crude oil, Petrol and petroleum products were reduced as against the imports of 1971-72 due to the rise in their prices

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) & (b). The required information is given in the Table below:

Q=Mn. Tonnes
V=CIF value in Rs. crores

Period	Imports			
	Crude Oil		Petroleum products	
	Q	V	Q	V
1971-72	13·0	147·02	2·1	46·88
1973-74 . . .	13·9	416·39	2·0	141·56
1974-75 (Provisional)	13·9	907·00	2·7	223·00

Values of passes and P. T. Os. to Railway staff.

†5425. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of the passes and privilege ticket orders given to railway staff in 1972-73 and 1973-74, reparately; and

(b) the number of Railway employees at present who are given free passes and privileged ticket orders indicating the categories there of and the basis on which these are given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) The value of the Passes and privilege ticket orders given to the railway staff in 1972-73 and 1973-74 is Rs. 48·35 crores and Rs. 56·29 crores respectively.

(b) The total number of staff as on 31st March, 1974 category-wise is given below:—

Class I & II	Class III	Class IV	Total (in thousands)
8·8	621·7	801·0	1431·5

The existing scale of Passes and PTOs is as under:—

	Nos. of seats per annum	
	PASSES	PTOs
(i) Class I & II	6	6
(ii) Class III & IV		
(a) upto 5 yrs' service.	1	6
(b) after 5 yrs' service.	3	6

Free railway passes to organisations and persons

†5426 **Shri Ramavatar Shastri.**

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether some organisations and persons have been issued passes by the railways for free travel in the trains;

(b) if so, the names thereof and the class for which they have been issued the passes;

(c) the reasons and justification for the issuance of free passes to them

(d) whether Government propose to cancel these passes; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) Yes.

(b) A list is attached. [*Placed in Library -See No. LT.* 9373/75]

(c) Persons or canisations who deserve them on the basis of the work that they do either the railways or the country, are issu d such passes.

(d) No.

(e) Does not arise.

कैरेज एण्ड वैगन डिपार्टमेंट में ट्रेन एग्जामिनरों के लिए उच्चतर ग्रेड

5427. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्कशापों में तकनीकी सुपरवाइजरों के मामले में उच्चतर ग्रेडों में पदों के वितरण की प्रतिशतता 63 है जबकि करेज एण्ड वैगन ब्रांच (ओपन लाइन) इसकी प्रतिशतता केवल 8 है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रेन एग्जामिनरों के अधिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रख कर जो रेल गाड़ियों की गति और भारवहन में वृद्धि के कारण और बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार कैरेज एण्ड वैगन विभाग में भी उच्चतर ग्रडों की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। एक विवरण संलग्न है।

(ख) पदोन्नति में अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से तीसरी श्रेणी के सभी संवर्गों में, जिनमें गाड़ी परीक्षकों का संवर्ग भी शामिल है, पदों के ग्रेड-वार वितरण की इस समग्र समीक्षा की जा रही है। संवर्गों की पुनः संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

कारखानों में तकनीकी पर्यवक्षकों में से केवल चार्जमैनों के पद प्रतिशत के आधार पर इस प्रकार विभाजित किये जाते हैं :—

पदनाम	संशोधित वेतनमान	प्रतिशत
	रु०	
चार्जमन 'ए'	550—750	28
चार्जमन 'बी'	425—700	72

सभी रेलों के आधार पर गाड़ी परीक्षक जो सवारी और माल-डिब्बा विभाग (चालू लाइन) में तकनीकी पर्यवेक्षक होते हैं, के पदों के विभाजन की स्थिति इस समय इस प्रकार है :—

पदनाम	संशोधित वेतनमान	प्रतिशत
	रु०	
मुख्य गाड़ी परीक्षक .	700—900)	11.7
प्रधान गाड़ी परीक्षक . .	550—750)	
गाड़ी परीक्षक . . .	425—700	88.3

Running Over of a Person at Khusropur station on the eve of Shivratri

†5428 **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Shivratari fair is held in Baithakpur village near Khusropur station of Eastern Railway every year in which thousands of people participate;

(b) if so, whether there is too much rush in the trains on the said occasion;

(c) whether on the 11th March, 1975 (on Shivratri day) there was great rush in 383 Up train of passengers going to the fair and the train was allowed to leave the station immediately without halting it for a longer period as to other days as a result of which a person died after being turn over by the train ; and

(d) If so, the punishment given to the person held guilty for this and the assistance given by Government to the family of the deceased person?

The Deputy Minister in the ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) Yes, but this is not an important fair.

(b) No.

(c) 383 Up Mokameh-Danapur passenger is scheduled to stop at Khusropur for a duration of one minute and on 11-3-1975, this train stopped as per schedule. One ticketless passenger was runover while detraining from the moving train on that day.

(d) No one was held responsible for this and no compensation was paid as the person involved was a ticketless passenger.

Lathi Charge in Barauni Refinery

5429. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether soldiers of the Central Industrial Security Force had made barbarous lathi charge at the gate of the Barauni refinery on 26th February, under the order of their Inspector Sardar Ladhmir Singh resulting in injuries to several workers ;

(b) if so, the causes of making lathi charge ; and

(c) action taken by Government against the guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi)

(a) to (c) : Some workers of the Barauni Refinery who had gone out of the Refinery premises during the lunch break, over stayed the period of the lunch break and tried to force their way into the refinery premises along with the personnel of the second shift. The security guards of the

Central Industrial Security Force objected to the entry of the workers who over stayed the lunch break and the workers resented this action of CISF. In the trouble that followed, the workers allegedly indulged in throwing brick bats and manhandling the CISF men on duty. The workmen alleged that a security guard of the CISE mis-behaved with a woman. The CISF resorted to lathi charge to disperse a large gathering of violent workmen. During the indent, 12 workers and 6 to 7 security guards were injured; 3 workers and 2 security guards were hospitalised. Both sides have lodged complaints with the local police and the civil authorities are carrying out investigations.

पहली अप्रैल, 1956 से पूर्व सेवा निवृत्त हुये रेल कर्मचारियों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान

5430. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली अप्रल, 1956 से पूर्व सेवा निवत्त हुए रेल कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जा रहा है, यदि हां, तो किस दर से और किन आधारों पर ;

(ख) क्या यह अनुग्रहपूर्वक भुगतान अंशदाई भविष्य निधि तथा सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले उन अन्य लाभों के अतिरिक्त दिया जा रहा है जिनका भुगतान इन कर्मचारियों को तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत किया गया था ;

(ग) ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पहली अप्रैल, 1956 के बाद सेवा निवृत्त हुए किन्तु उन्होंने अंशदायी भविष्य निधि के लिये विकल्प दिया ; और

(घ) क्या पहली अप्रैल, 1956 के पश्चात् सेवा निवृत्त हुए इस श्रेणी के कर्मचारियों को उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुग्रहपूर्वक भुगतान नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जो रेल कर्मचारी भारतीय (सरकारी) रेलों से एक अप्रल, 1957 (न कि एक अप्रैल, 1956) से पहले सेवा-निवृत्त हो गये थे उन्हें 1-1-1967 से अनुग्रह पेंशन दी गयी थी, बशर्ते उन्होंने सेवा-निवृत्त से पहले 20 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो। अनुग्रह पेंशन की वर्तमान दरें 55 रुपये से 80.50 रुपये मासिक के बीच है। मैं अनुग्रह पेंशन इस बात को ध्यान में रखकर मंजूर की गयी थी कि ऐसे रेल कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन सेवा निवृत्त हुए थे और रैलों पर 1957 में जो पेंशन योजना लागू हुई थी, उसके लिए विकल्प देने का कोई अवसर उन्हें नहीं मिला था।

(ख) यह अनुग्रह पेंशन सेवा-निवृत्त के उन लाभों के अलावा है जो इस समय मौजूद अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत दिये गये थे।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जो रेल कर्मचारी एक अप्रैल, 1957 (न कि एक अप्रैल 1956) को या इसके बाद सेवा निवृत्त हुए थे उन्हें पेंशन योजना चुनने के कई अवसर दिये गये हैं। तदनुसार, इन कर्मचारियों के मामले में कोई अनुग्रह पेंशन देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जो कर्मचारी एक अप्रैल 1957 को या इसके बाद अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन सेवा-निवृत्त हुए थे उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया था।

मारुति हैवी व्हिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

5431. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति हैवी व्हिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक तथा अन्य पदाधारियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन पदाधारियों में से प्रत्येक की परिलब्धियां क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1973–74 में कम्पनी की कुल बिक्री कितनी थी और वित्तीय वर्ष 1974–75 के पहले 10 महीनों में उसकी बिक्री क्या थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स मारुति हैवी व्हिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में निम्नलिखित चार निदेशक समाविष्ट हैं :—

(1) श्रीमती सोनिया गांधी

(2) संजय गांधी

(3) किशन लाल जालान

(4) ओम प्रकाश मोदी

आज के दिन तक कम्पनी ने कोई सचिव नियुक्त नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) कम्पनी का 22–2–1974 को पंजीकरण किया गया था। इसलिए इसके प्रथम वार्षिक लेखे अभी देय नहीं हैं और कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इन लेखों की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

राज्यों को मिट्टी का तेल, डीजल तथा पेट्रोल का आवंटन

5432. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम मन्त्रालय पर विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल का आवंटन करने का उत्तरदायित्व है ;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1974 और जनवरी और फरवरी 1975 को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इनका कितना आवंटन किया गया ;

(ग) क्या भागलपुर जिला, बिहार के बांका सब डिवीजन में पेट्रोल की भारी कमी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या यह शिकायत भी प्राप्त हुई है कि अधिकांश व्यापारी तथा वितरक सरकारी मूल्य से अधिक में डीजल तथा मिट्टी का तेल बेच रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) (क) मिट्टी के तेल के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के कोटों का राज्यवार आधार पर कोई आवंटन किया जाता है।

(ख) एक अवधि में मिट्टी के तेल का आवंटन युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०–9374/75]

(ग) जी, हां। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ii) जांच करने पर यह पता चला है कि यह कमी उत्पादों के किसी प्रकार की कमी के कारण नहीं हुई थी अपितु कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण, जैसे फुटकर पम्पों से कम उठान, अधिक निवेश के कारण, डीलरों द्वारा मोटर स्पिरिट का स्टाक न करना, अत्यधिक बकाया ऋण, परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों आदि, हुई थी। मोटर स्पिरिट की बिक्री करने के लिए लाइसेंसीकृत समस्त डीलरों द्वारा हर समय उत्पादन को उपलब्ध करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए तेल कम्पनियों को उपयुक्त अनुदेश जारी करने के अतिरिक्त कमी, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो।

(घ) और (ङ) डीलरों द्वारा डीजल तेल तथा पेट्रोल पर सेवा खर्च लगाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तेल कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं कि डीलर एच०एस०डी० तथा पेट्रोल पर सेवा खर्च न लगायें तथापि इसका सम्बन्ध एच०एस०डी० तथा पेट्रोल की बिक्री पर डीलरों को उचित लाभ नियत करने के प्रश्न से है। डीलरों के कमीशन के प्रश्न को तेल मूल्य समिति को भेजा गया है, समिति की अन्तिम रिपोर्ट सितम्बर 1975 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। मिट्टी के तेल के फुटकर मूल्य शिकायतों की राज्य सरकार जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने में सक्षम है, द्वारा जांच की जाती है।

नई दिल्ली स्टेशन पर काम करने वाले पार्सल कर्मचारियों द्वारा बम्बई को चावल की तस्करी

5433. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी दिल्ली स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा बंबई को चावल की तस्करी के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 को पूछ गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध पार्सल क्लर्क काम पर नहीं आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बिना अनुमति प्राप्त किये अनुपस्थित रहने के लिए उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

Wrong delivery of rake of coal belonging to Udaipur Cement Works Udaipur

†5434. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a rake of coal belonging to Udaipur Cement Works, Udaipur (Rajasthan) has been delivered to some other company instead of delivering it to the said company;

(b) if so, the nature of punishment given to railway employees found guilty for this misdeed and the preventive steps taken to check such incidents in future; and

(c) the compensation given to the affected party ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) Yes.

(b) No body is held responsible as diversion was done on operational grounds. Such diversion are resorted to only occasionally under unavoidable circumstances.

(c) Claim for compensation has been received from the Udaipur Cement Works, Udaipur, only on 3-3-1975 and this is being processed for settlement.

बम्बई के गहरे समुद्र में खोदे गये कुएं

5435. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के गहरे समुद्र में अब तक कितने कुएं खोदे गए हैं तथा वर्ष 1975 और 1976 के दौरान कितने कुएं खोदे जाने का विचार है ; और

(ख) क्या वाणिज्यिक आधार पर तेल निकालने के हेतु अपेक्षित उपकरणों के लिए क्रयादेश दिए गए हैं और यदि हां, तो कब, किसको तथा किन उपकरणों के लिए क्रयादेश दिए गए हैं तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) बम्बई हाई क्षेत्र पर तीन कुओं का पहले ही व्यधन किया गया है और चौथे कुएं का व्यधन किया जा रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अगले दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में, लगभग 18 और कुओं की खुदाई की योजना है।

(ख) अब तक नहीं, परन्तु 1976–77 के दौरान बम्बई हाई से लगभग 1 मिलियन मी० टन के तेल का उत्पादन करने को ध्यान रख कर कदम उठाए जा रहे हैं।

किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने की कसौटी

5436. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की दृष्टि से किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने की क्या कसौटी है ;

(ख) इस प्रकार किन क्षेत्रों को रेलवे की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है ;

(ग) महाराष्ट्र में कोंकण नामक तटीय क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है ; और

(घ) कोंकण रेलवे को पिछड़े क्षेत्रों के लिए रेल लाइनों की सूची में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). रेल मंत्रालय इस संबंध में मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों के निर्णयों के अनुसार कार्य करता है। इस मंत्रालय में रेलों के लिए पिछड़े हुए समझे जाने वाले क्षेत्रों की कोई सूची नहीं रखी जाती क्योंकि जब और जैसे राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जाती है, पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। यदि ऐसा समझा जाता है कि कोई क्षेत्र रेलों द्वारा भलिभांति सेवित नहीं हैं और एक रेलवे लाइन की व्यवस्था से पिछड़े हुए क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा तब उस पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

(ग) और (घ). आप्ता से मेंगलूरु तक एक रेलवे लाइन का निर्माण, जो कि कोंकण के पिछड़े हुए क्षेत्र में पड़ती है, देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी जाने वाली इलानों की सूची में शामिल कर लिया गया है। आप्ता से दसगांव तक लाइन बनाने के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। दसगांव से रत्नागिरी तक, जिसमें रत्नागिरी से मेंगलूरु के बीच स्थानों की जांच भी शामिल है, अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण जारी है। जब सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और रिपोर्टों की जांच कर ली जायेगी तब इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। बशर्ते इस काम के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

गत तीन वर्षों में निदेशक बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति

5437. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों में निदेशक बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किये गये ; और

(ख) सरकारी प्रतिनिधियों ने इन कम्पनियों को घाटे से बचाने में कितनी सहायता की ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों की अवधि में निम्नलिखित प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मंडल में दो व्यक्तियों को नियुक्त किया:—

कम्पनियों के नाम

1. आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा।
2. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।
3. श्री चांगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई।
4. नासिक देवलाली इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।
5. बेलापुर शुगर एंड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई।
6. पूना इलैक्ट्रिकल एंड इन्ड, कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।
7. ग्रेट ईस्टर्न होटल लिमिटेड, कलकत्ता।
8. डब्ल्यु एच० ब्रेडी एंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।
9. सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटड, कालिकट।
10. शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटे , कलकत्ता।
11. नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई।
12. इंडियन नेशनल प्रैस (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिये, यह आवश्यक नहीं है कि कम्पनी घाटे में हो। इस प्रकार की नियुक्तियां, जिनमें कम्पनी का कार्य उस व्यवहार में सम्पन्न किया जा रहा है। जो कम्पनी के किन्हीं सदस्यों को पीडित करे या कम्पनी या जनहित के विपरीत हो, तो की जाती है। सरकारी नामिता द्वारा की जाने वाली पड़ताल के कारण, कम्पनी के कार्यकरण में प्रगति हुई है। जहां सरकारी निदेशक प्रभावी सिद्ध हो सके उन मामलों में जैसे मैसर्स वैलापुर शुगर एंड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रेयान लिमिटेड में प्रगति सूचित की गई है।

कम्पनियों का परिसमापन

5438. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान जिन कम्पनियों का परिसमापन हुआ, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन वर्षों के दौरान किन किन कम्पनियों के निदेशक बोर्डों के विरुद्ध कुप्रबंध के लिये कार्यवाही की गई ; और

(ग) प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायगा।

उड़ीसा में डीज़ल और मिट्टी का तेल के वितरण केन्द्रों की व्यवस्था

5439. **श्री गजाधर माझी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के देहाती क्षेत्रों में काफी संख्या में डीज़ल और मिट्टी के तेल के वितरण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) संयुक्त विकास खंड स्तर की वितरण एजेंसियों के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ मिट्टी के तेल के वितरण के लिये उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। उड़ीसा सरकार ने एच० एस० डी० और अन्य कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसानों के लिये इंधन वितरण केन्द्रों की शीघ्र स्थापना करने हेतु भी निवेदन किया है।

(ख) आई० ओ० सी० की वर्तमान नीति में एग्रो सर्विस सेन्टर्स अथवा स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन को एजेंसियां देने की व्यवस्था है। बशर्ते कि इनका संचालन या तो विभागीय रूप में किया जाय अथवा आई० ओ० सी० की बेरोजगार स्नातकों की योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये डीलरों द्वारा किया जाय। इसके अतिरिक्त आई० ओ० सी० वाणिज्यिक महत्वों पर आधारित अपने फुट कर बिक्री केन्द्रों और मिट्टी के तेल की एजेंसियों की भी स्थापना करती है। आई० ओ० सी० ने उड़ीसा

में अनेक मिट्टी के तेल की नई एजेंसियों की योजना बनाई है। तथापि, पुनर्वास के महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर इन एजेंसियों को अपंगु रक्षा कामकों, भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है।

राज्यों के अन्तर्गत मिट्टी के तेल के वितरण का दायित्व राज्य सरकार पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिये विद्यमान फुटकर बिक्री संगठन को सुदृढ़ करना राज्य सरकार का काम है।

Steps to link Delhi with other State Capitals

†5440. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) the names of the State Capitals in the country which are linked with direct train services and the number of those which have not been provided with railway services at all;

(b) whether Government propose to take some effective steps to link Delhi and other State Capitals with direct railway services; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) A statement indicating the availability of through travel facility between Delhi / New Delhi and the State capitals is attached.

(b) and (c). wherever direct rail link is available through trains or with change of gauge at convenient point are already provided between the various State Capitals and Delhi, except in case of Bangalore, Introduction of a direct train between Bangalore and New Delhi is not operationally feasible at present for want of spare line capacity on sections enroute and will be kept in view when additional resources become available.

Statement

Name of the State	Headquarters
(a) *Direct trains* :	
Andhra Pradesh	Hyderabad
Bihar	Patna
Gujarat	Gandhinagar (Ahmedabad)
Haryana	Chandigarh
Jammu & Kashmir	Jammu (Winter Capital)
Madhya Pradesh	Bhopal
Maharashtra	Bombay
Orissa	Bhubaneshwar
Punjab	Chandigarh
Rajasthan	Jaipur
Tamil Nadu	Madras
Uttar Pradesh	Lucknow
West Bengal	Calcutta
(b) *Connected trains with change of Gauge* :	
Assam	Dispur (Gauhati)
Himachal Pradesh	Simla
Kerala	Trivandrum

Name of the State	Headquarters	
(c) *Through coaches* :		
Karnataka	Bangalore	
(d) *Rail cum connected road services* :		*Rail-head*
Jammu & Kashmir	Srinagar (Summer capital)	Jammu Tawi
Meghalaya	Shillong	Gauhati
Manipur	Imphal	Dimapur
Nagaland	Kohima	Dimapur
Tripura	Agartala	Dharmanagar

Thefts at stations in Dhanbad Division with the connivance of Railway Employees

†5441. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether large scale incidents of theft occur with the connivance of railway employees at various stations of Dhanbad division of Eastern Railway particularly at the Stations falling between Gaya and Gomoh stations;

(b) whether Government recently unearthed a big gang of thieves and goods worth lakhs of rupees were also recovered ; and

(c) the facts of the incident, the number of suspects arrested, the number among them of railway employees and of outsiders and the preventive measures taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Some cases of thefts with the connivance of railway employees have come to notice in Gaya-Gomoh Section of the Dhanbad Division of the Eastern Railway.

(b) Yes, on 28-2-75, one such gang operating at Koderma has been unearthed and property suspected to have stolen from the Railways and cash amounting to about Rs. 1,05,000/- have been recovered.

(c) On 28-2-75, a team consisting of Officers from the Central Crime Bureau of the Railway Board and Bihar CID and other State Police officials conducted searches in railway quarters at Railway Station Koderma and Jhumri Talaiya town of Bihar. As a result of these searches, some property suspected to have been stolen from the Railways and cash amounting to about Rs. 1,05,000/- were recovered, and 3 Rakshaks of the Railway Protection Force and one other Railway employee were arrested. One more railway employee wanted in the case is absconding.

Apart from conventional security measures such as guarding of yards, goods sheds and escorting of trains carrying valuable consignments, collection of intelligence has been intensified. Officers and railway staff who have been found lax in their duties and supervision have been ordered to be transferred out of Dhanbad Division. Close liaison is also being maintained with the State Police authorities investigating this case.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न नगरों और दिल्ली के बीच तेज गति से चलने वाली बिजली की रेलगाड़ी चलाना

5442. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न नगरों और दिल्ली के बीच तेज गति से चलने वाली बिजली की रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की रेलगाड़ियां शुरू करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Fire in a coach of train at Banmor Station

5443. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a coach of a train caught fire at Banmor railway station, 11 miles away from Gwalior on the 7th March, 1975;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the estimated amount of loss suffered as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) On 7-3-1975 one wagon on 545 Down Parcel train caught fire at Banmor station.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) The loss caused as a result of this accident is under assessment.

M/s. J. B. Mangharam and Company Pvt. Ltd.

5444. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 662 on 21st February, 1975 regarding commodities exported by M/s J. B. Mangharam and Company, M/s Jivan Foods, Bombay, Factory in Hyderabad and state:

(a) whether the Director of J.B. Manghzram Company Private Limited has made his sons lease holders by entering into a mutual agreement with them and if so, whether the terms and conditions among other things are as under:

(1) 3 per cent lease money on total sale not exceeding Rs. 6 lakhs;

(2) lease holders would pay the lessor up to Rs. 50 lakhs free of interest;

(3) lease holders would pay the lessor interest upto Rs. 12·5 lakhs every year on all hundi liabilities;

(4) lease holder would bear all the court expenses of the lessor; and

(b) whether these conditions come under the Companies Act and if not, the action proposed to be taken by Government against these lease holders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) It is reported that Shri Balchand Menghraj Pamnani, proprietor of M/s. J. B. Mangharam & Co., Gwalior (the licensor) has granted licence and permission to M/s. J. B. Mangharam & Pvt. Ltd. New Delhi (the licensee) to carry on the business of manufacturing biscuits, confectionary etc. hitherto carried on by the licensor.

(b) Such agreements are not required to be filed by the company with the Registrar of Companies. An inspection of the books of accounts of the company under sec. 209A of the Companies Act, 1956 has been ordered and the report is awaited.

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रस्ताव

5445. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम और केन्द्रीय सरकार को राज्यों में कोयले पर आधारित तीन उर्वरक परियोजनायें स्थापित करने के बारे में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले पर कब तक निर्णय किया जायगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यमें सम्भाव्य स्थलों का सुझाव दिया है । इन स्थानों के संबंध में प्रौद्योगिक-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन करने के बारे में भारतीय उर्वरक निगम को कहा गया है ।

Allotment of Catering and other Stalls to Societies on Eastern Railways

†5446. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken that catering and other stalls at stations should be allotted to societies afresh;

(b) if so, the number of societies which have been allotted catering and other stalls on the Eastern Railways so far during the year 1974-75; and

(c) the names of the societies which have been allotted stalls and the number of members thereof as also the terms and conditions on which stalls have been allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) It is presumed that the question is regarding allotment of stalls to co-operative societies. No decision has been taken to the effect that catering and other stalls at stations should be allotted to societies afresh. However, when fresh contracts are offered or old contracts are replaced the policy is to allot catering and vending stalls to co-operative societies in preference over others. Similarly, contracts for book-stalls are also awarded to co-operatives, partnership/associations of unemployed graduates as well as individual unemployed graduates in preference to others.

(b) and (c). Do not arise.

माल डिब्बों का तोड़ा जाना, चोरी और खाद्यान्न वाले डिब्बों का खो जाना

5447. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में (एक) मालडिब्बे तोड़े जाने, (दो) चोरी किये जाने और (तीन) खाद्यान्न वाले डिब्बों के खोये जाने के समाचार प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार को कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में ऐसी गतिविधियों में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों, रेलवे पुलिस, राजनैतिक तत्वों तथा अन्य प्रभावशाली तत्वों के हाथ होने की शिकायतें सरकार को मिली हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन गतिविधियों की जांच करने और उपचारात्मक उपायों के सुझाव देने के लिये सेवा निवृत्त न्यायाधीशों, केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अध्यक्षों तथा आसूचना विभागों के अन्य उच्च अधिकारियों से युक्त एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे के इन समस्याओं के साथ निपटने के लिये वैकल्पिक उपाय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अनाज और दालों के गुम हो जाने, उनकी चोरी तथा उठाईगीरी के कारण रेलों द्वारा 1972–73, 1973–74 और 1974–75 (सितम्बर, 1974 तक) भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि इस प्रकार रही:—

वर्ष	अनाजों और दालों के खोने, चोरियों तथा उठाईगीरी के कारण भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रुपयों में)
1972–73	79.31
1973–74	207.38
1974–75 . . (सितम्बर, 74 तक)	99.78

(ग) जी हां, रेल कर्मचारियों का हाथ होने के कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं। हाल ही के एक मामले में अपराध में शामिल रेल कर्मचारियों के साथ एक राजनीतिज्ञ के सम्बन्ध होने का पता चला है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) परेषणों के खोने, उनकी चोरी, उठाईगिरी तथा क्षति की रोकथाम के उद्देश्य से रेलों द्वारा किये गये उपायों* में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) भेद्य खण्डों में लोहा तथा इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि के लिए रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा माल गाड़ियों का मार्ग रक्षण,

(2) भेद्य तथा बड़े यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त,

(3) अपराधियों तथा चोरी के माल का लेन-देन करने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से रेलों के अपराध आसूचना विभाग तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराध आसूचना एकत्र करना और अचानक छापे मारना,

(4) सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा-दल और रेल कर्मचारियों के बीच निकट समन्वय रखना,

(5) चीनी, अनाजों, दालों, तिलहनों आदि माल डिब्बा भार परेषणों के मामले में पल्ले वाले दरवाजों की सुरक्षा हेतु निभार के उपबन्धों पर बल,

(6) परेषणों को इधर उधर भटक जाने से बचाने के लिए समुचित मार्का लगाना, ठीक ठीक पता लिखना और लेबिल लगाना,

(7) बहुमूल्य सामान से लदे माल डिब्बों में रिबिट लगाने के लिए नट और बोल्टों का उपयोग ।

(8) माल डिब्बों का समुचित अनुरक्षण ताकि माल डिब्बों के खराब होने की घटनाएं, जिसके कारण वे रुके रहते हैं और यानान्तरण में विलम्ब होता है, कम से कम हों और भीग जाने से क्षति और दरवाजों तथा सुराखों से होने वाली उठाईगीरी को कम किया जा सके।

(9) खराब माल डिब्बों का संचलन कम करने के उद्देश्य से मरम्मत लाइनों, यार्डों और माल गोदामों में पेनल कटे माल डिब्बों में पेबन्द लगाना ।

(10) चढ़ाने और उतारने के समय पकेजों का समुचित पर्यवेक्षण तथा सावधानीपूर्वक उनका मिलान करना ।

(11) आमान यानान्तरण स्थानों तथा पुनः पेकिंग स्थलों का सघन पर्यवेक्षण, और

(12) कर्मचारियों का दायित्व शीघ्र निर्धारित करना ।

पानीहाटी क्षेत्र में रेलवे भूमि पर शरणार्थी हरिजन बस्ती

5448. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद् सदस्य तथा भूमि मुक्ति समिति के अध्यक्ष द्वारा पश्चिम बंगाल के 24 परगना के पानीहाटी क्षेत्र में व्यक्त रेलवे भूमि पर बेघर शरणार्थी हरिजन बस्ती के बारे में राज्य मंत्री को 8 मार्च, 1974 को एक अभ्यावेदन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं ;

(ग) क्या पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सूचना दी थी कि इस रेलवे भूमि पर अधिकतर शरणार्थी हरिजन बस्ती बसाने की अनुमति देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस शरणार्थी हरिजन बस्ती को उसी भूमि पर बने रहने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जसा कि अन्य खाली एवं अप्रयुक्त भूमि के टुकड़ों पर शरणार्थियों को बसाने के अन्य मामलों में किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन इस विषय में श्री समर गुहा, संसद् सदस्य तथा अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 8–3–75 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र में तटदूर तेल खोज

5449. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र में तेल की तटदूर खोज के लिये अन्तिम रूप से कार्यक्रम बना लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कार्यक्रम के समय सूची सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) प्रस्तावित खोज कार्य किन एजेंसियों को दिया गया है ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल के समुद्रतट से दूर महाद्वीप सेल्फ क्षेत्रों को अन्वेषण तथा उड़ीसा के कुछ भागों के लिए ठेका कार्ल्सबरग–नेटोम्स ग्रुप को दे दिया गया है। ठेके के क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण से संरचना संभावनाओं का पता चला है। परन्तु ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से काफी दूरी पर है। अतः विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण का कार्य भी आरम्भ करने को तैयार किया गया है। और इन सर्वेक्षणों को तैयार और व्याख्या करने से प्राप्त आंकड़ों के पश्चात् ही कुओं के व्यधन के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा होने पर और उपयुक्त गश्ती अपतटीय रिग की उपलब्धता पर अन्वेषण व्यधन इस वर्ष के अन्तिम तिमाही में शायद आरम्भ हो जाए।

हल्दिया उर्वरक परियोजना के कार्य में बाधायें

5450. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित हल्दिया उर्वरक परियोजना को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने और इसमें उत्पादन आरम्भ हो जाने की निर्धारित अवधि क्या है ; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र चालू करने के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) 152,000 मी० टन नाइट्रोजन एवं 75,000 मी० टन पी2 ओ5 के उत्पादन के लिए हल्दिया पर एक उर्वरक प्रायोजना को 1972 में कार्यान्वित करने हेतु हाथ में लिया गया था। इस प्रायोजना पर जो ईंधन तेल के सम्भरण माल पर आधारित है, पर लगभग 40 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घटक के साथ लगभग 187 करोड़ रुपये के लागत का इस समय अनुमान है, श्रमिक समस्याओं के कारण मिट्टी के ढेर को बराबर करने के कार्य की धीमी प्रगति तथा उपकरण की डिलीवरी में विलम्ब के कारण इस प्रायोजना के निर्माण कार्य में मुख्यतः कुछ विलम्ब हुआ। हल्दिया में भूमि स्थिति के कारण इस प्रायोजना के आधार पर शिला को पूरा करने के लिए लगभग 6800 मिट्टी के ढेरों को बराबर करने की आवश्यकता हुई। आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों को तेज करने के लिए ठेकेदारों के असफलता विनिर्माण माल को लाने ले जाने के हेतु वैगनों की कमी तथा बाद में मुख्य ठेकेदार के श्रमिकों के बीच श्रमिक अशान्ति के कारण मिट्टी के ढेरों को बराबर करने में प्रगति कार्य आरम्भतः धीमा हुआ। फरवरी, 1975 के अन्त तक केवल 2700 मिट्टी के ढेरों को बराबर किया गया। अतिरिक्त ठेकेदारों तथा रिगों को लगाकर मिट्टी के ढेरों को बराबर करने के कार्य को शीघ्र करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। औद्योगिक तालमेल को प्रोत्साहन देने एवं इसे प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग एवं सहायता भी प्राप्त की गई है इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मिट्टी के ढेर को बराबर करने की प्रगति में सुधार हुआ है।

इस प्रायोजना के लिए उपकरण के आदेश देने का कार्य पूर्ण होने वाला है तथा आयातित उपकरण स्थल पर आने प्रारम्भ हो गये हैं। तथापि उपकरण का निर्माण तथा सप्लाई जिसके लिए देशीय सप्लायरों को आर्डर दिये गये हैं, चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इन उपकरणों के डिलीवरी में कोई विलम्ब न हो भारतीय उर्वरक निगम अब सप्लायर के वर्कशाप पर उपकरणों के निर्माण पर निकट ध्यान रख रहा है। अक्टूबर, 1977 तक प्रायोजना के पूर्ण हो जाने की आशा है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

5451. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं :

(ख) ऐसे कुल कितने मामले हैं जो सभी उच्च न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं : और

(ग) क्या सरकार पुराने मामलों का 1976 से पूर्व निपटान करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 31-12-1974 को उच्चतम न्यायालय में 9,191 मामले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे।

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसकी बाबत यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि 31–12–1974 को स्थिति क्या थी, शेष उच्च न्यायालयों में 31-12-1974 को

1,08,575 मामले दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 30-6-1974 को 45,643 मामले दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे।

(ग) समय सीमा की बाबत कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारत के मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश लम्बित मामलों का सदैव पुनर्विलोकन करते रहते हैं और बकाया मामलों को निपटाने के लिए सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

विवरण

31-12-1974 को दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या
1	इलाहाबाद	उपलब्ध नहीं है
2	आन्ध्र प्रदेश	1,773
3	मुम्बई	16,620
4	कलकत्ता	37,165
5	दिल्ली	10,271
6	गोहाटी	857
7	गुजरात	1,687
8	हिमाचल प्रदेश	257
9	जम्मू-काश्मीर	234
10	कर्नाटक	1,145
11	केरल	4,047
12	मध्य प्रदेश	4,517
13	मद्रास	4,592
14	उड़ीसा	670
15	पटना	4,724
16	पंजाब और हरियाणा	14,903
17	राजस्थान	5,113
	योग	1,08,575

रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा और तोड़-फोड़ के मामले

5452. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रेलवे कर्मचारियों की सही संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध हिंसा और तोड़-फोड़ के आरोपों पर मुकद्दमें दायर किये गये हैं ; और

(ख) कितने मामलों में संबंधित रेल कर्मचारी हिंसा और तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए दोषी पाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस समय लगभग 440 कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा और तोड़-फोड़ के आरोप में न्यायालयों में मामले चल रहे हैं ।

उत्तर रेलवे में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खान-पान के ठेके

5453. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में गत दो वर्षों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कोई खान-पान के ठेके दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार, ऐसे किन-किन व्यक्तियों को ये ठेके दिये गये तथा इन व्यक्तियों के पते क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां । 9–11–1973 को दिल्ली सदर बाजार रेलवे स्टेशन पर श्री जगन्नाथ मार्फत श्री मुरारीलाल, मकान नं० 1290, वैदवाड़ा, मालीवाड़ा, दिल्ली को एक खोमचे का एक ठेका आवंटित किया गया था।

उत्तर रेलवे में शिक्षित बेरोजगारों को 'बुक स्टाल्स' के ठेके

5454. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में उत्तर रेलवे में शिक्षित बेरोजगारों को कोई 'बुक स्टाल' ठेकें पर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को तीन बुक-स्टालों के ठेके दिये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नाम और पता	स्टेशन, जहां बुक-स्टाल का ठका दिया गया	जिस वर्ष में दिया गया
1. नत्तर्त ब्रह्म कपूर, राम आश्रम कालोनी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद और एस० के० सिंघल, आनन्द भवन, प्रशादी लाल रोड, मुरादाबाद ।	रुड़की	1975
2. श्री राजिन्द्र सिंह, मार्फत खालसा बेकरी, मौसमा बाजार, लाल चौक, श्रीनगर, काश्मीर।	जम्मू तवी	1975
3. श्री सतीश त्रिखा, 890 लक्ष्मीबाई नगर, नयी दिल्ली।	दिल्ली किशनगंज	1975

सिक्किम से संसद् सदस्य का निर्वाचन

5455. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम से संसद सदस्य का निर्वाचन करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) सिक्किम से लोक सभा में स्थान भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) संसद् में सिक्किम से प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया के बारे में आवश्यक विधान पुरःस्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

भूमिगत रेलवे के बारे में रूस के दल द्वारा कलकत्ता का दौरा

5456. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत रेलवे के बारे में रूस के एक दल ने हाल ही में कलकत्ता का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी दल का विवरण क्या है और उन्होंने क्या टिप्पणी की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जून, 1974 के बाद रूस का कोई दल कलकत्ता नहीं आया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद

5457. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने अस्थायी पद थे जो गत तीन वर्षों से अस्तित्व में थे और जिनकी अनिश्चित काल के लिये बने रहने की संभावना है ; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं जैसाकि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है, सूचना इस प्रकार है :—

श्रेणी I	65
श्रेणी II	42
श्रेणी III	491
श्रेणी IV	110

सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और कार्यभार के महत्व के आधार पर जिन पदों के स्थायी रूप से बने रहने की संभावना होती है उन्हें स्थायी कर दिया जाता है।

अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करना

5458. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा उससे संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के ऐसे कितने पद थे जो गत तीन वर्षों से बने हुये थे और जिसके अनिश्चित अवधि तक के लिये बने रहने की संभावना थी ; और

(ख) इन पदों को नियमानुसार स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत ऐसे स्थायी पदों के 80% से अधिक एक वर्ष में, स्थायी पद घोषित नहीं किये जा सकते। 1–5–74 को मंत्रालय में 3 वर्षों से अधिक विद्यमान 47 अस्थायी पद जिनकी अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है, उनमें से 31 पद, उस विषय पर अनुदेशों के अनुसार उसी तिथि से स्थायी घोषित किये गये हैं। अतः 30-6-74 को ऐसे अस्थायी पदों की संख्या 16 थी।

पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों में रेलवे लाइनों के विस्तार पर व्यय की गई धन राशि

5459. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे लाइनों के विस्तार के संबंध में इस समय जो कार्य किया जा रहा है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक लाइन पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक लाइन का कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है ; और

(ग) लाइन-वार, कार्य कब पूर्ण होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9375/75]

प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

5460. **श्री पी० एम० सईद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को उनके मंत्रालय तथा संबद्ध कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अस्थायी कर्मचारी थे ;

(ख) उस तिथि तक तीन वर्ष की सेवा समाप्त करने वाले कितने कर्मचारी थे ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जहां तक रेल मंत्रालय का संबंध है, सूचना इस प्रकार है:–

(i) 30–6–74 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या :–

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी i	..	..
श्रेणी ii	12	2
श्रेणी iii	61	6
श्रेणी iv	55	3

(ii) 30–6–74 को उपर्युक्त (i) में से 3 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों की संख्या

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी i	–	–
श्रेणी ii	3	–
श्रेणी iii	24	2
श्रेणी iv	43	2

सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) स्थायी पद उपलब्ध होने पर कर्मचारियों को उनकी बारी आने पर पक्का कर दिया जाता है ।

मंत्रालय में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5461. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके कुल कितने अस्थायी कर्मचारी थे ;

(ख) उनमें से कितने लोगों ने उस तिथि को तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी ; और

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 12 (इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालिय नहीं है) ।

(ख) 4

(ग) पर्याप्त स्थायी रिक्तस्थानों के न होने के कारण इन कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जा सका । इन में से कुछ कर्मचारियों को स्थाई करने के लिये उपयुक्त/योग्य नहीं समझा गया था ।

संचार विभाग (मध्य रेलवे) के तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी करना

5462. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के संचार विभाग में अनेक सीनियर वायरलेस आपरेटर, मोटर गाड़ियों के ड्राईवर, वायेरलेस उपकरण मेकेनिक और दूरसंचार मेकेनिक कई वर्षों से अस्थायी रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें स्थायी घोषित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटासिंह)

(क) पिछले कुछ वर्षों से वायरलेस आपरेटरों के 5 पद और वाहन ड्राइवर का एक पद और

(ख) अस्थायी है। मध्य रेलवे पर उपकरण यांत्रिक और दूर संचार यांत्रिक के पद नहीं हैं।

(ग) वाहन यांत्रिक के पद को स्थायी बनाने के मामले पर विचार हो रहा है। वायरलेस आपरेटरों की कोटि में कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि 1968 के बाद से रेलों में वायरलेस सम्पर्क के बदले क्रमश: सूक्ष्म तरंग व्यवस्था अपनाये जाने के फलस्वरुप वर्तमान वायरलेस आपरेटर फालतू होते जा रहे हैं। उन्हें टेलाप्रिंटर आपरेटरों और सिगनलरों आदि के वैकल्पिक पदों पर रखा जा रहा है।

10-4-1968 के पहले होने वाली रिक्तियों के अलावा वायरलेस आपरेटरों की कोटि में स्थायीकरण के लिये कोई आदेश नहीं दिया गया है।

जब कि नये संवर्ग को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा उसके बाद टेलाप्रिंटर के रूप में आमेलित फालतू वायरलेस आपरेटरों को स्थायी कर दिया जायेगा।

गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में 10 लाख रुपये की पूंजी से अधिक वाली रजिस्टर्ड की गई और परिसमाप्त की गई कम्पनियां

5463. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में 10 लाख रुपये की पूंजी से अधिक वाली रजिस्टर्ड की गई कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसी अवधि में महाराष्ट्र में ऐसी कितनी कम्पनियों को परिसमाप्त किया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) गत तीन कलैण्डर वर्षों, अर्थात् 1972 से 1974 के मध्य, महाराष्ट्र राज्य में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, प्रत्येक 10 लाख रु० से अधिक की अधिकृत पूंजीयुक्त, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	कम्पनियों की संख्या
1972	96
1973 . . .	125
1974	120*
योग	341*

*एक अनलिमिटेड कम्पनी सम्मिलित है।

(ख) उक्त अवधि में महाराष्ट्र राज्य में प्रत्येक 10 लाख रुपये से अधिक को प्रदत्त पूंजोयुक्त, हिस्सों द्वारा सीमित, उन कम्पनियों, जिन्होंने या तो परिसमापित हो कर, अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने पर कार्य करना बन्द कर दिया, की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	कम्पनियों की संख्या
1972	5
1973	1
1974	कुछ नहीं
योग . . .	6

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये कुयें

5464. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में कितने कुएं खोदे हैं; और

(ख) उनमें से कितने बेकार सिद्ध हुए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 125 कुओं का व्यवधान कार्य पूरा किया जिसमें से गुजरात में 94, असम में 28, जम्मू और कश्मीर में 1, तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में 2 थे। इनमें से 53 कुएं (गुजरात में 38 और असम में 15) तेल वाले थे, 6 (गुजरात में सारे) गैस वाले, 38 (गुजरात में 31, असम में 4, जम्मू और कश्मीर में 1, तमिलनाडू और पाण्डिचेरी में 2) सूखे निकले। 1–3–75 को शेष 38 कुओं का परिक्षण / मरम्मत की जा रही थी।

डीजल का मूल्य

5465. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रक को चलाने पर एक टन प्रति किलोमीटर पर जो डीजल लगता है उसका लागत मूल्य नये पैसों में क्या है; और

(ख) अशोधित तेल के आयातित तथा देशी उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर उसके लागत-मूल्य में विदेशी मुद्रा का अंश कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) बम्बई में हाई स्पीड डीजल आयल का फुटकर बिक्री मूल्य सं० 1.02 पैसे प्रतिलिटर है। एक किलोमीटर से अधिक एक टन का वहन करने के लिए ट्रक द्वारा प्रयुक्त किए हाई स्पीड डीजल आयल की लागत अनेक तथ्यों यथा गाड़ी के पाइप और हालत, पेलो ; रिक्त वापसी अनुपात, सड़कों और दुर्गमस्थल आदि पर निर्भर करता है।

(ख) पेट्रोलियम शोधनशाला में परिचालनों का एकीकरण कर दिया गया है और अनेक उत्पादों का एक साथ उत्पादन किया गया है। शोधनशाला में किसी उत्पाद (जिसमें एच० एस० डी० आयल शामिल है) के उत्पादन की लागत का पता नहीं है और इसलिए प्रत्येक उत्पाद की लागत में विदेशी मुद्रा के घटकों का संकेत करना सम्भव नहीं है।

सोडियम ट्रिपाली फोस्फेट का उत्पादन और मांग

5466. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडियम ट्रिपाली फास्फेट का स्वदेशी उत्पादन कितना है ;

(ख) भारत में इसकी अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) कितनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता अभी अप्रयुक्त पड़ी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1974 में उत्पादन 13,940 मी० टन हुआ।

(ख) वर्ष 1974–75 की मांग का अनुमान 19,000 मी० टन लगाया गया था और वर्ष 1978–79 में 1,00,000 मी० टन था।

(ग) 25,000 मी० टन प्रति वर्ष की स्थापित और लाइसेंस प्राप्त क्षमता छोड़कर 1,76,000 मी० टन/प्रतिवर्ष की क्षमता मात्रा का आशय पत्रा द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था।

बिजली की सुविधा से वंचित गांवों तथा घरों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

5467. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाश करने के लिए मिट्टी के तेल का वितरण करने वाली एजेंसियां बिजली की सुविधा से वंचित गांवों तथा घरों की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी निर्देश क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख): वैकल्पिक ईंधन, विद्युतीकरण की सीमा तथा मांग के सामायिक उतार चढ़ाव जैसे अन्य तथ्यों, जिनका उपभोग से सम्बन्ध हो, के लिए उचित गुंजायंश रखते हुए राज्य सरकारों को मासिक मिट्टी तेल का आवंटन गत खपत के आधार पर किया जाता है।

तथापि राज्यों में मिट्टी के तेल का वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के प्रभावी वितरण पद्धति को अपनायें जिससे उपभोक्ताओं को उपलब्ध सप्लाई के समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारों, जिनमें गैर-विद्युतीकृत गांव एवं घर सम्मिलित हैं, को मिट्टी के तेल के वितरण के लिए उचित तथ्य मानदण्ड पर विचार करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है।

गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की फर्मों द्वारा परस्पर ऋण लेने-देने के अप्राधिकृत कार्य पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही

5468. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की फर्मों द्वारा परस्पर ऋण लिये तथा दिये जाने के अप्राधिकृत कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके बीच परस्पर ऋण लेने-देने की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 में अप्राधिकृत अन्त: कम्पनी ऋणों के रोकने के आशययुक्त कुछ उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं। इस धारा, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सरकारी अथवा निजी किसी भी क्षेत्र में दिये गये ऋणों अथवा दी गई गारण्टियों पर लागू होती है, में साथ-साथ प्राविधान है कि एक कम्पनी को उधारदायी कम्पनी के रूप में, यदि इस प्रकार के कुल ऋण इसकी अभिदत्त व सुरक्षित पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो, तो इसे उसी प्रबन्ध के अन्तर्गत न होने वाली कम्पनियों को दिये गये ऋण या गारण्टी के लिए एक विशिष्ट संकल्प के माध्यम से इसकी साधारण बैठकों में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथापि, जहां यह ऋण, उधारदायी कम्पनी के रूप में एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत होने वाली कम्पनी को देने हैं, वहां ऋण की राशि के सीमा के बिना, विशिष्ट संकल्प द्वारा साधारण बैठक में पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। धारा 370 में पुन: प्राविधान है कि यदि सभी निगम निकायों को दिये गये कुल ऋण, निम्नांकित सीमाओं से अधिक हों, तो केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन भी आवश्यक होगा —

(1) जहां अन्य निगम निकाय उधारदायी कम्पनी के साथ एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत न हों, वहां उधारदायी कम्पनी की कुल अभिदत्त पूंजी तथा स्वतन्त्र सुरक्षित के 30 प्रतिशत ;

(2) जहां अन्य निगम निकाय, उधारदायी कम्पनी के साथ एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत हो, वहां उधारदायी कम्पनी की कुल अभिदत्त पूंजी तथा स्वतन्त्र सुरक्षित के 20 प्रतिशत।

इस धारा के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 371 में उल्लेखित दण्ड भोगना पड़ेगा।

(ख) इस प्रकार के ऋणों, जिनके लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं थी, के बारे में मांग गये ब्यौरे सुलभ नहीं हैं। संपूर्ण भारत में कम्पनियों द्वारा अनेक कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास प्रस्तुत किये गये तुलन-पत्रों तथा स्वयं कम्पनियों से संग्रह की जाने वाली सूचना में लगाया जाने वाला समय तथा श्रम, प्राप्त किये जाने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

मारुति हैवी व्हीकल्सलिमिटेड के शेयरधारी

5469. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सदस्य कौन कौन हैं;

(ख) इसके प्रमुख शेयरधारी कौन कौन हैं तथा प्रत्येक के नाम पर कितने मूल्य के कितने-कितने शयर हैं ;

(ग) इसका मुख्य व्यापार क्या है ;

(घ) कम्पनी के प्रत्येक निदेशक की परिलब्धियों सहित कितना वेतन तथा उपलब्धि प्राप्त होती है; और

(ङ) केन्द्र सरकार के प्रत्येक विभाग ने इस कम्पनी के गठन से अब तक इससे कुल कितनी खरीददारी की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर मै० मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में निम्नांकित चार निदेशक सम्मिलित हैं :—

1. श्रीमती सोनिया गान्धी
2. संजय गान्धी
3. किशन लाल जालान
4. ओमप्रकाश मोदी

(ख) इस कम्पनी के 12 हिस्सेधारी हैं। प्रमुख हिस्सेधारियों के नाम एवं प्रत्येक द्वारा धारित हिस्सों की संख्या तथा मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

हिस्सेधारी का नाम	10 रु० प्रति हिस्से की दर के साम्य हिस्सों की संख्या
1. मरुति टैक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि०	88,000
2. श्रीं ओम प्रकाश मोदी	10,500
3. श्री द्वारिका प्रसाद मोदी	10,000
4. श्री सत्यनारायण मोदी	10,000

(ग) : संस्था के ज्ञापन के अनुसार कम्पनी के व्यापार के मुख्य कार्य ये हैं :—

(1) अर्थ मूवर्स के किराये, ठीक करने, सफाई, स्टोर में रखने और माल गोदाम में रखने, बुलडोजर, स्क्रेपर, लोडर, एक्सकैवेटर, रोड रोलर डम्पर और समस्त विवरणों की अन्य अर्थमूवींग मशीनरी (समस्त इसके पश्चात् हैवी व्हीकल और अन्य वस्तुओं में समाविष्ट) चाहे नोदन या पैट्रोल, डीजल स्पिरिट, वास्प गैस, विद्युत्, जानतव्य या अन्य शक्ति तथा इंजिन, ढांचे और अन्य पुर्जे, और समस्त मशीनरी औजार, यूटेन्सिन्स, अनुषंगी पुर्जे लुब्रीकेंट्स सीमेंट, घोल और इसके प्रयोग हेतु योग्य समस्त वस्तुओं के उत्पादन एवं सज्जा, भारी व्हीकल्स और अन्य वस्तुओं के विनिर्माण, रख-रखाव, कार्यकरण के सम्बन्ध में तथा इसके प्रयोग हेतु किसी ट्रैक या समनिर्माण में अनुकूल बनाने के व्यापार को सम्पन्न करना ।

(2) भारी व्हीकल्स और अन्य वस्तुओं हेतु पैट्रोल विद्युतीकरण और अन्य प्रयोजनिक शक्ति के पैट्रोल, डीजल, बाईप्रोडेक्ट्स के गैरेजकर्ता तथा वितरणकर्त्ता का व्यापार सम्पन्न करना ।

(घ) कम्पनी 22-2-1974 को पंजीकृत की गई थी । इसलिए इसके प्रथम वार्षिक लेखे अभी देय नहीं हैं और कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अतः अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) इस सूचना का कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ।

तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता

5470. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में ऐसा कहा है कि देश आगामी सात वर्षों में तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आशावादी वक्तव्य का आधार क्या है; और

(ग) सरकार के दीर्घावधि तथा अल्पावधि तेल उत्पादन कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख): बम्बई में हुई संरचना में आशाजनक खोजों और अपतटीय भूकम्पीय सर्वेक्षणों के कुछ प्रारम्भिक परिणामों से अगले दशक में तेल उत्पादन के लिए संभावनाएं सुधर गई हैं । तटवर्ती उत्पादन को लगभग 7 मिलियन मी० टन से लगभग 11.5 मिलियन मी० टन तक बढ़ाने के लिए, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में पहले ही व्यवस्था की गई है। तटवर्ती तथा अपतवर्ती अन्वेषण बढ़ाया जा रहा है । इस ओर इस अनुमान पर कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में उपयुक्त कमी होगी के आधार पर पेट्रोलियम और रसायन मंत्री की आशावाणी भविष्यवाणी है कि अगले 7 या 8 वर्षों में देश शायद आत्म-निर्भर हो जाएगा ;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में शामिल कार्यक्रमों में निम्नलिखित आपत्तियां हैं :—

(i) भारत के अधिकतर सभी अवसादी थालों की भूमि और कुछ हद तक अपतटवर्ती में, जहां भूवैज्ञानिक विचारधाराओं पर विद्यमान हैड्रोकारबन्स को ढूंढने की संभावनाओं के अन्वेषण कार्य को बढ़ाना ;

(ii) तेल के 70 से 100 मिलियन मी० टन के बीच में किसी अतिरिक्त संभावित भडारों को स्थापित करना ;

(iii) 1978–79 के दौरान लगभग 12 मिलियन मी० टन की दर पर अशोधित तेल का उत्पादन ;

(iv) ढूंढे गए तेल क्षेत्रों का शीघ्र विकास ;

(v) वर्तमान उत्पादन कुओं का अधिकतम उपयोग ;

(vi) द्वितीय प्रतिप्राप्ति पद्धतियों का विस्तृत उपयोग ;

(vii) भूगर्भीय और भूभौतिकी सेवाओं को बढ़ाने के अलावा अन्वेषण और विकास व्यधन को बढ़ाना ।

इन कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और विशेषकर अपतटीय क्षेत्र में, अन्वेषण कार्यकलापों को पर्याप्त रूप में बढ़ाया जा रहा है ।

उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश

5471. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 के अन्त में उर्वरक उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी;

(ख) वर्ष 1960–61 और वर्ष 1973–74 में कुल पूंजी निवेश में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों का क्रमशः भाग कितना था ;

(ग) वर्ष 1960–61 और वर्ष 1973–74 में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के उर्वरक क्षेत्रों में निवेशित कुल पूंजी पर अलग-अलग लाभ की दर क्या थी; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कितने पूंजी निवेश की संभावना है और इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का क्रमशः भाग क्या होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लगभग 815 करोड़ रुपये ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा विलय की गई और अपने नियंत्रण में ली गयी कम्पनियां

5472. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा विलय की गई और अपने नियंत्रण में ली गई कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक कम्पनी के विलय करने और अपने नियंत्रण में लेने की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) "सी० ई० फुलफ़ोर्ड (इंडिया) लिमिटेड' नामक कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन से हैं ;

(घ) इस कम्पनी के प्रमख शेयरहोल्डर कौन हैं और प्रत्येक शेयरहोल्डर के पास किस संख्या में और कितने मूल्य के प्रदत्त शेयर हैं ;

(ङ) भाग (ग) में उल्लिखित इस कम्पनी को कब रजिस्टर्ड किया गया था ; और

(च) इस कम्पनी का प्रमुख कारोबार क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23(4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनियों को अपते नियंत्रण में लिए जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में मामलों का विवरण प्रस्तुत करता हुआ विवरण-पत्र अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9376/75]

विलय के मामलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) तथा (घ). मैसर्स सी ई० फुलफ़ोर्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के शेयर धारण आदि सहित 28-2-1974 तक बनाई गई तथा कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, वम्बई को प्रस्तुत वार्षिक विवरण के अनुसार निदेशकों और शेयर होल्डरों के नाम अनुलग्नक 2 में दिये जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9376/75]

(ङ) तथा (च). मैसर्स सी० ई० फुलफ़ोर्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 2-3-1948 को पंजीकृत की गई थी। कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इसके व्यापार का मुख्य कार्य औषध निर्माण जैसे गोलियां, मलहम, कणिका, इंजेक्शन योग्य द्रव्य तथा अन्य सोफ़िस्टिकेटेड स्कोरिंग, ऐण्टी अलर्जी तथा प्राणरक्षक कुछ ऐण्टीबाइटिक्स जैसे जरमाइसीन आदि उत्पादन तैयार करना है।

पंसकुरा–हल्दिया सेक्शन के विद्युतीकरण पर व्यय

5473. श्री टुना उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंसकुरा-हल्दिया सेक्शन का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) अब तक वर्षवार, कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा सम्पन्न हुए कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) योजना के पूरे होने में बिलम्ब नीचे लिखे कारणों से हुआ :—

(i) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर द्वारा थोक सम्हलाई यार्ड में रेल पथ बिछाने के सम्बन्ध में विलम्ब ।

(ii) इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज बेंगलूर द्वारा रिपीटर स्टेशन और केबुल हट उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब ।

(ग) 399.90 लाख रुपये (अनुमानित) ।

(घ) योजना पर वर्षवार खर्च की गई रकम का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	खर्च की गई रकम (लाख रुपयों में)
1970—71 . .	31.22
1971—72	76.62
1972—73 . . .	70.06
1973—74 . .	84.23
1974—75	75.38 (प्रत्याशित)
जोड़ . .	337.51

पंसकुरा से दुर्गाचक तक के खण्ड में बिजली फ़रवरी, 1975 में आ गई थी और आशा है कि शेष काम जून, 75 तक पूरा हो जायेगा ।

बान्डेल–बर्दवान सेक्शन में अतिरिक्त लूपों को पूरा करना

5474. श्री टुना उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाण्डेल-बर्दवान सेक्शन के रसूलपुर तथा देवीपुर स्थानों पर अतिरिक्त 'लूप' लगाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर अब तक, वर्षवार, कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा कितने प्रतिशत ार्य किया गया है तथा यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस काम को 1975–76 के बजट शामिल कर लिया गया है ।

(ख) रेलवे से अनुमान प्राप्त होने पर काम की मंजूरी दी जायेगी ।

(ग) इस काम को पूरे होने में मंजूरी की तारीख से लगभग दो वर्ष लग जायेंगे।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से नई रेल लाइनों के बारे में अभ्यावेदन

5475. **श्री मधु दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े हुए मराठवाड़ा क्षेत्र के नई रेल लाइनें बिछाने सम्बन्धी भ्यावेदनों पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित आमान-परिवर्तन परियोजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरेवार इंजीनियरी र्वेक्षण पूरे कर लिए गये हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों के शीघ्र ह. मिल जाने की सम्भावना है :—

(i) मनमाड–पर्ली बैजनाथ खण्ड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव। (इस निर्माण कार्य को अनुमोदित किया जा चुका है और इसे 1974–75 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है) । इसके अलावा पर्ली से अदिलाबाद तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और महाराष्ट्र राज्य सरकार की लागत पर अदिलाबाद से घुघुस तक एक नई लाइन का निर्माण करने के लिए एक सर्वेक्षण जल्दी ही शुरू किया जायेगा।

(ii) मिरज-लतूर खण्ड का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव।

इडावा रेलवे स्टेशन का सुधार

5476. **श्री बयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में इडावा रेलवे स्टेशन का सुधार करने के बारे में इडावा के रेलवे योक्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस स्टेशन की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1960 में इडावी स्टेशन के लिए नया इमारत का निर्माण किया गया था और उसमें सामान्य और महिलाओं, दोनों के लिए दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गई थी। इस स्टेशन पर पटरी के बराबर ऊंचा 180 मीटर लम्बा एक प्लेटफार्म विद्यमान है। इस स्टेशन पर पांच सीटों वाले सफाईयुक्त शौचालय, पर्याप्त संख्या में बैंचों और पीने के पानी की सुविधा आदि की भी व्यवस्था है। स्टेशन पर बिजली लगी है। फिलहाल ये सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं। रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से भविष्य के निर्माण कार्यक्रमों में और सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्डहार्बर) : मैंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के बन्द होने तथा केरल की स्थिति पर सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षक प्रस्ताव स्वीकार किया है।

मैंने श्री श्यामनन्दन मिश्र के निम्न प्रस्ताव को नियम 184 के अधीन स्वीकार किया है ;

यह सभा हाल में कलकत्ता में हुई हिंसक घटना की निन्दा करती है जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया तथा सभा के एक सदस्य श्री समर गुह तथा उनके साथियों को चोटें आईं।"

इसे 2 बजे लिया जायेगा। इस पर संशोधन प्रस्ताव 2.30 तक दिये जा सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It was expressed yesterday that such motions should be adopted unanimously. This was the attitude of the House at the time of Allahabad incident.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन आयोग के आदेश

विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आसाम राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 36, जो दिनांक 15 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 99 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 39, जो दिनांक 11 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 132 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित आदेश को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल० टी० संख्या 9364/75]।

इण्डियन कनसोर्टीयम फार पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड विलय आदेश, 1974

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत इण्डियन कनसोर्टीयम फार पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड विलय आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 155 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रख गये। देखिये संख्या एल० टी० 9365/75]।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

144वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथराव जोशी : (शाजापुर) : मैं आपूर्ति विभाग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 44 से 47 पर लोक लेखा समिति का 144वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने और कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे (व्यवधान)।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is a matter under Rule 366. The film was displayed in cinema houses and later withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रातः एक मामले पर चर्चा की अनुमति दी थी। जब भी मैं समझता हूं कि मामला उपयुक्त है मैं अनुमति दे देता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जब आपको नियम 377 के अधीन नोटिस दिया जाता है तब आपको उक्त सदस्य को सूचना देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री पीलू मोदी : स्पष्टतः सदस्य को इसकी सूचना नहीं दी गई है। मना करने का कोई तर्क होना चाहिए।

मुझे समझ में नहीं आता कि इस महत्वपूर्ण विषय को जनता के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) ; The news relating to opposition are not published. This film was brought out it was afterwards withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : कई बार यह मामले मेरी अनुमति से लाये गये ।

श्री पीलू मोदी : यही लोग प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । हर बात की एक प्रक्रिया होती है । उसी सदस्य को सूचना दी जाती है जिसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । **(व्यवधान)**।

श्री पीलू मोदी : क्या आप यह बतायेंगे कि इसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन आप इतने सारे मामले इस प्रकार रखते हैं । क्या मुझे सभी को स्वीकार करना है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: This matter is important. You may agree for tomorrow if not for today.

श्री पीलू मोदी : आपके निर्णय के कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : जब किसी सार्वजनिक उपयोग के साधनों का दुरुपयोग होता है तथा उसकी सूचना संसद् सदस्यों को प्राप्त होती है तब क्या उसका कर्त्तव्य नहीं है कि वह सदन में उसकी सूचना दे । क्या सरकार अपनी भूलों, कमियों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं है । यह महत्वपूर्ण है कि आपको तथा दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था । सरकारी उपकरण केवल शासक दल की ही सम्पत्ति नहीं है अपितु सारे राष्ट्र का है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नियम 377 के अन्तर्गत ऐसे मामले ला सकते हैं । आप नियमित प्रस्ताव रखें उसे मैं किसी दिन के लिए स्वीकार कर लूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: We are not pressing that it be taken only under Rule 377. The documentary was prepared but it was withdrawn. If this matter was taken under Rule 377 it would have ended.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके अधिकार से इन्कार नहीं करता । परन्तु मेरी आपत्ति उस ढंग से है जिस प्रकार आप सहसा इसे ला रहे हैं । उसे मैं स्वीकार नहीं करता ।

श्री पीलू मोदी : मेरा एक नम्र निवेदन है । ऐसे महत्वपूर्ण मामले प्रतिदिन आते हैं । अच्छा हो यदि आप ऐसे कुछ मामलों को नियम 377 के अन्तर्गत ले लें । इसमें केवल मंत्री महोदय का वक्तव्य आवश्यक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय कि किस मामले को किस दिन लिया जाये अध्यक्ष को करना होता है । क्या मामला नियम 377 के अन्तर्गत लिया जाये यह भिन्न बात है ।

अनुदानों की मांगें 1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1975-76—Contd.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय—जारी

श्री आर०वी० स्वामीनाथन (मदुराई) : गत तीन या चार वर्षों से वर्षा न होने के कारण कृषि उत्पादन में निरन्तर गिरावट आ रही है। यह स्थिति समूचे देश में है किन्तु तमिलनाडु में तो इस वर्ष वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई और मदुराई, रामनद तथा अन्य जिलों की स्थिति अत्याधिक खराब है। लोगों की दशा बड़ी दयनीय है। श्री शिन्दे ने वहां का दौरा किया है और वह जानते हैं कि वहां की क्या हालत है। समस्या अनाज के उत्पादन की ही नहीं है अपितु बिजली की भी कमी हो गई है। अप्रैल के महीने में ही तमिलनाडु में 75 प्रतिशत बिजली काट दी गई है। अनाज वहां नहीं है। बिजली वहां नहीं है, पानी वहां नहीं है। न जाने कब तक वहां यह स्थिति बनी रहेगी। मद्रास में पानी तीन दिन में एक बार दिया जा रहा है। इस तरह कैसे समस्या हल होगी? राज्य में किसी का भी शासन हो केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकती। अतः केन्द्रीय सरकार को अपना कर्त्तव्य निभाना चाहिए। मंत्रालय को वहां की दशा सुधारने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। राहत के रूप में कुछ कदम उठाये गए हैं जिनसे वहां के लोगों को कुछ राहत मिली है। छोटे तथा सीमान्तक किसानों की स्थिति दयनीय है। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जो अनाज उत्पन्न किया है, वह सब का सब विभागीय लोग वसूली के नाम पर ले लेते हैं। जब मंत्री महोदय ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि वहां की स्थिति नाजुक है तो ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? वहां वसूली क्यों की जा रही है?

तमिलनाडु में किसानों को आधा चावल 45 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और बाढ़ में वही चावल 165 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेचा जा रहा है। सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सरकार ने चावल का वसूली मूल्य बहुत कम निर्धारित किया है। समझ में नहीं आता कि इतना कम मूल्य कैसे निर्धारित कर दिया जाता है। पता नहीं उन्होंने मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा है या नहीं। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक भी उपलब्ध नहीं किया जाता। किसान उर्वरक खुले बाजार में नहीं ले सकता। उसे यह काले बाजार से लेना पड़ता है। कृषि मूल्य आयोग ने ये बातें ध्यान में नहीं रखी हैं। देश के किसानों का इस आयोग में कोई विश्वास नहीं है। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि संसद सदस्यों को भी इस आयोग में कोई विश्वास नहीं है। आयोग सरकार पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के लिए दबाव नहीं डालता। आयोग जो कुछ कहता है, सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। यह अच्छी बात नहीं है।

कावेरी जल विवाद चल रहा है। तमिलनाडु सरकार कर्नाटक सरकार के साथ कावेरी जल विवाद को हल नहीं कर पा रही है। देश में सैकड़ों नदी घाटी योजनाएं हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं हैं। जब हम माननीय सदस्यों से बात करते हैं तो देखते हैं कि नदी घाटी योजनाओं के बारे में हर एक की समस्याएं हैं। अतः सरकार का क्या कर्त्तव्य है? इस सम्बन्ध में सरकार को एक उच्च शक्ति प्राप्त नदी घाटी आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए जो कि इन मामलों को निपटाए। मुख्य मंत्रियों और सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि विचार विमर्श के बाद वे एक वक्तव्य दे देते हैं कि बातचीत असफल रही है और इसलिए मामला हल नहीं हुआ है।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, दुख की बात है कि निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं हो रहा है और इसके लिए विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। केवल 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। अतः सरकार को इसका कोई हल निकालना चाहिए। अधिक उर्वरक पैदा करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए और उसका समुचित ढंग से किसानों में वितरण कर दिया जाना चाहिए ।

फिर जल की समस्या है। सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल की बात तो छोड़िये पीने के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो रहा है मद्रास शहर को जल की सप्लाई करने के लिए कृष्णा नदी योजना है। यह योजना काफी अरसे से वहां है। आन्ध्र प्रदेश के पृथक हो जाने से इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए ताकि मद्रास शहर को जल प्राप्त हो सके ।

तमिलनाडु राज्य अत्याधिक कठिनाई में है। मंत्री महोदय को उस राज्य की दशा देखने के लिए एक बार पुनः वहां का दौरा करना चाहिए ताकि वहां के लोगों को कुछ उचित सहायता प्रदान की जा सके ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : कृषि उत्पादन को बढाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरक, कीटनाशक और पानी की व्यवस्था की ओर अत्याधिक ध्यान देना होगा। परन्तु मंत्रालय ने इन विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कतिपय बुराइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया कि इन बीजों में अधिक मिलावट होती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि बीजों में मिलावट न हो ? इसका उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बीजों में मिलावट रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं ।

अब उर्वरक का प्रश्न सामने आता है यह भी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। सरकार ने एक ही बार में इसका मूल्य लगभग दुगना कर दिया ।

मुझसे पहले वक्ताओं ने कृषि मूल्य आयोग का उल्लेख किया है। आयोग ने उत्पादन लागत को ध्यान में रखे बिना गेहूं का मूल्य निर्धारित कर लिया। उत्पादन लागत ध्यान में रखे बिना कृषि मूल्य आयोग किस आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है ? आशा है मंत्री जी इस महत्वपूर्ण बात का स्पष्ट उत्तर देंगे। इस बारे में कई कृषि विश्वविद्यालयों ने सर्वेक्षण किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होने गेहूं के बारे में मूल्य 120 रुपये क्विन्टल निधारित करने के लिए कहा फिर भी गेहूं का वसूली मूल्य 105 रुपये निर्धारित किया गया। इसमें क्या औचित्य है, जबकि उर्वरक जसी वस्तु का मूल्य लगभग दुगना हो गया है। ?

कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों में भी बहुत वृद्धि हो गई है। कई कीटनाशक दवाइयों में आज मिलावट पाई जाती है। किसानों को मिलावट–हीन–कीट नाशक दवाइयां उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इस बारे में प्रबन्ध किए जाने चाहिए ताकि किसानों को अच्छी किस्म की कीटनाशक दवाइयां मिलें ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार के पास अनेकों योजनाएं हैं। चौथी योजना के दौरान सरकार पर्याप्त भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाना चाहती थी। पांचवीं योजना में भी उसका यह लक्ष था। किन्तु बहुत सी

[श्री एच० एम० पटेल]

योजनाओं के समय पर पुरा न होने के क्या कारण हैं ? अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण बहुत सी आवश्यक परियोजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इन विवादों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया है ? इन विवादों को यथा सभव शीघ्र हल किया जाना चाहिए ।

सरकार पानी के उपयोग का अधिक महत्व नहीं दे रहीं है। पानी के उचित उपयोग के अभाव में बांध में पानी होने पर भी वह खेत तक नहीं पहुंच पाता । खेतों पर पहुंचने पर किसानों को यह नहीं बताया जाता कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाये जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारा पानी व्यर्थ जाता है । सरकार का कर्त्तव्य है कि वह किसानों को सिखाये कि जल का अधिकाधिक उपयोग कैसे किया जा सकता है ?

सरकार ने 5000 ब्लाकों (खण्डों) की मदद से पूरे देश भर में विस्तार सेवाएं चालू की हैं। किन्तु ये सेवाएं किसानों का उचित और ठीक समय पर दिशा निर्देश नहीं करती और उस रूप में भी नहीं करती जिस रूप में किया जाना चाहिए ।

यद्यपि सरकार का कहना है कि वह कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, किन्तु यह सही नहीं है। इसके विपरीत इस राशि में काफी कटौती की गई है । छोटे और सीमान्तक किसानों की सहायता की ओर विशष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके ।

श्री कृष्ण राव पाटिल (जलगांव) : मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय के विभिन्न प्रतिवेदनों तथा कृषि मंत्रालय की अर्थ–व्यवस्था सम्बन्धी संतुलन पत्र को देखने के बाद यह पता चलता है कि भविष्य में भारत की अर्थ–व्यवस्था प्रकृति पर ही निर्भर करेगी। डा० के० एल० राव ने सिंचाई की संभावनाओं तथा उनके उपयोग के बारे में जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि देश की कुछ सिंचाई क्षमता संतोषजनक नहीं है । कुछ राज्यों में सिचाई क्षमता बहुत ही निराशाजनक है । इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

सूखी खेती सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में विभिन्न मौसमों में ही वर्षा के औसत को ध्यान में रखते हुये विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसल प्रणालियां अपनाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है । हम इस योजना से कुछ आशा लगाये बैठे थे किन्तु खेद है कि विस्तार सेवा का काम संतोषजनक नहीं है ।

गत तीन वर्षों के दौरान अपर्याप्त वर्षा होने के कारण पनबिजली परयोजनाओं के सामने अनेक कठिनाइयां आयी हैं । लेकिन गत दो या तीन वर्षों के दौरान तापीय बिजली परयोजनाओं का कार्य मेरी समझ में नहीं आया है । तापीय बिजली परियोजनाओं ने सरकार तथा योजना आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्य का 60 प्रतिशत कार्य भी नहीं किया है। यह बहुत ही निराशाजनक है ।

कुछ राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप खाद्यान्न स्थिति में सुधार हुआ है । देश की असली समस्या खाद्य कमी नहीं अपितु देश के निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा जानबूझकर कृत्रिम कमो का वातावरण तैयार करना है । सरकार ने इन निहित स्वार्थ वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है ।

खाद्यान्नों की वसूली के बारे में एन० डी० सी० ने मार्ग दर्शी बातें निर्धारित की थी। खाद्यान्नों की वसूली करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को तैयार करना राज्य सरकारों पर छोड़ा गया । बात ऐसी नहीं कि खाद्यान्नों की कमी के कारण वसूली जोर नहीं पकड़ रही । इस मामले को राज्य सरकार

की इच्छा पर छोड़ने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की उदार नीति ही इसका कारण है। मेरी समझ में नहीं आता कि श्रमिकों और मजदूरों को काम तथा सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न देने की जिम्मेदारी लेते समय केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की उदार नीति क्यों अपना रही है।

किसानों से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न न मिलने के कारण यह है कि हम उन्हें खाद्यान्नों के पर्याप्त मूल्य नहीं दे रहे हैं। देश के कुछ लोगों को इस बात का आश्चर्य है कि क्या यहां मूल्य सम्बन्धी कोई नीति भी है? अब समुचित अर्थ–व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धांत निर्धारित करने तथा मूल्य नीति बनाने का समय आ गया है ताकि लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के बारे में कोई शिकायत न हो।

पंचायती राज, सहकारी आन्दोलन तथा ग्राम विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थायें हैं। लेकिन सरकार ने इन्हें अनुदान देकर या इनके लिए कार्यक्रम तैयार करके इनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

यदि हम इस मंत्रालय के सम्पूर्ण कार्य संचालन का अध्ययन करें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी अन्य विभाग के समान इस मंत्रालय और इसके सम्पूर्ण कार्यातन्त्र में कार्य–कुशलता व्याप्त है। समय की पुकार है कि जन शक्ति, भूमि, मजदूर और पूंजी का पूरा उपयोग किया जाये। यदि हमने इनकी आधारभूत अवहेलना की और यदि हमने जल्दी-जल्दी में कार्य–किया तो इससे हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): It is a sorry state of affairs that even though ours is an agricultural economy, agriculture has all along been neglected. During the last 27 years of independence, we have not so far achieved the goal of self-sufficiency in foodgrains and we are still importing foodgrains. It is high time for the Government for paying adequate attention to agriculture. Every effort should be made to make loan available to small farmer in the villages. The fertilisers and other inputs should also be made available to small farmers at cheaper rates. This will help a lot achieving the goal of self-sufficiency.

In our country, there are a large number of rivers whose water is not being properly utilized. If proper dams and bridges are constructed on these rivers, their water could be properly utilized. It is quite some-time back when Benganga project was formulated but this has not been implemented so far. If this project is completed, it can provide sufficient water for irrigation not only in Vidarbha and Andhra Pradesh but also in Madhya Pradesh. But the main problem is that this is being neglected and this all is politically motivated. This kind of attitude should be discouraged as it hinders the balanced development of all regions.

A good number of tracts of fallow land are there in our country which can conveniently be brought under cultivation. But I am sorry to say that no proper heed has been paid by the Government to this land. This land should be reclaimed and allotted to the landless labourers, Adivasis and Harijans. The simple allotment will not be of much use and all other Necessary facilities should also be provided for proper development.

Regarding Vidarbha region, it is submitted that the region is divided into two categories On the one side there are big farmers who have got thousands of acres of land and on the other hand there are small farmers who own only 2 to 10 acres of land. The big farmers have divided their land among the Members of their families in order to escape the ceiling law. Whatever facilities have been announced by the Government, those have been omited by the big farmers. If the neglect of Small farmer is continued, how can we expect any increase in agricultural production.

The procurement price of wheat has been fixed at Rs. 105 which is not remunerative. While fixing the price, Government must take into consideration the cost of production and also the increased cost of living. Coming to Cotton, I may submit that though it is grown in many States but Maharashtra has got a monopoly over its purchase. But under the system laid down for its purchase, the cotton growers are experiencing great difficulties. The Government should give immediate attention to it.

Our leaders and officers who are in Planning Commission, do not process sufficient practical knowledge. It is suggested that due weight should be given to the ideas of the farmers who

[Shri Ram Hedaoo]

have got the practical experience. We are talking of giving priority to industry. Although, I am not against the progress of industry in the country but still I feel that as ours is an agricultural country, top priority should be given to agriculture. All sort of facilities should be given to farmers.

Shri Achal Singh (**Agra**) The Ministry of Agriculture and Irrigation is of utmost importance. Although, we had several Five Year Plans in the past but our planners have always neglected agriculture and cattle wealth. It is simply for this reason that today in our country neither there is sufficient food to eat nor sufficient milk to drink. Even after 27 years of independence, sufficient attention has not been given to agriculture although ours is an agricultural economy. Prior to independence, majority of people used to eat coarse grains but today 90—95 per cent people are eating wheat. It is simply for the reason that wheat is cheaper than coarse grains. But the fact of the situation is that there is not sufficient wheat to meet the needs of the people. Our planners have not given sufficient attention to this aspect and if they had done so, the situation would have been different.

Water is the main ingredient of agriculture. High Class Seeds, good fertilizer and sufficient labour are other ingredients of agriculure. But no proper attention has been paid to solve the problem of irrigation water. In Agra region the irrigation water is much more needed. At the time when Ram Ganga dam was being constructed, we hoped that Agra will get some water from it. But it has not come about and our area is still short of water. My submission is that due attention should be given to solve the irrigation water problem of this area.

The cattle wealth is another important trade of our country. There was a time when sufficient cattle wealth was available in the country and milk was available in plenty. But now milk has become scarce in our country and the health of people is deterioration.

We should pay attention to improve our cattle wealth. In our country our cows give less milk whereas in countries like England, Holland, Australia, Canada they give 40 to 50 kilograms of milk. Our planners have not paid attention to it. We should make efforts to improve the breed of the cattle. So that people could get sufficient quantity of milk. Today there is scarcity of consumer goods. Water is necessary for irrigation purposes. We can increase our food production only when we provide irrigation facilities to the farmers. Efforts should be made to improve agricultural production and the breed of the cattle.

Shri Dalip Singh (**Outer Delhi**) : It is very tragic that even though agriculture is the main occupation in this country, we have to import foodgrains from abroad. It is because the Government have been indifferent towards the farmers. Neither they get sufficient return for their produce nor any respect and credit for the labour they put in for increasing production.

The Agricultural Prices Commission has fixed the procurement price of wheat at Rs. 105 which is very inadequate. It is said that the cost of production of the farmers worked out to Rs. 95 per quintal. It is not known on what basis this cost has been calculated. But even if we accept it then we have to consider whether a profit of Rs. 10 per quintal is enough for the farmers. How can a small farmer maintain his family at this low margin of profit? It is high time Government pay attention to it. The farmers must get a remunerative price.

As regards land reforms and allotment of surplus land for which schemes have been included in these demands for grants, Government should see that the land allotted is not meagre. Moreover all facilities should be provided to the allottees whereby they can use it for agricultural purposes and increase food production.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

The levy price of wheat was fixed last year at Rs. 105 per quintal and the same price is being maintained this year also, while the prices of inputs have shot up very high. This is not fair. At least the farmers should be allowed to sell that portion of their produce freely in the open market that is left surplus with them over and above the levy imposed. This will remove the existing discontent among the farmers and the people will freely get foodgrains in the open market to supplement their limited ration. The farmers must be paid remunerative prices for their produce. Restriction on movement of wheat from Haryana and Punjab to Delhi should be removed. Members of Parliament and other officers from Haryana and Uttar Pradesh stay here in Delhi but they cannot have the wheat produced in their States. Their land has been acquired in Delhi and they purchased land in other States. (*interruption*) We can produce wheat but can-

not consume that wheat. It is necessary to allow people to bring wheat from atleast Haryana, Punjab etc.

The farmers remain busy in their agricultural work only for six month in the whole year. The remaining six months they have no work. Therefore it is necessary to set up agro-industries in the rural regions so as to provide employment to the educated rural youth. This will encourage the production of indigenous goods and at the same time open up employment opportunities for the rural people.

Due attention should be paid to the improvement of breed of our cattle. There are some cows of good breed in Punjab and Haryana bu ttheir breed should be further improved so far the yield of milk may be increased

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलबरिया) : खाद्य समस्या को एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए। जब देश में निर्धनता, बेरोजगारी तथा मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तो फिर हमें पता करना है कि इन समस्याओं का मूल कारण क्या है।

सरकार इस समय कृषि के लिए जो कुछ कर रही है, उससे केवल बड़े-बड़े जमींदारों की ही सेवा हो रही है। योजना आयोग ने यह बात स्वीकार की है।

पश्चिम बंगाल में सरकार ने लेवी लगाई है जो पर्याप्त नहीं है फिर भी 191 कांग्रेमी विधायकों तथा 9 कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा लेवी नहीं दी गई है। बड़े-बड़े जमींदार ही कृषि के लिए की जाने वाली व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषि समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि समस्याओं को हल नहीं किया जाता तब तक आप बेरोजगारी या किसी अन्य राष्ट्रीय समस्या को हल नहीं कर सकते। अमरीका तथा इंडलैण्ड के अर्थ शास्त्रियों का भी यही कहना है। जापान ने आमूल भूमि सुधार करके आश्चर्यजनक ढंग से अपनी राष्ट्रीय समस्याओं को हल किया है। आमूल भूमि सुधार उपायों से ही आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

यदि बड़े-बड़े जमीदारों की 10 एकड़ सिंचित भूमि या 20 एकड़ सूखी भूमि को अपने अधिकार में लेकर उसे वास्तविक किसानों में वितरित कर दिया जाये तो हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो सकता है। ये बड़े-बड़े भू-स्वामी औद्योगिक विकास में लग सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यदि लोगों की क्रय और उत्पादिकता शक्ति बढ़ जाये तो स्वाभाविक रूप से हमारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा और मूल्य वृद्धि, खाद्यान्नों पर नियंत्रण आदि जैसे कार्यों से छुटकारा भी मिल जायेगा। इन सबके लिए आमूल भूमि सुधार नितान्त आवश्यक है। इनके आंशिक समाधान से समस्या हल नहीं होगी। अच्छे बीजों के अनु-संधान तथा विकास, उर्वरक तथा जल का लाभ भी तभी है जब भूमि सुधार उपाय कार्यान्वित किए जायेंगे।

अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाये और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करें। तभी हमारे नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। पर्याप्त कृषि उत्पादन में विकास होने से स्वतः ही लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्हें नौकरियों के लिए सरकार के दरवाजे नहीं खटकाने पड़ेंगे। अतः इन मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाये।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे (सांगली) : संतोष की बात है कि सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कृषि और सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी है। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया गया है। देश में लगभग एक तिहाई फसल का क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हमें बताया गया है कि 54 जिलों और इनके निकटवर्ती क्षेत्रों, जो अन्य 18 जिलों में हैं, को चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र बताया गया है। विभिन्न राज्यों के कई सदस्यों ने प्रश्न किया है कि समीपवर्ती राज्यों में भी इसी तरह के क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये ताकि उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सके।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के इस कार्यक्रम को करने में लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका विचार है कि इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जलाशय बनाये जाने चाहिएं। जलाशय बनाने के लिए बैंक की शाखाएं उपलब्ध करने की इस शर्त को समाप्त किया जाना चाहिए। सिद्धान्त के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे जलाशय वाले क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलनी चाहिए और किसानों से कम दर पर ब्याज वसूल करना चाहिए।

इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों से तरजीही दर पर ब्याज वसूल किया जाना चाहिए। बताया गया है कि विश्व बैंक इन छः परियोजनाओं अर्थात् महाराष्ट्र में अहमदनगर और शोलापुर, राजस्थान में जोधपुर और जयपुर, आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर तथा कर्नाटक में बीजापुर सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु इन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इन क्षेत्रों या कार्यक्रमों के लिए 5 वर्ष की अवधि में 3.5 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चयन करने के लिए कुछ सिद्धान्त बनाये जाने चाहिएं। महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों राज्यों की ओर प्राधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। यह पता नहीं कि मेरे चुनाव क्षेत्र को, जिसे पहले ही सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, इस योजना से क्यों निकाला गया है। यह सहायता शोलापुर और बीजापुर में दी जा रही है।

हमें बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता के लिए कुछ परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक लाभ उठाया है। वर्ण, कृष्णा और हीमा परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मंजूरी दिलाने के लिए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

देश की कुल फसल की एक चौथाई फसल मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में ही होतीं है। किन्तु वहां सिंचाई सुविधा नगण्य है। मध्य प्रदेश में 8 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 11 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र हैं। सिंचाई के मामले में असंतुलन दूर किया जाना चाहिए।

पिछली फसल में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 88 रुपये निर्धारित किया गया था। 8.5 प्रतिशत वसूली निर्धारित की गई थी। गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत वसूली के साथ 125 रुपये प्रति मीटरी टन निर्धारित किया जाना चाहिए। गन्ने की फसल अनुकूल जलवायु वाले स्थानों पर की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र में इस वर्ष 130 लाख टन चीनी के उत्पादन की संभावना है। चीनी निर्यात का विचार करते समय भारत सरकार को चीनी की सप्लाई के लिए महाराष्ट्र को ही चुनना चाहिए।

कहा गया है कि इस वर्ष से कारखानों को खुली चीनी के विक्रय की 50 प्रतिशत चीनी गन्ना उत्पादकों को देनी होगी। यह उनको अतिरिक्त प्रोत्साहन है। गन्ना उत्पादकों को भी इस लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग को लाभकर मूल्य निर्धारित करने चाहिए। खाद्य निगम के खर्चे को कम करने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar): The system of distribution of foodgrains is not working properly. Corruption is rampant all round and as a result poor people, Harijans and Adivasis are deprived of their due ration whereas moneyed people can corner the major share of foodrains with the Collaboration of Government officials. People in rural areas are in great distress due to drought in Madhya Pradesh. There is discrimination in providing relief and many people have to starve for want of employment. The Minister should issue instructions to the state authorities to see that the foodgrains are distributed among the poor rural masses in a proper manner.

Land reforms should be introduced with a view to making allotment of surplus land to land-less Harijans and Adivasis. Government should also make arrangement for advancing credit to them so that they may take up agriculture in a proper manner and increase the agricultural production. Farmers still face lot of difficulties in obtaining loans from Banks in rural areas. Government should try to eradicate corruption by Government officials in issuing loans to farmers. Government should issue instruction's that loans be advanced to farmers at their door steps.

The levy price of wheat, which is fixed at Rs. 105/- per quintal, is very low and it should be raised to at least Rs. 125/-. Unless the condition of peasants is improved, the country will not prosper. They must be paid fair and remunerative prices for their agricultural produce. They should be allowed to sell their marketable surplus in the open market, freely.

The present bureaucracy is corrupt. The officers are kept at one station for long periods. Steps should be taken to transfer the guilty officers.

Traders have hoarded large quantities of foodgrains but no action is being taken against them. All hoarded foodgrains should be seized and distributed among the poor.

Steps should be taken to establish industries in rural areas to provide employment to farmers during lean season. Agricultural training should be introduced in schools in rural areas.

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : राष्ट्रपति ने, संसद् सदस्यों ने तथा जन-साधारण ने कृषि का महत्व व्यक्त किया है। कांग्रेस संसदीय दल के किसान फोरम ने भी कहा है कि सरकार की नीति किसान विरोधी है। इस नीति की निन्दा की जानी चाहिए।

वर्ष 1974–75 में ग्राम विकास के लिए 5.60 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है। वर्ष 1973–74 में इस मांग के अन्तर्गत 6.53 करोड़ रुपये लौटा दिये गये थे। समझ में नहीं आता कि उक्त धन ग्राम्य विकास के लिए क्यों नहीं लगाया जा सका। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 37 करोड रुपये की मांग की गई है और साथ ही अप्रयुक्त धन वापस किया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 1974–75 में मीन उद्योग, पशु पालन, डेरी विकास, वन तथा कृषि अनुसन्धान की मांगों के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की राशि लौटाई गई है।

सरकार ने चीनी के बड़े-बड़े कारखानों को सहायता देने के लिए गन्ने की कीमत कम रखी है। 1951–74 के दौरान 2951 करोड़ रुपया खर्च करके भी 70 प्रतिशत भूभाग में भी खती नहीं हो रही है। क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि शेष भाग में उत्पादन करने के लिए कितना खर्च आवश्यक होगा कोई कार्य क्रम बनाया है ?

श्री मोहनराज कलिंगारायर]

वर्ष 1953–1974 के दौरान सरकार ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर 394 करोड़ रुपये खर्च किये। सुझाव दिया गया है कि लोगों का आतंक दूर करने, प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली सम्पत्ति की हानि से रक्षा करने के उद्देश्य से बाढ़ के पानी को दक्षिण की ओर मोड़ दिया जाये। इस परियोजना पर कहां तक विचार किया गया है तथा कितनी प्रगति हुई है।

ठीक समय पर उर्वरक न मिलने, नदी परियोजनाओं के राज्यों के नदी जल विवाद हल न होने के कारण खटाई में पड़े रहने के कारण उत्पादन में हानि हो रही है। केन्द्र इस ओर समूचित ध्यान नहीं देता रहा है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं अनाज का आयात जारी रहेगा। हमने 332.72 करोड़ रुपये का अनाज आयात किया है। खाद्यान्न की हमारी न्यूनतम वार्षिक आवश्यकता लगभग 15 करोड़ टन है। पांचवीं योजना के अन्त तक 14 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है। पता नहीं कि यह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा कि नहीं।

मेरा सुझाव है कि अन्तर्राज्य नदी जल विवाद शीघ्र हल किये जायें, सरकार अपनी किसान विरोधी नीति को त्याग दे, जो सिंचाई योजनाएं निलम्बित पड़ी हैं उन्हें शीघ्र मंजूरी दी जाये, कृषि कार्यों के निर्धारित राशि पूरी की पूरी व्यय की जाये तथा छोटे किसानों की आवश्यकताओं और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रख कर ही कृषि योजनाएं बनाई जानी चाहिएं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने और उपयोगी सुझाव देने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा यह कहा जाना कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि अनुसन्धान संस्था नहीं बल्कि एक प्रचार संस्था है, तथा उसके वैज्ञानिक कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश का अपमान हो रहा है, दुर्भाग्य पूर्ण है। इस मामले पर सदन में विस्तार-पूर्वक विचार हुआ है और इसके कार्यकरण की जांच करने के लिए नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया था। जिस मामले की श्री डी० एन० तिवारी ने चर्चा की है उसे भी जांच समिति को सौंप दिया गया था। जांच समिति ने इस बात की जांच की और पाया कि उक्त आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हमने जांच समिति तथा श्री गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का पूर्णतः पुनर्गठन किया गया है। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमानो का पुनरीक्षण किया गया है तथा काम की शर्तों में बहुत से सुधार किये गये हैं। 550–900 तथा 1800–2250 के वेतनमानों वाली कृषि अनुसन्धान सेवा नामक एक नई सेवा लागू की है। वैज्ञानिकों की सेवा की शर्तों में किये गये सुधारों के बाद भी यदि उसमें कोई कमी है तो हम उसे भी दूर करेंगे।

कहा गया है कि अनुसन्धान कार्य धीमी गति से चल रहा है और पिछले कुछ वर्षों में कोई भी नया काम नहीं किया गया है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन अनेक कृषि संस्थान है और वे सभी शुष्क भूमि पशुपालन घास भूमि आदि जैसे क्षेत्रों में बहुत लाभदायक कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में 21–22 ऐसी संस्थाएं हैं।

बीज उत्पादन के क्षेत्र में हम अर्जुन और प्रताप ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जिन पर रोगों का कम प्रभाव होता है। हमने धान की भी ऐसी किस्में तैयार की हैं जिनमें रोग नहीं लग सकता है। हम केवल गेहूं और चावल के बारे में ही अनुसन्धान नहीं कर रहे हैं बल्कि बाजरे और कंद की फसलों पर भी कर रहे हैं जिसकी सराहना न केवल देश के लोगों ने अपितु विश्व भर के वैज्ञानिकों ने भी की है।

अनेक सदस्यों ने चीनी के मूल्यों तथा चीनी कारखानों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा की है। सरकार भार्गव चीनी जांच समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है। चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण देश की संसद् ही कर सकती है। सरकार जब भी इस बारे में निर्णय लेगी पूरे विश्वास के साथ लेगी। हमें विभिन्न राज्यों से अनेक शिकायतें मिली हैं कि कुछ कारखानों के मालिक ठीक कार्य नहीं कर रहे तथा किसानों को लाभकारी मूल्य देने को सहमत नहीं हैं।

गन्ने का न्यूनतम निर्धारित मूल्य 8.50 प्रति क्विटल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारखाने 14.50 रुपये प्रति क्विटल दे रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में मिल मालिक गन्ने का मूल्य बढ़ाने को सहमत नहीं हुए। 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कारखानों को अधिकार में लेने की अनुमति मांगी। हमने उन्हें सूचित किया कि वे उन मिलों का अधिग्रहण कर सकते हैं जो ठीक कार्य नहीं कर रही तथा किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रही हैं।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : पहले तो सरकार ने किसानों के साथ लाभ के बटवारे की बात कही थी परन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया गया।

Shri Shahnawaj Khan : At present the payment position is very good.

Shri Gende Singh : Is not an amount of per Rs. 100 crores due in Uttar Pradesh. Each mill has to pay about 50 lakhpruees.

Shri Shahnawaz Khan : Every Mill crushes about 45-50 lakhs rupees worth of sugarcane every month. We have asked them to make payment to the farmers within 2 weeks. We have been able to produce about 7 lakh tonnes of sugar cane more so far this year.

प्रो० मधु दंडवते : 100 करोड़ रुपये बकाया राशि के बारे में उत्तर नहीं दिया गया।

श्री शहनवाज खां : मिलों द्वारा पेरे जाने वाले गन्ने की मात्रा को देखकर 100 करोड़ रुपये की राशि अधिक नहीं है।

श्री नरसिंह नारायन पांडेय : 50 करोड़ रुपये केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में बकाया है जब कि कुल बकाया 125 करोड़ रुपये हैं।

श्री शहनवाज खां : पिछले वर्ष हमने $4\frac{1}{2}$ लाख टन चीनी का निर्यात किया। इस वर्ष हमें इससे भी अधिक निर्यात की आशा है। नौवहन कठिनाइयों के कारण हम हर पत्तन पर चीनी की कुछ मात्रा स्टोर कर रहे हैं ताकि नौवहन सुविधा मिलने पर चीनी का निर्यात किया जा सकेगा।

कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने किसान सेवा सहकारी समितियों की उपयोगिता के बारे में कुछ बातें कही हैं। यह बातें किसानों के हित में हैं। हमने इस प्रकार की 50 समितियों का गठन किया है।

[श्री शाहनवाज खां]

चौथी योजना के दौरान हमारे पास 87 परियोजनायें थी । पांचवीं योजना में उनकी संख्या 160 हो जायेगी ।

कुछ सदस्यों ने पशुओं की नस्ल में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है । हमने देश के हर ब्लाक में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए हैं । कुछ मामलों में परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं । आशा है कि इसके और भी अच्छे परिणाम निकलेंगे और किसानों को अच्छी नस्ल के पशु मिलेंगे । कहा गया है कि बहुत सीं जमीन बंजर पड़ी हुई है । हमने करनाल में एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है । लवणयता तथा खारिपन वाली भूमि को खेती योग्य बनाने की दिशा में इस संस्थान ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । जो जमीन बेकार पड़ी थी, उसमें अब अच्छी फसल हो रही है । इन उपायों द्वारा सारे देश को लाभ पहुंचाया जा सकता है । हम ऊबड़ खाबड़ तथा बंजर जमीन को भी कृषि योग्य बना रहे हैं ताकि उन पर खेती की जा सके ।

कलकत्ता में हुई हिंसक घटना, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण की कार पर हमला और श्री समर गुह, संसद् सदस्य को चोट आई, के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING VIOLENT INCIDENT IN CALCUTTA WHEREIN SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN'S CAR WAS ATTACKED AND SHRI SAMAR GUHA, M.P. SUSTAINED INJURIES.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि यह सभा हाल में कलकत्ता में हुई हिंसक घटना की निन्दा करती है, जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया तथा सभा के एक सदस्य श्री समर गुह तथा उनके साथियों को चोट आई । ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति इस बात की आशा कर सकता था कि इस किस्म का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल द्वारा, विशेष कर प्रधान मंत्री द्वारा, जो कि सदन की नेता हैं, पेश किया जाता । वास्तव में ऐसे अवसरों पर सदन की ओर से बोलना और कार्यवाही करना सदन के नेता का ही कर्त्तव्य होता है. किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । इस तरह हम देख रहे हैं कि सभा की नेता अपना कार्य नहीं कर रही हैं ।

सत्तारूढ़ दल का स्वरूप तथा विचारधारा वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक होनी चाहिए । किन्तु लोक तंत्र की बजाय यह दल फासिस्टवाद की ओर अग्रसर हो रहा है । मेरा विचार है कि सत्तारूढ़ दल और विशेषकर प्रधान मंत्री का यह कर्त्तव्य था कि वे इस घटना की निन्दा करते । किन्तु ऐसा न तो किया गया है और न हीं कभी किया जायेगा । सत्तारूढ़ दल के सदस्य समय समय पर श्री जयप्रकाश नारायण की आलोचना करते रहते हैं । वे अपने स्थान को बनाए रखने के लिए प्रधान मंत्री की आंखों में बने रहना चाहते हैं न कि देशवासियों की आंखों में । वे यह भूल जाते हैं कि उनका वास्तविक सम्बन्ध तो जनता से है । वे प्रधान मंत्री की खुशामद ही नहीं करते अपितु अपनी आत्मा के विरुद्ध भी बोलते हैं । किन्तु दल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण पर हुए हमले की निन्दा की है ।

भारत जसे शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देश में इस घटना से बढ़ कर दूसरी कोई गंभीर बात नहीं हो सकती जिसकी ओर इससे अधिक ध्यान दिया जाये। सत्तारूढ़ दल में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आदर न के बराबर रह गया है। यह घटना अनिष्ट की सूचक है और इससे कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिसका कि सभा को उत्तर देना होगा। यदि श्री जय प्रकाश नारायण इन धमकियों के, जो उन्हें गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष से दी जा रही हैं, शिकार हो जाते तो क्या होता? यदि यह इस तरह की पहली घटना होती तो इसकी उपेक्षा की जा सकती थी। किन्तु गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष के दौरान इस तरह की कई गंभीर घटनाएं हो गई हैं। क्या सभा इस बात को भूल गई है कि पटना में 5 जून, 1974 को श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में निकाले गए शांतिपूर्ण जलूस पर एक विधायक के घर से गोली चलाई गई थी? वह विधायक सत्तारूढ़ दल का ही था। उस विधायक को जेल भेजा गया किन्तु कभी आपने यह भी पूछा है कि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और अब उस मामले की क्या स्थिति है? गोली चलाने से 21 व्यक्ति घायल हुए थे। गोली चलाने के भयंकर परिणाम हो सकते थे किन्तु श्री जय प्रकाश नारायण ने जलूस में उपस्थित लाखों के जन समूह को शांत कर दिया। जलूस पर गोली क्यां चलाई गई? 4 नवम्बर को जब पटना में श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में जलूस निकाला गया था तो उसमें भी उन पर लाठी से प्रहार किया गया। आखिर में गृह मंत्री को इस घटना के लिए खेद प्रकट करना पड़ा था। तीसरी घटना कलकत्ता में हुई है।

मैंने अपने संकल्प में उल्लेख किया है कि श्री जय प्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया। यह बिल्कुल सही है। हमला कार पर नहीं होता अपितु उसमें बठे व्यक्ति पर किया जाता है। घृणा कार से नहीं अपितु उसमें बैठे व्यक्ति से हो सकती है। हमले का इरादा स्पष्ट है। सबको इस घटना की निन्दा करनी चाहिये थी किन्तु सत्तारूढ़ दल के लोग चाहते हैं कि इस तरह की चर्चा न हो इसके विपरीत जब 18 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति ने पिस्तौल लेकर कचहरी के कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो इस घटना को लेकर सारे सदन में हंगामा मचे गया और प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये अधिक प्रबंध की मांग की गई। हालांकि यह बात पक्की नहीं कि वह व्यक्ति प्रधान मंत्री को ही पिस्तौल का निशाना बनाना चाहता था। पिस्तौल का निशाना या तो कोई न्यायधीश होता या फिर विरोधी पक्ष का कोई सदस्य पिस्तौलधारी, श्री गोविन्द मिश्र ने खुले रूप से घोषणा की कि सत्तारूढ़ दल के साथ उनको पूर्ण सहानुभूति है। इन सब बातों के बावजूद भी उस समय समूची सभा ने प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये अधिक प्रबंध करने की मांग की थी। किन्तु जब श्री जय प्रकाश नारायण के साथ ऐसी घटनायें हो रही है तो सुरक्षा की बात तो दूर रही सत्तारूढ़ दल यह भी नहीं चाहता कि इस विषय पर कोई प्रस्ताव पेश किया जाय या इस तरह की घटना की निन्दा की जाय।

यदि कुछ वैधानिक, संवैधानिक या राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल को श्री जयप्रकाश नारायण के प्रति मोह नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन इस सभा के एक सदस्य के व्यक्तित्व और उनकी सुरक्षा के बारे में उनका क्या कहना है। प्रो० गुहे सम्माननीय हैं तथा एक महान व्यक्ति हैं। जब उन्होंने कल सभा में भाषण दिया तो उन्होंने खून में लथपथ अपनी फटी कमीज नहीं दिखाई, किन्तु हमने देखी है . . (व्यवधान)—यदि आप भी उस कमीज को देखना चाहते हैं—(व्यवधान)। वे खून के धब्बे उनकी कमीज़ पर नहीं अपितु हमारे लोकतंत्र के माथे पर कलंक के दाग थे।

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

उन्हें श्री जयप्रकाश नारायण से इसलिये डर है क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट सरकार के विरूद्ध आवाज उठाई है। उन्होंने अपनी आवाज उस शासन के विरूद्ध उठाई है जिसके पास $8\frac{1}{2}$ लाख सेना, बड़ी भारी संख्या में पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का जाल फैला हुआ है। ये सब आतंकवादी उपकरण किसी तानाशाह या किसी फासिस्ट शासन के पास ही होते हैं। फिर भी वे श्री जय प्रकाश नारायण से डरते हैं। क्यों ? वह इसलिये क्योंकि उनका संदेश देश में चारों ओर बिजली की गति से फैल रहा है। गंगा के क्षेत्र में उनका प्रभाव पहले ही था अब 6 मार्च की रेली के बाद यमुना का क्षेत्र भी उनकी लपेट में आ गया है। सत्ता वास्तव में भयभीत है और कांप रही है। उन्होंने देख लिया है कि 6 मार्च को श्री जयप्रकाश नारायण ने किस तरह शांतिपूर्वक रेली का आयोजन किया। उस दिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

सरकार श्री जयप्रकाश नारायण से इस लिये डर रही है क्योंकि उन्होंने जनता को क्रांति का आह्वान दिया है। कलकत्ता में जब उनकी कार पर पत्थर फेंके जा रहे थे तो पुलिस चुपचाप यह सब कुछ देख रही थी। यह शासन अब समाप्ति पर है। सरकार गुजरात में चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। हम वहां चुनावों में आपको चुनौती देते हैं। आप वहां चुनाव करवाने से घबरा रहे हैं (**व्यवधान**)

बिहार ने अपनी समस्या पहले ही हल कर ली है। प्रधान मंत्री बिहार जाकर वहां किसी सार्वजनिक बैठक में भाषण देने का साहस नहीं कर सकती। ऐसा इसलिये नहीं कि उन्हें कोई हानि पहुंचाई जायगी बल्कि इसलिये कि प्रधान मंत्री बिहार की जनता को अपना मुहं नहीं दिखा सकती।

मुझे पता है कि ये लोग समय-समय पर कैसी बातें करते हैं। केन्द्रीय कक्ष में कुछ और कहते हैं और यह कुछ और। अतः उनकी कथनी को मैं अधिक महत्व नहीं देता। इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह सारा मामला पूर्व नियोजित था और राज्य सरकार के हाथों यह योजना बड़ी सावधानी से बनाई गई थी। और उन्हें केन्द्र का भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। नहीं तो यह घटना कभी भी न होती। श्री जय प्रकाश नारायण ने ठीक ही कहा कि हमलावरों को श्रीमती गांधी का समर्थन प्राप्त था। अन्यथा जलूस मंत्री के नेतत्व में निकलने ही क्यों दिया गया पुलिस सामने चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही और उसने कोई कार्यवाही नहीं की। श्री जय प्रकाश नारायण कार से बाहर ही नहीं निकल सके अतः उस स्थान तक नहीं पहुंच सके जहां सभा का आयोजन किया गया था। अब यह कहा जा रहा है कि श्री जय प्रकाश नारायण सभा में अपनी ही मर्जी से नहीं आये। इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जब श्री जय प्रकाश नारायण को इस बात का पता लगा कि उन्हें कार से बाहर नहीं निकलने दिया जायगा तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इस स्थान से दूर जाना ही पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि कलकत्ता में कोई सभा नहीं होगी। हम जख्मी हालत में भी वहां सभा का आयोजन करेंगे। हमें वहां बैठक करने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती।

अब श्री सिद्धार्थ शंकर रे कहते हैं कि जब 25 तारीख को श्री जय प्रकाश नारायण आयेंगे तो उन्हें वहां सभा आयोजित करने दी जायेगी। हम उनसे दया की भीख नहीं मांग रहे। हम तो जनता के सहयोग से वहां सभा का आयोजन करेंगे। श्री जयप्रकाश नारायण की सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा यहां तक कि प्रधान मंत्री द्वारा निन्दा की जा रही है। उन्हें विदेशी एजेंट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह अपना आन्दोलन विदेशी धन के सहारे चला रहे हैं। श्री जय

प्रकाश नारायण के पास कोई सम्पत्ति नहीं है. **(व्यवधान)** आप लोगों ने उन्हें मारने का संकल्प कर रखा है । **(व्यवधान)** इसीलिये उन्होंने घटना के तुरन्त पश्चात कहा कि अगर मैं हमलावरों के हाथ लग जाता तो वे मुझे जान से मार डालते ।

Shri Shankar Dev (Bidar) : Mr. Speaker my point of order. When I went to participate in Sarva Seva Sangh, I was pushed and manhandled... (*interruption*). I regret that Mr. Mishra did not utter a single ward on that day (*interruption*)

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : These people flater Smt. Indira Gandhi in Bhoodan Movement (*interruption*).

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य ऐसी घटनाओं के आशय पर विचार करेंगे और अगर ऐसी घटनाएं निरन्तर होती रहीं तो क्या हमारा लोकतंत्र जीवित रह सकेगा । यदि ऐसी घटनाएं सत्तारूढ़ दल की छत्रछाया में हो रही हैं तो एकदिन ऐसा आएगा जब जनता की आस्था लोकतांत्रिक पद्धति से पूर्णतया हट जायेगी । इन घटनाओं से यह महसूस होता है कि सत्तारूढ़ दल देश में फासिस्टवाद के विकास पर तुला हुआ है । किन्तु माननीय सदस्य यह बात भली भांति जान लें कि उनके पास प्रयास कुछ भी हों देश की विशालता, विविधता तथा जनता की चैतना इस देश में फासिस्टवाद को कदापि न पनपने देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने संशोधनों की सूचनाएं भेजी हैं । मैं एक–एक करके उन्हें बुलाऊंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Deputy Seapker, Sir, I rise on a point of order They can not move the amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस संशोधन के सम्बन्ध में है ?

Shri Madhu Limaye : My point of order is under Rule 344. The text of the motion of Shri Shyam Nandan Mishra

"This House deplores the recent violent incident in Calcutta in which Shri Jaya Prakash Narayan's car was attacked and a Member of the House Sri Samar Guha and his colleagues sustained injury."

Now Shri Indrajit Gupta wants to add the words: "the spate of violence unleashed from Bihar by Shri Jaya Prakash Narayan's followers resulting in". This amendment cannot be made in the Motion because the persons who attacked Haya Prakash Narayan were not his followers.

उपाध्यक्ष महोदय : आप तीन आधारों पर संशोधन के बारे में आपत्ति उठा सकते हैं । पहला तो यह कि इसका स्वरूप नकारात्मक है, दूसरा यह कि यह विषय-क्षेत्र से बाहर है और तीसरा यह कि इस पर पहले ही निर्णय किया जा चुका है और इस प्रकार इसको फिर से पेश नहीं किया जा सकता ।

Shri Madhu Limaye: This amendment is contradictory to the text of the motion and thus cannot be accepted. Therefore you should not accept the amendment.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): We have not received the amendment.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश करने की स्वीकृति आज दी गई है । इसके बाद कई संशोधन प्राप्त हुए हैं । संशोधनों की साइकिलोस्टाईल की हुई प्रतियां सदस्यों

[उप.ध्यक्ष महोदय]

की सीटों पर रख दी गई हैं। कई माननीय सदस्यों ने संशोधन देख लिए हैं। यदि आपको प्रति नहीं मिली तो वह आपको उपलब्ध कराई जा सकती है।

श्री मधु लिमये : आप सबसे पहले यह पता लगाएं कि कौन-कौन सदस्य संशोधन पेश करना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं किसी सदस्य को बोलने की अनुमति देता हूं तो यह स्पष्ट है कि मैं उसको संशोधन पेश करने की अनुमति दे रहा हूं। प्रक्रिया यही है (**व्यवधान**) मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को संशोधन पेश करने की अनुमति दी है। यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं आपकी बात सुनने के बाद विनिर्णय दूंगा। लेकिन मैं संशोधनों पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संशोधन परिचालित करने का यह अर्थ नहीं कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। परिचालन का अभिप्राय सदस्य को सूचित करना है। इसका अर्थ केवल यह है कि संशोधन को पेश करने का प्रस्ताव है। अधिकांश संशोधन मेरे प्रस्ताव को नकारात्मक बना देने वाले हैं और इस प्रकार मुख्य प्रस्ताव के विषय-क्षेत्र से बाहर हैं। इसीलिए सभी संशोधन अस्वीकार कर देने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन स्वीकार करने का काम अध्यक्ष महोदय का है। जब सूचना स्वीकार कर ली जाती है तो उसे परिचालित कर दिया जाता है। अब आपका कहना है कि स्वीकार करने से पूर्व भी सूचना परिचालित की जा सकती है। मुझे श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात भी सुननी होगी क्योंकि यह उन्हीं का संशोधन है। मैं इस मामले में आप सबका सहयोग चाहता हूं। यदि प्रत्येक संशोधन वाद-विवाद का विषय बनाया जाएगा तो सदन की कार्यवाही किस प्रकार चलेगी ?

Shri Madhu Limaye: Sir, you first find out who wants to more the amendments, and. then you hear my objection and counter objections by the mover and then give your ruling That is the only way to dispose of the matter....

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा सुझाव यह है कि आप संशोधन की सूचना देने का समय नियत कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : 3 बजे तक का समय रखा गया था। मैं अब कोई सूचना स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री वीरेन्द्र भट्टाचार्य (सीरमपुर) : लेकिन आप ऐसा संशोधन स्वीकार न करें जो प्रस्ताव के उद्देश्य के विरुद्ध हो (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है संशोधन सम्बन्धी नियम के बारे में कुछ भ्रान्ति है। नियम संख्या 83 में यह बात स्पष्ट कर दी गई है। प्रायः संशोधन की सूचना एक दिन पूर्व दी जाती है और उसी दिन उसे परिचालित किया जाता है। यदि अध्यक्ष यह अनुभव करते हैं कि संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता तो वह सदस्य को चैम्बर में बुला सकते हैं या माननीय सदस्य चैम्बर में जा सकते हैं और उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसे किस प्रकार

स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आज की कठिनाई का कारण यह है कि सब कुछ आज ही हो रहा है और इसी कारण भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि सदस्य संक्षेप में कहें ताकि सभा का कार्य समय पर पूरा हो सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा निवेदन है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मेरे प्रस्ताव को नकारात्मक बना देता है और साथ ही यह संशोधन प्रस्ताव के विषय-क्षेत्र से बाहर है तथा प्रस्ताव एवं संशोधन परस्पर विरोधी है। मेरा प्रस्ताव एक विशिष्टि घटना स्थल पर घटी घटना के सम्बन्ध में है। यह घटना 2 अप्रैल को कलकत्ता के एक विश्वविद्यालय में घटी। श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन कलकत्ता के स्थान पर बिहार में घटी घटनाओं से सम्बन्धित है। मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य घटना की भर्त्सना करना है जब कि संशोधन का उद्देश्य घटना का औचित्य सिद्ध करना है। यदि इस संशोधन को मेरे प्रस्ताव में जोड़ दिया जाता है तो स्पष्ट है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदन में यह प्रक्रिया अपनाई जाती रही है कि जब संशोधन की सूचना दी जाती है तो ये सूचनाएं अध्यक्ष के पास भेज दी जाती हैं। इसके बाद इस बात की जांच की जाती है कि ये सूचनाएं नियमानुसार हैं अथवा नहीं। जो सूचनाएं नियमानुसार होती हैं वे ही परिचालित की जाती हैं। परन्तु आज सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मुझे, आज इसका अवसर नहीं मिला कि मैं इन संशोधनों को देख सकूं।

मैं अपने संशोधन के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप मेरा संशोधन पढ़ें तभी आपको पता चल सकेगा कि यह संशोधन प्रस्ताव में जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं और यह संशोधन नियमानुसार है अथवा नहीं।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि इससे मूल प्रस्ताव को नकारा गया है।

श्री मधु लिमये : ऐसा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री मिश्र ने तर्क दिया है कि उनके प्रस्ताव में एक विशेष घटना का उल्लेख किया गया है।

यदि पूरे प्रस्ताव को मेरे प्रस्तावित संशोधन के साथ पढ़ा जाये तो यह प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं जाता। नियम 344 (3) जहां लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे महत्वपूर्ण वाद-विवाद में तदर्थ निर्णय लेने में कठिनाई यही है। हमें तैयारी के लिए कोई समय नहीं मिलता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने स्वयं कहा है कि इस राजनीतिक मामले ने भावनाओं को बहुत उभारा है अतएव इसे संकीर्ण तकनीकी दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा संशोधन संगत है तथा यह प्रस्तुत प्रस्ताव की मूल भावना के विरुद्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नौ सदस्यों ने संशोधन प्रस्तावों की सूचना दी है जिनके नाम हैं, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री आर० वी० नायक, श्री नरसिंह नारायण पांडेय, श्री ज्योतिर्मय बसु

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री मूलचन्द डागा, श्री मधु लिमये, श्री जनेश्वर मिश्र, प्रो० मधु दंडवते तथा श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे और संशोधन नहीं लिये जायेंगे। समयाभाव के कारण कुछ संशोधन प्रचालित किये गये हैं कुछ नहीं हैं। जो संशोधन प्रचालित नहीं किए गये उन्हें मैं पढ़ देता हूं।

संशोधनों की स्वीकार्यता का मामला मुझे विषय परिस्थिति में डाल रहा है। सारे सदन को इसकी जानकारी है, फिर भी सभा इसका फैसला नहीं कर पा रही। मुझे इसका निर्णय करना है।

श्री मधु लिमये : मुझे आशा है कि आप सफल होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विषय परक हो कर निर्णय लूंगा और मुझ आशा है कि माननीय सदस्य उसी भावना से इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हम लोग मूल प्रस्ताव को ही स्वीकार नहीं करते इस लिए कोई भी संशोधन समान रूप से अच्छा या बुरा हो सकता है। संशोधनों की स्वीकार्यता पर एक ही आपत्ति श्री मधु लिमये ने उठायी थी और वह संगत होने के बारे में है।

श्री मधु लिमये : मेरी दो आपत्तियां हैं कि यह संशोधन नकारात्मक तथा विरोधी हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रस्ताव का सार यह है कि कुछ घटनाओं की निन्दा की गई है और इस संशोधन द्वारा भी हिंसात्मक घटनाओं की निन्दा की जा रही है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन प्रस्ताव को न कारता नहीं क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह घटना इन इन कारणों से घटी। ऐसी पृष्ठभूमि दिये बिना घटना की निन्दा किया जाना व्यर्थ होगा।

श्री वीरेन्द्र भट्टाचार्य (सीरमपुर): इस प्रस्ताव में श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा एक विशेष स्थान पर हुई विशेष घटना की निन्दा की गई है। यदि इस संशोधन पर ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि कैसा हास्यस्पद संशोधन रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वीकार्यता पर ध्यान देते हुए मैं नियमों का अधिक ध्यान रखूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मूल प्रस्ताव हमें 12.30 पर प्रचालित किया गया था। श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन श्री जय प्रकाश नारायण के समर्थकों द्वारा बिहार में पैदा की गई हिंसा की स्थिति को भी लिया गया है। श्री भट्टाचार्य न कहा है कि मूल प्रस्ताव कलकत्ता का घटना के बारे में है जब कि संशोधन में बिहार का उल्लेख किया गया है।

श्री पीलू मोदी : मूल प्रस्ताव में कलकत्ता में श्री जय प्रकाश नारायण तथा उनके समर्थकों पर हमले की निन्दा की गई है जब कि संशोधन में कि यह स्थिति श्री जय प्रकाश और उनके समर्थकों द्वारा पैदा की गई। यह संशोधन निरर्थक है।

श्री एस० एन० मुकर्जी : तथ्य तो यह है कि प्रस्ताव का उद्देश्य एक विशेष घटना की निन्दा करना है। मूल प्रस्ताव में एवं संशोधन में कोई विरोध नहीं पड़ता। संशोधन से यह प्रकट नहीं होता कि घटना ही नहीं घटी अपितु उस पृष्ठभूमि पर ही प्रकाश पड़ता है जिसमें घटना घटी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Attempts were made to bring this matter in the forms of an adjournment motion, which was rejected on the plea that it was not time by and relate to a state matter. My friend Sh. Inderjit Gupta want to link it with the incidents of Bihar movement which has been giving on for one year. Who attacked the car of Shri Jaya Prakash Narayan. Shri Inderjit Gupta want to put together the supporters and opponents Jaya Prakash.

श्री मधु लिमये : इस बात का आपको निर्णय करना है कि संशोधन नकारात्मक है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वीकार्यता पर विचार करते समय मुझे यह नहीं देखना कि संशोधन दोष किस पर थोपता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: In the motion moved by Shri Mishra the persons who attacked the car of the Shri Jaya Prakash Narayan have been condemned. But in the amendent of Shri Inderjit Gupta the supporters of Shri Jaya Prakash have been condemned.

If the members of the Congress party want to condemn the happening of Bihar, they may have another motion.

प्रो० मधु दंडवते : पूरा मामला हमले से सम्बद्ध है जिसमें दो ही पक्ष होते हैं। एक हमलावर दूसरे उनका लक्ष्य। इस प्रकार श्री गुप्त का संशोधन नकारात्मक है।

Shri Narsingh Narayan Pandey (Gorakhpur) : The amendment of Shri Inderjit Gupta is very appropriate. The chain of violence started from Bihar. The entire situation would have to be leaked into in its' perspective. If this amendment is not accepted the violent incident happening in various parts of the country would get encouragement.

प्रो० शेर सिंह : मूल प्रस्ताव में कलकत्ता घटना की निन्दा की गई है जबकि संशोधनों में बिहार में हुई हिंसात्मक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अतएव दोनों संशोधन नकारात्मक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य हिंसा के वातावरण की निन्दा करना चाहते हैं तो उन्हें पृथक प्रस्ताव लाना होगा।

श्री एन० एन० पांडे : यदि आप एक हिंसात्मक घटना की चर्चा करते हैं तो अन्य घटनाएं साथ ही आ जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर मुझे संशोधनों की स्वीकार्यतया पर विचार करना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र का प्रस्ताव इस प्रकार है :

"यह सभा हाल में कलकत्ता में हुई हिंसक घटना की निन्दा करती है, जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया तथा सभा के एक सदस्य श्री समर गुह और उनके साथियों को चोटें आयीं।"

प्रस्ताव में केवल कलकत्ते की घटना की निन्दा की गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव में एक विशेष घटना की निन्दा की गई है जब कि श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन में समूचे देश में उत्पन्न हिंसात्मक घटनाचक्र को लिया गया है। इस प्रकार हमें दोनों को समझ कर आगे का निर्णय करना है। मैं मानता

[उपाध्यक्ष महोदय]

हूं कि न केवल कलकत्ता में बल्कि देश के तथा विश्व के अन्य स्थानों पर भी हिन्सा हो रही है। अतः यह अच्छा होता यदि हम देश के सभी भागों की हिन्सा पर विचार करते। इस प्रकार श्री गुप्त का संशोधन श्री मिश्र के प्रस्ताव के दायरे में नहीं आता। अब मैं श्री एच० के० एल० भगत को बुलाता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली): हमें श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा निकाले गये निष्कर्षों और उनके द्वारा लगाये गये आरोपों पर बिना किसी पूर्व धारणा के और निष्पक्षता से विचार करना है। उन्होंने कहा है कि श्री जय प्रकाश नारायण पर हमला करने का षडयन्त्र रचा जा रहा है। इसीलिये उनकी कार पर आक्रमण किया गया। क्या ये आरोप ठीक हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे षडयन्त्र के होते हुए श्री नारायण कार में बैठे रहे। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा की व्यस्था की हुई थी। श्री मिश्र के कथन पर विचार करने से यह समझ में आता है कि श्री मिश्र सत्तारूढ़ दल को और प्रधान मंत्री को बदनाम करने के लिए ये मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। उनके आरोप निराधार हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ने प्रदर्शन से पहले एक सभा में भाषण दिया था। उन्हें हानि पहुंचाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। श्री जय प्रकाश जी ने स्वयं भी यह नहीं कहा कि किसी ने उन्हें कार से निकालने का प्रयास किया था। इससे यह बात साबित होती है कि श्री मिश्र के आरोप निराधार हैं और उनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है।

डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए।

Dr. Henry Austin in the Chair

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि श्री जय प्रकाश नारायण जिस सभा में भाषण देने वाले थे उसमें वह ऐसा नहीं कर सके उसके लिए मुख्य मंत्री को खेद है। मुख्य मंत्री ने यह बहुत ठीक बात कही है। आज देश में वातावरण को कौन हिंसा पूर्ण बना रहा है। हाल में प्रधान मंत्री जब दिल्ली में शिवाजी की शताब्दी समारोह में भाषण कर रही थीं तो उस समय किसने प्रदर्शन किया था। कुछ महिलाओं को वहां पर भेज गया था ताकि वे प्रधान मंत्री की सभा में गड़बड़ कर सकें। कांग्रेस दल के नेताओं की जन-सभाओं पर पत्थर फेंके जाते हैं। पटना में अनेक बार ऐसा हो चुका है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि राजनीति में हिंसा को न लायें। फिर संसद् के घेराव की धमकी दी गई है। क्या संसद य होगा। सरकार को शासन चलाने का अधिकार प्राप्त है।

हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। परन्तु दूसरे ही दिन प्रतिपक्षी दलों की ओर से वक्तव्य जारी हो जाता है कि यह तो पूर्व नियोजित था। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर आक्रमण की घटना हमारे समक्ष है। श्री एल० एन० मिश्र की हत्या के बाद भी ऐसा ही हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह लोकतन्त्रीय ढंग है? सेना और पुलिस को उकसाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वें आदेशों का पालन न करें। क्या ऐसा करना देशद्रोह नहीं है? बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की जनता लोकतन्त्र में आस्था रखती है। वह हिंसात्मक तरीकों को अपनाने के विरुद्ध है।

मेरी इस सरकार से एक शिकायत है। मैंने पहले भी मांग की है कि सरकार पिछले एक वर्ष में प्रतिपक्ष वालों की ओर जो भी कहा गया है या लिखा गया है उस पर एक श्वेतपत्र जारी करे ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (श्रीरमपुर) : श्रीमान, मैं श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उसमें सत्तारूढ़ दल की नीतियों के कारण देश की वास्तविक स्थिति का सही चित्रण है। श्री जयप्रकाश नारायण के कलकत्ता आगमन से पहले ही कांग्रेस के युवक वर्ग की ओर से प्रचार किया जा रहा था कि वे श्री जय प्रकाश नारायण को कलकत्ता में रैली नहीं करने देंगे। उस दिन की घटना के चित्र सभी समाचारपत्रों में छपे हैं। वहां पर प्रदर्शनकारियों में एक मंत्री भी थे।

हमने आप को पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में बताया है। वहां पर आतंकपूर्ण शासन चलाया जा रहा है। राज्य में फासिस्ट लोग सक्रिय हैं और हमारे दल के हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया है।

मुख्य मंत्री महोदय ने इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया है परन्तु उन्होंने इस की निन्दा नहीं की है। श्री जय प्रकाश नारायण ने कलकत्ता में उस दिन दो सभाओं में भाषण देना था। वह छात्रों और अध्यापकों की बैठक के बाद हाल से बाहर आने वाले थे तो उन्हें रोका गया। श्री गुह तथा अन्य कुछ लोगों ने श्री नारायण को बाहर आकर कार में बैठने में सहायता दी। उस समय उनकी कार को घेर लिया गया और उन्हें दूसरी सभा में नहीं जाने दिया गया। उनकी कार पर पत्थर भी फैंके गये। यही बात श्री जयप्रकाश जी ने स्वयं कही है।

श्री सिद्धार्थशंकर राय पहले यहां पर केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री थे। उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य मंत्री इसी लिए बनाया गया था ताकि वह चुनाव में गड़बड़ करके अपने दल का बहुमत कायम कर सकें। 1971 में वहां ऐसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल के सभी समाचार-पत्रों ने इस गम्भीर घटना की निन्दा की है। इससे सिद्ध हो गया है कि वहां पर लोकतन्त्र नहीं है।

सी० पी० (एम०) के नेताओं को सभाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जूट उद्योग में हड़ताल के दिनों में ऐसा हुआ है। अब श्री जयप्रकाश नारायण के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। उन्हें सभा में भाषण देने के लिए नहीं जाने दिया गया है। आज देश में पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। भूमि सुधार लागू नहीं किये जा रहे हैं। मज़दूर लोग सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं।

श्रीमती गांधी ने 1959 में जब वह कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, केरल की साम्यवादी सरकार को पदच्युत कर दिया था। अब कांग्रेस दल देश में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहता है।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं। प्रथमतः इसमें राज्य सूची के एक मामले को उठाया गया है। इस प्रस्ताव को लाने वाले माननीय सदस्य ने कलकत्ता की घटना की निन्दा की है। क्या उन्होंने 1967 से 1971 तक लगातार होने वाली हिंसा की निन्दा की थी। क्या उन्होंने सी० पी० (एम०) वालों की निन्दा की थी। क्या श्री जय प्रकाश नारायण ने उस समय कोई आह्वान दिया था। अब तो वह सशस्त्र सेनाओं को

[श्रीमती माया राय]

विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हैं। अब पूर्ण क्रान्ति की बात कर रहे हैं। इसका प्रभाव यह है कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। हम देश में शान्तिमय ढंग से आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते हैं।

हमारे दल के लोगों के साथ हाल में बिहार में दुर्व्यवहार किया गया है। हमने उस समय कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा था। कांग्रेस अध्यक्ष पर हाल बड़ोदा में आक्रमण किया गया था। हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। हम सदा हिंसा की निन्दा करते हैं। हम व्यक्तियों को इतना महत्व नहीं देते। हम तो सिद्धान्तों पर चलते हैं। हम चरित्र हनन नहीं करते और ना ही हम साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्यों की तरह अन्य व्यक्तियों पर घणित प्रहार ही करते हैं।

बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ की अवधि के बाद वहां शान्ति का वातावरण पैदा किया गया है। हम शान्त वातावरण चाहते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के कहने पर फासिस्ट-वादी लोगों को नहीं रखेंगे क्योंकि ये लोग शान्ति भंग करना चाहते हैं। जब श्री जय प्रकाश ने मार्क्सवादी शक्तियों के साथ गठजोड़ किया तो इससे बंगाल के लोगों में क्रोध जाग गया। अतः मुझे उन लोगों के कार्य के लिए कोई पश्चाताप नहीं है। यदि जयप्रकाश ऐसी शक्तियों के साथ फिर बंगाल आयेंगे पो उनके साथ फिर ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपना पूरा जोर लगा रही है। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल, जन संघ और भारतीय लोक दल तथा अन्य प्रतिक्रियावादी दलों के साथ हैं। इस क्रान्ति में बंगाल ने भी भाग लिया और बंगाल में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने 22 महीने तक शासन किया है। न तो श्री जय प्रकाश नारायण ने, न प्रोफसर समर गुह ने और ना ही श्री मिश्र ने छात्र परिषद् के लड़कों की निर्मम हत्या की निन्दा की है?

यदि देश में ऐसा वातावरण होने दिया गया तो यहां अराजकता की परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी जो श्री जयप्रकाश नारायण और श्री समर गुह को भी अपने प्रवाह में बहा ले जायेंगी और देश की प्रगति और विकास दशकों के लिए अवरुद्ध हो जायेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण और श्री समर गुह की ठोस कार्यवाही यह थी कि हमारे प्रधान मंत्री पर गन्दी और भद्दी भाषा से प्रहार किया जाये। बंगाल में हमारे युवकों ने अपनी प्रति-क्रिया से इसका विरोध किया है। बंगाल की जनता ने उनके आन्दोलन का कारण करार जवाब दिया है और 'भविष्य में भी ऐसा ही होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जहां तक कलकत्ता की घटनाओं का सम्बन्ध है उस पर इस सदन में वाद विवाद करने से कोई समझौता नहीं होने वाला है। निर्विवाद यथार्थता तो यह है कि श्री जय प्रकाश नारायण को यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट हाल में आयोजित एक बैठक में भाषण देने से रोका गया है। दूसरे, इन्स्टीच्यूट हाल में भाषण देने के लिए जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे स्टूडेंट्स हाल में जो वहां से कोई सौ गज पर ही है भी एक भाषण दिया था। तीसरे, श्री जय प्रकाश नारायण की कार की छत पर एक महिला बठी थी। ये सब बातें सच हैं। यह बात भी सच है कि श्री जय प्रकाश नारायण को कोई चोट नहीं आई है।

इन निर्विवाद तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्री जय प्रकाश नारायण की हत्या करने का सुनियोजित प्रयास किया गया है ।

यह विश्वास करना कठिन है कि इंस्टीच्यूट हाल में भाषण देने के लिए श्री जय प्रकाश नारायण को रोकने और एक महिला के उनक. कार पर बठने का यही आशय है कि उनकी हत्या का विकराल षड़यंत्र किया गया था । जहां तक कलकत्ता क. घटना का सम्बन्ध है, इस बात की शिकायत नहीं की जानी चाहिए कि उन्हें उग्र प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और उन्हें छोटी मोटी खरोचें आने के कारण भी रोना चिल्लाना नहीं चाहिए । पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने खेद व्यक्त किया है । उन्होंने कहा है कि कुछ लड़के उत्तेजित हो गये थे । वहां घातक शस्त्र नहीं थे । लेकिन क्या जैसा कि आरोप लगाया गया है यह सच है कि एक भीड़ श्री जय प्रकाश नारायण पर आक्रमण करने और उनकी हत्या करने वहां गई थी, जब कि वहां से एक सौ गज की दूरी पर एक अन्य हाल में एक बैठक बड़े शांत वातावरण में सम्पन्न हुई थी ? यह कोई एक व्यक्ति ही नहीं है जो श्री जय प्रकाश नारायण को यह धमकी दे रहा हो कि यदि वह कलकत्ता गये तो उन पर आक्रमण किया जाएगा । श्री जय प्रकाश नारायण का कलकत्ता जाने से पहले यह चुनौती देना भी अनुचित है और बुद्धिमानी नहीं है कि मैं वापस आउंगा......

मेरे इस संशोधन का जो दुर्भाग्यवश अस्वीकृत हो गया है यह दिखाने का उद्देश्य है कि इस सब घटना चक्र के पीछे एक मूल अपराध है जो इस सबके लिए जिम्मेदार है । इस समस्या पर इस संदर्भ के रहित विचार करना ही निष्कपट और गैर-राजनीतिक तरीका है । क्या यह सब कुछ अचानक हुआ है ? जब श्री जय प्रकाश नारायण ने 18 मार्च, 1974 को सर्वप्रथम बिहार में अपना आन्दोलन आरम्भ किया था उनकी छात्र संघर्ष समिति ने आगजनी और लूटपाट आरम्भ कर दी थी ।

18 मार्च, के प्रदर्शन के लिए जारी की गई अपील द्वारा छात्रों से पवित्र एवं खूनी क्रान्ति का आह्वान किया गया ।

श्री मधु दंडवते : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह बातें श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा नेतृत्व सम्भालने से पूर्व घटीं . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 6 अक्तूबर, 1974 के तीन दिन के बिहार बन्द के बाद एक बड़ी रैली हुई जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को सदस्यों एवं मंत्रियों के घरों में जाकर उन्हें निकालना चाहिये तथा उनसे कहना चाहिये कि उन्हें जाना होगा । छात्रों से परीक्षाओं का बहिष्कार करने के लिये भी कहा गया । मैं पूछना चाहता हूं कि किस देश में राजनीतिज्ञ सार्वजनिक सभाओं में पुलिस एवं सेना से विद्रोह करने को कहते हैं । श्री जय प्रकाश नारायण के बारे में श्री एस० एस० खरे ने अपनी पुस्तक में लिखा कि 1967 के निर्वाचन के पश्चात् उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को सेना की सेवा से स्थिरता लानी चाहिये ।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब किसी मामले के साथ श्री जय प्रकाश नारायण जैसे नेता का नाम जोड़ा जाता है तब स्रोत बताया जाना चाहिये । इसके अभाव में इतना गम्भीर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इससे पूर्व कि आप अपना निणय दें, कृपया यह बतायें कि क्या सभा में उदाहरण दिये जा सकते हैं अथवा नहीं ।

सभापति महोदय : श्री गुप्त ने ऐसे लेखक से उद्धृत किये हैं जिन्होंने आधुनिक विषयों पर ग्रन्थ लिखें हैं। श्री गुप्त इस घटना के साक्षी तथा भुक्तभोगी हैं ; वह भी जिस स्रोत से चाहें उद्धरण दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के शुरू होने से उनकी कार्यवाहियों तथा वक्तव्यों से हिंसा के बीज बोये गये। उनके आन्दोलन का शान्तिपूर्ण संगठनों, नक्सलियों, आनन्दमार्गियों एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सहयोग प्राप्त था। पटना में 11 नवम्बर, 1974 को हुये भारतीय साम्यवादी दल के प्रदर्शन के बाद सभी समाचारपत्रों ने श्री जयप्रकाश के समर्थकों ने सभी गाड़ियां रोककर गरीब जनता को बाहर निकाल दिया।

मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा साधन है जिससे इन सभी बातों को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने लम्बे वक्तव्य में जो कि सभी पत्रों में प्रकाशित हुआ है बताया गया है कि श्री जयप्रकाश नारायण कलकत्ता में जिस मोरिया स्ट्रीट के फ्लैट में ठहरे थे वहां उन्होंने 'अवेकनिंग आफ लाइफ' संगठन की बैठक हुई जिसका सम्बन्ध न्यू सन्यास इन्टरनेशनल से है जो कि अमरिका में कार्य कर रहा है तथा जिसके सी० आई० ए० से सम्बन्ध हैं। यह कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता। हमें मिलकर विचार करना चाहिये कि जनता को बैठकों, प्रदर्शनों में भाग लेने के लिये बलपूर्वक न रोका जाय।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : कलकत्ता की घटना के बारे में प्रकाशित समाचारों एवं चित्रों से पता चलता है कि श्री जयप्रकाश नारायण को विश्वविद्यालय क्षेत्र में दो सभाओं में भाषण देना था। छात्र भवन की बैठक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

श्री श्याम नन्दन मिश्र ने यह आरोप लगाया है कि श्री जयप्रकाश नारायण की जान को खतरा या उनकी हत्या के लिये पूर्व नियोजित हमला किया गया। आरोप में यह भी कहा गया है कि पुलिस खड़ी देखती रही और एक प्रकार से प्रदर्शन का अंग बनी रही। यदि श्री जयप्रकाश की सुरक्षा के लिये कोई सैनिक नहीं था तो क्या युवकों के लिये इस वयोवृद्ध व्यक्ति को कार से बाहर घसीट लेना क्या कठिन था ? जब कि ऐसा नहीं हुआ इसका श्रेय पुलिस को है और यदि पुलिस ने उनकी सुरक्षा नहीं की तो फिर छात्रों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। यह एक सीधा सा तर्क है जो इस सम्बन्ध में दिया जा सकता है।

श्री मिश्र जी ने आरोप लगाया है कि श्री जयप्रकाश पर घातक हमला हुआ। उन्हें समझदारी और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिये। जब श्री जयप्रकाश ने कार से बाहर आने से इनकार कर दिया तो उन्हें शान्तिपूर्वक जाने दिया गया। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि युवकों और छात्रों का इरादा हिंसा प्रयोग का था।

मैं न केवल जयप्रकाश जी बल्कि प्रत्येक नागरिक के भाषण स्वतन्त्रता के अधिकार का पक्षपाती हूं। श्री जयप्रकाश को सेना तथा पुलिस को विद्रोह के लिये कहने की स्वतन्त्रता है। क्या भाषण स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है। आज भी बिहार में विधान सभा के सदस्यों का घेराव किया जा रहा है। श्री श्याम नन्दन मिश्र ने कहा है कि प्रधान मंत्री बिहार जा कर भाषण नहीं दे सकतीं। ऐसा क्यों है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्योंकि उनका विश्वास उठ गया है।

श्री वसन्त साठे : दो बातें हैं । एक तो यह है कि लोग उनका भाषण न सुनने आय । दूसरे यह भय है कि लोग हिंसक हो जायेंगे । घेराव क्या है ?

प्रकाशित चित्रों से यह सिद्ध नहीं होता कि श्री समर गुह के साथ दुर्व्यवहार किया गया था । परमात्मा का धन्यवाद है कि श्री समर गुह हमारे मध्य स्वस्थ खड़े हैं ।

इसलिये प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिये ।

हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहियें । अब भी हमें उन्हें बन्द करके संसदीय पद्धति की रक्षा करनी चाहिये । यदि आप इस उद्देश्य से प्रस्ताव लायेंगे तो हम आपके साथ मिलकर इसे पारित करेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं समझता था कि यह प्रस्ताव भी उसी प्रकार से सर्वसम्मति से पास किया जायेगा जिस प्रकार इलाहाबाद की अदालत में जहां प्रधान मंत्री के उपस्थित होने पर एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर गया था ।

[**श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए**
Shri Vasant Sathe *in the Chair*]

इस सभा ने उस घटना की सर्वसम्मति से निन्दा की थी ।

मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अन्य लोगों को गम्भीर चोटें आईं । श्री स्वराज बन्धु के दो दांत टूट गये । कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन के नेता श्री दलीप चक्रवर्ती को बुरी तरह घूसे मारे गये । राज्य सभा के सदस्य श्री डी० एल० सेन गुप्त के लड़के के सिर और मुंह पर टांके लगे ।

मुझे श्रीमती माया राय के इस कथन पर कि वे जो कुछ वहां हुआ उसका समर्थन करती हैं । क्या पश्चिम बंगाल के सभी कांग्रेस जनों० पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष की यही आवाज है । राज्य के मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष ने इस घटना की निन्दा नहीं की है ।

श्रीमती माया राय ने यह भी कहा कि इस संकल्प को लाना सदन का समय बर्बाद करना है और कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर हर्षध्वनि की । इससे पता चलता है कि हमारा कितना मानवीय पतन हो चुका है । इससे श्री जयप्रकाश नारायण को चोट नहीं पहुंची वरन् इससे भारतीय जनता की अन्तरात्मा पर आघात हुआ है ।

अमृत बाजार पत्रिका, बसुमति, आनन्द बाजार पत्रिका और स्टेट्समैन समेत पश्चिम बंगाल के सभी समाचार-पत्रों ने यह कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ ।

"आनन्द बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन तथा युगान्तर" में श्री जय प्रकाश नारायण के विरुद्ध किए गए हिंसात्मक प्रदर्शनों की निन्दा की गई है ।

[श्री समर गुह]

अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूं । पहले दिन जब श्री जयप्रकाश नारायण दम-दम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां पुलिस का अच्छा प्रबन्ध था । वहां काले झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी भी थे । पुलिस का प्रबन्ध इतना बढ़िया था कि किसी प्रकार की अनुचित घटना नहीं घटी । जब श्री जयप्रकाश नारायण ने विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसरों तथा छात्रों को सम्बोधित किया उस समय कोई विशेष गड़बड़ी नहीं हुई । किन्तु जब वह अपना भाषण लगभग समाप्त कर ही रहे थे कि अन्दर पत्थर फ़ेंके जाने लगे । एक ओर मेरे मित्र श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी बैठे हुए थे । श्री सुब्रतो मुकर्जी को भी मैंने इसी ओर बैठे हुए देखा । मुझे इन लोगों से पूरा स्नेह है । चाहे वे किसी भी दल के हों । किन्तु वे उभरते हुए युवक हैं, इसका मुझे गर्व है । उनका उल्लेख इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वे उस समय वहां थे । वहां दोनों ओर पुलिस ने रस्सा लगा रखा था । तब अकस्मात् ही लगभग 200 या 300 लोग हाथों में डंडे लिए हुए उत्तर से दक्षिण की ओर भागे-भागे आये । जब श्री जयप्रकाश बाहर आये तो कुछ सौ लड़के पुलिस के रस्से के पास आये । लगभग 200 या 300 लोगों ने श्री जयप्रकाश नारायण की कार घेर ली । हमने परिचय पत्र वाले छात्रों को प्रवेश करने दिया । इसका एक और भी कारण था । जब 30 तारीख को पनघटी में सोशलिस्ट पार्टी का वार्षिक सम्मेलन था तो मैं वहां भाषण देने गया । मैंने देखा कि वहां लगभग 300 सशस्त्र पुलिस 15, 20 पुलिस गाड़ियां आदि थीं । मैंने जब पूछा कि मामला क्या है तो मुझे बताया गया कि गड़बड़ होने की संभावना है। हमने सोचा कि यहां भी पूर्व सावधानी के तौर पर ऐसा किया जा रहा है । जब जयप्रकाश नारायण आये तो गड़बड़ शुरू हो गई। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं फैंकनी आरंभ कर दीं । जयप्रकाश नारायण एक सुरक्षा गारद के साथ कार में थे । पत्थर नहीं फ़ेंके गए बल्कि चप्पलें फ़ेंकी जाने लगी । वे डंडों से जयप्रकाश नारायण की कार पीटने लगे । कार के शीशे तोड़ दिए गए । अगर उन पर एक भी डंडा पड़ता तो वे खत्म हो जाते ।

वे नेताजी का बैग छीनने का प्रयत्न कर रहे थे । बड़ी गंदी-बातें कह रहे थे । वे कांग्रेस के लोग नहीं थे । वे भाड़े के टट्टू थे न कि वास्तविक कांग्रेसी । जब उन्होंने बैग छीनने का प्रयास किया तो मैंने उन्हें पीछे धकेला । मैंने उन्हें कहा कि मेरे जीते जी आप मुझ से नेताजी का बैग नहीं छीन सकते । तब कल्याण दत्त ने पूछा कि क्या हो गया है । आप तो घायल हो गए हैं । पुलिस सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कहते ? किन्तु कुछ नहीं किया गया ।

लगभग 2,000 जयप्रकाश नारायण समर्थक नवयुवक हाल के अन्दर बैठक में थे । यदि उन्हें बाहर आने के लिए कह दिया जाता तो वहां खून बह जाता । मैंने कहा दरवाजा मत खोलिए; उन्हें बाहर मत आने दीजिए । तब जयप्रकाश नारायण को बाहर आने दिया गया । तभी हजारों प्रदर्शनकारी वहां आ गए । मैंने उनके लिए "गुण्डा" शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा क्योंकि वे हमारे ही बच्चे हैं और हमने ही उन्हें ऐसा बनाया है । हम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए उन्हें गुन्डागर्दी या गड़बड़ करवाने के लिए काम में ला रहे हैं । वे गुमराह किए गए नवयुवक हैं ।

मैंने तत्काल पुलिस आयुक्त को टेलीफ़ोन किया और पूछा कि जयप्रकाश नारायण कहां हैं ? मैंने उनसे कहा कि यदि वह सुरक्षित नहीं हैं तो पता नहीं क्या हो जायेगा । उन्होंने मुझे बताया कि उनके आगे पीछे पुलिस की दो-दो गाड़ियां हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दस मिनट बाद जयप्रकाश नारायण ने मुझे टेलीफ़ोन किया और कहा कि मुझे मिलो । वहां उपस्थित छात्र कुछ और कार्यवाही करना चाहते थे किन्तु जयप्रकाश नारायण ने उन्हें ऐसा करने से रोका ।

मैंने तत्काल गृह मंत्री से ट्रंक काल की । काफ़ी समय तक उन से बात की । उन्होंने वचन दिया कि मामले की जांच की जाएगी ।

रात 10.30 बजे हमने अपनी बैठक बुलाई। किन्तु हमने श्री जय प्रकाश नारायण को बैठक में नहीं आने दिया। रात को 11.30 बजे मैंने प्रधान मंत्री को एक तार भेजा जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण अन्य लोगों तथा मुझ पर हुए हमले के बारे में मैंने उल्लेख किया।

पुलिस मूक दर्शक की भांति यह सब कुछ देख रही थी। उन कुछ सौ नवयुवकों को तितर बितर करना पुलिस के लिए कठिन नहीं था। श्री सुनील चौधरी डिप्टी कमिश्नर वहां मौजूद थे। हर समाचार पत्र ने कहा है कि पुलिस वहां निष्क्रिय होकर तमाशा देख रही थी। इस समूची स्थिति पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता था। मैंने श्री कल्याण दत्त को पूछा यह सब क्या कर रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे हमें संदेह होता है कि यह सब कुछ सरकार के साथ सांठ गांठ करके किया गया है। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि श्री जय प्रकाश नारायण को विश्वविद्यालय हाल में बैठक में भाषण न देने दिया जाये। पुलिस वाले तो कार्यवाही करना चाहते थे किन्तु पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कुछ नहीं करने दिया। इसके लिए पुलिस अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। और सरकार की आज्ञा बिना पुलिस अधिकारी भी कैसे कार्यवाही करता।

एक बार मैं भीड़ को शांत करने के लिए कार पर चढ़ा। किन्तु विश्वास कौन करेगा? वे तो अपने ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं।

मेरे ख्याल से प्रत्येक संगठन को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध काले झंडों का प्रदर्शन कर सकता है, बशर्ते कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो। जय प्रकाश नारायण का पुतला जलाया गया; प्रदर्शन भी किया गया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि श्री जय प्रकाश नारायण इन्दिरा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे उप-प्रधान मंत्री बनाओ किन्तु इन्दिरा गांधी ने उन्हें उप प्रधान मन्त्री नहीं बनाया। जिससे वह रुष्ठ हो गए। श्रीमान तब आप जय प्रकाश नारायण के समर्थक थे और अब आप उनकी आलोचना कर रहे हैं... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इस स्थान पर बैठकर कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री समर गुह : यह सर्वविदित है कि 1953 में पंडित नेहरू श्री जय प्रकाश नारायण को उप-प्रधान मंत्री बनाना चाहते थे किन्तु यह स्वीकार नहीं किया। जय प्रकाश नारायण को समझना आप लोगों के लिए कठिन है। वह नैतिकता तथा राजनीति में मूल सिद्धान्तों के प्रतीक हैं। यदि ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण होता है तो देश में इसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

हमारे संविधान में यह मूल अधिकार दिया गया है कि किसी को किसी सभा में जाकर अपने विचार अभिव्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता। किन्तु जय प्रकाश जी को जिस प्रकार रोका गया ऐसा लगता है कि देश में तानाशाही का शासन लागू किया जा रहा है। देश को ऐसी प्रवृत्ति से सावधान उससे रहना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : श्री समर गुह ने उन सब हालात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जिनके कारण 2 अप्रैल को यह घटना घटी। वह भी उस दिन उस भीड़ में थे और उनका कहना है कि उन्हें उस स्थिति का शिकार होना पड़ा है। मैं भी वहां उपस्थित था। यह जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूं कि कलकत्ता विश्व विद्यालय के प्रांगण से मैंने प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

[श्री प्रिय रंजनदास मुंशी]

इससे पहले कि प्रस्ताविक तथा श्री समर गुह द्वारा अभिव्यक्त बातों के बारे में कहूं, मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करता हूं। प्रस्तावक ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और उस दिन श्री जय प्रकाश नारायण पर हमला ही करने का प्रयास नहीं किया गया था अपितु उन्हें जान से मार डालने का भी प्रयास किया गया।

जय प्रकाश नारायण का बंगाल का दौरा 23 अप्रैल, 1974 को पटना में हुए आन्दोलन से आरम्भ हुआ। उन्होंने 23 अप्रैल, 1974 को पहली बार वहां का दौरा किया।

बंगाल के युवकों का श्री जय प्रकाश नारायण पर हमला करने की कोई नीयत नहीं थी। युवक कांग्रेस और छात्र परिषद ने हमले की कोई योजना नहीं बनाई थी। उस दिन प्रदर्शन अनायास ही हुआ। परन्तु उस रोज श्री जय प्रकाश नारायण ने जो कुछ कहा, वह मैं जानता हूं और उससे छात्रों में उत्तेजना फैली।

श्री जय प्रकाश नारायण क्रांतिकारी नवयुवकों के प्रतीक किसी भी प्रकार नहीं हैं। भ्रष्टाचार से लोहा लेने के नाम पर वे छात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह कहना सर्वथा गलत है कि वे एक वयोवृद्ध आदमी हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, इसलिए वे सब कुछ कर सकते हैं। युवक शांत नहीं रहेंगे। मैं कलकत्ता तथा देश भर में प्रदर्शन करूंगा। मैं प्रतिक्रियावादियों से अवश्य लड़ूंगा, भले ही आनन्द मार्गी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुझे कठिनाई में डाल दें।

चार वर्ष पूर्व जब बंगाल में अव्यवस्था और हिंसा का बोलबाला था, उस समय जय प्रकाश कहां गए थे? वे पश्चिम बंगाल में तब आये जब वहां कानून और व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई और शांति कायम हो गई। यह सही है कि अभी भी युवक हिंसात्मक कार्यवाही में लगे हुए हैं। इसका कारण स्पष्ट है। एक तो राज्य का आर्थिक पिछड़ापन और दूसरे आज से चार वर्ष पहले मार्क्सवादी दल द्वारा बनाया गया हिंसा का वातावरण। अब जबकि हम जनता में विश्वास की भावना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जय प्रकाश नारायण सेना तथा पुलिस को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं।

कभी जय प्रकाश नारायण शान्तिदूत बन जाते हैं और कभी क्रान्ति के अग्रदूत। यदि जय प्रकाश नारायण प्रतिक्रियावादी और भ्रष्ट तत्वों की क्रान्ति के कमांडर हैं तो देश का नवयुवक उस क्रान्ति को रोकने के लिये फील्ड मार्शल है। श्री निर्मलानन्द देव के दल ने न केवल उकसाने वाली कार्यवाही शुरू की बल्कि विश्वविद्यालय की खिड़की से चप्पलें फेंकना शुरू कर दिया। श्री जय प्रकाश नारायण उस समय कार में थे। भारतीय लोक दल की बंगाल शाखा के अध्यक्ष श्री सुशील दारा तथा बंगाल यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री विश्वरंजन सरकार शीघ्र ही श्री जय प्रकाश नारायण के पास गये और उन्हें कार से उतारने के लिये कहा। तब श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा कि आदमी कहां हैं जहां मैं भाषण करूंगा। वे अप्रसन्न थे (व्यवधान) मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तब कार को दूर ले जाया गया। छात्र परिषद् के महासचिव ने, जो सभी राजनीतिक दलों के प्रिय हैं, हजारों लोगों की जानें बचा लीं नहीं तो वे नक्सलवादियों तथा मार्क्सवादियों द्वारा शुरू की गई हिंसात्मक गतिविधियों की लपेट में आ जाते। तब पुलिस और छात्रों के बीच कुछ झड़पें हुई। जो कुछ हुआ वह शर्मनाक था। मार्क्सवादियों ने अपने कुछ आदमी उस सभा के प्रबन्ध में विघ्न डालने के लिये भेजे। मैं छात्रों को उकसाने के लिये की गई कार्यवाही तथा श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा कही गई बातों के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि श्री जय प्रकाश नारायण

आन्दोलनकारी युवा वर्ग के प्रतीक नहीं हैं । वह प्रतिक्रियावादी हैं । वह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं । वह विश्वभारती के अध्यापकों और छात्रों को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं । वह बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्वभारती की उपकुलपति क्यों हैं । वस्तुतः वह प्रतिक्रियावादी हैं और फासिस्ट-वाद का प्रतीक हैं । क्या युवा वर्ग इसलिये अपना मुंह बंद किये रखे कि श्री जय प्रकाश नारायण एक बड़े तथा कमजोर व्यक्ति हैं ? चाहे मेरे मार्ग में कितनी बाधायें क्यों न आयें मैं पूरी शक्ति से प्रतिक्रियावादी ताकतों से मुकाबला करूंगा । क्या हमारे छात्रों को श्यामनन्दन मिश्र जैसे व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करनी होगी जिन्होंने वर्ष 1971 में कांग्रेस के आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने का साहस नहीं दिखाया था ? क्या युवा वर्ग को श्री मोरारजी देसाई से शिक्षा ग्रहण करनी होगी जो महात्मा गांधी के बहुमूल्य हथियार अनशन का दुरुपयोग कर रहे हैं ? क्या युवा वर्ग को श्री जय प्रकाश नारायण से शिक्षा ग्रहण करनी होगी ? जब पश्चिम बंगाल में 4 वर्ष हिंसात्मक घट-नायें घटती रहीं, उस समय वह कहां थे ? जिस विश्वविद्यालय संस्थान में वह भाषण देने गये, वहां महात्मा गांधी तथा विद्यासागर के चित्र जलाये गये (व्यवधान) उस समय वह कहां थे । जब यादवपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपकुल पति श्री गोपाल सेन की हत्या की गई उस समय वह कहां थे ? उन्होंने पश्चिम बंगाल में तब प्रवेश किया जब 4 वर्षों के हिंसा के वातावरण को समाप्त कर हम शान्ति स्थापना में लगे हुये थे । मैं मानता हूं कि गत वर्षों में हमारे छात्र अनुशासन विहीन हो गये थे और उन्हें दण्ड भी दिया गया । यूथ कांग्रेस ने ही मंत्रियों के विरुद्ध जांच करवाने की मांग की और उसके बाद वांचू आयोग नियुक्त किया गया । मैंने स्वयं अपने दल के 80 लोगों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन जेल भिजवाया । जब हम शान्ति का वातावरण बना रहे हैं, श्री जय प्रकाश नारायण पुलिस और जनता को आन्दोलन के लिये भड़का रहे हैं । श्री बीजू पटनायक और एच० के० महताब जैसे व्यक्ति उनका समर्थन कर रहे हैं । (व्यवधान) श्री जय प्रकाश नारायण हमेशा से हिंसा के अनुयायी रहे हैं । वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी हिंसा की निन्दा कर रहे थे, श्री जय प्रकाश नारायण ने कई राज्यों में हिंसा पर जोर दिया । श्री जय प्रकाश नारायण अपने आप को क्रान्ति का सर्वोच्च कमाण्डर बताते हैं । यदि वह ऐसा कहते हैं तो हमारी यूथ कांग्रेस भी फील्ड मार्शल है जो इस क्रान्ति का मुकाबला करेगी ।

बिहार में विधान सभा सदस्यों का जीवन सुरक्षित नहीं है । सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री वहां भाषण देने नहीं जा सकती । लेकिन यह प्रधान मंत्री ही थीं जिन्होंने वर्ष 1971 में लोगों का साथ दिया । हालांकि हमारी सरकार अल्पसंख्यक थी फिर भी हमने बंगलादेश का कार्य अपने हाथ में लिया ।

हम व्यक्तिगत रूप से जय प्रकाश नारायण के विरुद्ध नहीं हैं और न ही हमने कोई उकसाने वाले नारे लगाये हैं । हमारे नारे हैं : "हिटलर के तीन मित्र——जय प्रकाश नारायण, पी०सी० सेन, और ज्योति बसु" । 'जयप्रकाश नारायण और सुशील धर को बंगाल से निकाला जाएगा' 'दल विहीन प्रजातंत्र फासिस्टवाद का षड्यंत्र है' ' कम्बोदिया, राजा सिहानुक से शिक्षा लो' आदि आदि ।

मैं तीन बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं । पहली तो यह कि जय प्रकाश नारायण पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं था । हमारा शत्रु जय प्रकाश नारायण नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है । हम इसका मुकाबला करते रहे हैं और करते रहेंगे । दूसरी यह कि जय प्रकाश

[श्री प्रिय रंजनदास मुंशी]

नारायण के गत दौरे के दौरान युवा वर्ग ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये खतरा नहीं बल्कि देश के प्रजातंत्र के लिये खतरा बने हुये हैं। इस घटना के अगले दिन यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया।

वर्ष 1972 के चुनावों के बाद जय प्रकाश नारायण ने इच्छा व्यक्त की कि वह बंगाल आना चाहते हैं और यह पता लगाना चाहते हैं कि चुनावों में क्या गड़बड़ी हुई। मैंने उनको आने की खुली पेशकश की लेकिन वह नहीं आये। आज भी प्रतिपक्ष के अनुयायी जय प्रकाश नारायण को छोड़ कर हमारे दल में आना चाहते हैं लेकिन मैं एक दम उनको अपने दल में शामिल नहीं करूंगा। समय आएगा जब कलकत्ता में प्रतिपक्ष के अनुयायी इस्तीफा दे देंगे। जय प्रकाश नारायण उस समय प्रतिपक्ष की सहायता नहीं करेंगे।

मैं फिर से यह दोहराना चाहता हूं कि जय प्रकाश नारायण पर हमला करने का छात्र-परिषद् का कोई इरादा नहीं था। जय प्रकाश नारायण मार्क्सवादियों के भरोसे रहे और उन्होंने जय प्रकाश नारायण को धोखा दिया। स्वयं पी० सी० सेन उस सभा में नहीं गये थे क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह सभा असफल रहेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त के फ्लैट संख्या 3 में ज्योति बसु तथा अन्य व्यक्तियों की बैठक हुई। यह फ्लैट हिप्पियों का अड्डा है और यहां चरस का व्यापार होता है। इस फ्लैट में बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। मेरी मांग है कि इस बारे में पूरी जांच कराई जाये। जय प्रकाश नारायण अपने यरादों और इच्छाओं को पवित्र बनायें और प्रधान मंत्री की निन्दा न करें और प्रजातंत्र को दूषित न बनायें। मार्क्सवादियों का अब मार्क्स में विश्वास नहीं रहा और न ही लेनिन के प्रति आस्था है। वह जयप्रकाश नारायण का इसलिये अनुकरण कर रहे हैं क्योंकि किसी समय वह साम्यवादी थे।

मैं श्री समर गुह और उनके दल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आनन्द बाजार पत्रिका जय प्रकाश नारायण के बारे में बहुत कुछ लिख रही है। कुछ समय पूर्व इस पत्रिका ने यह लिखा था कि मुजीबुर्रहमान साम्प्रदायिक व्यक्ति हैं और बंगला देश साम्प्रदायिक देश है और वहां धर्मनिरपेक्षवाद समाप्त हो गया है। इसी पत्रिका ने मार्क्सवादी सदस्यों तथा श्री ज्योति बसु के वक्तव्य की सराहना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय वहां से पुलिस हटा लें क्योंकि हमारे पास अपनी पुलिस है। हम हिंसा नहीं चाहते। लेकिन मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के हाथ महिलाओं व बच्चों के खून से रंगे हुये हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। जय प्रकाश नारायण सभा बुलाना चाहते हैं। उनका स्वागत है। परन्तु अगर उन्होंने देश की एकता तोड़ने के लिये कोई शरारतपूर्ण प्रयास किया तो हम काले झंडों से इसका विरोध करेंगे।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): We have adopted democratic system of Government. Only tall talking would not preserve democracy, but unhealthy traditions have to be the set up for this purpose. Shri Priya Ranjan Das Munshi has cast aspersions on R.S.S. Baseless allegations levelled by on him. Member cannot be tolerated any more. I had once suggested to the Prime Minister to conduct an impartial enquiry into R.S.S. and we will accept the recommendations of the Enquiry Committee. It has been alleged that Shri Jaya Prakash Narayan is corrupt. Efforts have been made to malign him. But I am unable to understand why the

Government is affraid of conducting an enquiry into this. It has also been alleged that it is Shri Jaya Prakash Narayan who has created the climate of violence. But nobody is there to meet the Arguments he has raised. Whosoever he may be, there is no place for violence and atrocities in a democratic set up.

It has been alleged by Shri Priya Ranjan Das Munshi that R.S.S. is financed by the C.I.A. This is a baseless accusation. It is no use levelling wild charges against R.S.S. or the Members of the opposition. It simply vitiates the atmosphere. Everyone has a right to speak in democracy but it is wrong to coerce anybody.

I am saying so because I am here since 1967, much earlier than my friend Shri P.R. Munshi and I know these people and their association right from beginning. When this House discussed the Allahabad High Court incident at that moment we came out with unreserved condemnation. The Government has failed to bring to light the truth about the Samastipur Bomb blast. We do not know who made an attempt on the life of Shri Ray by throwing a bomb in his car? After all what is all this going on?

The atmosphere of violence is coming up in the country. The people are not going to believe these things. You have lost your creditability. We want that democracy should run quite peacefully in our country, all things should be done in accordance with the Constitution. If you people are all the time in the company of Communists, you should try to develop some of their qualifications. They indalge into self criticism. If a person differs with you, he should be allowed to criticise you.

The main question is that all of us should condemn the incident. It is not the main question whether J.P. was involved in it or incident occured at Delhi, Patna or Calcutta but the main point is that it should not have accured. There was a demonstration in Delhi on 6th March and ours being a main party had higher responsibility and no unwanted incident took place.

Several deaths occured in Bengal in the name of naxalities. We opposed these incidents by joining hands with Congress but these were not opposed by CPI (M) and CPI. At that time these people used to say that Government is mislead. My simple submission is that we should fined out the root of the sin and. we all should condemn the incident of Calcutta without even going into the merits of the case. There should be unreserved condemnation of the incident. The word 'deplore has been rightly used and we all should deplore the incident with these words, I support the motion.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तपुजा) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि सम्पूर्ण विरोधी पक्ष को साथ लेकर सारा सदन ही इसका विरोध करे। क्योंकि प्रथमत: यह एक ऐसी हिंसात्मक घटना है जो कानून और व्यवस्था पर एक कलंक है। दूसरी बात यह है कि यह एक राज्य विशेष का विषय है तथा यह संसद् तथा केन्द्र की परिधि में नहीं आता। यह बहुत खेद की बात है कि जब कल इस मामले पर विरोधी दलों को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति न दी गई तो उन्होंने सदन में धरना देने की धमकी दी। यह दु:ख की बात है कि आज सदन बाध्य होकर एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जो कि उसकी परिधि में नहीं आता। आखिर इस घटना में भला क्या ऐसी विशेषता है? चुनाव के आस पास इस प्रकार की घटनायें अक्सर होती रहती हैं परन्तु उन्हें इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अगर संसद् इस प्रकार की घटनाओं की ही चर्चा करने लगा तो सम्भवत: तो उसके पास सम्भवत: और विशेष कुछ रह ही नहीं जाएगा।

श्री समर गुह तथा श्री मुंशी द्वारा कलकत्ता की घटना का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, इसी के आधार पर मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता हूं। श्री जयप्रकाश ने विश्वविद्यालय हाल में सभा को सम्बोधित किया, वहां कुछ नहीं हुआ। उसी दिन उन्होंने अनेक सभाओं को सम्बोधित किया परन्तु कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। छात्र परिषद् के तत्वाधान में

[श्री सी० एम० स्टीफन]

एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। श्री समर गुह ने अपने वक्तव्य में कहा है कि श्री सुब्रोतो मुकर्जी तथा श्री प्रियरंजन दास मुन्शी ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर हो जाने की अपील की। उस समय 200 के करीब लोग उनके बीच आ घुसे तथा उन्होंने विरोध नारे लगाने आरम्भ कर दिये। उस समय श्री जयप्रकाश नारायण वहां आये। परस्पर विरोध नारों से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। श्री समर गुह ने स्वयं कहा है कि उन्होंने कार के बोनट पर चढ़ कर लोगों को सम्बोधित किया। हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब श्री समर गुह उत्तेजक होकर भाषण देते हैं तो स्थिति क्या हो सकती थी। उसी उत्तेजना में ही यह घटना घट गई होगी। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष का उत्तेजित हो जाना भी स्वाभाविक ही था।

इस घटना का महत्व केवल इसीलिये है कि इसका सम्बन्ध श्री जयप्रकाश नारायण से है। यह दुःख की बात है कि इस घटना की तुलना इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली घटना से की जा रही है। विपक्ष वालों का कहना है कि क्योंकि उस समय सभी ने एक मत से उस घटना की आलोचना की थी, अतः अब हमें सब को इस घटना की भी भर्त्सना मिलकर करनी चाहिये। क्या हम इतने मूर्ख हैं कि दोनों घटनाओं के अन्तर को न समझ सकें? क्या दोनों में भला कोई समानता है? प्रधान मंत्री तो सम्पूर्ण देश की नेता हैं, उसमें व्यक्ति की अपेक्षा पद की प्रतिष्ठा अधिक जुड़ी हुई है। फिर प्रधान मंत्री वहां न्यायालय में साक्ष्य देने के लिये गई थीं न कि किसी सभा में कोई राजनीतिक भाषण देने के लिये। प्रधान मंत्री को 1967 में भुवनेश्वर की एक सार्वजनिक सभा में पत्थर लगा था परन्तु उस समय संसद् में इसकी निंदा नहीं की गई थी। अतः इलाहाबाद का मामला बिल्कुल भिन्न है और इन दोनों मामलों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये। श्री जयप्रकाश की तुलना न श्रीमती इंदिरा गांधी से की जा सकती है और न ही महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी देश की गरीब जनता के सच्चे सेवक थे। वह श्री जयप्रकाश की तरह विशेष किराये लिये विमान द्वारा सफर नहीं करते थे।

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा क्रान्ति की बात की जा रही है परन्तु वह किस प्रकार की क्रान्ति चाहते हैं? उनके मन में क्रान्ति की क्या रूप रेखा है? वह किसका अनुसरण कर रहे हैं? क्या श्री नारायण इन राजनीतिक दलों के अनुयायी हैं या उनके पास कोई अपना कार्यक्रम है? श्री जयप्रकाश नारायण ने कलकत्ता में कुछ भाषण दिये। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में इतना साहस होना चाहिये कि वह अपने भाषण की प्रतिक्रिया को सहन कर सके। यदि वह अपने भाषण में प्रधान मंत्री की निंदा करते हैं, तथा कहते हैं कि प्रधान मंत्री जैसी औरत किसी विश्वविद्यालय की उपकुलपति कैसे हो सकती है तथा ऐसा सब वह विश्वविद्यालय क्षेत्र में कहते हैं तो फिर भला क्या उन पर वहां पुष्प वर्षा होती। ऐसा लगता है कि या तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है या फिर अतिशयोक्ति से काम लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ को दूसरे राजनीतिज्ञ का सम्मान करना चाहिये।

यह घटना एक महत्वहीन घटना थी। मुझे खेद है कि सदन ने व्यर्थ ही इस पर चर्चा की है। हमें इस प्रस्ताव को न केवल कांग्रेस दल के मत से अपितु सर्वसम्मति से पूर्णतया अस्वीकार कर देना चाहिये।

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम) : प्रो० समर गुह द्वारा जिस ढंग से 2 अप्रैल, 1975 को कलकत्ता में घटी घटना का उल्लेख किया है, उसे सुन कर लगता है कि हमें इस मामले पर केवलमात्र

राजनीतिक दृष्टि से नहीं अपितु मानवीय दृष्टि से विचार करना चाहिये । मैं कलकत्ता में 2 अप्रैल, 1975 को हुई घटना जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण तथा समर गुह पर आक्रमण किया गया, के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

2 अप्रैल, 1975 को कलकत्ता में जो कुछ हुआ वह विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नाम पर कलंक है । विरोध व्यक्त करना प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है । असहमति प्रजातंत्र का प्राण होता है यदि इस प्राण पर ही आक्रमण कर दिया जाये तो फिर भला प्रजातंत्र कैसे पनप सकता है ? हमें समझ नहीं आता कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे वयवृद्ध राजनीतिज्ञ ने ऐसा क्या कहा था किया होगा जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ते के सारे गुण्डे वहां एकत्र हो गये । सम्भवत: उन्होंने श्रीमती गांधी के राज्य में पनप रही रिश्वतखोरी का उल्लेख किया होगा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों की मुसीबतों के विरुद्ध आवाज उठाना कहां तक प्रजातंत्र विरोधी है ? परन्तु यह बड़ा विचित्र बात है कि प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले हमारे कांग्रेसी सदस्य ही सरकार की नीति के विरोध में उठाई गई आवाज को दबा देना चाहते हैं ।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण ने यह जो आन्दोलन आरम्भ किया है यह उनकी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा उनकी नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित है । अपनी वृद्धावस्था तथा बीमारियों के उपरान्त भी आज वह देश में प्रजातंत्र को मजबूत करने में लगे हुये हैं । उनके मन में न केवल देश का हित है अपितु सम्पूर्ण देश का भविष्य भी है । यदि श्री जप्रयंकाश नारायण को कुछ हो गया तो देश में विद्रोह हो जायेगा और जो लोग आज सत्ता पर हैं, उन्हें दक्षिण वियतनाम के शरणार्थियों की तरह भागना पड़ेगा ।

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुये
Shri Jagannath Rao Joshi *in the Chair*]

इस सदन में प्रत्येक पक्ष के सदस्यों का हमारे प्रजातंत्रीय ढांचे में सम्माननीय स्थान है । आज से कुछ दिन पूर्व जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जहां कि प्रधान मंत्री गवाही देने गई थीं तथा वहां बन्दूक से लैस एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, वह मामला सदन में उठाया गया था । हम सभी ने मिलकर इस मामले की भर्त्सना करते हुये इस पर अपनी संवेदनायें व्यक्त की थीं । परन्तु यह खेद की बात है कि कल जब यह मामला सदन में उठाया गया तो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इसका ऐसे मजाक उड़ाया जैसे कि श्री समर गुह हमारे देश की राजनीति के अंग ही न हों । प्रजातंत्र में विभिन्न विचारधाराओं के लिये सहनशीलता होनी चाहिये । श्री समर गुह तथा श्री जयप्रकाश नारायण पर जो आक्रमण किया गया है मैं उसकी निंदा करता हूं । शासक दल ने इस आक्रमण द्वारा देश में प्रजातंत्र की जड़ों को हिला दिया है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडागडा) : मैं इस असाधारण प्रस्ताव को समझ नहीं पाया हूं । इससे पूर्व शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जब कभी धरने के डर से या धमकी के दबाव में आकर कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव को लोकतांत्रिक ढंग से स्वीकार किया गया है ? इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले मेरे मित्रों ने स्थिति का चित्रण कुछ इस प्रकार किया है जिससे यह लगे कि हमारे दल के लोग ही गुण्डा-गर्दी करवाते हैं ? श्री समर गुह को यदि कोई चोट आई है तो हमारी उनके साथ पूर्ण सहानु-

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

भूति है परन्तु मैं अपने मित्रों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्हें इस सदन को संकट का अहाता नहीं बनाने दिया जाएगा। हम भी चाहें तो इस प्रकार का वातावरण पैदा कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के वातावरण में इस प्रकार की चर्चा का औचित्य क्या रह जाता है? मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि आक्रमण श्री जयप्रकाश नारायण पर नहीं किया गया था अपितु आक्रमण उनकी कार पर किया गया था, लोगों के आक्रोष का पात्र वह कार थी जिसका उन्होंने उपयोग किया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र का प्रस्ताव तो राजनीति से प्रेरित है। कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहां श्री प्रियरंजन दासमुंशी करते हैं तथा उनका वर्णन ही अधिक विश्वासनीय हो सकता है। फिर कलकत्ता में यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। कलकत्ता तो क्रान्तिकारियों का घर है तथा वहां आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से सहमत हूं कि इस चर्चा की परिधि में न केवल कलकत्ता की घटना पर ही विचार किया जाये अपितु पश्चिम बंगाल और केरल में होने वाली हिंसा पर भी चर्चा हो। इस समय अनेक स्थानों पर जैसे गुजरात, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंसा हो रही है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही थीं उन्हें समाप्त करने का श्रेय हमारे युवा कांग्रेस के नेताओं अर्थात् श्री पी० आर० दासमुंशी को है। जब केरल में हमारे कार्यकर्ताओं पर आक्रमण हो रहे थे उस समय सी० पी० एम० वाले कहां थे?

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये। सी० पी० एम० के नेता श्री गोपालन ने कुछ वर्ष पूर्व जयप्रकाश नारायण को सी० आई० ए० का एजेन्ट कहा था। आज वही जे० पी० एक बड़ा नेता है। आज वही लोग उन्हें बड़ा नेता कह रहे हैं जिनको जनता ने 1971 और 1972 के चुनावों में अस्वीकार कर दिया था। यदि कलकत्ता में काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया गया है तो यह बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के प्रदर्शनों का केरल में भी आयोजन किया जायेगा। हमें भारत में लोकतन्त्र को बचाना है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाडा): कलकत्ता की घटना से कांग्रेस के फासिस्टवाद का वास्तविक रूप हमारे सामने आ गया है। अब इस प्रस्ताव का उद्देश्य उसी की निन्दा करना है। कलकत्ता में हुई इस घटना का न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में उदाहरण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि एक मंत्री और एक संसद के सदस्य द्वारा इस प्रकार के निकृष्ट प्रदर्शन का नेतृत्व करना कहां तक संसदीय या उचित है? मैं पश्चिम बंगाल के युवा वर्ग का आदर करता हूं। परन्तु उनका इस सभा में प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति करते हैं जो कि इसके पात्र नहीं हैं।

हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं परन्तु हमें एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिये। यदि यह प्रदर्शन उचित था तो मुख्य मंत्री श्री राय ने इस घटना के बारे में खेद क्यों व्यक्त किया है? श्री जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कलकत्ता में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कुछ बातें कहीं थी। उन्होंने केवल यही कहा था कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व भारती विश्वविद्यालय की कुलपति बनने की योग्यता नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने कोई विशेष परीक्षा पास नहीं की है। ऐसा कहना अनुचित नहीं है। क्या प्रधान मंत्री को दैवी अधिकार प्राप्त है? इससे इनके फासिस्टवाद का भंडाफोड़ होता है। सरकार की कमजोरियां सामने आती हैं। फिर 2 अप्रैल को कलकत्ता में श्री जयप्रकाश नारायण पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल

के मुख्य मंत्री ने खेद व्यक्त किया है। इससे सिद्ध होता है कि इस दल की यह एक पूर्व नियोजित कार्यवाही थी।

जब श्री नारायण उड़ीसा में गये थे वहां पर भी कांग्रेस के लोगों ने गड़बड़ की थी। जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े लोगों की मृत्यु किसी हत्यारे के हाथों होती है। भगवान कृष्ण और महात्मा गांधी के बारे मे हम जानते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं। मरना तो हर एक व्यक्ति ने है। हम मानवीय मूल्यों के ह्रास पर चिंतित हैं। कांग्रेस दल वालों ने युवा कांग्रेस के नाम पर शराबियों और गुन्डों को गड़बड़ करने का काम सौंपा था। मैं बताना चाहता हूं कि देश में लोक-तन्त्र समाप्त किया जा रहा है। देश में साम्यवादी लोग अपनी विचारधारा के आधार पर शासन स्थापित करना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस दल को इन मित्रों से बचाये।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I have read the resolution of Shri S.N. Mishra very carefully. I feel that if a small amendment is made in it it would be very good. I want that the following words may be added in it :

"If Shri Subroto Mukerjee and Shri P. R. Das Munshi were not there at that time, serious happenings would have taken place there. This House expresses its thanks to them, who prevented any untoward incident there."

It is very non-controversial amendment. It was the presence of these two persons that an ugly situation was prevented from developing. One thing is clear. The Hon. Members of the opposition are creating an atmosphere of violence in the country. There has been a spate of such incidents in the recent past. Our Railway Minister Shri L. N. Mishra was killed. Then the incident at Allahabad, where a person with loaded pistol was arrested is before us. There was an attempt on the life of the Chief Justice of India. All these incidents show that a planned strategy has been prepared to paralyse the administration in the country. Have these opposition parties no other work except violence?

We have great respect and regard for Shri Samar Guha. He is our dear friend. If he has sustained some injuries we are not happy on that account. We were worried when we read certain reports in this regard in papers. In the end I want to say that we are very much concerned about the violent trends. It is not good to apportion blames and counter blames against each other. It is the duty of both the sides to be true and sincere in our actions. The atmosphere of violence should be removed. The democracy in the country can survive if we all work for its progress in a sincere way.

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : श्री मिश्र के संकल्प का उद्देश्य कलकत्ता में घटना की निंदा करना है। वहां पर श्री गुह पर आक्रमण हुआ था। हमें इस पर दुख है। यदि श्री मिश्र ने अपने संकल्प में समूचे देश में हिंसा की प्रवृत्ति की निंदा की होती तो बहुत अच्छा होता। हाल में देश में अनेक स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु में डी० एम० के० की सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने राज्य के एक विधायक पर खुले आम आक्रमण किया था। राज्य की सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe *In the Chair.*]

सभी दलों और नेताओं को हिंसा को समाप्त करने के लिये भरपूर प्रयत्न करना चाहिये। मैं श्री जयप्रकाश नारायण का बहुत मान करता हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ

[श्री जी० विश्वनाथन]

किया है। मैं चाहता हूं कि वह इसे मद्रास में भी चलायें। वहां की डी०एम० के० की सरकार बहुत भ्रष्ट है।

यदि बिहार में भ्रष्टाचार को विधान सभा को भंग करने से समाप्त किया जा सकता है तो उसके लिये शन्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन चलाकर और चुनाव के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है। यदि हमारे संविधान में एक विधायक को वापिस बुलाने का उपबन्ध नहीं है तो उसके लिये संविधान में संशोधन करना होगा। मेरा प्रधान तथा देश के अन्य नेताओं से अनुरोध है कि वे सभी मिल बैठकर समस्याओं का समाधान निकालें। परन्तु यदि कोई देश की सैना और पुलिस को उकसाता है तो यह बहुत खेदजनक बात है। हमें इस देश को लोकतन्त्र का सुरक्षित बनाना है और यहां से हिंसा को हटाना है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल): इस चर्चा से एक लाभ यह होगा कि कलकत्ता की इस घटना के बारे में भ्रान्तियां समाप्त हो जायेंगी। हिंसा की सब निन्दा करते हैं। श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। हम लोकतन्त्रीय परम्पराओं का आदर करते हैं और गैर-कानूनी तरीकों के अपनाने को खराब बात मानते हैं। श्री दास मुंशी के भाषण को सुनने के बाद मैं छात्र परिषद और युवा कांग्रेस वालों को बधाई देना चाहता हूं। मैं तो निराधार आलोचना करने वालों को ही दोषी समझता हूं। जब प्रधान मंत्री की व्यक्तिगतरूप से आलोचना की जाये तो लोग उसे कैसे सहन कर सकते हैं? प्रधान मंत्री के बारे में कहा गया है कि वह विश्व भारती विश्वविद्यालय की उपकुलपति बनने की योग्यता नहीं रखती हैं। यह गलत और भड़काने वाली बात है। आज विरोधी दल देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात में हिंसा के लिये कौन जिम्मेदार है?

एक संसद सदस्य के कपड़े उतार कर उसे सड़कों पर किसने घुमाया? परीक्षा के लिये जाने वाले छात्र की हत्या किसने की? दस लाख लोगों द्वारा संसद का घेराव कराने की बात कौन लोग करते हैं? एक विधिवत् रूप से गठित सरकार को अपदस्थ कराने के लिये असंवैधानिक तरीके अपनाने की सिफारिश किसने की? पुलिस और सैना में विद्रोह कराना और कौन चाहता है? यह सब केवल हमारे देश में ही बर्दाश्त किया जा सकता है।

हिंसा और संसदीय प्रजातंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। हिंसा भड़काने वाले लोगों को हिंसा का दमन करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण से श्री जय प्रकाश नारायण को श्रेय नहीं दिया जा सकता। वे विरोधी दलों के चुनाव एजेंट बनकर रह गये हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): इस वाद-विवाद में आक्रमण और प्रत्याक्रमण किये गये हैं। प्रधान मंत्री, श्री जयप्रकाश नारायण और अन्य लोगों पर इन आक्रमणों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कलकत्ता की घटना कोई एक व्यक्ति की रचना नहीं है यह तो देश में फैल रही हिंसा का ही एक रूप है। हमें इस खतरे की ओर ध्यान दिलाना चाहिये था कि विशिष्ट व्यक्तियों को चाहे वे विपक्षी दलों से सम्बन्धित हैं या उच्च सरकारी पदों पर आसीन हैं या श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा श्री जयप्रकाश नारायण हैं, आक्रमण का लक्ष्य बनाया जा रहा है। हत्या की राजनीति अनुनय की राजनीति में बदलती जा रही है। इस पहलू पर हमें वादविवाद के दौरान प्रकाश डालना चाहिये क्योंकि यदि भय का यह वातावरण रोका नहीं गया और इसी के समान दमन

की विस्फोटक परिस्थितियों को समाप्त नहीं किया गया तो इस सदन में वाद-विवाद के दौरान गरमा-गरम तर्क देने से दूषित वातावरण साफ नहीं होने वाला है ।

आज एक ओर तानाशाही और अधिनायक शाही फैल रही है और दूसरी ओर नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रता का हनन किया जा रहा है । तीसरे, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति असहनशील होते जा रहे हैं । इसी कारणवश उग्रता, कटुता, नफरत, आंतक और हिंसा राजनीतिक वातावरण में आती जा रही है । मारपीट, हिंसा, बल-प्रयोग, और हत्यायें हो रही हैं । 6 या 7 वर्ष के भीतर ही यह घटनायें एक से अधिक राज्य में हुई हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इन से कोई व्यक्ति या दल मुक्त नहीं है ।

चाहे वह गुजरात हो या बिहार या देश का कोई शेष भाग हो, लगभग सभी दल इनमें ग्रस्त-ग्रस्त हैं और फिर भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं कि इसमें अमुक दल का हाथ है । लेकिन वे स्वंय भी वही कार्य कर रहे हैं ? ईमानदारी और शीघ्रता से इन सभी मामलों पर सापेक्ष दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये और शान्त होकर निर्णय करना चाहिये कि क्या हम हिंसा के वातावरण को रहने देना चाहते हैं या कि ईमानदारी से ऐसा ठोस कदम उठाना चाहते हैं जिससे कि हिंसा, असहनशीलता, कटुता और नफरत को दूर किया जा सके ताकि लोग शान्तिपूर्ण अपनी बैठकों में शामिल हो सकें और उनका आयोजन कर सकें । यदि लोकतन्त्र का अर्थ शिष्ट व्यवहार अनुनय, सहनशीलता और विवेक है तो हमारी राजनीति से हिंसा का दैत्य सदा के लिये भाग जायेगा । दिखावे और बेईमानी से हम नहीं बच सकते । केवल निष्कपट और सच्चा प्रयास तथा साहसपूर्ण कदम ही हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं और बढ़ती हुई हिंसा से हमारी और देश की रक्षा कर सकते हैं ।

Shri Shankar Dev (Bihar): I was surprised at this Motion. Shri Mishra, the mover of the Motion, has worded it as, "The House deplores......" But I personally feel that the Motion should have been like this, "The House appreciates......" Frankly speaking, shri Jaya Prakash Narayan was teaching breach of discipline to the students and now his own teachings are recoiling on him. He is now reaping what he sowed. Whatever has happened in Calcutta was nothing but the outcome of his own preachings.

In a recent conference of Sarvodaya Serva Seva Sangh, I was maltreated by some Member who were supportors of J.P. When I drew the attention of J.P. to this fact, he simply expressed his helplessness in the matter. This is how J.P.'s mission is working.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : यह चर्चा आरम्भ किये हमें लगभग 7 घंटे हो गये हैं तथा मैं यह महसूस करता हूं कि आप सभी काफी थक गये होंगे । अतः मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही कहने का प्रयत्न करूंगा ।

माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के उपरान्त, मैं भी यही अनुभव करने लगा हूं कि यदि इस प्रस्ताव पर की जाने वाली चर्चा को देश में व्याप्त हिंसा तथा घृणा की प्रवृत्ति सम्बन्धी चर्चा के रूप में लिया जाता तो उसके अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते थे । सदन यदि सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित करता तो वह अधिक उपयोगी हो सकता था । माननीय मित्रों के वक्तव्य सुनने के उपरान्त, लगता है कि श्री श्यामनन्दन मिश्र ने एक साधारण विषय को ही राष्ट्रीय स्तर पर उठा कर कुछ राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया है ।

[श्री के० ब्रह्मनन्द रेड्डी]

मैं घटना का विस्तृत ब्योरा यहां प्रस्तुत नहीं करना चाहता क्योंकि उसके बारे में काफी कुछ अखबारों में छप चुका है। मैं अपनी बात बिहार आन्दोलन से आरम्भ करना चाहता हूं। वहां की विधान सभा भंग करने के लिए आन्दोलन चलाया गया, जनता के प्रतिनिधियों को भयभीत किया गया तथा धमकाया गया। उन्हें त्यागपत्र देने के लिए गैर कानूनी ढंग से बाध्य किया गया। अब कलकत्ता को ही लीजिये। वहां 2 अप्रैल को युवा छात्र कांग्रेस के लोगों की बैठक हो रही थी। उसमें प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गये। लोग एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के विरुद्ध कहे गये अप शब्दों को सहन न कर सके। इस सदन में तथा इससे बाहर अनेक ऐसी बातें कही जाती है जिनका कुछ औचित्य नहीं होता। छात्रों से आवाह्न किया गया है कि एक वर्ष नहीं अपितु दो वर्ष तक स्कूलों तथा कालेजों का बहिष्कार करे। अपनी शिक्षा को त्यागकर गलियों में आ जायें। क्या यह देश भक्ति है ? जहां कहीं भी श्री जयप्रकाश नारायण गये हैं, उन्होंने सर्व प्रथम छात्रों तथा युवकों को संघ या समिति बनाने का आवह्न दिया है।

श्री समर गुह : ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि भुखमरी के सबसे बड़े शिकार विद्यार्थी ही हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में ही 25 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यदि वास्तव में आप उनके बारे में चिंतित हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। हमारे साथ विचार विमर्श कर सकते है। उन्हें शिक्षा संस्थानों को छोड़ गलियों तथा सड़कों पर आ जाने का आवह्न देना क्या देश भक्ति अथवा राष्ट्रीयता कहा जा सकता है। आज समाचार पत्रों में छपा है कि श्री नारायण ने सशस्त्र सेनाओं तथा पुलिस के लोगों को भी आदेश न मानने के लिए कहा है। क्या इसे तर्क संगत गतिविधि कहा जा सकता है।

श्री समर गुह: उन्होंने सेना को कभी भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो यह कहा है कि यदि उन्हें कोई असंवैधानिक कार्य करने के लिए कहा जाय उसे उन्हें नहीं मानना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा हमें देश में व्याप्त सभी प्रकार की हिंसा तथा घृणा की निदां करनी चाहिये जोकि अब हमारे सार्वजनिक जीवन में आती जा रही है। यदि इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता, तो निश्चय ही यह चर्चा अधिक सार्थक हो सकती थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अपने भाषण में कहा है कि श्री जयप्रकाश नारायण पर किया गया आक्रमण पूर्व निर्धारित था और उनकी हत्या करने की योजना था परन्तु वस्तुस्थिति इससे पूर्णतया भिन्न है। वास्तविकता यह है कि वह जहां कहीं भी जाते हैं, सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लाखों रुपये खर्च कर देती है। यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस चुपचाप यह सब देखती रही। यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के सम्मानित व्यक्तियों व नेताओं के विरुद्ध अपशब्द कहता है तो उसकी प्रतिक्रिया से भला वह नहीं बच सकता है।

मैं किसी को प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा। हम सभी बीसियों वर्षों से सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। यदि कुछ नवयुवक कोई प्रदर्शन करते हैं कार घेर लेते हैं या अपशब्दों का प्रयाग करते हैं तो क्या हो गया ? क्या यह बहुत बड़ी बात है ? हमें इतनी छोटी छोटी बातों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना

चाहिए । परन्तु किसी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी और विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें कहीं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को परिपक्व नहीं कहा जा सकता । क्या इससे युवकों के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की भावना पैदा नहीं होती ? यदि कोई श्री जय प्रकाश नारायण के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा ? अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो साफ हूं लेकिन दूसरे लोग गलत हैं में हिंसा का कार्य नहीं करता और दूसरे करते हैं, यदि मैं इन्दिरा गांधी का समर्थन करता हूं तो मैं बुरा हूं और यदि जय प्रकाश नारायण बीजू पटनायक का समर्थन करते हैं तो वह नेक व्यक्ति हैं । जनता सब कुछ देख रही है कि कौन क्या कर रहा है । हम पर देश के करोड़ों लोगों की निगाहें हैं । अनुचित भाषा का प्रयोग करके आपको शायद कुछ क्षण के लिए तसल्ली या संतोष हो जाये । किन्तु भारतीय नागरिक अशिक्षित होकर भी सब कुछ समझता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है । अतः हमें सतर्क रहना चाहिए । हमें अपने मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करने में उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए । हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए ।

जब कभी किसी मित्र का अपमान किया जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है । लक्ष्य प्राप्ति या सरकार को हटाने के लिए यह उचित तरीका नहीं है । शांतिप्रियता हमारे देश की परम्परा है । हमें इसे बनाये रखना चाहिए और वर्षानुवर्ष इसमें सुधार करना चाहिए । यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है । यह राष्ट्रीय प्रगति का प्रश्न है । यह देश के उन करोड़ों लोगों का प्रश्न है, जिन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है । छोटी-छोटी बातों में उलझने से किसी का भी हित नहीं होगा ।

मैं अब आपको राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी दे दूं क्योंकि कई मित्रों ने कई तरह की बातें कहीं है । अप्रैल, 1975 को श्री जय प्रकाश नारायण दम-दम हवाई अड्डे पर पहुंचे । नव निर्माण समिति कांग्रेस संगठन, सोस्लिस्ट पार्टी आदि के नेताओं को उनसे हवाई अड्डे पर मिलने की अनुमति दी गई । कुछ युवा कांग्रेस समर्थकों ने हवाई अड्डे पर जय प्रकाश नारायण विरोधी प्रदर्शन किया और नारे लगाये । हवाई अड्डे से कलकत्ता पहुचनें के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई ।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जय प्रकाश नारायण ने 6-सी शार्ट स्ट्रीट पर कई बैठकों का आयोजन किया । कलकत्ते में वह अपने सम्बन्धियों के पास रुके हुए थे । उन्होंने 3, मोईरा स्ट्रीट पर स्थित एक बहुमंजिली इमारत के ग्राउन्ड फ्लोर पर भी एक बैठक आयोजित की । इन बैठकों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई । श्री जय प्रकाश नारायण को कलकत्ता विश्वविद्यालय इन्स्टीच्यूट तथा स्टूडेन्टस हाल मैं मध्याह्न पश्चात् दो बैठकों में भाषण देना था । इन आयोजित बैठकों से पहले समय-समय पर युवा कांग्रेस तथा छात्र परिषद ने उन गलियों में, जहां श्री जय प्रकाश नारायण की बैठकों का आयोजन था, नारे लगाकर और काले झंडे फहराकर जलूस निकाले । श्री जय प्रकाश नारायण शाम के लगभग 4.35 बजे पुलिस के संरक्षण में स्टूडेन्ट्स हाल पहुंचे । उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का पर्याप्त प्रबन्ध था । बैठक शांति पूर्ण ढंग से हो रही थी ।

इसी दौरान छात्र परिषद् और युवा कांग्रेस की बैठक, जो विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की हुई थी, शामको लगभग 4.15 बजे समाप्त हो गई । श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी, संसद सदस्य, श्री सुब्रत मुखर्जी, राज्य मंत्री, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय तथा अन्य बहुत से नेताओं के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और छात्र परिषद का एक जलूस निकाला गया । जलूस के लगभग 100 व्यक्ति, जिनमें श्री सुब्रत मुखर्जी, तथा कई अन्य नेता भी शामिल थे, विश्वविद्यालय इन्स्टीच्यूट की ओर चल पड़े ।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रड्डी]

विश्वविद्यालय द्वार पर पहुंचकर, जो उस समय नव निर्माण समिति के संयोजकों द्वारा बन्द किया हुआ था, प्रदर्शन किया और फिर उनके विरुद्ध भी प्रदर्शन हुआ। तनाव बढ़ता गया। यह स्थिति देखकर श्री सुब्रत मुखर्जी इंस्टीच्यूट के द्वार के एक खम्बे के ऊपर चढ़ गए तथा उन्होंने भीड़ को तितर बितर होने के लिए कहा। कुछ लोग चले गए पर कुछ वहीं रहे और तब श्री मुखर्जी भी चले गए। श्री मुखर्जी के हस्तक्षेप से तनाव कुछ कम हुआ। किन्तु संसद् सदस्य श्री समर गुह के भाषणों तथा नव निर्माण समिति के प्रदर्शन से तनाव बढ़ा।

श्री समर गुह : **

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : बैठक में दिए गए भाषणों से तनाव बढ़ा। बैठक के पश्चात् श्री जय प्रकाश नारायण हाल से बाहर आ गए।

श्री समर गुह : **

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री समर गुह ने सभा में कहा 'कि इन्दिरा गांधी के निदेशों पर गुन्डा गर्दी हो रही है। इन्दिरा गांधी तथा उनके चहेते मुख्य मंत्री गुन्डों के सरदार हैं'।

श्री समर गुह : ** **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री समर गुह : **

सभापति महोदय : श्री समर गुह ने जो कुछ कहा है, उसका एक शब्द रिकार्ड में नहीं रखा जायेगा

(व्यवधान)

गृह मंत्री रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अब आप और क्या चाहते हैं। वह भाषण नहीं दे रहे हैं। यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री जय प्रकाश नारायण छात्रों के हाल से सभा को शान्तिपूर्ण समाप्ति के पश्चात् बाहर निकले और दूसरे स्थान पर जाने के लिये कार पर सवार हुये। जैसे ही श्री जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को घेर लिया तथा उस पर चढ़ गये। पुलिस ने बहुत कठिनाई से इन लोगों को पीछे किया। लेकिन तनाव तब बढ़ा जब निर्माण समिति के समर्थकों ने मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध नारे लगाये और उनके लिये अपशब्दों का प्रयोग किया। श्री समर गुह, संसद् सदस्य कार के बोनेट पर चढ़ गये और उन्होंने कांग्रेस, छात्र परिषद और युवा कांग्रेस को बहुत फटकारा। इस पर उत्तेजित होकर कुछ प्रदर्शनकारी कार की ओर बढ़े और धक्कम-धक्के में श्री समर गुह की ऐनक जमीन पर गिर गई तथा उनकी कमीज फट गई। उनकी ऐनक एक पुलिस अधिकारी ने उठा ली। और तुरन्त उन्हें वापिस कर दी। नव निर्माण समिति के सदस्यों ने श्री जयप्रकाश नारायण को कार से उतरने तथा सभा में जाने के लिये अनुरोध किया लेकिन वह कार से नहीं उतरे, उन्होंने ड्राइवर को वहां से चलने को कहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया और कार के गुजरने के लिये रास्ता

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

बनाया । अन्ततः पुलिस के संरक्षण में कार वहां से चली गई । इस सम्बन्ध में एक मामला एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया । राज्य सरकार ने बताया है कि इस समूची घटना के दौरान किसी प्रकार लड़ाई अथवा दंगा नहीं हुआ है । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हमें यही जानकारी दी गई है । हम हिंसा की निन्दा करते हैं ।

श्री समर गुहा : मैंने आपको तत्काल टेलीफोन किया था * * *

सभापति महोदय : आपने मेरी अनुमति नहीं ली । अतः आपने जो कुछ कहा वह रिकार्ड में नहीं जाएगा । मैंने आपसे बार बार कहा है कि अनुमति लेकर बोलें ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब कोई सदस्य यह कहता है कि उसने अमुक बात नहीं कही, तो क्या उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री समर गुह ने प्रदर्शन के बारे में टेलीफोन किया था और मैंने उन्हें कहा कि मैं इस मामले को देखूंगा **(व्यवधान)** . . .

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : उठीं **(व्यवधान)** . . .

एक माननीय सदस्य : वह सच्चाई का पता लगाना चाहती हैं ।

सभापति महोदय : पुरुष को तो मैं चुप करा सकता हूं । किन्तु किसी महिला को नहीं **(व्यवधान)** · · · · यदि अब आपने ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया तो मुझे आपको भी चुप कराना पड़ेगा **(व्यवधान)** . . .

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अब श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा तथा श्रीमती माया रे अलग-अलग स्थानों पर बैठी हुई है, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी **(व्यवधान)** . . . .

हम देश में सार्वजनिक जीवन में होने वाली हिंसा की निन्दा करते हैं । हमारा यही प्रयास है और भविष्य में भी यह प्रयास रहेगा कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात न हो । हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो कि हिंसा के वातावरण को जन्म दे तथा ऐसे भाषण भी नहीं देने चाहिये जो कि लोगों को भड़काने वाले हों ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं आपको यह बता दूं कि उतना सफल कोई वाद-विवाद नहीं रहा जितना कि यह । इससे वांछनीय प्रयोजन पूरा हुआ है **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप कितना समय लेंगे ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं कुछ कह नहीं सकता । मैं समुचित समय लूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उन्हें वाद-विवाद का उत्तर अपनी पूरी योग्यता से देने दिया जाये किन्तु इसके लिये समय सीमा जरूरी है । वह बतायें कि वह कितना समय लेंगे ?

***रिकार्ड में नहीं रखा गया ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 192 के अन्तर्गत भाषणों के लिये अध्यक्ष समय नियत कर सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उनके उत्तर के लिये समय सीमा निश्चित कर ली जाये। कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि मैं अपनी इच्छानुसार जब तक बोलना चाहूं, बोल सकता हूं। 11 बजे गये हैं। आप अपना निर्णय दीजिये।

सभापति महोदय : क्या कोई ऐसा नियम है, जिसके अन्तर्गत आप जितनी देर चाहें, बोल सकते हैं। यदि ऐसा कोई नियम है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे समुचित समय चाहिये। मैं किसी बात को दोहराउंगा नहीं। मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : नियम 178 के अन्तर्गत कोई भी भाषण 15 मिनट से अधिक का नहीं होगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमान; हम जानना चाहते हैं कि हमें अब कितनी देर बैठना होगा। आप समय निश्चित कर लीजिये।

सभापति महोदय : आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : गृह मंत्री ने सभा को यह बताना चाहा कि यह वाद विवाद निरर्थक सिद्ध हुआ है। यह चर्चा पूरी तरह सफल रही है। इसने सत्तारूढ़ दल का पर्दाफाश कर दिया है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्य दो बातों से दुःखी हुये हैं। पहली बात यह कि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी गई है।

यदि कोई विशेष घटना हो जाती है तो सभा को उस पर विचार करना ही होता है। जब इलाहाबाद में घटना घटी तो हमने विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिये नहीं कहा। जब सभा की दर्शक दीर्घा में कोई घटना घटी तब भी हमने यह नहीं कहा कि इस पर सामान्य चर्चा की जाये।

यह एक ऐसी घटना है कि जिस पर सभा को ध्यान देने की परम आवश्यकता है और जो लोग चाहते हैं कि इस पर कोई चर्चा न हो उनमें गैर जिम्मेदारी की भावना झलकती है। समस्तीपुर कांड होने पर प्रधान मंत्री ने विरोधी पक्ष के नेताओं को ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिये क्यों नहीं बुलाया ? किन्तु प्रधान मन्त्री तथा उनका दल ऐसा नहीं चाहता। उनमें विरोधी पक्ष के नेताओं से इस सम्बन्ध में बातचीत करने का साहस नहीं है। यदि प्रधान मंत्री ऐसा आवश्यक समझती तो उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण जैसे नेताओं को बुलाना था। इस घटना पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा जिस तरह के भाषण दिये गये, उनसे ऐसा लगता है कि उनके बोलने का स्तर गिर गया है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा किये गये भाषणों में श्री जय प्रकाश नारायण को अवांछनीय व्यक्ति सी० आई० ए० का एजेंट आदि बताया गया है। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने श्री महन्ती को

उनकी अभिव्यक्ति के लिये लताड़ना चाहा । किन्तु उन्होंने इस बात पर कभी भी विचार नहीं किया कि प्रधान मंत्री श्री जय प्रकाश नारायण के लिये क्या क्या कहती हैं । प्रधान मंत्री का एक भी ऐसा भाषण नहीं है, जिसमें उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण की आलोचना न की हो ।

प्रो० मधु दण्डवते : सदन में कोरम नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बज रही है । अब कोरम हो गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय गृह मंत्री ने कुछ इस प्रकार का प्रभाव सदन में उत्पन्न करने की चेष्टा की है कि यह सब चर्चा ही बेकार थी । प्रधान मंत्री सदा कहती आ रही हैं कि श्री जय प्रकाश नारायण को बाहर से वित्तीय सहायता मिलती रही है, साथ ही उनकी संगति भ्रष्ट लोगों से है । उनका मत है कि श्री जय प्रकाश अवांछनीय व्यक्ति हैं और कलकत्ता में उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वह उचित ही था । एक सदस्य ने यहां तक कहा कि प्रस्ताव में 'निन्दा' के स्थान पर प्रशंसा होना चाहिये । श्री शंकर दयाल सिंह ने कहा है कि यदि प्रस्ताव में यह जोड़ दिया जाये कि हम माननीय सदस्यों सर्व श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी, सुब्रतो मुखर्जी के प्रयत्नों की सराहना करते हैं, तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बसन्त साठे ने कहा कि श्री जय प्रकाश पर हमले का जानबूझकर प्रयत्न नहीं किया गया । श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी ने, जो इस जलूस का नेतृत्व कर रहे थे, कहा कि, श्री सुब्रतो मुखर्जी ने इस कत्ले आम को रोका । इससे बढ़ कर आपको क्या सबूत चाहिये कि श्री जय प्रकाश नारायण के जीवन पर वार के लिये सोच समझ कर योजना बनाई गई थी । श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी यह सिद्ध करना चाहते थे कि श्री जय प्रकाश नारायण पर हमले की योजना जानबूझकर कैसे बनायी जा सकती थी ? परन्तु उनकी बात उनके दल के सदस्य श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी के इस कथन से कि उन्होंने कत्ले आम को रोका . . . . (व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : कृपया इससे राजनीतिक लाभ मत उठायें । मुझे पता है कि बेगूसराय में बहुत से अपराधी आपसे संरक्षण प्राप्त करते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री इन्द्रजीत गुप्त भी यह स्वीकार नहीं करते कि श्री जय प्रकाश नारायण के जीवन पर हमला किया गया । श्री जय प्रकाश नारायण ने स्वयं कहा कि उन्हें उस स्थान पर मार कर कत्ल कर दिया जाता यदि वे प्रहार जो कार पर किये गये वे श्री जय प्रकाश पर किये जाते तो क्या होता ? उन्हें कार से बाहर निकलने से रोका गया ।

श्री जय प्रकाश नारायण ने मुझे बताया कि उन्हें कार से निकलने ही नहीं दिया गया । उन्हें जबरदस्ती रोका गया । बाहर नारे लगाये जा रहे थे कि हम कत्ल कर देंगे ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मिश्र जी ऐसी बात मत करें । ऐसे नारे नहीं लगाये गये । जो कुछ आप कहेंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे ऐसा आप मत समझें । (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री मिश्र जी ने कहा कि "हम कत्ल कर देंगे" नारे लगाये गये थे । श्री मुंशी जो कि स्वयं वहां पर थे ने बताया कि ऐसे नारे नहीं लगाये गये । श्री समर गुह ने जो पत्र सभा पटल पर रखे हैं उसमें ऐसे नारों का कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं समाचार पत्र से उद्धृत कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : श्री स्टीफ़न ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । आप उस पत्र को मुझे दिखायें जिसके आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : जब गृह मन्त्री श्री समर गुह का लिखित वक्तव्य पढ़ रहे थे कि श्री समर गुह ने आरोप लगाया कि श्रीमती गांधी गुण्डों को बढ़ावा दे रही हैं । श्री गुह ने तुरन्त खड़े होकर इसका निषेध कर दिया तब आपने कह दिया कि किसी बात को रखने के लिये ढंग होते हैं । हम नियम 115 के अन्तर्गत इसे लेना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : जिस समाचार पत्र से उद्धृत कर रहे हैं उसे वह प्रस्तुत करें ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि कोई सदस्य समाचार पत्र तुरन्त न रख सके तो उसे कुछ समय दें । पहले भी ऐसी अनुमति दी गई है ।

सभापति महोदय : नियम यह है कि जब कुछ उद्धरण करना होता है जब सभापीठ से अनुमति लेनी होती है । यदि कल आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तो इसे कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं बहुत से पत्र पढ़ता हूं । मैं कल आपको दिखा दूंगा ।

मैं फ़िर उद्धरण दे रहा हूं :

"यह बिहार नहीं, यह पश्चिम बंगाल है ।"

श्री गुप्त तथा श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को इस बात से सहानुभूति नहीं हैं उनके दल के एक विधान सभा सदस्य श्री कुलना राय के फ्लेट से गोली चला कर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। श्री इंन्द्रजीत गुप्त . . . . (व्यवधान)

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करते ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक ओर तो खेरा से उद्धृत किया है दूसरी ओर जांच आयोग की जांच के दौरान उन पर गम्भीर आरोप लगाया था । (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कई बार यह बात दुहराई है कि श्री जय प्रकाश नारायण कलकत्ता में भाषण दिये बिना लौट आये । इससे श्री मुंशी क्या बात बताना चाहते हैं । पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि "उसे उचित बदला मिल गया है" ।

श्री कृष्ण कान्त ने आशा व्यक्त की थी कि हिंसा की प्रवृत्ति पर कार्य कारिणी समिति के संकल्प के रचियता कम से कम कलकत्ते की घटना की निन्दा तो करेंगे इस सन्दर्भ में—महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या श्री जय प्रकाश नारायण तथा श्री समर गुह जैसे व्यक्तियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है, तो साधारण व्यक्तियों की बात ही क्या है ?

वे हिंसा की इस घटना की निन्दा किये जाने का विरोध कर रहे हैं। सारा राष्ट्र उस घटना की निन्दा कर रहा है परन्तु यहां पर उन व्यक्तियों की निन्दा की जा रही है जो इस प्रस्ताव को यहां पर लाये हैं। गृह मंत्री महोदय ने इस घटना को मानवीय बताया है। देश को पता चल गया है कि किस प्रकार का दल यहां शासन कर रहा है। **(व्यवधान)** यदि इस देश में तानाशाही की स्थिति पैदा की जायेगी तो इसका उत्तरदायित्व शासक दल पर हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा हाल में कलकत्ता में हुई हिंसक घटना की निंदा करती है—जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया तथा सभा के एक सदस्य श्री समर गुह और उनके साथियों को चोटें आयीं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 9 अप्रैल, 1975/19 चैत्र, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday April 9, 1975/Chaitra 19, 1897 (Saka).

GMGIPND—L—887 LS